

राज्य सार्वीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एन.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ की 152वीं बैठक का कार्यवाही विवरण

राज्य सार्वीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एन.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ की 152वीं बैठक दिनांक 04/08/2023 को अन्तर्गत 12:00 बजे संवोध हुई।

बैठक के प्रारंभ में तकनीकी अधिकारी, सचिवालय, राज्य सार्वीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण द्वारा अध्यक्ष एवं सदस्यों का स्वागत किया गया। तदुपरोक्त एजेन्डायार कार्यक्रम निम्नानुसार निर्धारित किया गया।

एजेन्डा आइटम क्रमांक-1 राज्य सार्वीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ की 151वीं बैठक दिनांक 07/07/2023 के कार्यवाही विवरण का अनुसंधान।

राज्य सार्वीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ की 151वीं बैठक दिनांक 07/07/2023 को अवगतित की गई थी।

एजेन्डा आइटम क्रमांक-2 राज्य सार्वीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, छत्तीसगढ़ की 468वीं, 469वीं एवं 470वीं बैठक क्रमशः दिनांक 12/08/2023, 13/08/2023 एवं 14/08/2023 की अनुसंधान के अन्तर्गत पर वीन/मुख्य कर्मियों एवं औद्योगिक परियोजनाओं संबंधी प्रकरणों में निर्णय लिया जाना।

1. मेसर्स किरन्दुल आर्किटेक्ट स्टोन कार्पी (प्री- श्री अब्दुल सहीद सिद्दिकी), धाम-किरन्दुल, तहसील-बड़े बघेली, जिला-दलीबाड़ा (सचिवालय का पता क्रमांक 1391)

ऑनलाइन आवेदन - प्रोजेक्ट नम्बर - एन.ई.आई.ए./ सीजी/ एन.ई.आई.ए./ 66475/2021, दिनांक 11/08/2020 द्वारा टी.ओ.अन. हेतु आवेदन किया गया था। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाइन आवेदन में कर्मियों होने से कारण दिनांक 08/10/2020 द्वारा जानकारों प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था। परियोजना प्रस्तावक द्वारा कथित जानकारों दिनांक 08/11/2021 को ऑनलाइन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण - यह पूर्व से संचालित सखारम बन्धर (सीन कनिज) खदान है। खदान धाम-किरन्दुल, तहसील-बड़े बघेली, जिला-दलीबाड़ा स्थित खदान क्रमांक 40, कुल क्षेत्रफल-3376 हेक्टर में है। खदान की आवंटित सालाना क्षमता - 71,843.75 टन प्रतिवर्ष है।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एन.ई.आई.ए., छत्तीसगढ़ के आदेश, दिनांक 22/02/2022 द्वारा अनुवीक्षण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण -

(अ) समिति की 400वीं बैठक दिनांक 03/08/2022

प्रस्तुतिकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पास दिनांक 03/03/2022 द्वारा सूचना दी गयी है कि वरिष्ठ जानकारी अर्पण होने के कारण से समिति के सत्रक बैठक में प्रस्तुतिकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः आगामी सत्र की आवेदित बैठक में समाप्त प्रमाण करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा वलामय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में जारी गई वरिष्ठ जानकारी एवं समाप्त सूचनात जानकारी / प्रस्तावक सहित प्रस्तुतिकरण दिने जाने हेतु निर्दिष्ट किया जाए।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एसईएसी, छातीसगढ़ के द्वारा दिनांक 08/08/2022 द्वारा प्रस्तुतिकरण हेतु सूचित किया गया।

(ख) समिति की 410वीं बैठक दिनांक 18/08/2022:

प्रस्तुतिकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा कोई अनुरोध पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।

समिति द्वारा वलामय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा वरिष्ठ जानकारी एवं अनुरोध पत्र प्राप्त होने पर आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एसईएसी, छातीसगढ़ के द्वारा दिनांक 08/08/2023 द्वारा प्रस्तुतिकरण हेतु सूचित किया गया।

(ग) समिति की 488वीं बैठक दिनांक 12/08/2023:

प्रस्तुतिकरण हेतु की अच्युत कहीर सिद्धिजी, प्रोपटाईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा गलती, प्रस्तुत जानकारी का अखतौकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई—

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण— इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. प्रस्तुतिकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं हुआ है। परंतु यह पूर्व से संघर्षित संधालन प्लान (जीए खनिज) खदान है, जिसे सौर वर्ष 1928 से जारी हो गया है। अतः समिति का मत है कि जारी जीए दिनांक से अखतौकन स्थिति (विगत वर्ष) तक किये गये अखतौकन के संबंध में जानकारी कार्यालय कलेक्टर (खनिज संधालन) द्वारा प्रमाणित कताकर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
3. नगर पालिका परिषद् का अनापत्ति प्रमाण पत्र — अखतौकन के संबंध में नगर पालिका परिषद् सिरदुल का दिनांक 08/08/2014 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
4. अखतौकन योजना — जारी प्लान प्रीपैरिड जारी कलेक्टर प्लान एचक इन्फार्मेशन सेक्टर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला-दक्षिण बरतन कोषाहा के द्वारा क्रमांक 413/खनिज/उख.पौ./2020-21 कोषाहा, दिनांक 07/08/2020 द्वारा अनुमोदित है।

5. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान – कार्यालय ब्लॉक (खनिज साखा), जिला-दक्षिण बस्तर दनौवाड़ा के प्रमाण क्रमांक 1178/खनिज/सा. पवन/2020-21 दनौवाड़ा, दिनांक 05/04/2021 के अनुसार आवंटित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 7 खदानें, क्षेत्रफल 14.795 हेक्टेयर हैं।
6. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं – कार्यालय ब्लॉक (खनिज साखा), जिला-दक्षिण बस्तर दनौवाड़ा के प्रमाण क्रमांक 1178/खनिज/सा.पवन/2020-21 दनौवाड़ा, दिनांक 05/04/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे पुल, पुलिस, मंदिर, मस्जिद, मर्याद, राष्ट्रीय राजमार्ग, प्राकृतिक जल स्रोत, बांध एवं एसीकट आदि प्रतिकूल क्षेत्र निर्दिष्ट नहीं है।
7. भूमि एवं लीज का किराना – यह सार्वजनिक भूमि है। कार्यालय ब्लॉक (खनिज साखा), जिला-दक्षिण बस्तर दनौवाड़ा के प्रमाण क्रमांक 67/खनिज/सा.प./2020-2021 दनौवाड़ा, दिनांक 20/05/2020 के अनुसार लीज की सुनील कुमार इतिहास की 10 वर्ष अवधि दिनांक 19/10/1998 से 18/10/2008 तक की अवधि हेतु खींचाई की। उपर्युक्त उत्तरीसगढ़ गैस खनिज नियम 1998 के नियम 35(1) के तहत लीज का हस्तांतरण दिनांक 29/05/2008 को श्री के.सी. शर्मा के नाम पर किया गया है। उपर्युक्त पुनः लीज का हस्तांतरण दिनांक 11/03/2013 को श्री अशुतosh शर्मा निद्रिकी (पी.एस. अन्वयक) के नाम पर किया गया है। उक्त प्रकल्प का "उत्तरीसगढ़ गैस खनिज नियम, 2018 के नियम 38 क(4) के तहत गूँज खींचाई दिनांक 19/10/1998 से आगामी 30 वर्ष 18/10/2028 कालावधि के लिए विस्तारित करने हेतु उपखनिजद्वारे का खनन योजना अनुमतिपत्र बनाने, उक्त सार्वजनिक पर्यावरण सम्बंधित निर्धारण प्रतिकूलता सचपुर से पर्यावरण सम्मति प्राप्त करने एवं कोई भी खनिज राजस्व इत्यादि न होने के निश्चय के तहत का पालन 06 माह की कालावधि में पूर्ण करने के आधार पर अवधि विस्तार किया जाता है।" बताया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि अतिरिक्त समयावधि के लिए कार्यालय ब्लॉक (खनिज साखा), जिला-दक्षिण बस्तर दनौवाड़ा को पत्र भेजा गया है। समिति का मत है कि अतिरिक्त समयावधि हेतु एल.ओ.आई. केषात वृद्धि की प्रति प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
8. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
9. वन विभाग का अनुमति प्रमाण पत्र – कार्यालय बलमण्डलपरिसारी, दनौवाड़ा बलमण्डल, दनौवाड़ा के प्रमाण क्रमांक/ब.उ.अ.10171 दनौवाड़ा, दिनांक 29/12/2020 से जारी अनुमति प्रमाण पत्र अनुसार आवंटित क्षेत्र निकटतम वन क्षेत्र की सीमा से 340 मीटर की दूरी पर है।
10. महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी – निकटतम आबादी ग्राम-किरन्दुल 2 कि.मी., सखुल ग्राम-किरन्दुल 2 कि.मी. एवं अमरजल ग्राम-किरन्दुल 1 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राजमार्ग 14 कि.मी. दूर है। खोद्यान नदी 800 मीटर दूर है।
11. पर्यावरण/पारिस्थितिक संवेदनशील क्षेत्र – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय राजमार्ग, अमरजल, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित किरिण्डी पीम्बुटेज दरिया, पारिस्थितिकीय

संबंधित क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिबंधित किया है।

12. खनन संयंत्र एवं खनन का विवरण – डिपेंडेंसिबल रिजर्व 13,68,538 टन, माईनेबल रिजर्व 9,08,087 टन एवं निकटवर्ती रिजर्व 8,58,804 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 7,714 वर्गमीटर है। जॉइन वास्तु सेवी सेकेंडरीज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 15 मीटर (9 मीटर हिंसलीक एवं 6 मीटर गहराई) है। वर्तमान में लीज क्षेत्र को भीतर ऊपर की पट्टी अवस्थित नहीं है। क्षेत्र की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 14 वर्ष है। लीज क्षेत्र में कचरा स्थानित नहीं है एवं इसकी स्थापना का प्रस्ताव नहीं किया गया है। जैज हेमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल स्थिति में किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है—

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	58,800
द्वितीय	60,853
तृतीय	63,735
चतुर्थ	63,980
पंचम	66,893
षष्ठम	75,825

13. जल आपूर्ति – परिवहन हेतु आवश्यक जल की मात्रा 4 घनमीटर प्रतिदिन होती है। जल आपूर्ति हेतु स्वयं एवं संबंधित विभाग/शाखा का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
14. वृक्षारोपण कार्य – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 2,000 लक्ष वृक्षारोपण किया जाएगा। समिति का मत है कि लीज क्षेत्र को चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में वृक्षारोपण हेतु पीछे का रोपण, बुझा हेतु सीमिंग, खाद एवं सिंचाई तथा सड़क-खाद के लिए 5 वर्षों (50 प्रतिशत जीवन दर के आधार पर) का घटकवार व्यय का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
15. खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन – लीज क्षेत्र को चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।
16. माननीय एन.जी.टी., दिल्लीय बंध, नई दिल्ली द्वारा राष्ट्रीय पारंपरिक विस्फोटक भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (अंतरिम एन.जी.टी. व. 188 ऑफ 2018 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को जारी आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्दिष्ट किया गया है—

- a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEMA as well as for cluster situation where ever it is not provided.
- b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार किया उपरोक्त सर्वसाध्वति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया—

1. कार्यालय कारोबार (खनिज भाड़ा), जिला-दक्षिण बस्तर दन्तेश्वर के ज्ञान क्रमांक 1179/खनिज/सा.पथर/2020-21 दन्तेश्वर, दिनांक 08/04/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 7 खदानें, क्षेत्रफल 14.765 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम-किरन्दुल) का रकबा 3.379 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम-किरन्दुल) की मिलकर कुल रकबा 18.144 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का आवंटन मिलित होने की कारण यह खदान 'बी' श्रेणी की गयी।
2. समिति द्वारा विद्यत विपत्त जन्मांत सर्वसम्मति से प्रकरण 'बी' श्रेणी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैंडर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) और ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट और प्रोजेक्ट्स/एक्टिविटीज रिजल्टिंग इन्वायरमेंट इम्पैक्ट अस्सर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में उचित श्रेणी 1(ए) का स्टैंडर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नीचे कोल मइनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अधिनियम टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुमति की गई-
 - i. Project proponent shall inform SEIAA & S.E.A.C. Chhattisgarh before commencement of Baseline Data Generation and start of monitoring work for preparation of EIA Study Report.
 - ii. Project proponent shall submit the Individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.
 - iii. Project proponent shall submit the LOI (letter of Intent) extension copy.
 - iv. Project proponent shall submit the details of water requirement source and shall submit a copy of NOC for usage of water from competent authority.
 - v. Project proponent shall submit production detail from 19/10/1998 to till date from the mining department.
 - vi. Project proponent shall submit an affidavit for commitment to the public (Objections/suggestions raised by public) during Public Hearing.
 - vii. Project proponent shall ensure that mining lease area to be demarcated by erection of boundary pillars at all corner and area to be fenced.
 - viii. Project proponent shall submit an affidavit stating that no harm, no damage and no contamination shall be committed to nearby water bodies.
 - ix. EIA study shall be done at minimum 8 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.
 - x. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.
 - xi. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.
 - xii. The project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of Notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the direction given by Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Common Cause vs Union of India order dated 02.08.2017.

- iii. Project proponent shall undertake plantation during the monsoon & incorporate in the EIA report.
- iv. Project proponent shall undertake plantation within the mining lease area as per guidelines issued from time to time and particularly in the 7.5 meter safety zone area of minimum 05 feet height and shall maintain minimum 90% survival rate. The plantation shall be maintained by project proponent for atleast 5 years. Project proponent shall submit half yearly reports regarding compliance to the Authority. The details to be submitted alongwith Geotag photographs in the EIA report.
- v. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintenance cost for atleast 5 years & incorporate in the EIA report.

प्रतिकल्प द्वारा बैंडक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्रतिकल्प की दिनांक 04/08/2023 को संयुक्त बैंडक में विचार किया गया। प्रतिकल्प द्वारा नली का अवलोकन किया गया। प्रतिकल्प द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्मति के समिति की अनुमति को स्वीकार करते हुए निम्न अतिरिक्त शर्त के अधीन एनई ऑफ रेकरेन्स (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई सहित) जारी किये जाने का निर्णय लिया गया-

"Project proponent shall submit the copy of panchrama and photographs of every monitoring station, depicted on Topo Sheet of Survey of India."

परियोजना प्रस्तावक को शर्त एनई ऑफ रेकरेन्स (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई सहित) जारी किया जाए।

2. मेरसो भीतरवास रोड नईन (ओ-बी टोपक गुवा), हान-भीतरवास, उहरील-नगरी, जिला-धमतरी (सर्विनालय का नली क्रमांक 1884)

ऑनलाईन आवेदन – प्रक्रिया क्रमांक- एलआईए/ सीडी/ एनआईए/ 268064/2022, दिनांक 20/04/2022 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित रोड खदान (ग्रीन खनिज) है। यह खदान हान-भीतरवास, उहरील-नगरी, जिला-धमतरी स्थित खारा क्रमांक 830, कुल क्षेत्रफल- 4.58 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन नहरानदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित रोड उत्खनन क्रमांक - 51,808 वर्गमीटर प्रतीक है।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एलआईएसी, परतीनागढ़ के द्वारा दिनांक 03/08/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैंडक में विवरण –

(अ) समिति की 419वीं बैठक दिनांक 08/08/2022

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 08/08/2022 द्वारा सूचना दी गयी है कि उचित जानकारी अर्पण होने के कारण से आज बैंडक में प्रस्तुतीकरण दिया जाना संभव नहीं है। आज आपसी आवेदित बैंडक में सनद प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में वाही गई वरिष्ठ जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिखे जाने हेतु निर्दिष्ट किया जाए।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एच.ई.ए.सी., फलीसगढ़ को ज्ञापन दिनांक 14/09/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(क) समिति की 425वीं बैठक दिनांक 21/09/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक को पत्र दिनांक 21/09/2022 द्वारा सूचना दी गयी है कि वरिष्ठ जानकारी अपूर्ण होने के कारण से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। उक्त आगामी आवेदित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में वाही गई वरिष्ठ जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिखे जाने हेतु निर्दिष्ट किया जाए।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एच.ई.ए.सी., फलीसगढ़ को ज्ञापन दिनांक 09/01/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ख) समिति की 448वीं बैठक दिनांक 12/01/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक को पत्र दिनांक 12/01/2023 द्वारा सूचना दी गयी है कि जानकारी अपूर्ण होने के कारण से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। उक्त आगामी आवेदित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में वाही गई वरिष्ठ जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिखे जाने हेतु निर्दिष्ट किया जाए।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एच.ई.ए.सी., फलीसगढ़ को ज्ञापन दिनांक 08/08/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ग) समिति की 488वीं बैठक दिनांक 12/08/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा कोई अनुरोध पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। समिति द्वारा विचार कर निम्न स्थिति आई गई—

1. परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में प्रस्तुतीकरण हेतु 4 अवसर प्रदान किये गये हैं। परियोजना प्रस्तावक द्वारा बार-बार वरिष्ठ जानकारी अपूर्ण होने का लेख करते हुये समय दिखे जाने का अनुरोध किया जा रहा है, जिससे समिति का आवश्यक समय नष्ट हो रहा है।
2. समिति की बैठक दिनांक 08/08/2022 में लिए गये निर्णय अनुसार वरिष्ठ जानकारी आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं की गई है।

पूर्व में समिति की अनुसंधान के अन्तर्गत पर प्राधिकरण की 148वीं बैठक दिनांक 22/05/2023 में लिये गये निर्णय अनुसार "जो परियोजना प्रस्तावक को बार-बार प्रस्तुतीकरण हेतु अनुपस्थित रहने परसभी तीसरी बार की बैठक में उपस्थित नहीं होने

की स्थिति में परिशोधना प्रस्तावक के ऑनलाइन आवेदन को चोटल से डि-लिस्ट/निरस्त करने का निर्णय एआईएसी, जलौसागढ़ द्वारा लिया जायेगा है। समिति द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्मति से उपरोक्त कर्मियों के परिचय में आवेदित प्रकरण को डि-लिस्ट/निरस्त किये जाने की अनुमति की गई।

प्रतिकरण द्वारा बैठक में विचार - उपरोक्त प्रकरण पर प्रतिकरण की दिनांक 04/08/2023 को संलग्न 402वीं बैठक में विचार किया गया। प्रतिकरण द्वारा नसी/जानकारी/दस्तावेज का उपलब्धता किया गया। प्रतिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्मति से समिति की अनुमति को स्वीकार करते हुए आवेदन को डि-लिस्ट / निरस्त करने का निर्णय लिया गया। साथ ही प्रस्ताव को वर्तमान में प्राप्त प्रकरण में व्यवस्था डि-लिस्ट / निरस्त किया जाता है तथा परिशोधना प्रस्तावक को यह सुझाव दिया जाता है कि वह भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी ईआईए, अधिसूचना, 2006 (यथा संशोधित) एवं समय-समय पर जारी आईडिस्टाईन्स के अनुसार आवेदन प्रस्तुत किया जाए।

परिशोधना प्रस्तावक को तदनुसार सूचित किया जाए।

3. मैसर्स बीता डवार स्टोन क्वारी (प्री- बी विपिन चौहान), ग्राम-बीता, तहसील-मनेन्द्रगढ़, जिला-कोटा (विधिसालय का नसी क्रमांक 1240)

ऑनलाइन आवेदन - प्रपोजल नम्बर - एआईए/ सीजी/ एआईए/ 257682/2022, दिनांक 20/02/2022 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु ऑनलाइन आवेदन किया गया है। परिशोधना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाइन आवेदन में कृपिची होने से कारण दिनांक 22/02/2022 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्दिष्ट किया गया। परिशोधना प्रस्तावक द्वारा प्रेषित सशित जानकारी दिनांक 14/03/2022 को प्राप्त हुई।

प्रस्ताव का विवरण - यह पूर्व से संचालित पत्थर (ग्रीन सनिज) खदान है। खदान ग्राम-बीता, तहसील-मनेन्द्रगढ़, जिला-कोटा स्थित खदान क्रमांक 402, कुल क्षेत्रफल-1.1 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्पादन क्षमता-7,800 टन प्रतिदिन है।

तदनुसार परिशोधना प्रस्तावक को एआईएसी, जलौसागढ़ के कारण दिनांक 22/08/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण -

(अ) समिति की 413वीं बैठक दिनांक 29/08/2023

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परिशोधना प्रस्तावक के पास दिनांक 29/08/2023 द्वारा सूचना दी गई है कि अपरिहार्य कारणों से आज बैठक में प्रस्तुतीकरण दिया जाना संभव नहीं है। अतः आगामी आवेदित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुमति किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परिशोधना प्रस्तावक को पूर्व में चोटी गई सशित जानकारी एवं समस्त सुलभता जानकारी / दस्तावेज सशित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्दिष्ट किया जाए।

तदनुसार परिवोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., फलीसगढ़ को ज्ञापन दिनांक 14/09/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 425वीं बैठक दिनांक 21/09/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परिवोजना प्रस्तावक को पत्र दिनांक 21/09/2022 द्वारा सूचना दी गयी है कि वरिष्ठ जानकारी अपूर्ण होने के कारण से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः आगामी आवेदित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परिवोजना प्रस्तावक को पूर्व में पाठी गई वरिष्ठ जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिने जाने हेतु निर्दिष्ट किया जाए।

तदनुसार परिवोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., फलीसगढ़ को ज्ञापन दिनांक 09/01/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ग) समिति की 445वीं बैठक दिनांक 12/01/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परिवोजना प्रस्तावक को पत्र दिनांक 12/01/2023 द्वारा सूचना दी गयी है कि अवशिष्ट कार्य से आज बैठक में प्रस्तुतीकरण दिया जाना संभव नहीं है। अतः आगामी आवेदित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परिवोजना प्रस्तावक को पूर्व में पाठी गई वरिष्ठ जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिने जाने हेतु निर्दिष्ट किया जाए।

तदनुसार परिवोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., फलीसगढ़ को ज्ञापन दिनांक 08/06/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(द) समिति की 458वीं बैठक दिनांक 12/06/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परिवोजना प्रस्तावक को पत्र दिनांक 12/06/2023 द्वारा सूचना दी गयी है कि सूझावलय कार्य एवं वरिष्ठ जानकारी अपूर्ण होने के कारण से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः आगामी आवेदित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है। समिति द्वारा विचार कर निम्न स्थिति पाई गई—

1. परिवोजना प्रस्तावक को पूर्व में प्रस्तुतीकरण हेतु 4 अवसर प्रदान किये गये हैं। परिवोजना प्रस्तावक द्वारा बार-बार अवशिष्ट कार्य/वरिष्ठ जानकारी अपूर्ण होने का जिक्र करती हुई समय दिने जाने का अनुरोध किया जा रहा है, जिससे समिति का अन्वयप्रदाक समय बर्बाद हो रहा है।
2. समिति की बैठक दिनांक 29/08/2022 में लिए गये निर्णय अनुसार वरिष्ठ जानकारी आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं की गई है।

पूर्व में समिति की अनुमति के अन्वय पर प्रविजनन की 148वीं बैठक दिनांक 22/05/2023 में निर्दे गये निर्णय अनुसार "जो परिवोजना प्रस्तावक की बार प्रस्तुतीकरण हेतु अनुपस्थित रहेंगे उसके तीसरी बार की बैठक में उपस्थित नहीं होने की स्थिति में परिवोजना प्रस्तावक के अतिरिक्त आवेदन को चोटल से कि-लिस्ट/निलस्त करने का निर्णय एस.ई.ए.सी., फलीसगढ़ द्वारा लिया जायेगा" है।

समिति द्वारा विचार विमर्त उपरोक्त सर्वसम्मति से उपरोक्त तथ्यों को परिशिष्ट में आवेदित प्रस्ताव को कि-लिस्ट/निस्ता किये जाने की अनुमति की गई।

प्रतिकरण द्वारा बैठक में विचार - उपरोक्त प्रकरण पर प्रतिकरण की दिनांक 04/08/2022 को संलग्न 152वीं बैठक में विचार किया गया। प्रतिकरण द्वारा नसी/जानकारी/दस्तावेज का अवलोकन किया गया। प्रतिकरण द्वारा विचार विमर्त उपरोक्त सर्वसम्मति से समिति की अनुमति को स्वीकार करते हुए आवेदन को कि-लिस्ट / निस्ता करने का निर्णय किया गया। साथ ही प्रस्ताव की वर्तमान में प्राप्त प्रमाण में अथवा कि-लिस्ट / निस्ता किया जाता है तथा परिशोधना प्रस्तावक को यह सुझाव दिया जाता है कि वह फॉर सरकार, फॉरवर्डर, कन ऑन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना, 2008 (यथा संशोधित) एवं समय-समय पर जारी गाईडलाइन्स के अनुसार आवेदन प्रस्तुत किया जाए।

परिशोधना प्रस्तावक को तदनुसार सूचित किया जाए।

4. मेराल बुदेसी कस्तन स्टोन कारी (पी- की घुघर चौकान), धाम-बुदेसी, तहसील-मनेन्द्रगढ़, जिला-कोटा (सर्विहालय का नसी क्रमांक 1938)

ऑनलाईन आवेदन - एपीअल नम्बर - एसआईए/ सीजी/ एम्बआईए/ 257438/2022, दिनांक 18/02/2022 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है। परिशोधना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कनिष्ठी होने से आपन दिनांक 22/02/2022 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्दिष्ट किया गया। परिशोधना प्रस्तावक द्वारा वरिष्ठ सचिव जानकारी दिनांक 14/03/2022 को प्राप्त हुई।

प्रस्ताव का विवरण - यह पूर्व से संचालित सधारण पत्थर (लीम खनिज) खदान है। खदान धाम-बुदेसी, तहसील-मनेन्द्रगढ़, जिला-कोटा स्थित खसरा क्रमांक 487, कुल क्षेत्रफल-0.8 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित परमाणु संख्या-8,942 एन डीएच है।

तदनुसार परिशोधना प्रस्तावक को एसआईएसी, जलसिमागढ़ के आपन दिनांक 22/08/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण -

(अ) समिति की 412वीं बैठक दिनांक 28/06/2022

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परिशोधना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 28/06/2022 द्वारा सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों से आज बैठक में प्रस्तुतीकरण दिया जाना संभव नहीं है। अतः आगामी आवेदित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा उत्तमग सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परिशोधना प्रस्तावक को पूर्व में जारी हुई सचिव जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्दिष्ट किया जाए।

तदनुसार परिशोधना प्रस्तावक को एसआईएसी, जलसिमागढ़ के आपन दिनांक 14/08/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 420वीं बैठक दिनांक 21/09/2022

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परिषोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 21/09/2022 द्वारा सूचना दी गयी है कि सहित जानकारी अपूर्ण होने के कारण से समिति के सम्मेलन बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः आगामी आर्षोचित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परिषोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई सहित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदनुसार परिषोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के द्वारा दिनांक 09/01/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ख) समिति की 448वीं बैठक दिनांक 12/01/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परिषोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 12/01/2023 द्वारा सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों से आज बैठक में प्रस्तुतीकरण दिया जाय संभव नहीं है। अतः आगामी आर्षोचित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परिषोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई सहित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदनुसार परिषोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के द्वारा दिनांक 08/08/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(घ) समिति की 468वीं बैठक दिनांक 12/08/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परिषोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 12/08/2023 द्वारा सूचना दी गयी है कि वृत्तांतगत कार्य एवं सहित जानकारी अपूर्ण होने के कारण से समिति के सम्मेलन बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः आगामी आर्षोचित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है। समिति द्वारा विचार कर निम्न स्थिति चाई गई—

1. परिषोजना प्रस्तावक को पूर्व में प्रस्तुतीकरण हेतु 4 अवसर प्रदान किये गये हैं। परिषोजना प्रस्तावक द्वारा बार-बार अपरिहार्य कारणों/सहित जानकारी अपूर्ण होने का लेख करते हुये समय दिये जाने का अनुरोध किया जा रहा है, जिससे समिति का अनावश्यक समय नष्ट हो रहा है।
2. समिति की बैठक दिनांक 28/08/2022 में लिए गये निर्णय अनुसार सहित जानकारी आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं की गई है।

पूर्व में समिति की अनुमति के आधार पर परिषोजना की 148वीं बैठक दिनांक 22/08/2023 में लिये गये निर्णय अनुसार "जो परिषोजना प्रस्तावक को बार-बार प्रस्तुतीकरण हेतु अनुपस्थित रहेंगे उसको तीसरी बार की बैठक में उपस्थित नहीं होने की स्थिति में परिषोजना प्रस्तावक के ऑनलाईन आवेदन को रीटर्न से डि-लिस्ट/निरस्त करने का निर्णय एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ द्वारा लिया जाएगा" है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरंत सर्वसम्मति से उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष में आर्षोचित प्रकरण को डि-लिस्ट/निरस्त किये जाने की अनुमति की गई।

प्रतिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्रतिकरण की दिनांक 04/08/2023 को सम्बन्ध 152वीं बैठक में विचार किया गया। प्रतिकरण द्वारा नसी / जायकारी / वस्तावेज का अवलोकन किया गया। प्रतिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्मति से समिति की अनुमति को स्वीकार करते हुए आवेदन को डि-लिस्ट / निरस्त करने का निर्णय लिया गया। साथ ही प्रस्ताव को वर्तमान में प्राप्त प्रत्येक में पचासवू डि-लिस्ट / निरस्त किया जाता है तथा परिवोजना प्रस्तावक को यह सूझाव दिया जाता है कि वह भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी ईआईए अधिसूचना, 2008 (पंचा संशोधित) एवं समय-समय पर जारी गाईडलाइन्स के अनुसार आवेदन प्रस्तुत किया जाए।

परिवोजना प्रस्तावक को तदनुसार सूचित किया जाए।

5. मेसर्स जोकारी आर्किटेक्ट स्टोन लॉटी (जे- भी अमय कुमार सोनी), घाम-जोकारी, एहरील-कुनकुरी, जिला-जयपुर (संविदास्य का नसी क्रमांक 2010)

खीनलाईन आवेदन – उपरोक्त नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 77811/2022, दिनांक 08/08/2022 द्वारा टी.ओ.आर हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संशोधित सखारण पथर (गीब खनिज) खदान है। घाम-जोकारी, एहरील-कुनकुरी, जिला-जयपुर स्थित खदान क्रमांक 401/1, कुल क्षेत्रफल-4.0 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता-1,00,000 टन प्रतिवर्ष है।

तदनुसार परिवोजना प्रस्तावक को एसआईएसी, प्रतीसमूह के ज्ञापन दिनांक 11/10/2022 द्वारा प्रस्तुतिकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 428वीं बैठक दिनांक 17/10/2022:

प्रस्तुतिकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परिवोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 17/10/2022 द्वारा सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों से आज बैठक में प्रस्तुतिकरण दिया जाना संभव नहीं है। अतः आगामी बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परिवोजना प्रस्तावक को पूर्व में जारी गई संशोधित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जायकारी / वस्तावेज सहित प्रस्तुतिकरण दिने जाने हेतु निर्दिष्ट किया जाए।

तदनुसार परिवोजना प्रस्तावक को एसआईएसी, प्रतीसमूह के ज्ञापन दिनांक 08/01/2023 द्वारा प्रस्तुतिकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 440वीं बैठक दिनांक 12/01/2023:

प्रस्तुतिकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परिवोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 12/01/2023 द्वारा सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों से आज बैठक में प्रस्तुतिकरण दिया जाना संभव नहीं है। अतः आगामी आवेदित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा उल्लेख्य सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परिवर्धना प्रस्तावक को पूर्व में जारी हुई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज संबंधित प्रस्तुतीकरण विधे जाने हेतु निर्दिष्ट किया जाए।

तदनुसार परिवर्धना प्रस्तावक को एमआईएसी, उत्तीरगढ़ को ज्ञापन दिनांक 08/08/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ख) समिति की 142वीं बैठक दिनांक 12/08/2023-

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परिवर्धना प्रस्तावक को यह दिनांक 12/08/2023 द्वारा सूचना दी गयी है कि कुलनीयन कार्य एवं वांछित जानकारी अधूर्ण होने के कारण से समिति के समस्त बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः आगामी आवेदित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुपेक्ष किया गया है। समिति द्वारा विचार कर निम्न स्थिति पाई गई-

1. परिवर्धना प्रस्तावक को पूर्व में प्रस्तुतीकरण हेतु 3 अवसर प्रदान किये गये हैं। परिवर्धना प्रस्तावक द्वारा बार-बार अपेक्षाकृत काल्पनिक/वांछित जानकारी अधूर्ण होने का लेख करते हुये समय विधे जाने का अनुपेक्ष किया जा रहा है, जिससे समिति का अनावश्यक समय नष्ट हो रहा है।
2. समिति की बैठक दिनांक 17/10/2022 में लिए गये निर्णय अनुसार वांछित जानकारी आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं की गई है।

पूर्व में समिति की अनुमति के अन्तर्गत प्रतिकरण की 142वीं बैठक दिनांक 22/08/2023 में लिये गये निर्णय अनुसार 'जो परिवर्धना प्रस्तावक को बार प्रस्तुतीकरण हेतु अनुपस्थित रहेंगे उसको तौलती बार की बैठक में उपस्थित नहीं होने की स्थिति में परिवर्धना प्रस्तावक के ऑनलाईन आवेदन को पीटेल से डि-लिस्ट/निरस्त करने का निर्णय एमआईएसी, उत्तीरगढ़ द्वारा लिया जायेगा' है।

समिति द्वारा विचार दिनांक उत्तरांच सर्वसम्मति से उपरोक्त तथ्यों के परिधिष में आवेदित प्रकरण को डि-लिस्ट/निरस्त विधे जाने की अनुमति की गई।

प्रतिकरण द्वारा बैठक में विचार - उपरोक्त प्रकरण पर प्रतिकरण की दिनांक 04/08/2023 को संख्या 152वीं बैठक में विचार किया गया। प्रतिकरण द्वारा नसी/जानकारी/दस्तावेज का अवलोकन किया गया। प्रतिकरण द्वारा विचार दिनांक उत्तरांच सर्वसम्मति से समिति की अनुमति को स्वीकार करते हुये आवेदन को डि-लिस्ट / निरस्त करने का निर्णय लिया गया। साथ ही प्रस्ताव को वर्तमान में प्राप्त प्रकरण में पचास डि-लिस्ट / निरस्त किया जाता है तथा परिवर्धना प्रस्तावक को यह सुझाव दिया जाता है कि वह भारत सरकार, परिवार, वन और प्रत्यक्ष परिवर्धन मंत्रालय द्वारा जारी ई.आई.ए अधिसूचना, 2008 (यथा संशोधित) एवं समय-समय पर जारी गाईडलाईन्स के अनुसार आवेदन प्रस्तुत किया जाए।

परिवर्धना प्रस्तावक को तदनुसार सूचित किया जाए।

6. मेवारी अफिल क्लिबलीन प्राइवेट लिमिटेड (प्रो.-श्री प्रवीण कुमार वर्मा), धान-सीमा, तहसील-मनेन्द्रगढ़, जिला-कोरिया (सचिवालय का नसी क्रमांक 2087)

ऑनलाईन आवेदन - अपील नंबर - एमआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 276983/2022, दिनांक 22/08/2022 द्वारा पर्यावरणीय नीतिकृति हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संघीयता महासभा के समक्ष (पीएम केन्द्रित) रखा है।
प्रस्ताव-संख्या, तहसील-मनेन्द्रगढ़, जिला-कोरिया स्थित कक्षा संख्या 27, कुल
क्षेत्रफल- 1.17 हेक्टेयर में है। खदान की आवंटित छत्तनन क्षमता-5,348.4 टन
प्रतिवर्ष है।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एच.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के द्वारा दिनांक
19/10/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 430वीं बैठक दिनांक 27/10/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक को पत्र
दिनांक 27/10/2022 द्वारा सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों से आज बैठक
में प्रस्तुतीकरण दिया जाना संभव नहीं है। अतः आगामी आवंटित बैठक में समय
प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा उत्तमव्यव सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक
को पूर्व में जारी गई संचित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज
सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्दिष्ट किया जाए।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एच.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के द्वारा दिनांक
09/01/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 448वीं बैठक दिनांक 12/01/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक को पत्र
दिनांक 12/01/2023 द्वारा सूचना दी गयी है कि संचित जानकारी अपूर्ण होने के
कारण से आज बैठक में प्रस्तुतीकरण दिया जाना संभव नहीं है। अतः आगामी
आवंटित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा उत्तमव्यव सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक
को पूर्व में जारी गई संचित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज
सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्दिष्ट किया जाए।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एच.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के द्वारा दिनांक
08/08/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(स) समिति की 468वीं बैठक दिनांक 12/08/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक को पत्र
दिनांक 12/08/2023 द्वारा सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों से आज बैठक
में प्रस्तुतीकरण दिया जाना संभव नहीं है। अतः आगामी आवंटित बैठक में समय
प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है। समिति द्वारा विचार कर किन्हीं स्थिति पाई
गई—

1. परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में प्रस्तुतीकरण हेतु 3 अवसर प्रदान किये गये हैं।
परियोजना प्रस्तावक द्वारा बार-बार अपरिहार्य कारणों/संचित जानकारी अपूर्ण
होने का जेजब करते हुये समय दिये जाने का अनुरोध किया जा रहा है, जिससे
समिति का अनावश्यक समय नष्ट हो रहा है।
2. समिति की बैठक दिनांक 27/10/2022 में लिए गये निर्णय अनुसार संचित
जानकारी आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं की गई है।

पूर्व में समिति की अनुमति के अभाव में प्राधिकरण की 146वीं बैठक दिनांक 22/06/2023 में लिये गये निर्णय अनुसार "जो परिवोजना प्रस्तावक को बार प्रस्तुतीकरण हेतु अनुपस्थित रहने उसको तीसरी बार की बैठक में उपस्थित नहीं होने की स्थिति में परिवोजना प्रस्तावक के ऑनलाईन आवेदन को पोर्टल से डि-लिस्ट/निरस्त करने का निर्णय एम.ई.ए.सी., राष्ट्रीयकृत द्वारा लिया जायेगा" है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्मति से उपरोक्त तथ्यों को परिधेय में अपेक्षित प्रकल्प को डि-लिस्ट/निरस्त किये जाने की अनुमति की गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार - उपरोक्त प्रकल्प पर प्राधिकरण की दिनांक 04/06/2023 को संयुक्त 182वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती/जानकारी/दस्तावेज का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्मति से समिति की अनुमति को स्वीकार करते हुए आवेदन को डि-लिस्ट / निरस्त करने का निर्णय लिया गया। साथ ही प्रस्ताव को वर्तमान में प्राप्त प्रारूप में पक्का डि-लिस्ट / निरस्त किया जाता है तथा परिवोजना प्रस्तावक को यह सुझाव दिया जाता है कि वह भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी ई.आई.ए अधिसूचना, 2006 (सब संशोधित) एवं समय-समय पर जारी गाईडलाइन्स के अनुसार आवेदन प्रस्तुत किया जाए।

परिवोजना प्रस्तावक को तदनुसार सूचित किया जाए।

7. मेरवा तारतानुका-1 रोडक बाईन (खलि/सलन, ग्राम पंचायत कोलतुर, ग्राम-तारतानुका, तहसील-भोवालनदनम्, जिला-बीजापुर (साविशालय का नस्ती क्रमांक 2386)

ऑनलाईन आवेदन - प्रयोजन नाम - एम.ई.ए./ सी.सी./ एम.आई.ए./ 428042/2023, दिनांक 04/06/2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित रोड (मीन खनिज) खदान है। खदान ग्राम-तारतानुका, ग्राम पंचायत कोलतुर, तहसील-भोवालनदनम्, जिला-बीजापुर सिविल चार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 55/1, कुल क्षेत्रफल-2.15 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उपरोक्त भोवालनी नदी से किया जाता प्रस्तावित है। खदान की अपेक्षित रेत उत्खनन क्षमता-80,278 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

तदनुसार परिवोजना प्रस्तावक को एम.ई.ए.सी., राष्ट्रीयकृत के द्वारा दिनांक 08/06/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण -

(अ) समिति की 466वीं बैठक दिनांक 13/06/2023

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री जी. श्रीनिवास, सचिव, ग्राम पंचायत कोलतुर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति हुई गई-

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण- इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।

3. ग्राम पंचायत का अनामति प्रमाण पत्र – रेल उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत कोलतुर का दिनांक 23/01/2023 का अनामति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. विन्डकैलिब्रेशन/सीमांकित – कार्यालय कलेक्टर, खनिज साखा से प्राप्त प्रमाण पत्र अनुसार यह खदान विन्डकैलिब्रेशन/सीमांकित कर घोषित है।
4. उत्खनन योजना – माइनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप-संचालक (ख. इ.) जिला-उत्तर उत्तर खनिज के द्वारा क्रमांक 752/खनिज/उत्तरख.उत्तर/पत/2023-24 कांसेट, दिनांक 24/04/2023 द्वारा अनुमोदित है।
5. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान – कार्यालय कलेक्टर (खनिज साखा), जिला-बीजापुर के द्वारा क्रमांक 252/खनिज/2023 बीजापुर, दिनांक 21/04/2023 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर से नीचे अवस्थित अन्य रेल खदानों की संख्या निरंक है।
6. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं – कार्यालय कलेक्टर (खनिज साखा), जिला-बीजापुर के द्वारा क्रमांक 250/खनिज/2023 बीजापुर, दिनांक 21/04/2023 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्यमार्ग, पुल, बांध, मंदिर, मस्जिद, गुस्सुडाना, मच्छट एवं एनिकेट अदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
7. एल.ओ.आई. संबंधी विवरण – एल.ओ.आई. खनिज/खनन, ग्राम पंचायत कोलतुर के नाम पर है, जो कार्यालय कलेक्टर (खनिज साखा), जिला-बीजापुर के द्वारा क्रमांक 210/खनिज/ख.इ.उ./2023 बीजापुर, दिनांक 10/04/2023 द्वारा जारी की गई, जिसकी कैंपा जारी दिनांक से 1 वर्ष की अवधि तक है। जारी एल.ओ.आई. में 'रेल खदान उत्खनित/उत्तर अदि 5 वर्ष की स्वीकृति के लिए विन्डकैलिब्रेशन/सीमांकित कर पूर्ण हेतु यह आदेश पत्र जारी किया जा रहा है।' का उल्लेख है।
8. वन विभाग का अनामति प्रमाण पत्र – कार्यालय वनमंडलधिकारी, बीजापुर वनमंडल, जिला-बीजापुर के द्वारा क्रमांक/त.अ./1203 बीजापुर, दिनांक 28/02/2023 से जारी अनामति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
9. डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट – वर्ष 2019 की डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
10. महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी – निकटतम अथावी ग्राम-तारलानुड 1.2 कि.मी., स्कूल ग्राम-कोलतुर 4 कि.मी. एवं जयपाल ग्राम-तारलानुड 4 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 8 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 3.2 कि.मी. दूर है। स्वीकृत रेल खदान से 1 कि.मी. की दूरी तक पुल/एनिकेट स्थित नहीं है।
11. खनन स्थल पर नदी के घाट की चौड़ाई एवं खदान की नदी तट से दूरी – आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के घाट की चौड़ाई – अधिकतम 723 मीटर, न्यूनतम 682 मीटर तथा खनन स्थल की लंबाई – अधिकतम 323 मीटर, न्यूनतम 210 मीटर एवं खनन स्थल की चौड़ाई – अधिकतम 103 मीटर, न्यूनतम 66 मीटर दर्शाई गई है। खदान की नदी तट के किनारे से दूरी अधिकतम 79 मीटर, न्यूनतम 43 मीटर है, जबकि इसकी नदी तट से न्यूनतम दूरी 7.8 मीटर अथवा नदी के घाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत होना चाहिए (जो भी अधिक हो)।

12. खदान स्थल पर रेत की गहराई – आवंटन अनुसार स्थल पर रेत की गहराई 3 मीटर तथा रेत खनन की प्रस्तावित गहराई 2 मीटर दर्शाई गई है। अनुसंधान माइनिंग प्लान अनुसार खदान में माइनिंग रेत की मात्रा 60,218 घनमीटर है। रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत सतह की गहराई जानने के लिए प्रस्तावित स्थल पर 4 गड्ढे (Pits) खोदकर उसकी वार्षिक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है। इसके अनुसार रेत की उपलब्ध औसत गहराई 3.34 मीटर है। रेत की वार्षिक गहराई हेतु योजना प्रस्तुत किया गया है।
13. खदान क्षेत्र में रेत सतह की लेवल – रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल में 25 मीटर गूहा 25 मीटर के दूरे बिन्दुओं पर दिनांक 20/04/2023 को रेत सतह की वर्तमान लेवल (Levels) लेकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रामाणिकता प्रमाणित फोटोग्राफ सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है।
14. गैर माइनिंग क्षेत्र – नदी के घाट की चौड़ाई अधिकतम 728 मीटर, न्यूनतम 682 मीटर है, जबकि खदान की नदी तट के किनारे से दूरी अधिकतम 75 मीटर, न्यूनतम 43 मीटर है। नये दिना निर्देशों के अनुसार नदी तट से न्यूनतम 7.5 मीटर अथवा नदी के घाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत दूरी तक के क्षेत्र में खनन नहीं किया जा सकता। उपरोक्तानुसार नदी तट से न्यूनतम 7.5 मीटर अथवा नदी के घाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत दूरी छोड़ने हुये 6,381 वर्गमीटर गैर माइनिंग क्षेत्र रखा गया है। अब रेत उत्खनन का कार्य खदान के असीम 2,513 हेक्टर क्षेत्र में किया जाना प्रस्तावित है। उपरोक्त का उल्लेख माइनिंग प्लान में किया गया है।
15. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय समिति (C.E.R.) – परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरोक्त विनियमानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (In Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (In Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (In Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (In Lakh Rupees)
6.29	2%	0.12	Following activities at Nearby, Village- Tarlaguda	
			Plantation in village pond boundary	0.25
			Total	0.25

सी.ई.आर. के अंतर्गत खदान के घाटी और कुल 50 नए पेड़ों को रोपण किया जाएगा। इसीलिए हेतु (खदान, पीपल, नीम, आम, जामुन, आदि) प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार पेड़ों के लिए रशि 2,500 रुपये, सीडिंग के लिए रशि 20,000 रुपये, खाद के लिए रशि 500 रुपये, सिंचाई तथा रख-रखाव आदि के लिए रशि 1,000 रुपये, इस प्रकार प्रयोग वर्ष में कुल रशि 24,000 रुपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल रशि 1,400 रुपये हेतु पर्यवेक्षण खाद का विवरण प्रस्तुत किया गया

है। परिशोधना प्रस्तावक द्वारा दाम पंचायत कीसतुर के सहमति उपरोक्त कक्षाधीन खदान (खसरा क्रमांक 81/1, क्षेत्रफल 1.874 हेक्टेयर) के संकट में जागहगी प्रस्तुत की गई है।

16. कुशारेपन कार्य – नदी तट पर (बड़, चौपाल, नीम, कनक, आम, कदम, जामुन आदि) कुशारेपन हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 1,000 नम बीघों के लिए राशि 80,000 रुपये, चैशिंग के लिए राशि 74,500 रुपये, खान के लिए राशि 5,000 रुपये, सिंचाई तथा एच-रक्षण के लिए राशि 18,000 रुपये, इस प्रकार कुल राशि 1,57,500 रुपये छह वर्षों में एवं कुल राशि 1,04,000 रुपये आगामी 4 वर्षों हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।
17. समिति का मत है कि लीज क्षेत्र के नीचे गैर भूदैनिक क्षेत्र में सीमा स्थापना जाना आवश्यक है। लीज क्षेत्र के घनी जंगल तथा सीमा भूदैनिक के मध्य में सीमेंट के स्तम्भें गड़ाना आवश्यक है ताकि लीज क्षेत्र नदी में सफ़्त दुर्घटितोत्तर हो सके।
18. सी.ई.आर. कार्य एवं नदी तट में कुशारेपन कार्य के सीमितरित एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि-पक्षीय समिति (जोयन्ट/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या जलसंचयन पर्यवेक्षण संस्थान मध्यप्रदेश के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं नदी तट में कुशारेपन का कार्य पूर्ण विन्दे जाने के उपरोक्त गठित त्रि-पक्षीय समिति से संचालित कराया जाना आवश्यक है।
19. रेत उत्खनन मैनुअल विधि से एवं भरवाई का कार्य लीज क्षेत्र द्वारा कराया जाना प्रस्तावित है। समिति का मत है कि लीज क्षेत्र में नदी बहान की बेगी के है। जहाँ भरवाई का कार्य मैनुअल विधि से ही कराई जाये। नदी तटों के नदी में खेच की अनुमति नहीं होगी।
20. परिशोधना प्रस्तावक द्वारा 2 मीटर की गहराई तक उत्खनन की अनुमति मांगी है। अनुमोदित उत्खनन योजना में उत्खनन किए जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुनर्भरण संशोधी अध्ययन कार्य एवं तासंकरी आकड़ों का समावेश नहीं किया गया है। गौदावरी नदी बड़ी नदी है तथा इसमें वर्षाकाल में सामान्यतः 1.5 मीटर गहराई से अधिक रेत का पुनर्भरण होने की संभावना है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय किया गया—

1. आरोपित खदान (ग्राम-तारलापुर) का रकबा 3.150 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परीधि में लीक्यूट/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 8 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान की-2 बेगी की नहीं गयी।
2. परिशोधना प्रस्तावक रेत खदान क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्षों में विस्तृत गणना अध्ययन (Investigation Study) करायेंगा, ताकि रेत के पुनर्भरण (Replenishment) बाधक नहीं आकर, रेत उत्खनन का नदी, नदीतट, स्थानीय जनसंघी, जीव एवं सूक्ष्म जीवों का प्रभाव तथा नदी के घाटी की गुणवत्ता पर रेत उत्खनन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त हो सके।
3. लीज क्षेत्र की सतह का बेसलाईन खटा –
 1. रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व उपरोक्तानुसार निर्धारित निम्न विन्दुओं का नदी में रेत की सतह के मापों (Levels) का सर्वे कर, उससे आंकड़े ताकाल एस.ई.आई.ए.ए. जलसंचयन की प्रस्तुत विन्दे जाये।

- ii. पोस्ट-मानसून (अक्टूबर/नवम्बर माह में रेत उत्खनन प्रारंभ करने से पूर्व) इन्हीं चिह्न बिन्दुओं में माईनिंग लीज क्षेत्र तथा लीज क्षेत्र के अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर तक तथा खान लीज के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे पूर्व निर्धारित चिह्न बिन्दुओं पर किया जाएगा।
 - iii. इसी प्रकार रेत खान उपरोक्त मानसून के पूर्व (मई माह के अंतिम सप्ताह/जून के प्रथम सप्ताह) इन्हीं चिह्न बिन्दुओं पर रेत माह के लेवल (Levels) का मापन किया जाएगा।
 - iv. रेत माह के पूर्व निर्धारित चिह्न बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल (Levels) को मापन का कार्य आगामी 6 वर्ष तक निरंतर किया जाएगा। पोस्ट-मानसून के आंकड़े दिसम्बर 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 एवं प्री-मानसून के आंकड़े जनवरी 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 तक अनिवार्य रूप से एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किए जाएंगे।
4. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्मति से मेमर्स तारलामुड़ा-1 सैंड माईनिंग (सिविल/सहाय, ग्राम पंचायत कोलतुर), पार्स 008/1, टाल-तारलामुड़ा, ग्राम पंचायत कोलतुर, तहसील-भोपालपट्टनम्, जिला-बीजापुर, कुल लीज क्षेत्रफल 2.15 हेक्टेयर में से माईनिंग प्लान अनुसार रीर माईनिंग क्षेत्र 0.381 वर्गमीटर क्षेत्र कट करने पर 2.5139 हेक्टेयर उत्खनन हेतु रेत क्षेत्र का कुल 80 प्रतिशत क्षेत्रफल में ही रेत उत्खनन अधिकतम 1.5 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए, कुल 37,700 वर्गमीटर प्रतिवर्ष रेत उत्खनन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति, खान पट्टे के निष्पादन की तारीख से पांच वर्ष तक की अवधि हेतु दिये जाने की अनुरोध की गई। रेत की खुदाई मशिनों द्वारा (Manually) की जाएगी। गिजर बेड (Ginger Bed) में भारी बहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। लीज क्षेत्र में किया रेत खुदाई गड्ढे (Excavation pits) में लोडिंग चाईट तक रेत का परिवहन ट्रैक्टर ट्रेसी द्वारा किया जाएगा।
 5. सस्टेनेबल सैंड माईनिंग मैनेजमेंट गाईडलाइन्स, 2016 (Sustainable Sand Mining Management Guidelines 2016) एवं इन्फोर्सेमेंट एंड मॉनिटरिंग गाईडलाइन्स फॉर सैंड माईनिंग, 2020 (Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining) के अनुसार पालन सुनिश्चित किया जाए।
 6. इन्फोर्सेमेंट एंड मॉनिटरिंग गाईडलाइन्स फॉर सैंड माईनिंग, 2020 (Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining) के तहत 80 प्रतिशत क्षेत्र में उत्खनन कार्य किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

प्रधिकरण द्वारा बैठक में विचार - उत्तरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 04/08/2023 को गणना 152वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। प्रधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्मति से समिति की अनुरोध की स्वीकार करते हुए मेमर्स तारलामुड़ा-1 सैंड माईनिंग (सिविल/सहाय, ग्राम पंचायत कोलतुर) को पर्यावरणीय स्वीकृति, खान पट्टे के निष्पादन की तारीख से 06 वर्ष तक की अवधि हेतु दिये जाने का निर्णय लिया गया। साथ ही समिति द्वारा निर्धारित शर्तों के अंतर्गत निर्दिष्ट विन्डे गड्ढे शर्तों का पालन सुनिश्चित किया जाए। पालन नहीं किये जाने की स्थिति में विविध सर्वकारी की जाएगी।

परिचालना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया जाए।

8. मेवारी लखनपुर रोन्ड हाईवे (जी.- वी भूपेन्द्र सिंह ठाकुर), धान-लखनपुर, तहसील व जिला-बिलासपुर (सचिवालय का नक्की क्रमांक 2402)

ऑनलाईन आवेदन - प्रपोजल नम्बर- एलओआई/ सीजी/ एमओईएन/ 428382/2023, दिनांक 08/08/2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित रेत खदान (ग्रीन खनिज) है। यह खदान धान-लखनपुर, तहसील व जिला-बिलासपुर स्थित खसरा क्रमांक 1, कुल क्षेत्रफल-4.9 हेक्टर पर है। उत्खनन अरवा नदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता-81,482 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एलओईएसी, फ्लोसाफ्ट के द्वारा दिनांक 08/08/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण -

(अ) समिति की 469वीं बैठक दिनांक 13/08/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री भूपेन्द्र सिंह ठाकुर, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ली, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई-

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण- इस खदान की पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. धान पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र - रेत उत्खनन के संबंध में धान पंचायत पंचायत (उ) का दिनांक 20/08/2017 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. विन्यासित/सीमांकित - कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से प्राप्त प्रमाण पत्र अनुसार यह खदान विन्यासित/सीमांकित कर घोषित है।
4. उत्खनन योजना - रेत रेत रोन्ड हाईवे प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (ख.प्रशा.) जिला-बिलासपुर के द्वारा क्रमांक 207/खनि/रेत/उत्खनन प्लान/2023 बिलासपुर, दिनांक 20/04/2023 द्वारा अनुमोदित है।
5. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान - कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-बिलासपुर के द्वारा क्रमांक 211/खनि/रेत/प्रमाण पत्र/2023 बिलासपुर, दिनांक 21/04/2023 के अनुसार आवेदित खदान की 500 मीटर की भीतर अवस्थित अन्य रेत खदानों की सूची निरंक है।
6. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं - कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-बिलासपुर के द्वारा क्रमांक 211/खनि/रेत/प्रमाण पत्र/2023 बिलासपुर, दिनांक 21/04/2023 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार एक खदान की 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे राष्ट्रीय राजमार्ग, राजमार्ग, पुल, बांध, स्कूल, अस्पताल, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, मस्जिद एवं एनोकेट आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है। सामान्य जमीन सड़क 170 मीटर दूर है।
7. एल.ओ.आई. का विवरण - एल.ओ.आई. श्री भूपेन्द्र सिंह ठाकुर के नाम पर है, जो कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-बिलासपुर के द्वारा क्रमांक 3298/खनि/रेत नीलामी/2023 बिलासपुर, दिनांक 14/04/2023 द्वारा जारी की गई, जिसकी क़िता जारी दिनांक से 6 माह की अवधि तक है। जारी

एन.जी.आई. में "उत्खनन पट्टा अवधि 2 वर्ष की स्वीकृति के लिए निम्नलिखित शर्तों के पूर्ति हेतु यह आशय रख जारी किया जा रहा है।" का उल्लेख है।

8. वन विभाग का अनाधिति प्रमाण पत्र – लीज सीमा से निकटतम वन क्षेत्र की वास्तविक दूरी संबंधी जानकारी, वन विभाग से जारी अनाधिति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि टोपोग्रीफ़ ड्रॉइंग 843/3 और 843/4 के आधार पर आवंटित भूमि से पट्टा की ओर लगभग 8 किलोमीटर पर गगनपुर प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट स्थित होती है। इसलिए अनमंडल अधिकारी की अनाधिति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। इसी कारण से कार्यालय जिला कलेक्टर खानन शाखा द्वारा भी आशय रख स्वीकृत करने समय एवं खदान योजना के अनुमोदन/स्वीकृति के समय वनविभाग का अनाधिति प्रमाण पत्र नहीं मांगा गया। मूलतः मैच में आवंटित भूमि से खदानकक्षर वनक्षेत्रीय अन्तर्गत की आकाशीय दूरी 18 कि.मी. दर्जित होती है।
9. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट – वर्ष 2018 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
10. महापूरुन संरचनाओं की दूरी – निकटतम आवासीय घास-लकनपुर 340 मीटर, स्कूल घास-लकनपुर 810 मीटर एवं अस्पताल बिलासपुर 14.5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 4 कि.मी. एवं राजमार्ग 13.8 कि.मी. दूर है। गांव 1.86 कि.मी., नहर 5.15 कि.मी., बांध 8.7 कि.मी. एवं खालज 420 मीटर दूर है। स्वीकृत रेत खदान के 1 कि.मी. की दूरी तक पुल/एन.सी. स्थित नहीं है।
11. खानन स्थल पर नदी के घाट की चौड़ाई एवं खदान की नदी तट से दूरी – आवंटन अनुसार खानन स्थल पर नदी के घाट की चौड़ाई – अधिकतम 180 मीटर, न्यूनतम 100 मीटर तथा खानन स्थल की लंबाई – अधिकतम 681 मीटर, न्यूनतम 343 मीटर एवं खानन स्थल की चौड़ाई – अधिकतम 73 मीटर, न्यूनतम 28 मीटर दर्शाई गई है। खदान की नदी तट के किनारे से दूरी अधिकतम 48 मीटर, न्यूनतम 20 मीटर है।
12. खदान स्थल पर रेत की मोटाई – आवंटन अनुसार स्थल पर रेत की मोटाई – 3.75 मीटर तथा रेत खानन की प्रस्तावित मोटाई – 3.75 मीटर दर्शाई गई है। अनुसूचित माइनिंग प्लान अनुसार खदान में साईनेबल रेत की मात्रा-81,482 घनमीटर है। रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत सतह की मोटाई जांचने के लिए प्रस्तावित स्थल पर 5 गड्ढे (Pits) खोदकर उसकी वास्तविक मोटाई का मापन कर, जनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है। इसके अनुसार रेत की उपलब्ध औसत मोटाई 3.75 मीटर है। रेत की वास्तविक मोटाई हेतु पंचनामा प्रस्तुत किया गया है।
13. खदान क्षेत्र में रेत सतह की लेवलज – रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल में 28 मीटर गुंजा 25 मीटर के चिह्न बिन्दुओं पर दिनांक 28/03/2023 को रेत सतह की वर्तमान लेवलज (Level) लेकर, उन्हें जनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरंत प्रोटोकॉल सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये गये हैं।
14. जीसीटी पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) – परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के सख्त विस्तार से चर्चा उपरंत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है—

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
34.45	2%	6.88	Following activities at Nearby, Govt. Primary School, Village- Lachhanpur	
			Installation of Separate Water Tank for Drinking	0.23
			Installation of UV Water Filter & its AMC	0.25
			Running Water Arrangement in School Toilets	0.15
			Donation of Books Related to Environment Conservation and Steel Almiras	0.10
Total			6.73	

15. सीईओएन के तहत प्रस्तावित स्कूल के प्राचार्य (Principal) का सहयोगी पत्र प्रस्तुत किया गया है।
16. कुआरीयन कार्य – नदी तट में 750 मी एवं पट्टीय मार्ग में 200 मी (कुल 1,000 मी) कुआरीयन करने हेतु प्रस्ताव दिया गया है जो निम्नानुसार है-

विवरण	प्रथम (रुपये)	द्वितीय (रुपये)	तृतीय (रुपये)	चतुर्थ (रुपये)	पंचम (रुपये)
प्रदूषण नियंत्रण हेतु परिवहन के दौरान सड़कों/पट्टीय मार्ग में राखने वाले एलकॉर्जन के नियंत्रण हेतु जल सिंक्रकाम	50,000	50,000	-	-	-
नदी तट एवं पट्टीय मार्ग में (1,000 मी) कुआरीयन हेतु	कुआरीयन (30 प्रतिशत जीवन दर) हेतु राशि	1,00,000	-	-	-
	कंसिग हेतु राशि	1,50,000	-	-	-
	खाद हेतु राशि	50,000	50,000	50,000	50,000
	सिंचाई एवं पत्र-पत्राण	1,30,000	1,30,000	1,30,000	1,30,000

	हेतु राशि					
कुल राशि =	14,00,000	4,80,000	2,30,000	2,30,000	2,30,000	2,30,000

17. जीव क्षेत्र के चारों ओर एक सीमा लाइन के माध्यम से सीमेंट के स्तंभों का प्रत्यक्ष अनावरण है ताकि जीव क्षेत्र नदी में स्वच्छ दृष्टिमान हो सके।
18. परियोजना के डिज़ाइन-ड्रॉइंग स्वामी से सफुजिटिव ड्रॉइंग प्रस्तुत होगा, उन स्वामी पर निर्धारित जल सिंचन के व्यवस्था किये जाने बाबत सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
19. खदान क्षेत्र के आस-पास नदी तट एवं सड़क मार्ग में शरण वृक्षावेषन किये जाने एवं संरक्षित पेड़ों का सफाईमूल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
20. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
21. परियोजना प्रस्तावक द्वारा किसी भी प्रकार का सूचित जल का प्रवाह प्राकृतिक जल स्रोत, तालाब, नदी, खाता में नहीं किये जाने एवं इनके संरक्षण किये जाने बाबत सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
22. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरुद्ध इस खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।
23. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का नोटरी से सत्यापित सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उसके विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई परराज्य का प्रकरण लंबित नहीं है।
24. सार्वभौम सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 02/08/2017 को common cause vs. Union of India writ petition (C) 114 of 214 में दिये गये निर्देश का पालन किया जायेगा इस बाबत सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
25. सार्वभौम सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 08/01/2020 को writ petition (S) Civil No.114 /2014 common cause vs. Union of India & Ors. में दिये गये दिशा निर्देशों का पालन किया जायेगा इस बाबत सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
26. सी.ई.आर. कार्य एवं नदी तट में वृक्षावेषन कार्य के गैरनिर्देशित एवं पर्यावरण हेतु वि-स्थीय समिति (प्रोगरैडर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं नदी तट में वृक्षावेषन का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरान्त गठित वि-स्थीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।
27. एक परराज्यीय वैयक्तिक विधि से एवं भरतई का कार्य लोडन द्वारा कराया जाना प्रस्तावित है। समिति का मत है कि लोडन जैसे घंटा भारी बहन की घंटी को

है। अतः नहरों का कार्य अनुसूचित विधि से ही कराई जावे। भारी बरतनों के नदी में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।

28. परिवर्धना प्रस्तावक द्वारा 1.75 मीटर की नहराई तक उत्खनन की अनुमति होगी है। अनुमोदित उत्खनन योजना में उत्खनन किए जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुनर्भरण संबंधी आवश्यक कार्य एवं लक्ष्यकारी आंकड़ों का समावेश नहीं किया गया है। अतः नदी छोटी नदी है तथा इसमें वर्षाकाल में सामान्यतः 1 मीटर नहराई से अधिक रेत का पुनर्भरण होने की संभावना है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय किया गया—

1. आदेशित खदान (घान-लखनपुर) का संचालन 4.9 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में सीक्यूड/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 8 हेक्टेयर का उससे कम होने के कारण यह खदान की-2 बंधी की मानी गयी।
2. परिवर्धना प्रस्तावक रेत खदान क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्ष में विस्तृत माद अध्ययन (Detailed Study) करायेगा, ताकि रेत के पुनर्भरण (Replenishment) कार्य सही आंकड़े, रेत उत्खनन का नदी, नदीतट, स्थानीय जनसंघर्ष, जीवन एवं सृजन जीवन पर प्रभाव तथा नदी के पानी की गुणवत्ता पर रेत उत्खनन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त हो सके।
3. लीज क्षेत्र की सतह का रेसल्टाईन कार्ड -
 - i. रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व उपरोक्तानुसार निर्धारित विभिन्न बिन्दुओं पर नदी में रेत की सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे कर, उससे आंकड़े तालकाए एच.ई.आई.ए.ए., उत्तीर्णनाइ की प्रस्तुत किये जायें।
 - ii. पोस्ट-मानसून (अक्टूबर/नवंबर माह में रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व) इन्ही विभिन्न बिन्दुओं में माइनिम लीज क्षेत्र तथा लीज क्षेत्र के अवस्ट्रीम एवं आउटरस्ट्रीम में 100 मीटर तक तथा खनन लीज के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे पूर्व निर्धारित विभिन्न बिन्दुओं पर किया जायेगा।
 - iii. इसी प्रकार रेत खनन उपरान्त मानसून के पूर्व (मई माह के अंतिम सप्ताह/जून के प्रथम सप्ताह) इन्ही विभिन्न बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवलस (Levels) का मापन किया जाएगा।
 - iv. रेत सतह के पूर्व निर्धारित विभिन्न बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवलस (Levels) के मापन का कार्य आगामी 3 वर्ष तक निरंतर किया जाएगा। पोस्ट-मानसून के आंकड़े विनाम्बर 2023, 2024, 2025 एवं प्री-मानसून के आंकड़े अगस्त 2023, 2024, 2025 तक अनिवार्य रूप से एच.ई.आई.ए.ए., उत्तीर्णनाइ की प्रस्तुत किए जायेंगे।
4. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से गेवरां लखनपुर रोड भाईन (प्रो- श्री सुप्रेम सिंह ठाकुर), खसना क्रमांक -1, घान-लखनपुर, तहसील व जिला-बिलासपुर, कुल लीज क्षेत्रफल 4.9 हेक्टेयर क्षेत्र के कुल 80 प्रतिशत क्षेत्रफल में ही रेत उत्खनन अधिकतम 1 मीटर की नहराई तक सीमित रखते हुए, कुल 49,000 घनमीटर प्रतिवर्ष रेत उत्खनन हेतु पर्यावरणीय लचीलता, खनन पट्टे के विस्थापन की तारीख से दो वर्ष तक की अवधि हेतु विवेक करने की अनुमति की गई। रेत की सुराई यंत्रियों द्वारा (Manually) की जाएगी। सिल बॉड (Silt Board) में भारी बरतनों/पंखों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा। लीज

क्षेत्र में स्थित रेत खुदाई गड्ढे (Excavation pits) में लोडिंग खाई तक रेत का परिवहन ट्रैक्टर द्वारा किया जाएगा।

5. सस्टेनेबल सैंड माइनिंग मैनेजमेंट गाइडलाइन्स, 2018 (Sustainable Sand Mining Management Guidelines 2018) एवं एंफोर्समेंट एंड मॉनिटरिंग गाइडलाइन्स फॉर सैंड माइनिंग, 2020 (Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining) के अनुसार पालन सुनिश्चित किया जाए।
6. एंफोर्समेंट एंड मॉनिटरिंग गाइडलाइन्स फॉर सैंड माइनिंग, 2020 (Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining) के तहत 60 प्रतिशत क्षेत्र में उत्खनन कार्य किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

प्रधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त उत्खनन पर प्राधिकरण की दिनांक 04/08/2023 की संख्या 152वीं बैठक में विचार किया गया। प्रधिकरण द्वारा नसी की अवलोकन किया गया। प्रधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वोच्चतम से समिति की अनुमोदन को स्वीकार करते हुए मेरठा तख्तपुर सैंड माइनिंग (प्रो.- की सुपेन्ड सिंह ठाकुर) को पर्यावरणीय स्वीकृति, खनन कट्टे के निष्पादन की शर्तों से 60 वर्ष तक की अवधि हेतु दिये जाने का निर्णय लिया गया। साथ ही समिति द्वारा निर्धारित शर्तों के अंतर्गत निहित किये गये शर्तों का पालन सुनिश्चित किया जाए। पालन नहीं किये जाने की स्थिति में विधिवत कार्रवाई की जाएगी।

परिचोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया जाए।

9. मेरठा खजना सैंड माइनिंग (सत्यं, ग्राम पंचायत खजना, ग्राम-खजना, तहसील-उदयपुर, जिला-सरगुजा (सचिवालय का नसी क्रमांक 2405)

ऑनलाइन आवेदन – एप्लिकेशन नम्बर – एसआईए/ सीडी/ एमआईएन/ 428430/2023, दिनांक 08/05/2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित रेत (सीम खनिज) खदान है। खदान ग्राम-खजना, ग्राम पंचायत खजना, तहसील-उदयपुर, जिला-सरगुजा स्थित खजना क्रमांक 1488, कुल क्षेत्रफल-5 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन रेत नदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित रेत उत्खनन क्षमता-92,914 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

तदनुसार परिचोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., कलीसगढ़ के द्वारा दिनांक 08/08/2023 द्वारा प्रस्तुतकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 469वीं बैठक दिनांक 13/08/2023

प्रस्तुतकरण हेतु श्रीमती सुखनी सिंह ठाकुर, सत्यं, ग्राम पंचायत खजना उपस्थित हुए। समिति द्वारा नसी, प्रस्तुत आवेदक की अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई-

1. पूर्ण में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण- इस खदान को पूर्ण में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।

2. ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र – रेल राजमार्ग के संकेत में ग्राम पंचायत राजगा का दिनांक 08/07/2022 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. विन्डफिक्ट/सीमाफिक्ट – कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से प्राप्त प्रमाण पत्र अनुसार यह खदान विन्डफिक्ट/सीमाफिक्ट का घोषित है।
4. राजमार्ग योजना – सर्वेक्षण प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला-समगुजा के द्वारा क्रमांक 1289/ख.सि. 2/सा. /2023 समगुजा, दिनांक 02/08/2023 द्वारा अनुमोदित है।
5. 500 मीटर की परिधि में निम्न खदान – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-समगुजा के द्वारा क्रमांक 508/खनिज/ख.सि. 3/सा/2023 अजमेरपुर, दिनांक 28/04/2023 के अनुसार अधिसूचित खदान से 500 मीटर के भीतर अधिसूचित अन्य रेल खदानों की संख्या निरंक है।
6. 200 मीटर की परिधि में निम्न सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-समगुजा के द्वारा क्रमांक 508/खनिज/ख.सि. 3/सा/2023 अजमेरपुर, दिनांक 28/04/2023 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार रेल खदान के 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्यमार्ग, पुल, बांध, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, मस्जिद एवं एनोस्ट आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
7. एल.ओ.आई संकेत विवरण – एल.ओ.आई संख्या, ग्राम पंचायत राजगा के नाम पर है, जो कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-समगुजा के द्वारा क्रमांक 448/खनिज/ख.सि.3/सा/2023 अजमेरपुर, दिनांक 13/04/2023 द्वारा जारी की गई, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 1 वर्ष की अवधि तक है। जारी एल.ओ.आई में "3 वर्ष की अवधि के लिए रेल राजमार्ग पट्टा की सीमांकित प्रदान करने हेतु निम्नलिखित सर्तों की पूर्ति किये जाने आवश्यक पर (L.OI) जारी किया जाता है।" का उल्लेख है।
8. वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र – लीज सीमा से निकटतम वन क्षेत्र की सार्वजनिक दूरी संकेत जानकारी, वन विभाग से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
9. डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट – वर्ष 2019 की डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रती प्रस्तुत की गई है।
10. महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी – निकटतम आबादी ग्राम-अजगा 350 मीटर, स्कूल ग्राम-अजगा 3 कि.मी. एवं अस्पताल उदयपुर 8 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 13 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 28 कि.मी. दूर है। सीमांकित रेल खदान के 1 कि.मी. की दूरी तक पुल/एनोस्ट स्थित नहीं है।
11. खनन स्थल पर नदी के घाट की चौड़ाई एवं खदान की नदी तट से दूरी – आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के घाट की चौड़ाई – अधिकतम 242 मीटर, न्यूनतम 176 मीटर तथा खनन स्थल की लंबाई – अधिकतम 802 मीटर, न्यूनतम 300 मीटर एवं खनन स्थल की चौड़ाई – अधिकतम 83 मीटर, न्यूनतम 42 मीटर बताई गई है। खदान की नदी तट के किनारे से दूरी अधिकतम 50 मीटर, न्यूनतम 22 मीटर है, जबकि इसकी नदी तट से न्यूनतम दूरी 7.5 मीटर

अध्या नदी के घाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत होने चाहिए (जो भी अधिक हो)।

12. खदान स्थल पर सेत की चौड़ाई – आवेदन अनुसार स्थल पर सेत की चौड़ाई – 3 मीटर तथा सेत खनन की प्रस्तावित चौड़ाई – 2 मीटर बताई गई है। अनुमोदित माईनिंग प्लान अनुसार खदान में माईनिंग सेत की चौड़ाई 20.214 घनमीटर है। सेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध सेत चौड़ाई खनने के लिए प्रस्तावित स्थल पर 5 मीटर (16ft) खोदकर उपरोक्त वास्तविक चौड़ाई का मान्य कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है। इसके अनुसार सेत की उपलब्ध औसत चौड़ाई 3.7 मीटर है। सेत की वास्तविक चौड़ाई हेतु पथनामा प्रस्तुत किया गया है।
13. खदान क्षेत्र में सेत सतह के स्तरसूच – सेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल में 25 मीटर गुंथा 25 मीटर के चिह्न बिन्दुओं पर दिनांक 25/04/2023 को सेत सतह के वर्तमान स्तरसूच (Levels) लेकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणिकरण उपरोक्त खोदोघातस सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये गये हैं।
14. नैर माईनिंग क्षेत्र – नदी के घाट की चौड़ाई अधिकतम 242 मीटर, न्यूनतम 175 मीटर है, जबकि खदान की नदी तट से किनारे से दूरी अधिकतम 50 मीटर, न्यूनतम 22 मीटर है। नये विज्ञान निर्देशों के अनुसार नदी तट से न्यूनतम 7.5 मीटर अध्या नदी के घाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत दूरी तक के क्षेत्र में खनन नहीं किया जा सकता। उपरोक्तानुसार नदी तट से न्यूनतम 7.5 मीटर अध्या नदी के घाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत दूरी छोड़ते हुये 43 घनमीटर नैर माईनिंग क्षेत्र रखा गया है। अतः सेत उत्खनन का कार्य खदान के अधोक्ष 4.9957 हेक्टेयर क्षेत्र में किया जाना प्रस्तावित है। उपरोक्त का उपरोक्त माईनिंग प्लान में किया गया है।
15. समिति का मत है कि लीज क्षेत्र के भीतर नैर माईनिंग क्षेत्र में खनन होने सम्भाव्य जाना आवश्यक है।
16. सीसीएड पर्यावरणीय दलित (C.E.R.) – परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति को सप्ताह विस्तार से चर्चा उपरोक्त किन्तानुसार विस्तृत जस्तावे प्रस्तुत किया गया है—

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
7.64	2%	0.15	Following activities at Nearby, Village- Jajga	
			Plantation with Fencing around Village Pond & 5 year AMC	0.35
			Total	0.35

सी.ई.आर. के अंतर्गत घास-जलजमा के तालाब के चारों तरफ (पीप, आम, जामुन, काजल, पीपल आदि) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 50 नग पीपों के लिए राशि 2,500 रुपये, पीपिंग के लिए राशि 20,000 रुपये, खाद के लिए राशि 500 रुपये, मिथाई तथा रक-रखाव के लिए राशि 3,000 रुपये इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 26,000 रुपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 8,400 रुपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

17. वृक्षारोपण कार्य — नदी तट पर कुल 1,000 नग पीप वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार पीपों के लिए राशि 50,000 रुपये, पीपिंग के लिए राशि 74,500 रुपये, खाद के लिए राशि 5,000 रुपये, मिथाई तथा रक-रखाव के लिए राशि 18,000 रुपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 1,43,500 रुपये एवं आगामी 4 वर्ष हेतु कुल राशि 1,04,000 रुपये घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।
18. लीज क्षेत्र के चारों ओरों तथा सीमा लाईन के साथ में सीमेंट के खम्बे स्थापित आवश्यक है ताकि लीज क्षेत्र नदी में स्पष्ट दृष्टिगोचर हो सके।
19. सी.ई.आर. कार्य एवं नदी तट में वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं परीक्षण हेतु वि-क्षीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पंचाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या उत्तरांचल प्रदेश पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पंचाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं नदी तट में वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने की उपरोक्त गठित वि-क्षीय समिति में सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।
20. रेत उत्खनन मैनुअल विधि से एवं भरवाई का कार्य लोडर द्वारा कराया जाना प्रस्तावित है। समिति का मत है कि लोडर जैसे यंत्र भारी वाहन की श्रेणी के हैं। अतः भरवाई का कार्य मैनुअल विधि से ही कराई जाये। भारी वाहनों के नदी में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।
21. परिषीजना प्रस्तावक द्वारा 2 मीटर की गहराई तक उत्खनन की अनुमति मांगी है। अनुमोदित उत्खनन योजना में उत्खनन किए जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुनर्भरण संशोधी अध्ययन कार्य एवं हस्ताक्षरी आंकड़ों का सत्यापन नहीं किया गया है। रेत नदी छोटी नदी है तथा इसमें वर्षाकाल में सामान्यतः 1 मीटर गहराई से अधिक रेत का पुनर्भरण होने की संभावना है।

समिति द्वारा विवरण विनर्श सचवात सर्वेक्षणों से निम्नानुसार निर्णय लिया गया—

1. अनादिष्ट खदान (घास-जलजमा) का रकबा 5 हेक्टेयर है। खदान की सीमा में 500 मीटर की परिधि में लीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान की-2 श्रेणी की मानी गयी।
2. परिषीजना प्रस्तावक रेत खदान क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्ष में विस्तृत ग्राह अध्ययन (Investigation Study) करावेगा, ताकि रेत के पुनर्भरण (Replenishment) संबंध सही आंकड़े, रेत उत्खनन का नदी, नदीतट, स्थानीय जनस्यति, जीव एवं गृह्य जीवों पर प्रभाव तथा नदी के पानी की पुनर्भरण पर रेत उत्खनन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त हो सके।
3. लीज क्षेत्र की गतह का बेसलाईन कटा —

1. रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व उपरोक्तानुसार निर्धारित विभिन्न बिन्दुओं पर नदी में रेत की गहराई के मापों (Levels) का सर्वे कर, उसकी आंकड़ों काकाल एम.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किये जायें।
2. पोस्ट-मानसून (अक्टूबर/नवम्बर माह में रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व) इसी विभिन्न बिन्दुओं में माईनिंग सीज क्षेत्र तथा सीज क्षेत्र के आसटीन एवं साउथनस्ट्रीम में 100 मीटर तक तथा खनन सीज के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी गहराई के मापों (Levels) का सर्वे पूर्व निर्धारित विभिन्न बिन्दुओं पर किया जायेगा।
3. इसी प्रकार रेत खनन उपरोक्त मानसून के पूर्व (मई माह के अंतिम सप्ताह/जून के प्रथम सप्ताह) इसी विभिन्न बिन्दुओं पर रेत गहराई के लेवल (Levels) का मापन किया जाएगा।
4. रेत गहराई के पूर्व निर्धारित विभिन्न बिन्दुओं पर रेत गहराई के लेवल (Levels) का मापन का कार्य आगामी 6 वर्ष तक निरंतर किया जाएगा। पोस्ट-मानसून के आंकड़ों दिसम्बर 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 एवं प्री-मानसून के आंकड़ों अगस्त 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 तक अनिवार्य रूप से एम.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किए जायेंगे।
5. सीज सीमा में निकटतम वन क्षेत्र की वार्षिक दूरी संवर्धन जानकारी, वन विभाग से जहाँ उपलब्धता प्रमाण पत्र को एम.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में उपलब्ध रूप से प्रस्तुत करने की शर्त के अधीन एवं वन क्षेत्र से निर्धारित दूरी से अधिक होने पर ही पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्त अनुमति की जाती है।
6. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्पत्ति से बेसर्स खजना संग्रह माईनिंग (सिलॉच, डाम पंचायत खजना), खसरा अण्डोक - 1456, घाम-खजना, घाम पंचायत खजना, तहसील-बड़वपुर, जिला-भारगुजा, कुल सीज क्षेत्रफल 6 हेक्टेयर में से माईनिंग प्लान अनुसार वन माईनिंग क्षेत्र 43 वर्गमीटर क्षेत्र कम करने पर 4.9957 हेक्टेयर उत्खनन हेतु क्षेत्र क्षेत्र का कुल 80 प्रतिशत क्षेत्रफल में ही रेत उत्खनन अधिकतम। मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए कुल 42,900 वर्गमीटर प्रतिवर्ष रेत उत्खनन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति, खनन पर्यट के निष्पादन की शर्तों से पांच वर्ष तक की अवधि हेतु दिये जाने की अनुमति की गई। रेत की खुदाई अथिर्वा द्वारा (Manually) की जाएगी। रिवर बेड (River Bed) में भारी वाहनों/पथों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। सीज क्षेत्र में स्थित रेत खुदाई गड्ढे (Excavation pits) से लैंडिंग प्वाइंट तक रेत का परिवहन ट्रैक्टर ट्रेलरों द्वारा किया जाएगा।
7. सस्टेनेबल सैण्ड माईनिंग मैनेजमेंट गाईडलाईन्स, 2018 (Sustainable Sand Mining Management Guidelines 2018) एवं इंफोर्सेमेंट एण्ड मॉनिटरिंग गाईडलाईन्स फॉर सैण्ड माईनिंग, 2020 (Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining) के अनुसार पालन सुनिश्चित किया जाए।
8. इंफोर्सेमेंट एण्ड मॉनिटरिंग गाईडलाईन्स फॉर सैण्ड माईनिंग, 2020 (Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining) के तहत 80 प्रतिशत क्षेत्र में उत्खनन कार्य किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

प्रधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्रधिकरण की दिनांक 04/08/2023 को संख्या 182वीं बैठक में विचार किया गया। प्रधिकरण द्वारा नसी का अवलोकन किया गया। प्रधिकरण द्वारा विचार किया गया उपरोक्त सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय किया गया कि:-

1. सीज सीमा से निकटतम वन क्षेत्र की वास्तविक दूरी संबंधी जानकारी वन विभाग से अनुरोध प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
2. सी.ई.आर. से उचित प्रस्तावित करों के कार्य पूर्ण उपरोक्त संबंधित ग्राम पंचायत से कार्यपूर्ण प्रतिवेदन प्राप्त कर, डिपॉजिट फोटोड्राफ्ट सहित जानकारी अवैतनिक रिपोर्ट में समाहित किये जाने बाबत राख्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त संबंधित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरोक्त आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परिचोजन प्रस्तावक को तदनुसार सूचित किया जाए।

18. मेसर्स प्रतापगढ़ सोल्ड क्वार्टी (सत्यंज, ग्राम पंचायत प्रतापगढ़, ग्राम-प्रतापगढ़, तहसील-सीतापुर, जिला-सरगुजा (सचिवालय का नसी क्रमांक 2408)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नंबर – एसआईए/ सीजी/ एनआईए/ 428432/2023, दिनांक 06/06/2023 द्वारा पंचायतलीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित पैठ (पीथ खनिज) खदान है। खदान ग्राम-प्रतापगढ़, ग्राम पंचायत प्रतापगढ़, तहसील-सीतापुर, जिला-सरगुजा सिविल पार्ट ऑफ खसत क्रमांक 1122, कुल क्षेत्रफल-12.85 हेक्टेयर में से 8 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन माफ़ नहीं की किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित पैठ उत्खनन क्षमता-95.788 टनमीटर प्रतिवर्ष है।

तदनुसार परिचोजन प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी, प्रतापगढ़ के अधिन दिनांक 06/06/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 482वीं बैठक दिनांक 13/06/2023

प्रस्तुतीकरण हेतु श्रीमती कमला बाई, सत्यंज, ग्राम पंचायत प्रतापगढ़ उपस्थित हुए। समिति द्वारा नसी, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति आई गई:-

1. पूर्व में जारी पंचायतलीय स्वीकृति संबंधी विवरण- इस खदान को पूर्व में पंचायतलीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. ग्राम पंचायत का अनुरोध प्रमाण पत्र – पैठ उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत प्रतापगढ़ का दिनांक 28/04/2023 का अनुरोध प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. विन्डफिज/सीमांकित – कार्यालय कलेक्टर, खनिज हाथा से प्राप्त प्रमाण पत्र अनुसार यह खदान विन्डफिज/सीमांकित कर पंजित है।

4. वनखनन योजना - माइनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अफिसरी, जिला-रायगढ़ के डायन क्रमांक 202/ख.लि. 2/खा./2023 रायगढ़, दिनांक 03/06/2023 द्वारा अनुमोदित है।
5. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान - कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-रायगढ़ के डायन क्रमांक 513/खनिज/ख.लि. 3/खा./2023 अधिकारपुर, दिनांक 26/04/2023 के अनुसार आवंटित खदान से 500 मीटर की भीतर अवस्थित अन्य वेत खदानों की संख्या निरंक है।
6. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरक्षण - कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-रायगढ़ के डायन क्रमांक 511/खनिज/ख. लि. 3/खा./2023 अधिकारपुर, दिनांक 26/04/2023 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार एका खदान के 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्यमार्ग, पुल, बांध, मंदिर, मस्जिद, कुसुदाना, मण्डप एवं एनीकट आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
7. एल.ओ.आई. संबंधी विवरण - एल.ओ.आई. सूर्यवं, ग्राम पंचायत प्रतापगढ़ के नाम पर है, जो कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-रायगढ़ के डायन क्रमांक 343/ख.लि.3/खा./2023 अधिकारपुर, दिनांक 27/03/2023 द्वारा जारी की गई, जिसकी कीमत जारी दिनांक से 1 वर्ष की अवधि तक है। जारी एल.ओ.आई. में 3 वर्ष की अवधि के लिए वेत वसुली पट्टा की लीक्यूटि प्रदान करने हेतु निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति किये जाने आवश्यक पत्र (LOR) जारी किया जाता है। का उल्लेख है।
8. वन विभाग का अनुमोदित प्रमाण पत्र - सीमा सीमा से निकटतम वन क्षेत्र की वास्तविक दूरी संबंधी जानकारी, वन विभाग से जारी अनुमोदित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
9. डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट - वर्ष 2018 की डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
10. महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी - निकटतम आवासीय ग्राम-प्रतापगढ़ 50 मीटर, स्कूल ग्राम-प्रतापगढ़ 2 कि.मी. एवं अस्पताल प्रतापगढ़ 2 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 580 मीटर एवं राज्यमार्ग 580 मीटर दूर है। पुल खजनास्टीम में 580 मीटर की दूरी पर है। लीक्यूट वेत खदान से 1 कि.मी. की दूरी तक एनीकट स्थित नहीं है।
11. पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र - परियोजना प्रस्तावक द्वारा 12 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय खदान, अस्पताल, केंद्रीय प्रमुख निरक्षण बोर्ड द्वारा घोषित डिस्ट्रिक्ट वील्डफुंड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र का घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होने प्रतिबंधित किया है।
12. खनन स्थल पर नदी के घाट की चौड़ाई एवं खदान की नदी तट से दूरी - आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के घाट की चौड़ाई - अधिकतम 100 मीटर, न्यूनतम 113 मीटर तथा खनन स्थल की लंबाई - अधिकतम 697 मीटर, न्यूनतम 688 मीटर एवं खनन स्थल की चौड़ाई - अधिकतम 77 मीटर, न्यूनतम 61 मीटर दर्शाई गई है। खदान की नदी तट के किनारे से दूरी अधिकतम 22 मीटर, न्यूनतम 5 मीटर है।

13. खदान स्थल पर रेत की गहराई – आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की गहराई-3 मीटर तथा रेत खनन की प्रस्तावित गहराई-2 मीटर दर्शाई गई है। अनुमोदित माईनिंग प्लान अनुसार खदान में माईनिंग रेत की मात्रा 95,788 घनमीटर है। रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत मात्र की गहराई जानने के लिए प्रस्तावित स्थल पर 5 गड़दे (Pits) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है। इसके अनुसार रेत की उपलब्ध औसत गहराई 3.89 मीटर है। रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा प्रस्तुत किया गया है।
14. खदान क्षेत्र में रेत सहाई के लेवल्स – रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल में 25 मीटर गुंथा 25 मीटर के चिज बिन्दुओं पर दिनांक 21/04/2023 को रेत सहाई के वर्तमान लेवल्स (Levels) लेकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरोक्त फोटोग्राफ सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये गये हैं।
15. रेत माईनिंग क्षेत्र – नदी के घाट की चौड़ाई अधिकतम 188 मीटर, न्यूनतम 113 मीटर है, जबकि खदान की नदी तट के किनारे से दूरी अधिकतम 22 मीटर, न्यूनतम 5 मीटर है। नदी किनारे निर्देशों के अनुसार नदी तट से न्यूनतम 7.5 मीटर अथवा नदी के घाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत दूरी तक के क्षेत्र में खनन नहीं किया जा सकता। उपरोक्तानुसार नदी तट से न्यूनतम 7.5 मीटर अथवा नदी के घाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत दूरी छोड़ते हुए 2,108 वर्गमीटर रेत माईनिंग क्षेत्र रखा गया है। अतः रेत उत्खनन का कार्य खदान के अंतर्गत 4,7888 हेक्टर क्षेत्र में किया जाना प्रस्तावित है। उपरोक्त का उत्तरार्ध माईनिंग प्लान में किया गया है।
16. कोर्पोरेट नवीकरणीय दरिद्र (C.E.R.) – परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरोक्त निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
42.40	2%	0.848	Following activities at Nearby, Village- Pratappgarh	
			Plantation with Fencing around Village Pond & 5 year AMC	0.87
			Total	0.87

सी.ई.आर. के अंतर्गत पल्प-प्रतापगढ़ के तालब के घाटी ताल (सी.आम, जामुन, कादर, पीरल आदि) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 100 वर्ग फीटों के लिए प्रति 5,000 रुपये, पेरिंग के लिए प्रति 60,000 रुपये, घाट के लिए प्रति 1,000 रुपये, सिंचाई तथा रख-रखाव के लिए प्रति 4,600 रुपये इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल प्रति 70,600 रुपये तथा आगामी 4 वर्षों में कुल प्रति 17,200 रुपये हेतु पर्यवेक्षण कार्य का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

17. कुआरौपण कार्य — नदी तट के किनारे खसरा क्रमांक 1023, सख्या 3718 हेक्टेयर में से 1 हेक्टेयर पर कुल 1,000 मग कुआरौपण हेतु वस्तुतः प्रस्ताव अनुसूचक पीछे के लिए राशि 70,000 रुपये, बीसिंग के लिए राशि 1,08,300 रुपये, खाद के लिए राशि 30,000 रुपये, सिंचाई तथा रख-रखाव के लिए राशि 24,000 रुपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 2,12,300 रुपये एवं आगामी 4 वर्ष हेतु कुल राशि 1,28,000 रुपये घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।
18. सी.ई.आर. कार्य एवं नदी तट में कुआरौपण कार्य के भीनिटियल एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि-पक्षीय समिति (जेपचईएन/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या जलसिमागढ़ पर्यवेक्षण संस्थान सम्बन्धित के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं नदी तट में कुआरौपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरान्त गठित त्रि-पक्षीय समिति से सल्लाहित कराया जाना आवश्यक है।
19. रेत उत्खनन मैनुअल विधि से एवं भराई का कार्य सीकर द्वारा कराया जाना प्रस्तावित है। समिति का मत है कि सीकर जैसे घाब भारी वाहन की सहायता से रेत उत्खनन का कार्य मैनुअल विधि से कराई जाये।
20. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 3 मीटर की गहराई तक उत्खनन की अनुमति प्राप्ति है। अनुमोदित उत्खनन योजना में उत्खनन किए जाने वाले क्षेत्र की खार्चिक रेत पुनर्भरण संसंधी अध्ययन कार्य एवं सामंसीय जांचकी का समावेश नहीं किया गया है। साथ ही छोटी नदी है तथा इसमें वर्षाकाल में सतान्धता 1 मीटर गहराई से अधिक रेत का पुनर्भरण होने की संभावना है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया—

1. आवेदित खदान (खान-प्रस्तावगढ़) का सख्या 3 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 3 हेक्टेयर का प्रभाव कम होने के कारण यह खदान बी-2 श्रेणी की प्राप्ति नहीं।
2. परियोजना प्रस्तावक रेत खदान क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्ष में विस्तृत माट अध्ययन (Stratigraphic Study) करायेगा, ताकि रेत के पुनर्भरण (Replenishment) बाधा नहीं आये, रेत उत्खनन का नदी, नदीकूल, स्थानीय जनसंघ, जीव एवं सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव तथा नदी के पानी की गुणवत्ता पर रेत उत्खनन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त हो सके।

3. सीकर क्षेत्र की सतह का रेसाल्टिंग आटा —

- a. रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व उपरोक्तानुसार निर्धारित विभिन्न बिन्दुओं पर नदी में रेत की सतह के साठी (Levels) का सर्वे कर, उसके आंकड़े संकलन एच.ई.आई.ए.ए. जलसिमागढ़ को प्रस्तुत किये जाये।
- b. पोस्ट-पनसून (अक्टूबर/नवम्बर माह में रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व) इन्हीं विभिन्न बिन्दुओं में माइनिम सीकर क्षेत्र तथा सीकर क्षेत्र के अपारटीम एवं अपारसटीम में 300 मीटर तक तथा खनन सीकर के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे पूर्व निर्धारित विभिन्न बिन्दुओं पर किया जायेगा।

- iii. इसी प्रकार रेत खनन उपरंत मानसून के पूर्व (नई माह के अंतिम सप्ताह/जून के प्रथम सप्ताह) इसी विद्य विन्दुओं पर रेत सतह के लेवलस (Levels) का मापन किया जाएगा।
- iv. रेत सतह के पूर्व निर्धारित विद्य विन्दुओं पर रेत सतह के लेवलस (Levels) के मापन का कार्य आगामी 8 वर्ष तक निरंतर किया जाएगा। वीस्ट-मानसून के आंकड़ों दिनांक 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 एवं वी-मानसून के आंकड़ों जनता 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 तक अनिवार्य रूप से एन.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किए जाएंगे।
4. लीज सीमा से निकटतम उन क्षेत्र की वास्तविक दूरी संबंधी जानकारी, वन विभाग से जारी अनधिकृत प्रमाण पत्र को एन.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करने की शर्त के अंतर्गत एवं उन क्षेत्र से निर्धारित दूरी से अधिक होने पर ही पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रार्थना अनुरोध की जाती है।
5. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरंत सर्वसम्मति से मेसर्स प्रतापगढ़ सैन्ड कार्टी (समर्थ, घान पंचायत प्रतापगढ़), पार्टी अफि कसरा क्रमांक - 1122, घान-प्रतापगढ़, घान पंचायत प्रतापगढ़, तहसील-सीतापुर, जिला-बलरुआ, कुल लीज क्षेत्रफल 5 हेक्टर में से माइनिंग प्लान अनुसार गैर माइनिंग क्षेत्र 2,108 वर्गमीटर क्षेत्र बन करने पर 4,7894 हेक्टर उत्खनन हेतु रेत क्षेत्र का कुल 80 प्रतिशत क्षेत्रफल में ही रेत उत्खनन अधिकतम 1 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए, कुल 47,894 वर्गमीटर प्रतिवर्ष रेत उत्खनन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति, खनन पट्टे के निष्पत्ति की तारीख से पांच वर्ष तक की अवधि हेतु दिये जाने की अनुमति की गई। रेत की खुदाई भविष्ये द्वारा (Monthly) की जाएगी। गिर बेड (Mixer Bed) में भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। लीज क्षेत्र में स्थित रेत खुदाई गड्ढे (Excavation pits) से लैंडिंग फ्लॉट तक रेत का परिवहन ट्रैक्टर द्वारा किया जाएगा।
6. सस्टेनेबल सैन्ड माइनिंग मैनेजमेंट गाइडलाइन्स, 2016 (Sustainable Sand Mining Management Guidelines 2016) एवं इन्फोर्समेंट एन्ड मॉनिटरिंग गाइडलाइन्स ऑर सैन्ड माइनिंग, 2020 (Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining) के अनुसार चलन सुनिश्चित किया जाए।
7. इन्फोर्समेंट एन्ड मॉनिटरिंग गाइडलाइन्स ऑर सैन्ड माइनिंग, 2020 (Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining) के तहत 80 प्रतिशत क्षेत्र में उत्खनन कार्य किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

प्रतिकरण द्वारा बैठक में विचार - उपरोक्त प्रकरण पर प्रतिकरण की दिनांक 04/08/2023 को सचिन 152वीं बैठक में विचार किया गया। प्रतिकरण द्वारा नसी का अवलोकन किया गया। प्रतिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरंत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया कि-

1. लीज सीमा से निकटतम उन क्षेत्र की वास्तविक दूरी संबंधी जानकारी, वन विभाग से अनधिकृत प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
2. एन.ई.आई.ए. के तहत प्रस्तावित कार्य के कार्य पूर्व उपरंत संबंधित घान पंचायत से जारी/पूर्ण प्रतिकरण प्राप्त कर, डिपॉजिट कोटोपाक सहित जानकारी अर्थात् नसी लिमिट में संचालित किये जाने बाबत सचय पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त कठिना जानकारी/प्रस्तावक द्वारा होने परंतु अपनाही कार्रवाई की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को उदाहरण सूचित किया जाए।



11. मैदान कोड़ेमेडा लाईन नदीन बाईन (जे.- श्री संदमान करण), ग्राम-कोड़ेमेडा, तहसील-लोहम्पीपुडा, जिला-बस्तर (सचिवालय का नक्सा क्रमांक 2407)

ऑनलाइन आवेदन - प्रपोजल नम्बर - एचआईए/ सीजी/ एचआईए/428408/2023, दिनांक 08/05/2023 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित नया पत्थर (सील खनिज) खदान है। खदान ग्राम-कोड़ेमेडा, तहसील-लोहम्पीपुडा, जिला-बस्तर स्थित खसरा क्रमांक 297 एवं 299, कुल क्षेत्रफल-1.54 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्पादन क्षमता-40,000 टन प्रतिवर्ष है।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एच.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ के द्वारा दिनांक 08/05/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बीडक का विवरण -

(अ) समिति की 469वीं बीडक दिनांक 13/06/2023

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री संदमान करण, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नली, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति आई गई-

1. पूर्ण में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण- इस खदान को पूर्ण में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र - उत्पादन के संबंध में ग्राम पंचायत कोड़ेमेडा का दिनांक 30/11/2020 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. उत्पादन योजना - जारी प्लान विथ स्टीम थ्रीड माइनिंग फॉर क्वार्ट्ज ग्राइंड ईयर एन्ड क्वार्टी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी जिला-दक्षिण बस्तर दंतोबाडा के द्वारा क्रमांक 370/खनिज/उत्प.टी./2022-23 दंतोबाडा, दिनांक 16/08/2022 द्वारा अनुमोदित है।
4. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान - कार्यालय कलेक्टर (खनिज साखा), जगदलपुर, जिला-बस्तर के द्वारा क्रमांक 1688/खनिज/ख.लि.4/23/2020-21/उ.प./2022 जगदलपुर, दिनांक 21/08/2022 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर से नीचे अवस्थित 4 खदानें, क्षेत्रफल 5.235 हेक्टेयर है।
5. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं - कार्यालय कलेक्टर (खनिज साखा) जगदलपुर, जिला-बस्तर के पु. द्वारा क्रमांक 1688/खनिज/ख.लि.4/23/2020-21/उ.प./2022 जगदलपुर, दिनांक 21/08/2022 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार जल खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, पुल, नदी, रेल लाईन, जलपात्र, स्कूल, एनीकट बांध एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. एल.ओ.आई. का निष्पत्ति - एल.ओ.आई. की संलग्न कक्षों के नाम पर है, जो कार्यालय कलेक्टर (खनिज खाद्य), जिला-बस्तर के द्वारा क्रमांक 348/खनिज/ख.सि.4/23/2020-21/उ.प./2022 जनदलपुर, दिनांक 10/08/2022 द्वारा जारी की गई, जो जारी दिनांक से 1 वर्ष की अवधि हेतु वैध थी। तत्पश्चात् एल.ओ.आई. की वैधता बुद्धि बाबू संघालनलय सीमिटी द्वारा खनिज, नया रायपुर अदालत नगर के पु. क्रमांक 3884/खनि 02/उ.प.-अनु. निष्पत्ति/न.क्र. 80/2017(1) नया रायपुर, दिनांक 12/08/2023 के अनुसार "खलीनागढ़ ग्रीन खनिज निष्पत्ति, 2018 में जारी संबंधित अधिसूचना दिनांक 28/08/2020 (प्रकाशन दिनांक 30/08/2020) के नियम 42 के उप-नियम (b) परन्तु के तहत संघालक को प्रत्येक अधिकार का प्रयोग करते हुए प्रकरण में सर्वोत्तम स्वीकृति प्राप्त करने एवं उत्खनित स्वीकृति आवेदन जारी करने हेतु अतिरिक्त सलाहसि इदान किया जाता है।" होना बताया गया है।
7. यू-स्वामित्व - भूमि खसरा क्रमांक 297 की रंगु कन्या, श्री बुद्धराम कन्या, श्री मनपत कन्या एवं श्रीमती सुवती कन्या तथा भूमि खसरा क्रमांक 299 श्रीमती पारो कन्या के नाम पर है। उत्खनन हेतु यू-स्वामियों का सहमती पत्र प्रस्तुत किया गया है।
8. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट - वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
9. वन विभाग का अनुमति प्रमाण पत्र - जलसुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि वन विभाग से अनुमति प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु उप-संघालक (खनिज खाद्य), जिला-बस्तर के माध्यम से आवेदन कार्यालय वनसंग्रहलयिकारी, जनदलपुर जलसंग्रहलय, जिला-बस्तर को दिनांक 21/08/2022 को प्रेषित किया गया है। साथ ही परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह भी बताया गया कि लीज क्षेत्र के भीतर कुछ वृक्ष अवस्थित हैं। समिति का मत है कि एकल वृक्षों की अजाति एवं संख्या संबंधी जानकारी वन विभाग से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
10. महानगरीय संरचनाओं की दूरी - निकटतम आवादी घाट-कोठेवेडा 5 कि.मी. एवं अस्वातल घण्डरपुर 1.30 कि.मी की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 18 कि. मी. एवं राजमार्ग 28 कि.मी. दूर है। मानसूनी नदी 800 मीटर दूर है।
11. पारिस्थितिकीय/जैववैविधता संवेदनशील क्षेत्र - परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राष्ट्रीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केंद्रीय प्रमुख निबंधन क्षेत्र द्वारा परिधि किटिकली पॉन्गुटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र का परिधि जैववैविधता क्षेत्र स्थित नहीं होगा प्रतिबंधित किया है।
12. खनन संघदा एवं खनन का डिस्का - डिपॉजिटिवल रिजर्व 577,500 टन एवं माईनेबल रिजर्व 4,09,899 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 4,290.94 वर्गमीटर है। खनन कारक लेवी गैरीन्डुईन्ड विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 15.5 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 0.5 मीटर है तथा कुल मोटाई 8.882 घनमीटर है। क्षेत्र की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 18 वर्ष है। जैक डैगर से डिप्लिंग

एवं स्थापित किया जाएगा। लीज क्षेत्र में जंगल स्थापित किया जाना प्रस्तावित नहीं है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का सिद्धकाय किया जाएगा। पर्यावरण प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	10,000
द्वितीय	15,000
तृतीय	20,000
चतुर्थ	30,000
पंचम	40,000

13. जल आपूर्ति – परिवहन हेतु आवश्यक जल की मात्रा 5 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति ग्राम पंचायत द्वारा टैंकर के माध्यम से की जायेगी। इस बाबत ग्राम पंचायत का अनपेक्षित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
14. कुशाहेपण कार्य – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की गहरी में 881 मम कुशाहेपण किया जाएगा।
15. खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा गहरी में उत्खनन – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा गहरी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।
16. माननीय एन.जी.टी., दिल्ली द्वारा सर्वोच्च न्यायिक विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (अपरिजनात एपिलीकेशन नं. 188 ऑफ 2018 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:-

- a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.
- b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. सर्वोच्च न्यायिक (खनिज सख्त), जगदलपुर, जिला-बस्तर के द्वारा खदान क्रमांक 1888/खनिज/ख.लि.4/23/2020-21/प.प./2022 जगदलपुर, दिनांक 21/09/2022 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर की गैरल आवेदित 4 खदानें, क्षेत्रफल 5.235 हेक्टेयर हैं। आवेदित खदान (ग्राम-कोड़ेवेडा) का रकबा 1.54 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम-कोड़ेवेडा) को मिलकर कुल रकबा 6.775 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संघानित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का वास्तव निर्मित होने के कारण यह खदान 'बी' श्रेणी की गयी।
2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्मति से प्रकरण 'बी' श्रेणी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2018 में प्रकाशित स्टैम्पड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) कोर ई.आई.ए./ई.एम.पी रिपोर्ट कोर प्रोजेक्ट्स/एक्टिविटीज रिक्वायर्स इन्वायलेंट स्वीयरेंस अन्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2008 में निर्मित श्रेणी (बी) का

सर्वोपर्यंत टीआरएअर (लोक सुनवाई सहित) वॉन कोल सर्वोपर्यंत टीआरएअर हेतु निम्न अतिरिक्त टीआरएअर के साथ जारी किये जाने की अनुमति की गई:-

- i. Project proponent shall inform SEIAA & S.E.A.C. Chhattisgarh before commencement of Baseline Data Generation and start of monitoring work for preparation of EIA Study Report.
- ii. Project proponent shall submit the Individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.
- iii. Project proponent shall submit the NOC from forest department mentioning distance between mine lease boundary to forest boundary & also mention the number of trees (with tree species) present in lease area.
- iv. Project proponent shall submit the top soil management plan & incorporate the details in the EIA report.
- v. Project Proponent shall submit an undertaking that the top soil would be stacked at the earmarked place and shall use the same in plantation and backfilling of the mined out area.
- vi. Project proponent shall submit an affidavit for commitment to the public (Objections/suggestions raised by public) during Public Hearing.
- vii. Project proponent shall ensure that mining lease area to be demarcated by erection of boundary pillars at all corner and area to be fenced.
- viii. EIA study shall be done at minimum 8 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.
- ix. Project proponent shall submit the copy of panchnama, photographs and videography of every monitoring station.
- x. Project proponent shall submit an affidavit stating that no harm, no damage and no contamination shall be committed to nearby water bodies.
- xi. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.
- xii. The project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of Notification S.O. 854(E) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the direction given by Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Common Cause vs Union of India order dated 02.08.2017.
- xiii. Project proponent shall undertake plantation within the mining lease area as per guidelines issued from time to time and particularly in the 7.5 meter safety zone area of minimum 05 feet height and shall maintain 90% survival rate. The plantation shall be maintained by project proponent for atleast 5 years. Project proponent shall submit half yearly reports regarding compliance to the Authority. The details to be submitted alongwith Geotag photographs in the EIA report.
- xiv. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintenance cost for atleast 5 years & incorporate the details in the EIA report.

प्रधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्रधिकरण की दिनांक 04/08/2023 को सम्पन्न 152वीं बैठक में विचार किया गया। प्रधिकरण द्वारा मन्त्री का अवलोकन किया गया। प्रधिकरण द्वारा विचार दिनांक उपरोक्त सर्वसम्मति से समिति की अनुमति को स्वीकार करते हुए उपरोक्तानुसार टर्म ऑफ रेफरेंस (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई सहित) जारी करने का निर्णय लिया गया। साथ ही समिति द्वारा अनुसूचित अधिदेश टी.ओ.आर. को तर्ज क्रमांक "a. Project proponent shall submit the NOC from forest department mentioning distance between mine lease boundary to forest boundary & also mention the number of trees (with tree species) present in lease area." की स्थान पर "b. Project proponent shall submit the NOC from forest department at the time of submission of draft EIA, mentioning distance between mine lease boundary to forest boundary & also mentioning the number of trees (alongwith tree species) present within the lease area." पढ़ा जाये।

परिचोजना प्रस्तावक को टर्म ऑफ रेफरेंस (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई सहित) जारी किया जाए।

12. मेसर्स मूत साईन स्टोन माईन (प्री- बीन्वी राजबी वर्मा, धाम-मूत, ताहसील-खरीवा, जिला-रायपुर (सचिवालय का नक्शा क्रमांक 2408)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/428509/2023, दिनांक 08/05/2023 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्ण से संघालित मूत खान (ग्रीन खनिज) खदान है। खदान धाम-मूत, ताहसील-खरीवा, जिला-रायपुर किताब क्रमांक 587/1, 588/1, 588/3, 588/3, 588/1, 588/3, 588/4, 570 एवं 573, कुल क्षेत्रफल-0.73 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता-17,860 टन प्रतिवर्ष है।

तदनुसार परिचोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ से ड्राफ्ट दिनांक 08/08/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 489वीं बैठक दिनांक 13/08/2023

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री युगल विजोर वर्मा, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा मन्त्री, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न निर्णय पड़े गये-

1. पूर्ण में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संशुद्धी विवरण-

1. पूर्ण में मूत पर्यटन खदान खसरा क्रमांक 587/1, 588/1, 588/1, 588/2, 588/3, 588/3, 588/4, 570 एवं 573, कुल क्षेत्रफल-0.73 हेक्टेयर, क्षमता-17,860 टन प्रतिवर्ष हेतु जिला स्तरीय पर्यावरण सम्भारत निर्धारण प्रधिकरण, जिला-रायपुर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 24/08/2017 को जारी की गई। यह स्वीकृति जारी दिनांक से दिनांक 21/01/2021 तक वैध थी।

परिप्रेक्ष्य प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 18/01/2021 अनुसार-

"3A. Notwithstanding anything contained in this notification, the period from the 1st April, 2020 to the 31st March, 2021 shall not be considered for the purpose of calculation of the period of validity of Prior Environmental Clearances granted under the provisions of this notification in view of outbreak of Corona Virus(COVID-19) and subsequent lockdowns (total or partial) declared for its control, however, all activities undertaken during this period in respect of the Environmental Clearance granted shall be treated as valid."

उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति की किताब जारी दिनांक से दिनांक 21/01/2022 तक वैध थी।

- परिप्रेक्ष्य प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के तालम में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोवाला सहित प्रस्तुत की गई है।
- निर्दिष्ट आर्गनुसार कुआरेशन नहीं किया गया है।
- कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-रायपुर के डायन क्रमांक 1148/ख.लि./न.क्र./2023 रायपुर दिनांक 08/08/2023 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार विषय वर्गी में किये गये उल्लंघन की जानकारी निम्नानुसार है-

वर्ष	उत्पादन (टन)
2017-18	8,900
2018-19	10,500
2019-20	9,300
2020-21	9,300
2021-22	निरंक
2022-23	निरंक

- घास पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र - उल्लंघन पूर्व काल की स्थापना के संबंध में घास पंचायत सूा का दिनांक 28/08/2010 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
- उल्लंघन धीजना - उपरोक्त सीटिकाई विद्य कचारी क्लोजर सीटिकाई एम्स इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो संयुक्त-संचालक (ख.प्र.) संचालनालय, भूमिखी तथा खनिज, नवा रायपुर कटल नगर के डायन क्र. 1008/खनिज/न.प्र.अनुमोदन/न.क्र.04/2018(2) नवा रायपुर, दिनांक 15/03/2023 द्वारा अनुमोदित है।
- 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान - कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-रायपुर के डायन क्रमांक 851/ख.लि./न.क्र./2023/ रायपुर, दिनांक 10/05/2023 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 44 खदानें, क्षेत्रफल 74.642 हेक्टेयर है।
- 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं - कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-रायपुर के डायन क्रमांक 851/ख.लि./न.क्र.

/2023 रायपुर, दिनांक 08/08/2023 द्वारा जारी प्रथम पत्र अनुसार एक छदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, पुल, नदी, रेल लाईन, अस्पताल, स्कूल, एनीकल बांध एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है। सामंतीय नहर 200 मीटर की परिधि की भीतर स्थित है।

6. भूमि एवं लीज का विवरण – भूमि एवं लीज बीमारी राजकीय वर्षों के नाम पर है। लीज क्षेत्र 10 वर्ष अवधि दिनांक 22/01/2011 से 21/01/2021 तक की अवधि हेतु वैध थी। तात्काली लीज क्षेत्र 20 वर्ष अवधि दिनांक 22/01/2021 से 21/01/2041 तक की अवधि हेतु विस्तारित की गई है।
7. डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट – वर्ष 2018 की डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
8. वन विभाग का अनुमति प्रमाण पत्र – प्रस्तुतीकरण की दौरान परिवोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि वन विभाग से अनुमति प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु उप-संचालक (खनि प्रदा), जिला-रायपुर द्वारा कार्यालय वनमण्डलधिकारी, रायपुर वनमण्डल, रायपुर को आवेदन दिनांक 08/08/2023 को प्रेषित किया गया है।
9. महापूर्य संरचनाओं की दूरी – निकटतम आबादी ग्राम-मुठ 3 कि.मी., स्कूल ग्राम-मुठ 3 कि.मी. एवं अस्पताल मुठ 1.79 कि.मी की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 227 कि.मी. एवं राजमार्ग 48 कि.मी. दूर है। जलसंधि 3 कि.मी. एवं नहर 84 मीटर की दूरी पर स्थित है।
10. परिसिध्दिकीय/जीवसिध्दिकता संवेदनशील क्षेत्र – परिवोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, जलवालय, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्लिफली पील्यूटेड एरिया, परिसिध्दिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जीवसिध्दिकता क्षेत्र स्थित नहीं होने प्रमाणित किया है।
11. खनन संघदा एवं खनन का विवरण – जियोलॉजिकल रिजर्व 1,84,300 टन एवं आईनेबल रिजर्व 83,247 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 2,481 वर्गमीटर है। खनन कार्ट सेमी मैटेनार्डिज्ड विधि से खनन किया जाता है। खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 18 मीटर है। लीज क्षेत्र में खपरी मिट्टी की मोटाई 4 मीटर है तथा कुल गांवा 3,180 घनमीटर है। बीच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। छदान की संभावित आयु 5 वर्ष है। डिज़ींग एवं कंट्रोल स्टाबिलिंग किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का सिंक्रलन किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित खनन का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	प्रस्तावित खनन (टन)
प्रथम	18,727.5
द्वितीय	18,812.5
तृतीय	18,717.5
चतुर्थ	18,725.0
पंचम	18,165.0

12. जल आपूर्ति – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 4 घनमीटर प्रतिदिन होती है। जल की आपूर्ति भू-जल से माध्यम से की जाती है। इस कार्य सेक्टर सार्वजनिक वीटर अथॉरिटी की अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।

13. कृषारोपण कार्य – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 400 नम कृषारोपण किया जाएगा।

14. खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उल्खन – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी का कुल क्षेत्रफल 2,481 वर्गमीटर क्षेत्र है, जिसमें से 703 वर्गमीटर क्षेत्र 11 मीटर की गहराई तक एवं 822 वर्गमीटर क्षेत्र 7 मीटर की गहराई तक उल्खित है जिसका उल्लेख अनुमोदित स्वामी प्लान में किया गया है। प्रोपोजीट 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में उल्खन किया जाना पर्यावरणीय स्थैर्यता की शर्तों का उल्लंघन है। अतः परियोजना प्रस्तावक को विस्तृत खनिज विभाग द्वारा अतिरिक्त उल्खन किये जाने हेतु अर्बदमक राशि रुपये 1,21,000 लगाया गया था, जिसकी परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 27/01/2023 द्वारा अर्बदमक राशि रुपये 1,21,000 खनिज विभाग में जमा की गई है।

15. समिति द्वारा डॉ.एम.एल. साईल के माध्यम से गूगल अर्थ से देखने पर पता चला कि लीज क्षेत्र के भीतर अंतर का कुछ भाग (अर्ध) स्थापित है, जिसका क्षेत्रफल 350 वर्गमीटर है। उक्त अंतर का कुछ भाग 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में अवस्थित है। समिति का मत है कि अंतर को 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी से हटाने हेतु संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

16. पर्यावरणीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा नीचे उल्लेखित प्रोवैडेंस हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई हैं। शर्तें क्रमांक 16(a) के अनुसार:-

"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

उक्त मानक शर्तों के अनुसार माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े सीमा पट्टी में कृषारोपण किया जाना आवश्यक है।

17. माननीय एन.जी.टी., डिस्ट्रिक्ट लेवल, नई दिल्ली द्वारा सर्वोच्च पारंपरिक विस्तृत भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (इंटरिजमल एडिजिटेशन नं. 188 ऑफ 2018 एवं अन्य) में दिनांक 13/08/2018 को पत्रित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्दिष्ट किया गया है:-

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

- v. Project proponent shall submit the top soil management plan & incorporate the details in the EIA report.
- vi. Project Proponent shall submit an undertaking that the top soil would be stacked at the earmarked place and shall use the same in plantation and backfilling of the mined out area.
- vii. Project proponent shall submit an affidavit for commitment to the public (Objections/suggestions raised by public) during Public Hearing.
- viii. Project proponent shall ensure that mining lease area to be demarcated by erection of boundary pillars at all corner and area to be fenced.
- ix. Project proponent shall submit an affidavit stating that no harm, no damage and no contamination shall be committed to nearby water bodies.
- x. Project proponent shall submit the details of pollution control arrangement in crusher.
- xi. EIA study shall be done at minimum 12 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.
- xii. Project proponent shall submit the copy of panchrama and photographs of every monitoring station.
- xiii. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.
- xiv. The project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of Notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the direction given by Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Common Cause vs Union of India order dated 02.08.2017.
- xv. Project proponent shall complete the restoration of 7.5 meter width of mine lease periphery as much as possible & complete plantation alongwith photographs and incorporate in the EIA report.
- xvi. Project proponent shall submit layout map earmarking 7.5 meter of mine lease periphery & previously mined out area in safety zone, calculation of mined out area and remedial measures for development of greenbelt in 7.5 meter wide all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. Project proponent shall submit the remedial measures for mining activity carried out in the past in safety zone and incorporate the details in the EIA report.
- xvii. Project proponent shall undertake plantation within the mining lease area as per guidelines issued from time to time and particularly in the 7.5 meter safety zone area of minimum 05 feet height and shall maintain 80% survival rate. The plantation shall be maintained by project proponent for atleast 5 years. Project proponent shall submit half yearly reports regarding compliance to the Authority. The details to be submitted alongwith Geotag photographs in the EIA report.
- xviii. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintenance cost for atleast 5 years & incorporate the details in the EIA report.

प्रतिकल्प द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकल्प पर प्रतिकल्पन की दिनांक 04/08/2023 को संघन 152वीं बैठक में विचार किया गया। प्रतिकल्पन द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। प्रतिकल्पन द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्मति से समिति की अनुमति को स्वीकार करते हुए उपरोक्तानुसार टर्न ऑफ रेकॉर्डिंग (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई सहित) जारी करने का निर्णय लिया गया। साथ ही समिति द्वारा अनुमति अतिरिक्त टीओआर को शर्त में निम्न संशोधन किया गया:-

5(i) "Project proponent shall submit the NOC from DFO, forest department mentioning distance between mine lease boundary to forest boundary." के स्थान पर 5(i) "Project proponent shall submit the NOC from forest department at the time of submission of draft EIA, mentioning distance between mine lease boundary to forest boundary & also mentioning the number of trees (alongwith tree species) present within the lease area." पढ़ा जाये।

5(iv) "Project proponent shall submit the revised approved mining plan by removing the crusher from the 7.5 meter wide boundary strip." के स्थान पर 5(iv) "Project proponent shall submit the revised approved mining plan by removing the crusher from the 7.5 meter wide boundary strip, at the time of submission of draft EIA." पढ़ा जाये।

साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि:-

- (1) (i) माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उल्लंघन के कारण इस क्षेत्र के उपचार उपायों (Remedial Measures) के संघर्ष में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माइनिंग क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों तथा वृक्षारोपण आदि को लिये समुचित उपायों बाबत संघालय, संघालनालय, भूमिहीन तथा सैनिक, इलाक़ी मजद, नया रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) को पत्र लिख किया जाए।
- (ii) प्रतिकल्पित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में किये गए उल्लंघन किया जाना पाने जाने पर परिशोधन प्रस्तावक को विवेक नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु संघालय, संघालनालय, भूमिहीन तथा सैनिक को पत्र लिख किया जाए।
- (iii) माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उल्लंघन से पर्यावरण को हानि होने के कारण छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रायपुर अटल नगर को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु पत्र लिख किया जाए।
- (2) पूर्व में जारी पर्यावरणीय एकीकृति का बालन इतिवेदन एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नया रायपुर अटल नगर से भेजा जाने हेतु पत्र लिख किया जाए।

परिशोधन प्रस्तावक को टर्न ऑफ रेकॉर्डिंग (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई सहित) जारी किया जाए। साथ ही संघालय, संघालनालय, भूमिहीन तथा सैनिक, इलाक़ी मजद, नया रायपुर अटल नगर एवं छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रायपुर अटल नगर तथा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नया रायपुर अटल नगर को पत्र लिख किया जाए।



13. मैसूर नरदहा लाईन स्टेशन क्वारी (जे.- बी एच. एस. अर्दीघ), घास-नरदहा, तहसील-आरंग, जिला-रायपुर (सविधान्य का नक्का क्रमांक 2083)

लाइनलाईन आवेदन - प्रयोजन नम्बर - एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 78288/ 2022 दिनांक 13/08/2022 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत आवेदन में कमिटी होने से ज्ञान दिनांक 23/08/2022 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्दिष्ट किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 17/10/2022 को लाइनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण - यह पुरी से संबंधित कृष पत्थर (सीन खनिज) खदान है। खदान घास-नरदहा, तहसील-आरंग, जिला-रायपुर किल्ला पार्ट डीक खसत क्रमांक-1997, कुल क्षेत्रफल-1.214 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित राखण्य समता-16,000 टन प्रतिवर्ष है।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञान दिनांक 08/12/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण -

(ख) समिति की 440वीं बैठक दिनांक 08/12/2022।

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक को पत्र दिनांक 08/12/2022 द्वारा सूचना दी गयी है कि वांछित जानकारी अपूर्ण होने के कारण से समिति को समस्त बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः आगामी आवेदित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा राखण्य सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को पुरी में बाकी गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्दिष्ट किया जाए।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञान दिनांक 03/02/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ग) समिति की 431वीं बैठक दिनांक 10/02/2023

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक को पत्र दिनांक 10/02/2023 द्वारा सूचना दी गयी है कि वांछित जानकारी अपूर्ण होने के कारण आज बैठक में प्रस्तुतीकरण दिया जाना संभव नहीं है। अतः आगामी आवेदित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा राखण्य सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को पुरी में बाकी गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्दिष्ट किया जाए।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञान दिनांक 06/06/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(घ) समिति की 470वीं बैठक दिनांक 14/06/2023

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक को पत्र दिनांक 14/06/2023 द्वारा सूचना दी गयी है कि वांछित जानकारी अपूर्ण होने के कारण से समिति को समस्त बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है।

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परिवोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 28/02/2023 द्वारा सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों से समिति के सम्बन्धित बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः अंशदानी बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा तत्काल सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परिवोजना प्रस्तावक को पूर्व में पानी गई अधिष्ठित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदनुसार परिवोजना प्रस्तावक को एम.ई.ए.सी. अतीसमय के आयन दिनांक 08/08/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(8) समिति की 470वीं बैठक दिनांक 14/08/2023

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परिवोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 14/08/2023 के माध्यम से सूचना दी गयी है कि आवेदन में तकनीकी त्रुटि होने के कारण आवेदन को निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया। समिति द्वारा अनुरोध को मान्य किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्मति से परिवोजना प्रस्तावक के अनुरोध को स्वीकार करते हुए आवेदित प्रकरण को डि-लिस्ट/निरस्त किये जाने की अनुमति की गई तथा ई.आई.ए. नोटिफिकेशन 2008 (यथा संशोधित) के तहत पालन करते हुए पुनः आवेदन करने की अनुमति की गई।

प्रतिकरण द्वारा बैठक में विचार - उपरोक्त प्रकरण पर प्रतिकरण की दिनांक 04/08/2023 को सम्मन 182वीं बैठक में विचार किया गया। प्रतिकरण द्वारा पानी/अन्य/दस्तावेज का अवलोकन किया गया। प्रतिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्मति से समिति की अनुमति को स्वीकार करते हुए आवेदन को डि-लिस्ट / निरस्त करने का निर्णय लिया गया। साथ ही प्रस्ताव को वर्तमान में प्राप्त प्रारूप में पत्राचार डि-लिस्ट / निरस्त किया जाता है तथा परिवोजना प्रस्तावक को यह सूचना दिया जाता है कि वह भवत सकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी ईआईए अधिसूचना, 2008 (यथा संशोधित) एवं समय-समय पर जारी गाईडलाइन्स के अनुसार आवेदन प्रस्तुत किया जाए।

परिवोजना प्रस्तावक को तदनुसार सूचित किया जाए।

15. मेसर्स अलंकार स्टील प्राइवेट लिमिटेड, युनिट-1 (आवरेक्टर- श्री राज कुमार अग्रवाल), जी.ई. रोड, टाटीक, जिला-रायपुर (संविधान का पानी क्रमांक 2272)

ऑनलाईन आवेदन - प्रोजेक्ट नंबर - एमआईए/ सीजी/ आईएनबी/ 414787/ 2023, दिनांक 17/01/2023 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण - परिवोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित कार्यक्षेत्र के तहत खसरा नं. 88/3(पट्टी), जी.ई. रोड, टाटीक, जिला-रायपुर, कुल क्षेत्रफल-0.847 हेक्टेयर में नि -रील स्टील प्रोसेसिंग क्षमता-30,000 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष के लिए टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है। परिवोजना का कुल विनियोग रुपये 45 करोड़ होगी।

तदनुसार परिवोजना प्रस्तावक को एम.ई.ए.सी. अतीसमय के आयन दिनांक 22/02/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण -

(30) समिति की 453वीं बैठक दिनांक 01/03/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परिचोजना प्रस्तावक को यह दिनांक 01/03/2023 द्वारा सूचना दी गयी है कि अपेक्षित कार्रवाई के आज बैठक में प्रस्तुतीकरण दिया जाना संभव नहीं है। आगे आनाभी अपेक्षित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परिचोजना प्रस्तावक को पूर्व में जारी गई शर्तित जानकारी एवं समस्त सुझावत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिने जाने हेतु निर्दिष्ट किया जाए।

तदनुसार परिचोजना प्रस्तावक को एस.आई.ए.सी. अतीरुनद के द्वारा दिनांक 08/08/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(31) समिति की 470वीं बैठक दिनांक 14/08/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परिचोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 14/08/2023 को समय से सूचना दी गयी है कि आवेदन में त्रुटि होने के कारण आवेदन को निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया। समिति द्वारा अनुरोध को मान्य किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श तत्सम सर्वसम्मति से परिचोजना प्रस्तावक के अनुरोध को स्वीकार करते हुए अपेक्षित प्रकल्प को डि-लिस्ट/निरस्त किये जाने की अनुमति की गई तथा ई.आई.ए. नोटिफिकेशन 2008 (यथा संशोधित) के तहत पालन करते हुए पुनः आवेदन करने की अनुमति की गई।

प्रतिकरण द्वारा बैठक में विचार - अपेक्षित प्रकल्प पर प्रतिकरण की दिनांक 04/08/2023 को समय 182वीं बैठक में विचार किया गया। प्रतिकरण द्वारा नस्ती/जानकारी/दस्तावेज का अवलोकन किया गया। प्रतिकरण द्वारा विचार विमर्श तत्सम सर्वसम्मति से समिति की अनुमति को स्वीकार करते हुए आवेदन को डि-लिस्ट / निरस्त करने का निर्णय लिया गया। साथ ही प्रस्ताव को वर्तमान में जहां प्रकल्प में अद्यतन डि-लिस्ट / निरस्त किया जाता है तथा परिचोजना प्रस्तावक को यह सूचना दिया जाता है कि वह मासिक सरकार, मर्यादित, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना, 2008 (यथा संशोधित) एवं समय-समय पर जारी गाईडलाइन्स के अनुसार आवेदन प्रस्तुत किया जाए।

परिचोजना प्रस्तावक को तदनुसार सूचित किया जाए।

18. बैंगल जलकार स्टील प्राइवेट लिमिटेड (युनिट-2), जी.ई. रोड, टाटीकंध, जिला-रायपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2275)

ऑनलाईन आवेदन - प्रकल्प नम्बर - एस.आई.ए./ सी.जी./ आईएनडी/ 414896/2023, दिनांक 17/01/2023 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण - परिचोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित कारखाना के तहत खसरा नं. 35/अ/गटी, जी.ई. रोड, टाटीकंध, जिला-रायपुर, कुल क्षेत्रफल-0.847 हेक्टेयर में रि-रोल स्टील प्रोडक्शन क्षमता-30,000 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष के लिए टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है। परिचोजना का कुल विनियोग रुपये 3 करोड़ होगी।

तदनुसार परिषोजना प्रस्तावक को एच.ई.ए.सी., जलसमग्र के ज्ञान दिनांक 22/02/2023 द्वारा अनुमोदित हेतु सूचित किया गया।

बैठकी का विवरण –

(अ) समिति की 453वीं बैठक दिनांक 01/03/2023:

अनुमोदित हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परिषोजना प्रस्तावक के यह दिनांक 01/03/2023 द्वारा सूचना दी गयी है कि अनिर्धार्य कारणों से आज बैठक में अनुमोदित दिष्ट जाना संभव नहीं है। अतः आगामी आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा तत्काल सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परिषोजना प्रस्तावक को पूर्व में जारी गई पत्रिका जानकारी एवं सफल सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित अनुमोदित दिष्ट जाने हेतु निर्दिष्ट किया जाए।

तदनुसार परिषोजना प्रस्तावक को एच.ई.ए.सी., जलसमग्र के ज्ञान दिनांक 06/06/2023 द्वारा अनुमोदित हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 470वीं बैठक दिनांक 14/06/2023:

अनुमोदित हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परिषोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 14/06/2023 के माध्यम से सूचना दी गयी है कि आवेदन में तकनीकी त्रुटि होने के कारण आवेदन को निरस्त किन्ने जाने का अनुरोध किया गया। समिति द्वारा अनुरोध को मान्य किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श जलसमग्र सर्वसम्मति से परिषोजना प्रस्तावक को अनुरोध को स्वीकार करते हुए आवेदित प्रकरण को कि-लिस्ट/निरस्त किन्ने जाने की अनुमति की गई तथा ई.आई.ए. नोटिफिकेशन 2008 (ध्या संशोधित) के तहत चलाने कर्तव्य हुए पुनः आवेदन करने की अनुमति की गई।

प्रतिक्रमा द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्रतिक्रमा की दिनांक 04/06/2023 को ज्ञान 152वीं बैठक में विचार किया गया। प्रतिक्रमा द्वारा जारी/अनुमोदित/दस्तावेज का अवलोकन किया गया। प्रतिक्रमा द्वारा विचार विमर्श जलसमग्र सर्वसम्मति से समिति की अनुमति को स्वीकार करते हुए आवेदन को कि-लिस्ट / निरस्त करने का निर्णय लिया गया। साथ ही प्रस्ताव को परामर्श में प्राप्त प्रारंभ में यथावत् कि-लिस्ट / निरस्त किया जाता है तथा परिषोजना प्रस्तावक को यह सुझाव दिया जाता है कि यह भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना, 2008 (ध्या संशोधित) एवं समय-समय पर जारी गाईडलाइन्स के अनुसार आवेदन प्रस्तुत किया जाए।

परिषोजना प्रस्तावक को तदनुसार सूचित किया जाए।

17. वेल्स जॉर्ज स्टोन ज्वारी (ओ- सी बांके बिहारी अजवाब), धाम-जॉर्ज, तहसील व जिला-सुरजपुर (सचिवालय का नसीब क्रमांक 2024)

ऑनलाइन आवेदन – जमाकाल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एनआईए/ 277810/2022, दिनांक 10/06/2022 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व में संघालित सहायक पथर (सीम खनिज) खदान है। ग्राम-लांही, तहसील व जिला-सुरजपुर विधात खदान क्रमांक 1236 एवं 1237, कुल क्षेत्रफल-0.38 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता-2,581 टन (892.8 घनमीटर) प्रतिवर्ष है।

सद्वानुसार परियोजना प्रस्तावक को एच.ई.ए.सी. कालीभगद की दायन दिनांक 10/10/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 428वीं बैठक दिनांक 17/10/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री अश्विन टेम्बेकर, अधिवक्ता प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा लाठी, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई-

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण-

- पूर्व में पथर खदान खमता क्रमांक 1236 एवं 1237, कुल क्षेत्रफल-0.38 हेक्टेयर, क्षमता-892.8 घनमीटर (2,581 टन) प्रतिवर्ष हेतु जिला सार्वीय पर्यावरण सभाघात निर्धारण प्रविधान, जिला-सुरजपुर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 13/03/2017 को जारी की गई। यह स्वीकृति जारी दिनांक से 3 वर्ष तक की अवधि हेतु वैध थी।
- परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी को पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है। समिति का मत है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, राजपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
- निर्धारित सर्वानुसार 100 नम नमूनालेपन किया गया है।
- कार्यालय कलेक्टर (खनिज सख्य), जिला-सुरजपुर को दायन क्रमांक 311/खनिज/2022 सुरजपुर, दिनांक 18/02/2022 द्वारा जारी द्यान पत्र अनुसार विगत वर्ष में किन्हे गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है-

वर्ष	उत्पादन (घनमीटर)	उत्पादन (टन)
2017	450	1,170
2018	455	1,183
2019	738	1,914
2020	278	720
दिनांक 01/01/2021 से 30/09/2021 तक	निरंक	निरंक

नोट: जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 12/03/2020 की समिति की परधान उत्खनन कार्य बंद है।

- ग्राम पंचायत का अनुपलित प्रमाण पत्र – उत्खनन की संबंध में ग्राम पंचायत लांही का दिनांक 21/07/2022 का अनुपलित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
- उत्खनन योजना – जारी प्लान एलीव विंग लाठी कालीभगद विंग इन्डस्ट्रीमीट मेनेजमेंट प्लान प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकाारी, जिला-सुरजपुर

के ज्ञान क्रमांक 71/खनिज/2018 सूरजपुर, दिनांक 09/01/2017 द्वारा अनुमोदित है।

4. 500 मीटर की परिधि में निम्न खदान – कार्यालय कलेक्टर (खनिज सार्व), जिला-सूरजपुर के ज्ञान क्रमांक 8389/खनिज/2021 सूरजपुर, दिनांक 10/02/2020 के अनुसार अर्जित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या शून्य है।
5. 200 मीटर की परिधि में निम्न सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं – कार्यालय कलेक्टर (खनिज सार्व), जिला-सूरजपुर के ज्ञान क्रमांक 8389/खनिज/2021 सूरजपुर, दिनांक 10/02/2020 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मठ, अस्पताल एवं रेल लाईन आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
6. भूमि एवं लीज का विवरण – भूमि एवं लीज की बांटे बिहारी अथवाल के नाम पर है। लीज डीठ 10 वर्षी अर्जाद दिनांक 14/09/2000 से 13/09/2010 तक की अवधि हेतु केब की। लीज डीठ का प्रथम नवीनीकरण दिनांक 14/09/2010 से 13/09/2020 तक की अवधि हेतु केब की। उत्पन्नगत लीज डीठ 10 वर्षी अर्जाद दिनांक 14/09/2000 से 13/09/2020 तक की अवधि हेतु विलयित की गई है।
7. डिमंड्रीस्ट वर्क रिपोर्ट – वर्ष 2018 की डिमंड्रीस्ट वर्क रिपोर्ट (Demand Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
8. वन विभाग पर अनामजित प्रमाण पत्र – कार्यालय वनसंरक्षक(कडी), सूरजपुर वनसंरक्षक, जिला-सूरजपुर के ज्ञान क्रमांक/भा.पि./591 सूरजपुर, दिनांक 09/02/2021 से जारी अनामजित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
9. महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी – निकटतम आबादी ग्राम-बेलदुकरे 810 मीटर, स्कूल ग्राम-जांजी 850 मीटर एवं अस्पताल सूरजपुर 4 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 28 कि.मी. एवं राजमार्ग 22.15 कि.मी. दूर है। खनन नदी 1.7 कि.मी., नहर 1.12 कि.मी. एवं मौसमी नाला 1.35 कि.मी. दूर है। वन्यता रिजर्व फॉरेस्ट 1.2 कि.मी. की दूरी पर है।
10. पारिस्थितिकीय/जैववैविध्यता संवेदनशील क्षेत्र – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राष्ट्रीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान निदेशक बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉइन्टेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैववैविध्यता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिबंधित किया है।
11. खनन संघटा एवं खनन का विवरण – अनुमोदित खारी प्लान अनुसार जिओलॉजिकल रिजर्व 71,825 टन, हाईनेबल रिजर्व 27,063 टन एवं निकलनेबल रिजर्व 34,367 टन है। वर्तमान में जिओलॉजिकल रिजर्व 68,280 टन एवं निकलनेबल रिजर्व 19,367 टन शेष है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 2,382 वर्गमीटर है। खनन कार्ट सेमी पैकेटाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। भू-तल से उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 8 मीटर है एवं पहाड़ी क्षेत्र की औसत ऊंचाई 2.5 मीटर है। लीज क्षेत्र में खारी मिट्टी की मोटाई 1 मीटर है तथा कुल मात्रा 2,833.13 घनमीटर है, जिसमें से 828 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को सीमा पट्टी

(7.5 मीटर) में वृद्धिकार कुआरीयन के लिए उपयोग तथा बीच वाली मिट्टी 1,305.13 वर्गमीटर को लीज क्षेत्र में बाह्य महत्वति प्राप्त भूमि (खसरा क्रमांक 1084, क्षेत्रफल 0.348 हेक्टेयर) में सम्भारित कर संरक्षित किया जाएगा। बीच की चौड़ाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 10 वर्ष से अधिक है। लीज क्षेत्र में जलर स्थिति नहीं है एवं इसकी स्थापना का प्रस्ताव नहीं किया गया है। जैक हेमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लरिंग किया जाता है। खदान में जल प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का सिंचकान जाता है। सर्वेयर प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है-

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)	वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	1,170	षष्ठम	1,560
द्वितीय	1,183	सप्तम	1,569
तृतीय	2,202.88	अष्टम	2,126.6
चतुर्थ	2,361	नवम	2,526
पंचम	2,402.4	दशम	2,561

12. जल आपूर्ति - परिषेजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 1.92 घनमीटर प्रतिदिन होती है। जल की आपूर्ति घाम संयंत्र द्वारा टैंकर एवं बोलेल के माध्यम से की जाती है। इस बाबत घाम संयंत्र का प्रस्तावित प्रथम पत्र एवं सेक्टर सारलक बोर्डर अथॉरिटी से अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।

13. कुआरीयन कार्य - लीज क्षेत्र की सीमा में घातों और 7.5 मीटर की पट्टी में 210 नम कुआरीयन किया जाएगा। खानान में 100 नम कुआरीयन किया गया है, बीच 110 नम कुआरीयन किया जाना प्रस्तावित है। परिषेजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र की भीतर पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के तहत निम्नानुसार कार्य प्रस्तावित है-

विवरण	प्रथम (रुपये)	द्वितीय (रुपये)	तृतीय (रुपये)	चतुर्थ (रुपये)	पंचम (रुपये)	
प्रदूषण नियंत्रण हेतु परिवहन के दौरान सड़की/पट्टी मार्ग से उत्पन्न धूल उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु जल सिंचकान	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	
खदान की बाउण्ड्री में (110 नम) कुआरीयन हेतु	कुआरीयन हेतु राशि	1,100	-	-	-	-
	परिसिंग हेतु राशि	40,000	-	-	-	-
	खाद हेतु राशि	5,250	5,250	5,250	5,250	5,250
	मिथाई एवं रस-रखाव हेतु राशि	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000
कुल राशि = 4,42,350	1,21,350	80,250	80,250	80,250	80,250	

14. खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन - लीज क्षेत्र की घातों और 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।

15. नैर माइनिंग क्षेत्र - लीज क्षेत्र में 108.7 वर्गमीटर क्षेत्र की चौड़ाई माइनिंग होने के कारण एवं 1.5 मीटर की गहराई के परतत 154.8 वर्गमीटर क्षेत्र की चौड़ाई कम होने के कारण कुल 303.5 वर्गमीटर क्षेत्र की नैर माइनिंग क्षेत्र रखा गया है। इसका उल्लेख अनुमोदित खानी प्लान में किया गया है।

16. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरोक्त निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
6.22	2%	0.12	Following activities at Government Primary School at, Village-Lanchi	
			Running Water Arrangement in Total	
			Water Tank (Plasto, 1,000L)	0.080
			Pipeline & Installation and accessories	0.075
Total			0.155	

17. सी.ई.आर. के तहत प्रस्तावित स्कूल की प्राचार्य (Principal) का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।
18. ऊपरी मिट्टी को सहमति प्राप्त कमीनरख भूमि (खसरा क्रमांक 1804, क्षेत्रफल 0.348 हेक्टेयर) में मजदारी कर संशोधित रखने, दुरुस्ती, विज्ञाप नहीं करने एवं अन्य कार्यों में उपयोग नहीं किये जाने तथा ऊपरी मिट्टी का उपयोग पुनर्भरण कार्य में किये जाने साथ ही निरीक्षणकर्ता / अधिकारी को उनके धर्म की दौरान मजदारी मिट्टी का निरीक्षण कनाये जाने बाबत समय पत्र प्रस्तुत किया गया है।
19. खदान से किसी भी प्रकार का दुर्मित जल (यदि सम्भव होता है तो) का प्रवाह किसी भी प्राकृतिक जल स्रोत, नाल, नदी, तालाब इत्यादि में प्रवाहित नहीं किये जाने एवं प्राकृतिक जल स्रोत, नाल, नदी, तालाब इत्यादि का संरक्षण किये जाने बाबत समय पत्र प्रस्तुत किया गया है।
20. कंट्रोल एक्सप्लोसिव का कार्य विस्फोटक लाइसेंस धारक (Explosive License Holder) द्वारा कराये जाने बाबत समय पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
21. परियोजना से जिन-जिन स्थलों से पड़ोसीय अड्डे उत्पन्न होगा, उन स्थलों पर निर्दिष्ट जल छिड़काव की व्यवस्था किये जाने बाबत समय पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
22. माइनिंग सीज क्षेत्र के अंदर एवं बाहर सख्त क्वारंटेन्स किये जाने एवं सीज क्षेत्रों का सरवाइवल रेट (Survival rate) 80 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत समय पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
23. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मिनरल्स कनसेशन नियम (Minerals Concession Rules) की तहत बावम्पूरी पिल्लर्स द्वारा सीमांकन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत समय पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

24. छातीकण्ठ आदर्श पुनर्जीव नीति के तहत स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु राज्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
25. परिवोजना प्रस्तावक द्वारा राज्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरुद्ध इस परिवोजना/दस्तावेज से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।
26. परिवोजना प्रस्तावक द्वारा राज्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/08/2017 के अंतर्गत कोई एअरपॉल्यूशन का प्रकरण लंबित नहीं है।
27. परिवोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी/दस्तावेज में निकटतम आबादी ग्राम-बेलदुक्की 810 मीटर बताया गया है, जबकि वास्तविक दूरी के दौरान दूरी 117 मीटर पाया गया है। इस संबंध में समिति का मत है कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) से निकटतम आबादी ग्राम-बेलदुक्की की वास्तविक दूरी की प्रामाणिक जानकारी मांगना आवश्यक है।

समिति द्वारा तत्काल सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था-

1. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नया रायपुर अटल नगर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
2. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) से निकटतम आबादी ग्राम-बेलदुक्की की वास्तविक दूरी की प्रामाणिक जानकारी प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त बंदिता जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यावली की जाएगी।

तदनुसार एआई.ए.सी., छातीकण्ठ के द्वारा दिनांक 28/11/2022 के परिधिष में परिवोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 03/08/2023 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

(ब) समिति की 470वीं बैठक दिनांक 14/08/2023:

समिति द्वारा नसी, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति आई गई-

1. परिवोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन हेतु एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नया रायपुर में आवेदन दिनांक 17/01/2023 किया गया है, जो आज दिनांक तक अप्रप्त है। साथ ही एआई.ए.सी. के द्वारा दिनांक 28/11/2022 के माध्यम से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन हेतु एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नया रायपुर को पत्र लेख किया गया है, जो कि अप्रप्त है।

परिवोजना प्रस्तावक द्वारा यह भी बताया गया कि उनके द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन हेतु क्षेत्रीय कार्यालय, छातीकण्ठ कार्यालय लखन मंडल, रायपुर में दिनांक 01/02/2023 एवं मुख्यालय

छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रायपुर अटल नगर में दिनांक 02/05/2023 को आवेदन किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा पालन प्रतिवेदन प्राप्त होने पर अनुमति किये जाने की शर्त के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने का अनुरोध किया गया है।

समवेत की अनुक्रम में समिति का मत है कि पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रायपुर अटल नगर को पत्र लेख किया जाए।

2. कार्यालय कलेक्टर (खनिज साखा), जिला-सुरजपुर के आचन क्रमांक 4463/खनिज/2023 सुरजपुर, दिनांक 31/03/2023 द्वारा जारी आचन पत्र अनुसार पत्थर खदान से निकलता आघाटी घास-बेलटीकरी की वारसाविक दूरी 500 मीटर से अधिक है।
3. सी.ई.आर. कार्ड एवं 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में कुआरोपम कार्ड के नीतिगत एवं परीक्षण हेतु वि-खीय समिति (जेमहईएल/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) सहित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में कुआरोपम का कार्ड पूर्ण किये जाने के उपरान्त सहित वि-खीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।
4. माननीय एन.जी.टी., डिस्ट्रिक्ट बैंक, नई दिल्ली द्वारा सर्वोद साफ्टवेयर विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन संकलन, नई दिल्ली एवं अन्य (अपरिजनात एलिमेंशन नं. 188 ऑफ 2018 एवं अन्य) में दिनांक 13/08/2018 को जारी आदेश में कुछ रूप से निम्नानुसार निर्दिष्ट किया गया है:-

- a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEMA as well as for cluster situation where ever it is not provided.
- b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज साखा), जिला-सुरजपुर के आचन क्रमांक 4389/खनिज/2021 सुरजपुर, दिनांक 10/02/2020 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर की भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरक है। आवेदित खदान (घास-आघी) का सतह 0.26 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिसर में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान की-2 श्रेणी की माने गयी।
2. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रायपुर अटल नगर से प्राप्त कर एन.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में अनिवार्य रूप से अनुमति करने की शर्त के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति की समीक्षा अनुमोदा की जाती है।
3. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से आवेदक - मैसर्स लॉबी स्टोन कार्बरी, (जे- बी बांस विहार अंचल) को ग्राम-लांवी, तहसील प जिला-सुरजपुर के खसना क्रमांक 1235 एवं 1237 में स्थित साधारण पत्थर (सीम

समिति) खदान, कुल क्षेत्रफल-0.36 हेक्टर, क्षमता-2.581 टन (262.8 घनमीटर) प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुमति की गई।

प्रतिक्रमण द्वारा बैठक में विचार - उपरोक्त प्रस्ताव पर प्रतिक्रमण की दिनांक 04/08/2023 को संयुक्त 452वीं बैठक में विचार किया गया। प्रतिक्रमण द्वारा नसी की अवलोकन किया गया। प्रतिक्रमण द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय किया गया-

1. समिति की अनुमति को सहीकार करती हुए मेसर्स लॉरी स्टोन कार्टी (प्री- बी ब्लॉक बिहारि अडवाल्स) को पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने का निर्णय किया गया। साथ ही समिति द्वारा निर्धारित नसी के अंतर्गत निहित किये गये नसी का वास्तव सुनिश्चित किया जाए। फलन नहीं किये जाने की स्थिति में विधिवत स्वयंसेवा की जाएगी।
2. पूर्ण में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का वास्तव प्रतिवेदन एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, मया राधपुर अटल नगर से प्राप्त कर प्रस्तुत किये जाने के उपरोक्त ही परिचालन प्रस्तावक को सतत पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त जारी किया जाए।
3. सी.ई.आर. के तहत प्रस्तावित कर्वा के कार्य पूर्ण उपरोक्त संबंधित स्कूल के प्राचार्य से कार्यपूर्ण प्रतिवेदन प्राप्त कर, डिप्टीटिंग ऑफिसर लॉरीन जलकारी आंचारीक रिपोर्ट में सम्मिलित किये जाने केवल समय पर (timely undertaking) प्राप्त कर प्रस्तुत किये जाने के उपरोक्त ही परिचालन प्रस्तावक को सतत पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त जारी किया जाए।

परिचालन प्रस्तावक को तदनुसार सूचित किया जाए।

18. मेसर्स अनागरी आर्किटेक्चर स्टोन कार्टी (प्री- बीमरी हेतु जायसवाल), ग्राम-अनागरी, तहसील-लखनपुर, जिला-सरगुजा (सचिवालय का नसी क्रमांक 2302)

ऑनलाईन आवेदन - प्रवेदन नम्बर - एसआईए/ सीजी/ एनआईए/ 417298/2023, दिनांक 07/02/2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित संधारण पथ (मीन सन्निज) खदान है। खदान ग्राम-अनागरी, तहसील-लखनपुर, जिला-सरगुजा जिला खसरा क्रमांक-137/29 एवं 1055/2, कुल क्षेत्रफल-1.792 हेक्टर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता-18.737 टन (8.188.75 घनमीटर) प्रतिवर्ष है।

तदनुसार परिचालन प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी, फर्नीचमड के द्वारा दिनांक 24/03/2023 प्राप्त प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण -

(अ) समिति की 457वीं बैठक दिनांक 29/03/2023

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री नीरज कुमार जायसवाल, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नसी, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति आई गई-

1. पूर्ण में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण- इस खदान को पूर्ण में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।

2. **ग्राम पंचायत का अनाच्छिन्न प्रमाण पत्र** - उत्खनन के संकेत में ग्राम पंचायत अनाच्छिन्न का दिनांक 02/10/2021 का अनाच्छिन्न प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. **उत्खनन योजना** - कबरी प्लान, इन्फ्रस्ट्रक्चर डेवेलपमेंट प्लान एवं कबरी कलेक्टर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अखिलारी, जिला-रायगढ़ के पृ. प्रमाण क्रमांक 1819/ए ख.ति./स्था./2022 रायगढ़, दिनांक 27/12/2022 द्वारा अनुमोदित है।
4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** - कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-सरायुवा के प्रमाण क्रमांक 30/खनिज/ख.ति.1/2023 अखिलपुर, दिनांक 11/01/2023 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निम्न है।
5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** - कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-सरायुवा के प्रमाण क्रमांक 31/खनिज/ख.ति.1/2023 अखिलपुर, दिनांक 11/01/2023 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, माध्यम, पुल, नदी, रेल लाईन, अस्पताल, स्कूल, एनीकट बांध एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
6. **एल.ओ.आई. का विवरण** - एल.ओ.आई. श्रीमती रेनु जायसवाल के नाम पर है, जो कार्यालय कलेक्टर सरायुवा (खनिज शाखा) जिला-अखिलपुर के प्रमाण क्रमांक 815/खनिज/ख.ति.1/न.अ.33/2021 अखिलपुर, दिनांक 05/07/2022 द्वारा जारी की गई, जो एक वर्ष तक की अवधि हेतु वैध है।
7. **भू-स्वामित्व** - भूमि खसरा क्रमांक 137/29 की बुद्दु भी राम फल, श्री नईरन एवं सुधी टीनर तथा खसरा क्रमांक 1066/2 की मोहन रामा मल्ल के नाम पर है। उत्खनन हेतु भूमि स्वामियों का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।
8. **डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट** - वर्ष 2018 की डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
9. **वन विभाग का अनाच्छिन्न प्रमाण पत्र** - कार्यालय जनाभ्युत्थानिकारी, सरायुवा जनाभ्युत्थान, अखिलपुर के प्रमाण क्रमांक/उत्ख.अधि./800 अखिलपुर, दिनांक 18/06/2022 से जारी अनाच्छिन्न प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन क्षेत्र की सीमा से 1.5 कि.मी. की दूरी पर है।
10. **नदालयपूर्ण संरचनाओं की दूरी** - निकटतम अबादी राम-अमरासी 475 मीटर, स्कूल राम-अमरासी 600 मीटर एवं अस्पताल लखनपुर 3 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 660 मीटर एवं राजमार्ग 38.6 कि.मी. दूर है। जलमय 100 मीटर, नहर 875 मीटर, सीमानी नाला 1.3 कि.मी. एवं रेल नदी 2.75 कि.मी. दूर है।
11. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** - परिसीमा प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, जनाभ्युत्थान, संघीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्लिटेकली पोल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिबंधित किया है।
12. **खनन संकेत एवं खनन का विवरण** - जियोलाजिकल निजर्य 2.68,112 टन, साइनेक्ल निजर्य 1,64,835 टन एवं मिक्चरिक्ल निजर्य 1,58,503 टन है। सीमा की 1.5 मीटर चौड़ी सीमा नदटी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 5.820 वर्गमीटर है। अंशकालिक सीमा रेखांकन विधि से उत्खनन किया

जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 8 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 0.28 मीटर है तथा कुल मात्रा 3,075 घनमीटर है, जिसमें से 1,671 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को 7.5 मीटर (बाईन बाउण्ड्री) क्षेत्र में संरक्षण कुआरेपन के लिए उपयुक्त किया जाएगा तथा शेष ऊपरी मिट्टी एवं ओवर बर्डन को लीज क्षेत्र की बाहर सहायति प्राप्त भूमि (खसरा क्रमांक 1113, संचय 0.308 हेक्टेयर) में नष्टकरित कर संकलित रखा जाएगा। लीज क्षेत्र में ओवर बर्डन की मोटाई 0.28 मीटर है तथा कुल मात्रा 3,075 घनमीटर है। क्षेत्र की चौड़ाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभवित आयु 30 वर्ष है। लेक इनर से डिड्रिंग एवं कोर्टोस क्लारिफिंग किया जाएगा। लीज क्षेत्र में उत्तर प्रस्तावित नहीं है। खदान में आयु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का उपकरण किया जाएगा। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	16,352
द्वितीय	16,873
तृतीय	16,737
चतुर्थ	16,388
पंचम	16,480

13. जल आपूर्ति - परिवर्तन हेतु आवश्यक जल की मात्रा 4.5 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति बोरोवेल के माध्यम से किया जाएगा। इस बाबजू सेन्ट्रल प्राइमरी वीटर अथॉरिटी से अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।
14. कुआरेपन कार्य - लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की गहराई में 1.118 नम कुआरेपन किया जाएगा। प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार पानी के लिए रकम 11,100 रुपये, सीडिंग के लिए रकम 1,00,000 रुपये, खाद के लिए रकम 65,800 रुपये, सिंचाई के लिए रकम 60,000 रुपये, रख-रखाव आदि के लिए रकम 1,00,000 रुपये इस प्रकार कुल रकम 3,16,900 रुपये प्रथम वर्ष हेतु एवं रख-रखाव हेतु कुल रकम 8,23,200 रुपये आगामी चार वर्षों हेतु घटकरवार मात्र का विवरण प्रस्तुत किया गया है।
15. खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा गहराई में उत्खनन - लीज क्षेत्र की चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा गहराई में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।
16. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) - परिवर्तन प्रस्तावक द्वारा सीईआर (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से वर्षीय प्रस्तुत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
16.93	2%	0.3966	Following activities at Village- Amgasi	
			Plantation at Village Pond	0.48
			Total	0.48

17. सी.ई.आर. के अंतर्गत तालाब पर (आम एवं जामुन) कृषारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 20 नए पीछे के लिए राशि 800 रुपये, केशिन के लिए राशि 2,500 रुपये, खाद के लिए राशि 1,000 रुपये तथा रक-रखाव आदि के लिए राशि 8,000 रुपये, इस प्रकार प्रत्येक वर्ष में कुल राशि 12,000 रुपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 48,000 रुपये हेतु सटकवान जय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्राप्त संशोधित जमगाती के अंतर्गत तालाब पर कृषारोपण (खसत क्रमांक 888, क्षेत्रफल 0.591 हेक्टेयर) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है। समिति का ध्यान है कि सी.ई.आर. के अंतर्गत तालाब पर कृषारोपण किये जाने बाबत प्राप्त पंचायत जमगाती का सहमति पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
18. जमीन मिट्टी को सीज क्षेत्र के बाहर भंडारित कर संरक्षित रखे जाने हेतु मिट्टी का दुरुपयोग न करने, विह्वल न करने एवं अन्य कार्यों में उपयोग नहीं किये जाने एवं इस मिट्टी का उपयोग पुनश्चत में किये जाने बाबत सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
19. एक्सप्लोसिव लाइसेंस धारक अधिकृत डिमांडर लाइसेंस धारक (Explosive License Holder) द्वारा कराये जाने बाबत सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
20. क्यूबिटीय बस्ट जलसर्जन के निर्माण हेतु निर्दिष्ट जल विकसल किये जाने बाबत सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
21. नाईनिंग सीज क्षेत्र के अंदर सभन कृषारोपण किये जाने एवं रोपित पीछे का सारवाइवल रेट (Survival rate) 80 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
22. अतीरुण्य आदर्श पुनर्वास नीति के तहत स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
23. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनिज मिट्टी के तहत बायस्कोपि विस्तर द्वारा सीमांकन कर कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
24. परियोजना प्रस्तावक द्वारा किसी भी प्रकार का दूषित जल का प्रवाह प्राकृतिक जल स्रोत, तालाब, नदी, खास में नहीं किये जाने एवं इसके संरक्षण किये जाने बाबत सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
25. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरुद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लभित नहीं है।
26. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना क्र.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई प्रस्तावना का प्रकरण लभित नहीं है।

समिति द्वारा उत्समय सार्वभूमि से निर्णय किया गया था कि सी.ई.आर. के अंतर्गत तालाब पर कृषारोपण किये जाने बाबत प्राप्त पंचायत जमगाती का सहमति पत्र प्रस्तुत किये जाने उपरोक्त आगामी कार्रवाही की जाएगी।

निर्णय किया गया। साथ ही समिति द्वारा निर्धारित शर्तों के अंतर्गत निहित किये गये शर्तों का पालन सुनिश्चित किया जाए। पालन नहीं किये जाने की स्थिति में विधिवत् कार्यवाही की जाएगी।

2. एल.ओ.आई. की केषत वृद्धि संबंधी जानकारी/दस्तावेज प्राप्त कर प्रस्तुत किये जाने के उपरान्त ही परियोजना प्रस्तावक को शर्तें पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र जारी किया जाए।
3. सी.ई.आर. के तहत प्रस्तावित कार्य के कार्य पूर्ण उपरान्त संबंधित ग्राम पंचायत के कार्यपूर्ण प्रतिवेदन प्राप्त कर विवेचन कोटेशन सहित जानकारी अधिसूचित रिपोर्ट में समाहित किये जाने के बाद राज्य पत्र (Notarized undertaking) प्राप्त कर प्रस्तुत किये जाने के उपरान्त ही परियोजना प्रस्तावक को शर्तें पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र जारी किया जाए।
4. उत्खनन हेतु आवंटित भूमि के भूमि स्वामियों के भूमि से संबंधित समस्त शर्तों की खा. भारत के समस्त नियमों के अंतर्गत पालन की जिम्मेदारी परियोजना प्रस्तावक की रहेगी, इस संबंध में राज्य पत्र (Notarized undertaking) प्राप्त कर प्रस्तुत किये जाने के उपरान्त ही परियोजना प्रस्तावक को शर्तें पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र जारी किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदनुसार सूचित किया जाए।

19. **पैदाई सुजाता मिनरला (प्री.- श्रीमती सुजाता काकलिया, रामपुर आईन स्टॉन कारी), ग्राम-रामपुर, तहसील-डोंगरगांव, जिला-राजनांदगांव (सकियासब का मसती क्रमांक 2071)**

ऑनलाइन आवेदन - प्रयोजन नम्बर - एसआईए/ सीसी/ एनआईएन/ 274703/2022, दिनांक 07/08/2022 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु ऑनलाइन आवेदन किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत आवेदन में कमिटी होने से कारण दिनांक 18/08/2022 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्दिष्ट किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा सशित जानकारी दिनांक 29/08/2022 को ऑनलाइन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित भूख पथर (पीन खनिज) खदान है। खदान ग्राम-रामपुर, तहसील-डोंगरगांव, जिला-राजनांदगांव स्थित खसरा क्रमांक 78/8, 78/10, 78/11, 78(घाटी), 439/2(घाटी) एवं 439/9, कुल क्षेत्रफल-1.207 हेक्टर पर में प्रस्तावित है। खदान की आवंटित उत्खनन क्षमता-10,000 टन (4,000 घनमीटर) प्रतिवर्ष है।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी, उत्तीर्णपत्र के कारण दिनांक 19/10/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण -

(अ) समिति की 431वीं बैठक दिनांक 28/10/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री रमेश काकलिया, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा मसती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई-

1. पूर्ण में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण- इस खदान को पूर्ण में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. ग्राम पंचायत का अनुरोध प्रमाण पत्र - उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत रामपुर का दिनांक 10/08/2022 का अनुरोध प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

1. **छात्रावास योजना** – खासी प्रान्त (पूर्वीय विद्युत् इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रान्त एवम् खासी कलेक्टर प्रान्त) प्रस्तुत किया गया है, जो संयुक्त-संचालक (स.स.) संचालनालय, भीमिरी तथा खनिज, नया रायपुर अटल नगर के द्वारा क्र. 2741/खनि.02/मापन/अनुमोदन/न.स.06/2018(1) तथा रायपुर, दिनांक 06/06/2022 द्वारा अनुमोदित है।
4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनि सार्व), जिला-राजनांदगांव के द्वारा क्रमांक 368/खनि.02/2022 राजनांदगांव, दिनांक 22/02/2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 4 खदानें, कुल क्षेत्रफल 3.72 हेक्टेयर हैं।
5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर (खनि सार्व), जिला-राजनांदगांव के द्वारा क्रमांक 369/खनि.02/2022 राजनांदगांव, दिनांक 22/02/2022 द्वारा खासी प्रान्त एवं अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, कालाट, अस्पताल, स्कूल, पुज, एसीकट, बांध एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र स्थित नहीं हैं।
6. **एल.जी.आई. का विवरण** – एल.जी.आई. नैसर्ग मुजता मिनरल्स पी.- बीमारी मुजता कारखाना के नाम पर है, जो कार्यालय कलेक्टर (खनि सार्व), जिला-राजनांदगांव के द्वारा क्रमांक 188/खनि.02/2022 राजनांदगांव, दिनांक 01/02/2022 द्वारा जारी की गई, जिसकी कक्षा जारी दिनांक से 1 वर्ष की अवधि तक है।
7. **भू-स्वामित्व** – भूमि खतरा क्रमांक 78/9, 78/10, 78(पार्ट), 439/2(पार्ट) एवं 439/8 की फल्टू राम एवं खतरा क्रमांक 78/11 की दुबु राम के नाम पर है। वसूली हेतु भू-स्वामियों का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।
8. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2018 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
9. **वन विभाग का अनुमोदित प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनसम्पदा अधिकारी, राजनांदगांव वनसम्पदा, जिला-राजनांदगांव के द्वारा क्र. 10/मापन/न.स. 10-1/2022/1806 राजनांदगांव, दिनांक 28/02/2022 से जारी अनुमोदित प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र निकटतम वन क्षेत्र की सीमा से 13.204 कि.मी. की दूरी पर है।
10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आवासीय ग्राम-रायपुर 460 मीटर एवं स्कूल ग्राम-रायपुर 1 कि.मी. अस्पताल अर्जुनी 6 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 3.6 कि.मी. एवं राजमार्ग 450 मीटर दूर है। सिलनाथ नदी 2.5 कि.मी. दूर है।
11. **पारिस्थितिकीय/जैववैविध्य संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, जैववैविध्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पोइन्ट्स एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैववैविध्य क्षेत्र स्थित नहीं होने प्रतिबंधित किया है।
12. **खनि संयंत्र एवं खनन का विवरण** – जियोमॉर्फिकल रिजर्व 1,81,050 टन, माइनेबल रिजर्व 44,688 टन एवं निकटतम 42,450 टन है। सीमा की 7.5 मीटर

घोड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 6,368 वर्गमीटर है। खोपन कार्य सभी मैकेनाइज्ड विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 7 मीटर है। सीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 1 मीटर है। बीच की ऊंचाई 3 मीटर एवं नीचाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 6 वर्ष है। सीज क्षेत्र में उत्खनन स्थापित किया जाना प्रस्तावित नहीं है। सीज क्षेत्र के डिजिटिंग एवं ब्लॉकिंग किया जाएगा। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का सिद्धाकार किया जाएगा। वर्षाजल प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है-

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	6,000
द्वितीय	6,000
तृतीय	10,000
चतुर्थ	9,500
पंचम	9,000

13. जल आपूर्ति - परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 8 कनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति कंपनी के माध्यम से की जाएगी। इस कार्य सेक्टर घातक सीटर अर्थात् सीटर की अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।
14. कुआरक्षण कार्य - सीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की गहराई में 1,000 मग कुआरक्षण किया जाएगा। समिति का मत है कि सीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में कुआरक्षण हेतु पीछे का रोपण, फेंसिंग, कार्य एवं सिंचाई तथा रख-रखाव के लिए 6 वर्षों का पर्याप्त कार्य का विवरण विस्तृत प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
15. खदान की 7.5 मीटर की घोड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन - सीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।
16. गैर माइनिंग क्षेत्र - खदान के कुछ क्षेत्र शकील (Shallow area) होने के कारण 2.168 वर्गमीटर क्षेत्र को गैर माइनिंग क्षेत्र रखा गया है, जिसका उल्लेख अनुमोदित माइनिंग प्लान में किया गया है। इस संबंध में समिति का मत है कि एक गैर माइनिंग क्षेत्र पर कुआरक्षण किये जाने संबंधी कार्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
17. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) - परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीईआर (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से पत्राचार के माध्यम से निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
40	2%	0.80	Following activities at Village- Rampur	
			Pavitra Van	2.76
			Nirman	
Total			2.76	

18. सी.ई.आर. के अंतर्गत 'परिवहन वन निर्माण' के तहत (अंतर्गत, बड़ा पीपल, गैर, आम, अर्जुन, बेल आदि) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 500 रकम पीपल के लिए राशि 38,000 रुपये, फॉसिंग के लिए राशि 20,000 रुपये, खाद, सिंचाई के लिए राशि 1,00,000 रुपये, तथा रकम-रखाव के लिए राशि 1,20,000 रुपये, इस प्रकार आगामी 5 वर्ष में कुल राशि 2,78,000 रुपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। सी.ई.आर. के तहत परिवहन वन हेतु वन पंचायत रामपुर के सहमति उपरोक्त पंचायत स्वाम (खसरा क्रमांक 115, क्षेत्रफल 0.404 हेक्टेयर) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।

समिति द्वारा उक्तनव सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. उपरोक्त मिट्टी के रकम-रखाव हेतु अपनी मिट्टी की मात्रा एवं प्रबंधन योजना प्रस्तुत किया जाए। साथ ही अपनी मिट्टी को लीज क्षेत्र के बाहर संदर्भित वन संरक्षित रखे जाने हेतु, मिट्टी का दुस्प्रयोग न करने, विकल्प न करने एवं अन्य कार्य में उपयोग नहीं किये जाने एवं इस मिट्टी का उपयोग पुनर्प्राप्त हेतु किये जाने बाबत सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
2. लीज क्षेत्र के घाटी और 7.5 मीटर की सीमा पर्टी में वृक्षारोपण हेतु पीपल, फॉसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रकम-रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किया जाए।
3. गैर माईनिंग क्षेत्र पर वृक्षारोपण हेतु पीपल, फॉसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रकम-रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किया जाए। साथ ही गैर माईनिंग क्षेत्र पर वृक्षारोपण हेतु सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
4. कटौत स्थायित्व किये जाने बाबत सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
5. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर सचन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पीपल का सावाइवल्स रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मिनेरल्स कनसेशन नियम (Minerals Concession Rule) के तहत बाजारपेठी मिलर्स द्वारा सीमांकन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
7. परियोजना प्रस्तावक द्वारा किसी भी प्रकार का दूषित जल का प्रवाह प्राकृतिक जल स्रोत, तालाब, नदी, नाला में नहीं किये जाने एवं इसके संरक्षण किये जाने बाबत सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
8. अतीसंग्रह आदर्श पुनर्वास नीति के तहत स्वनीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
9. परियोजना प्रस्तावक द्वारा अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया जाए कि उनके विरुद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायलयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में उचित नहीं है।
10. परियोजना प्रस्तावक द्वारा अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया जाए कि उसके विरुद्ध भारत सरकार, पर्वोत्थान, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की

अभिप्रेतना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लेखन का प्रकरण लभित नहीं है।

उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने पर्याप्त आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदनुसार एम.ई.ए.सी., फ्लोरीडागढ़ के ज्ञापन दिनांक 14/12/2022 के परिच्छेद में परिचीजन्य प्रस्तावक द्वारा दिनांक 03/02/2023 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

(ख) समिति की 450वीं बैठक दिनांक 09/02/2023-

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न निष्कर्ष प्राप्त हुए-

1. ऊपरी मिट्टी के रख-रखाव हेतु ऊपरी मिट्टी की मात्रा एवं प्रबंधन योजना प्रस्तुत नहीं किया गया है। ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के बाहर संबन्धित कर संबन्धित रखे जाने हेतु, मिट्टी का दुरुस्त्वोपयोग न करने, विक्रय न करने एवं अन्य कार्यों में उपयोग नहीं किये जाने एवं इस मिट्टी का उपयोग पुनर्स्थापन हेतु किये जाने बाबत सपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
2. लीज क्षेत्र की सीमा में बायी ओर 7.5 मीटर की घट्टी में 1,000 नम वृक्षारोपण किया जाएगा। प्रस्तुत प्रस्ताव अनुमान पौधों के लिए राशि 57,500 रुपये, बीसिंग के लिए राशि 20,000 रुपये, खाद एवं सिंचाई के लिए राशि 25,000 रुपये, रख-रखाव आदि के लिए राशि 24,000 रुपये, इस प्रकार कुल राशि 1,28,500 रुपये प्रथम वर्ष हेतु एवं रख-रखाव हेतु कुल राशि 1,93,750 रुपये आगामी घन वर्ष हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।
3. गैर माइनिंग क्षेत्र पर वृक्षारोपण हेतु पौधों का रोपण, बीसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख-रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत प्रस्ताव लभित प्रस्तुत नहीं किया गया है। साथ ही गैर माइनिंग क्षेत्र पर वृक्षारोपण हेतु सपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत नहीं किया गया है।
4. बाटोल वसतिगम किये जाने बाबत सपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
5. माइनिंग लीज क्षेत्र के अंदर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं लैबिल पौधों का सन्वर्धन रेट (Survival rate) 80 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत सपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
6. परिचीजन्य प्रस्तावक द्वारा मिनेरल्स कनसेशन नियम (Minerals Concession Rule) के तहत बाटण्डी मिल्लरी द्वारा सीमांकन कर कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत सपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
7. परिचीजन्य प्रस्तावक द्वारा किसी भी प्रकार का दूषित जल का प्रवाह प्राकृतिक जल स्रोत, तालाब, नदी, नाला में नहीं किये जाने एवं इसके संरक्षण किये जाने बाबत सपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
8. फ्लोरीडागढ़ आदर्श पुरस्कार पीसि के तहत स्थानीय लोगों को रोजगार किये जाने हेतु सपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत नहीं किया गया है।

9. परिशिष्ट-1 प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरुद्ध इस परिशिष्ट-1/खण्ड के संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।
10. परिशिष्ट-1 प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरुद्ध भारत सरकार, पश्चिम बंगाल और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना क्र. 24/2017 दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई खसरोपन का प्रकरण लंबित नहीं है।

समिति द्वारा उल्लेखित कार्यवाही के निम्नानुसार निर्णय लिया गया था—

1. ऊपरी मिट्टी के रख-रखाव हेतु ऊपरी मिट्टी की मात्रा एवं प्रबंधन योजना प्रस्तुत किया जाए।
2. गैर माइनिंग क्षेत्र पर वृक्षारोपण हेतु पीछे का रोड, सीटिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख-रखाव के लिए 5 वर्षों का पर्यवेक्षण खात का विवरण विस्तृत प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किया जाए। साथ ही गैर माइनिंग क्षेत्र पर वृक्षारोपण हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
3. जलसंधारण आदर्श पुनर्वास नीति के तहत स्थानीय स्तरों को संजमान दिष्ट करने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त संबंधित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरान्त आगामी कार्यवाही की जाएगी।

उपानुसार एच.ई.एसी, जलसंधारण के प्रारंभ दिनांक 16/03/2023 के परिधि में परिशिष्ट-1 प्रस्तावक द्वारा दिनांक 25/04/2023 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

(स) समिति की 470वीं बैठक दिनांक 14/08/2023:

समिति द्वारा यानी, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई—

1. लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 1 मीटर एवं मात्रा 3,000 घनमीटर है। इस ऊपरी मिट्टी को 7.5 मीटर क्षेत्र (उत्खनन के लिए अतिरिक्त क्षेत्र 8,388 घनमीटर) में फैलाकर वृक्षारोपण के लिए उपयोग किया जाएगा।
2. गैर माइनिंग क्षेत्र पर वृक्षारोपण हेतु 200 नग पीछे का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। उक्त प्रस्ताव अनुसार पीछे के लिए राशि 10,000 रुपये, सीटिंग के लिए राशि 20,000 रुपये, खाद एवं सिंचाई के लिए राशि 15,000 रुपये, रख-रखाव आदि के लिए राशि 24,000 रुपये, इस प्रकार कुल राशि 69,000 रुपये प्रस्ताव पर हेतु एवं रख-रखाव हेतु कुल राशि 1,82,000 रुपये आगामी चार वर्षों हेतु पर्यवेक्षण खात का विवरण प्रस्तुत किया गया है। साथ ही परिशिष्ट-1 प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है कि उनके द्वारा खदान के भीतर गैर माइनिंग क्षेत्र पर वृक्षारोपण किया जाएगा तथा न्यूनतम पांच वर्षों तक रख-रखाव किया जाएगा।
3. जलसंधारण आदर्श पुनर्वास नीति के तहत स्थानीय स्तरों को संजमान दिष्ट करने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

4. सीईआर कार्य एवं 7.5 हेक्टर की सीमा पर्यटन में कुलरोपण कार्य के सौमिस्ट्रिक एवं पर्यावरण हेतु त्रि-पक्षीय समिति (ग्रोपसईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या जलसंधारण पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सीईआर एवं 7.5 हेक्टर की सीमा पर्यटन में कुलरोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि-पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।

5. सार्वजनिक एन.जी.टी. डिस्चिज बेंच, नई दिल्ली द्वारा सर्वोच्च पर्यावरण विभाग भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (अतिरिक्त एपिसोडिक नं. 188 और 2018 एवं अन्य) में दिनांक 13/08/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:-

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. कार्पोरेट कलेक्टर (जमिं दाख) जिला-राजनांदगांव के जयपल जम्मांक 358/रा. ति.02/2022 राजनांदगांव, दिनांक 22/02/2022 के अनुसार आवंटित खदान की 500 मीटर की सीमा अंतर्गत 4 खदानें, कुल क्षेत्रफल 3.72 हेक्टेयर है। आवंटित खदान (ग्राम-रामपुर) का रकबा 1.207 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवंटित खदान (ग्राम-रामपुर) की मिलाकर कुल रकबा 4.927 हेक्टेयर है। खदान की सीमा की 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 6 हेक्टेयर का उससे कम होने के कारण यह खदान की-2 श्रेणी की शर्तों पर है।

2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से आदेशक - मेसर्स सुजाता मिनरल्स (प्री- सीमाई सुजाता इन्कलिया, रामपुर लाईन स्टोन क्वारी) को ग्राम-रामपुर तहसील-डीनगांव, जिला-राजनांदगांव के खसरा जम्मांक 78/8, 78/10, 78/11, 190/गरी, 438/20/गरी) एवं 438/9 में स्थित चूना पत्थर (नॉन खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल-1.307 हेक्टेयर, क्षमता-10,000 टन (4,000 घनमीटर) प्रथम हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुमति की गई।

प्रतिकरण द्वारा बैठक में विचार - उपरोक्त प्रकल्प पर प्रतिकरण की दिनांक 04/08/2023 को संपन्न 152वीं बैठक में विचार किया गया। प्रतिकरण द्वारा कर्तों का अवलोकन किया गया। प्रतिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-


1. समिति की अनुमति को स्वीकार करते हुए मेसर्स सुजाता मिनरल्स (प्री- सीमाई सुजाता इन्कलिया, रामपुर लाईन स्टोन क्वारी) को पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने का निर्णय किया गया। साथ ही समिति द्वारा निर्दिष्ट शर्तों के अंतर्गत निर्दिष्ट किये गये शर्तों का पालन सुनिश्चित किया जाए। पालन नहीं किये जाने की स्थिति में विधिकार्य कार्यवाही की जाएगी।

2. एन.जी.आई की कक्षा वृद्धि संबंधी जानकारी/दस्तावेज प्राप्त कर प्रस्तुत किये जाने के उपरांत ही परिशोधन दस्तावेज की सहाय पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र जारी किया जाए।

3. सी.ई.आर. के तहत अस्तमित कार्यों के कार्यों पूर्ण रूपतः संबंधित काम संघात से कार्यपूर्ण प्रतिवेदन प्राप्त कर, डिपार्टमेंट ऑफिसर सहित जनकारी आधिकारिक निधर्मों में समाहित किये जाने वाला सचय पत्र (Notarized undertaking) प्राप्त कर प्रस्तुत किन्हीं जाने के उपरान्त ही परियोजना प्रस्तावक को सार्वी पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त कानी विव्या जाए।

4. उत्खनन हेतु आवेदित भूमि के भूमि स्वामियों के भूमि के संबंधित समस्त हितों की रक्षा भारत के समस्त निधर्मों के अंतर्गत राज्य की जिम्मेदारी परियोजना प्रस्तावक की रहेगी, इस संबंध सचय पत्र (Notarized undertaking) प्राप्त कर प्रस्तुत किन्हीं जाने के उपरान्त ही परियोजना प्रस्तावक को सार्वी पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त कानी विव्या जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदनुसार सूचित किया जाए।



20. वेमर्स डी. डी. गावर (जे.डी.) (सांजा आर्बिनेरी स्टोन टेम्परी परमिट कारी),
घाम-सांजा, तहसील-सखनपुर, जिला-सरगुजा (सर्विवालय का नक्सी क्रमांक 2139)
ऑनलाईन आवेदन - प्रोजेक्ट नम्बर - एसआईए / सीडी / एमआईएन /
290318/2022, दिनांक 28/08/2022 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया
गया है।

प्रस्ताव का विवरण - यह अस्तमित संधारण पथ (सींग खनिज) खदान है, खदान
घाम-सांजा, तहसील-सखनपुर, जिला-सरगुजा स्थित समस्त क्रमांक 74/83 एच
74/83, कुल क्षेत्रफल-1 हेक्टेयर में अस्तमित है। खदान की आवेदित उत्खनन
क्षमता-1,85,300.28 टन प्रतिवर्ष है।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एसआईए/सी, खलीलपुर के अधिन दिनांक
23/11/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण -

(अ) समिति की 438वीं बैठक दिनांक 28/11/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु की आकाश बर्ष, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा
नक्सी, प्रस्तुत जनकारी का अन्वेषण एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई-

1. एन.एच.आई. द्वारा वेमर्स डी. डी. गावर (जे.डी.) की जारी कई ऑर्डर, की प्रति
प्रस्तुत की गई है।

2. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण- इस खदान की पूर्व में
पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।

3. घाम संघात का अस्तमित प्रमाण पत्र - उत्खनन एवं उत्खनन के संबंध में घाम
संघात मांसा का दिनांक 24/01/2021 का अस्तमित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया
गया है।

4. उत्खनन योजना - सी.डी. जारी पत्र, इन्फार्मेट मैनेजमेंट प्लान एचड जारी
करीयर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (ख.ड.) जिला-राजपुर के
अधिन क्रमांक 1345/ख.सि.-2/2022 राजपुर, दिनांक 08/08/2022 द्वारा
अनुमोदित है।

5. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान - सर्वोत्तम कन्टेक्टर (अनिज अलख),
जिला-सरगुजा के अधिन क्रमांक 838/खनिज/ख.सि.3/2022 अजिंठापुर,
दिनांक 18/07/2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर की भीतर
अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है।

6. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं - कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-सरगुजा के ज्ञापन क्रमांक 808/खनिज/ख.सि.3/2022 अम्बिकानुर, दिनांक 18/07/2022 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार काल खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मक़ान, अस्पताल, पुल, बांध, एनीकर, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्यमार्ग एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
7. एल.ओ.आई. का विवरण - एल.ओ.आई. मेसर्स जी. वी. गावर (पे.सी.) के नाम पर है जो कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-सरगुजा के ज्ञापन क्रमांक 411/खनिज/ख.सि.3/ख.अ./2022 अम्बिकानुर, दिनांक 21/03/2022 द्वारा जारी की गई है। एल.ओ.आई. में 8 मीटर की गहराई तक पत्थर उत्खनन किया जाने का उल्लेख है। जिसके संदर्भ में उत्तीर्णगढ़ गीम खनिज विभाग 2018 के नियम 8 (ख) तथा प्रायम 8 की कठिना अट्टाख (ख) के तहत खनिज उपलब्धता के संदर्भ में प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। जिसके अनुसार जांच प्रतिवेदन में खनिज लगभग 100 फीट की गहराई तक होना बताया गया है।
8. भू-स्वामित्व - भूमि कागजात क्रमांक 74/83 की सीटम एवं खसरा क्रमांक 74/49 सीमाती मुनीबाई के नाम पर है। उत्खनन हेतु भूमि स्वामियों का सहयोग प्राप्त प्रस्तुत किया गया है।
9. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट - वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रती प्रस्तुत की गई है।
10. वन विभाग का अनापीठ प्रमाण पत्र - कार्यालय वनसंरक्षक(सी.टी.), सरगुजा कलेक्टर, अम्बिकानुर के ज्ञापन क्रमांक/एक.अधि./1383 अम्बिकानुर, दिनांक 01/07/2021 से जारी अनापीठ प्रमाण पत्र के अनुसार आवेदित क्षेत्र वन क्षेत्र से 2 कि.मी. की दूरी पर है।
11. महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी - निकटतम आबादी ग्राम-मोहनपुर 750 मीटर, महुल ग्राम-मोहनपुर 2 कि.मी. एवं अजयपाल ग्राम-लखनपुर 7.4 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 3 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 29.85 कि.मी. दूर है। पहर नदी 1.86 कि.मी., मौसमी नाला 1.2 कि.मी., तालाब 900 मीटर एवं नहर 800 मीटर दूर स्थित है।
12. पारिस्थितिकीय/जैववैविध्य संवेदनशील क्षेत्र - परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राष्ट्रीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अजयसम्य, संघीय वटुवन नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्विटेकली पीस्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैववैविध्य क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिबंधित किया है।
13. खनन क्वॉटा एवं खनन का विवरण - जियोस्ट्रैटिगिकल रिजर्व 3,82,200 टन, माइनेबल रिजर्व 1,74,041 टन एवं सिन्डरेटल रिजर्व 1,68,339 टन है। लीज की 7.6 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 3,480 वर्गमीटर है। अंशक आधार वाली सेवेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 15 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 0.3 मीटर है तथा कुल मात्रा 1,958 घनमीटर है, जिसमें से 1,220 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को 7.5 मीटर (माईन बाउण्ड्री) क्षेत्र में सीलाकर पुनर्स्थापन के लिए उपयोग किया जाएगा। क्षेत्र की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 1 वर्ष है। लीज क्षेत्र में ऊपर उल्लिखित किया जाना प्रस्तावित नहीं है। जैक डैमर से ड्रिलिंग व कंट्रोल स्ट्रॉकिंग किया

जाएगा। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	1,65,302.28

14. **जल आपूर्ति** – परिवोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 8.82 घनमीटर प्रतिदिन होती है। जल की आपूर्ति बोरोवेल के माध्यम से की जाती है। इस वास्तु संयुक्त शारदा वीटर अथॉरिटी की अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।
15. **वृक्षारोपण कार्य** – सीज होज की सीमा में घाटी और 7.5 मीटर की चट्टी में 348 नम वृक्षारोपण किया जाएगा। प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार वृक्षारोपण के लिए राशि 4,330 रुपये, सीडिंग के लिए राशि 80,000 रुपये, खाद के लिए राशि 17,400 रुपये, सिंचाई एवं रख-रखाव के लिए राशि 1,38,000 रुपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में राशि 2,16,730 रुपये तथा कुल राशि 6,13,000 रुपये आगामी 4 वर्षों हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। साथ ही परिवोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है कि 'वृक्षारोपण के प्रयोजन की राशि को आवेदित खदान की 7.5 मीटर की हरित चट्टी में प्रयोजन अनुसार वृक्षारोपण किया जाकर राशि खर्च की जाएगी। खर्च किये गए राशि की जानकारी पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में दिया जाएगा, यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो आवेदक द्वारा ही नई अनुसन्धानात्मक/कैम्पेनिक कार्यवाही के लिए वे काम खुला'।
16. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा चट्टी में उत्खनन** – सीज होज के घाटी और 7.5 मीटर की सीमा चट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।
17. **कोर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परिवोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विचार से सर्वोत्तम निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (In Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (In Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (In Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (In Lakh Rupees)
12.83	2%	0.2588	Following activities at nearby Govt. primary school Village- Lotanpara (Manja)	
			Running water arrangement in Toilet	0.20
			Water tank (1,500 liter)	
			Pipeline, Installation & Accessories	
			Environment Conservation related Books	0.10

			Steel Almiras	
			Plantation around school campus	0.55
			Total	0.98

16. सी.ई.ओ. के तहत प्रस्तावित स्कूल के प्राचार्य (Principal) का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है। साथ ही सी.ई.ओ. के अंतर्गत स्कूल परिसर में कुआरेशन हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 80 मग पीछी के लिए राशि 500 रुपये, फेंसिंग के लिए राशि 10,000 रुपये, खाद के लिए राशि 1,250 रुपये, सिंचाई एवं लव-रखाव के लिए राशि 32,000 रुपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 43,750 रुपये एवं द्वितीय वर्ष में 21,250 रुपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। साथ ही परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आवेदन का संज्ञक पत्र प्रस्तुत किया गया है कि "सी.ई.ओ. के प्रयोजन से दिए गये राशि को सी.ई.ओ. प्रयोजन के अनुसार खर्च किया जाएगा। खर्च किये गए राशि की जानकारी पर्यावरण स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में दिख जायेगा, यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो आपसे द्वारा दी गई अनुशासनात्मक/वैधानिक कार्यवाही के लिए मैं बंधन रहूंगा"।
19. समिति का मत है कि सी.ई.ओ. के अंतर्गत स्कूल परिसर में 100 कुआरेशन किये जाने हेतु पीछी, फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा लव-रखाव के लिए 5 वर्ष का घटकवार एवं कर्मचार व्यय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
20. पूर्व में (1) मेसर्स डी.डी.मावर (जे.डी.), ग्राम-बांजा, ताहसील-लखनपुर, जिला-सरगुजा (प्रयोजन नम्बर - एसआईए / सीजी / एमआईएन / 168801/2020, दिनांक 23/07/2020), (2) मेसर्स डी.डी.मावर (जे.डी.), ग्राम-बांजा, ताहसील-लखनपुर, जिला-सरगुजा (प्रयोजन नम्बर - एसआईए / सीजी / एमआईएन / 168108/2020, दिनांक 25/07/2020), (3) मेसर्स डी.डी.मावर (जे.डी.), ग्राम-बांजा, ताहसील-लखनपुर, जिला-सरगुजा (प्रयोजन नम्बर - एसआईए / सीजी / एमआईएन / 168108/2020, दिनांक 25/07/2020), (4) मेसर्स डी.डी. मावर (जे.डी.), ग्राम-बांजा, ताहसील-लखनपुर, जिला-सरगुजा (प्रयोजन नम्बर - एसआईए / सीजी / एमआईएन / 202587/2021, दिनांक 08/03/2021) एवं (5) मेसर्स डी.डी. मावर (जे.डी.), ग्राम-बांजा, ताहसील-लखनपुर, जिला-सरगुजा (प्रयोजन नम्बर - एसआईए / सीजी / एमआईएन / 202601/2021, दिनांक 08/03/2021) को जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के सी.ई.ओ. के नीतिक समायोजन हेतु तीन सदस्यीय उपसमिति में श्री एन. के. चन्द्राकर, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, छत्तीसगढ़, श्री विजय सिंह धुव, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति एवं क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, अभिकरण का गठन किया जाता है।
21. ऊपरी मिट्टी को 7.5 मीटर (भाईन बाघमट्टी) क्षेत्र में पीलाकर कुआरेशन के लिए उपयोग किये जाने उपरोक्त क्षेत्र 730 चकमीटर ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के बाहर सहमति प्राप्त भूमि (यू-स्थानी - इंगल नंद सिंह, खसरा क्रमांक 218/1 एवं 224/4) में भण्डारित कर संरक्षित किये जाने हेतु सफल पत्र (Notarized Undertaking) प्रस्तुत किया गया है। साथ ही ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के बाहर भण्डारित कर संरक्षित रखे जाने हेतु मिट्टी का दुरुपयोग न करने, विषय

न करने एवं अन्य कार्यों में उपरोक्त नहीं किन्हे जाने एवं इस मिट्टी का उपरोक्त पुनर्स्थापन में किन्हे जाने बाबत सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

22. कार्यलय सहायक अधिकाता लोक स्वास्थ्य बाबिबी विभाग, उपखंड अधिकानुर जिला-सरगुजा के द्वारा दिनांक 25/11/2022 अनुसार "घास बाँजा के घसत इन्फेक 74/83 एवं 74/49 के अन्तर्गत खुदाई के दौरान 100 पीट से अधिक गहराई में पानी उपलब्ध होता है" का उल्लेख है।
23. स्टाफिंग का कार्य डी.जी.एन.एस. द्वारा अधिकृत डिप्लोमेटिक लाइसेंस धारक (Explosive License Holder) द्वारा कराये जाने बाबत सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
24. पब्लिक टिकट वसत वसतार्जन के नियोजन हेतु नियमित जल डिप्लोमेट किन्हे जाने बाबत सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
25. बाईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर बाघन पुनर्स्थापन किन्हे जाने एवं सीमित सीधी का सरवाइवल रेट (Survival rate) 80 प्रतिशत सुनिश्चित किन्हे जाने बाबत सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
26. प्रतीकवाद आदर्श पुनर्स्थापन नीति के तहत स्थानीय लोगों को संतुष्टता दिने जाने हेतु सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
27. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सुनिश्चित नियमों के तहत बाउन्ड्री विलर्स द्वारा सीमांकन का कार्य सुनिश्चित किन्हे जाने बाबत सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
28. परियोजना प्रस्तावक द्वारा किन्हीं भी प्रकार का सुनिश्चित जल का प्रवाह प्राकृतिक जल स्रोत, तालाब, नदी, नाला में नहीं किन्हे जाने एवं इसके संरक्षण किन्हे जाने बाबत सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
29. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनमें विस्तृत इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकल्प देश के अंतर्गत किन्हीं भी न्यायालय में ललित नहीं है।
30. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनमें विस्तृत बाबा सरकार, पर्यावरण, इन और जलकतु परिधीन संरक्षण की अधिसूचना क्र.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई संरक्षण का उल्लंघन ललित नहीं है।

समिति द्वारा संरक्षण सर्वसम्पत्ति से निम्नानुसार निर्णय किया गया था-

1. सी.ई.आर. के अंतर्गत स्कूल परिसर में 100 पुनर्स्थापन किन्हे जाने हेतु सीधी, पेंसिंग, खार एवं सिंचाई तथा पक्क-रखान के लिए 5 वर्षों का घटककार एवं समयवार व्यय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किया जाए।
2. पूर्व में (1) मेसर्स डी.डी.पावर (पे.डी.), घास-बाँजा, तहसील-सखनपुर, जिला-सरगुजा (प्रोजेक्ट नम्बर - एस्आईए / सीडी / एमआईएन / 164881/2020, दिनांक 22/07/2020), (2) मेसर्स डी.डी.पावर (पे.डी.), घास-बाँजा, तहसील-सखनपुर, जिला-सरगुजा (प्रोजेक्ट नम्बर - एस्आईए / सीडी / एमआईएन / 165106/2020, दिनांक 25/07/2020), (3) मेसर्स डी.डी.पावर (पे.डी.), घास-बाँजा, तहसील-सखनपुर, जिला-सरगुजा (प्रोजेक्ट

नम्बर - एसआईए / सीडी / एसआईएन / 185106/2020, दिनांक 28/07/2020), (4) मेसर्स डी.डी. गावर (जे.डी.), ग्राम-रांजा, तहसील-लखनपुर, जिला-सरगुजा (प्रयोजन नम्बर - एसआईए / सीडी / एसआईएन / 202887/2021, दिनांक 08/03/2021) एवं (5) मेसर्स डी.डी. गावर (जे.डी.), ग्राम-रांजा, तहसील-लखनपुर, जिला-सरगुजा (प्रयोजन नम्बर - एसआईए / सीडी / एसआईएन / 202881/2021, दिनांक 08/03/2021) को अपनी पर्यावरणीय स्वीकृति के सी.ई.आर. के शैतिक सत्यापन हेतु तीन सदस्यीय उपसमिति में श्री एन. के. चन्दावन, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, छत्तीसगढ़, श्री किशन सिंह धुव, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति एवं क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, अम्बिकापुर का गठन किया जाता है। उपसमिति से निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त होने के तत्पश्चात प्रस्ताव पर अन्तर्नीय कार्यवाही की जाएगी।

तदनुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के नू. ज्ञापन दिनांक 02/03/2023 द्वारा परियोजना प्रस्तावक को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने हेतु पत्र प्रेषित किया गया है, जिसके परिच्छेद में जानकारी आज दिनांक तक अग्रगत है।

एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 02/03/2023 द्वारा श्री एन. के. चन्दावन, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, छत्तीसगढ़, श्री किशन सिंह धुव, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति एवं क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, अम्बिकापुर को स्वतः निरीक्षण किये जाने हेतु सूचित किया गया। तदनुसार उपसमिति द्वारा दिनांक 10/04/2023 को स्वतः निरीक्षण कर दिनांक 23/05/2023 को निरीक्षण प्रतिवेदन प्रेषित किया गया।

(6) समिति की 470वीं बैठक दिनांक 14/08/2023

समिति द्वारा मसौदा, प्रस्तुत जानकारी का अध्ययन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. सी.ई.आर. के अंतर्गत स्तुत परिहार में कुलरोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 100 एक बीघों के लिए रशि 1,000 रुपये, फनिंग के लिए रशि 15,000 रुपये, खाद के लिए रशि 5,000 रुपये, सिंचाई तथा सड़-सखाव आदि के लिए रशि 2,000 रुपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल रशि 23,000 रुपये तथा अन्तर्नीय 4 वर्षों में कुल रशि 40,000 रुपये हेतु घटकवार लागत का विवरण प्रस्तुत किया गया है।
2. उपसमिति द्वारा प्रेषित निरीक्षण प्रतिवेदन में उल्लेखित तथ्य निम्नानुसार है:-
 - राज्य स्तरीय पर्यावरण सभाघट समिति पर्यावास मवन संख्या-19 नया राहपुर के कार्यालयीन पत्र क्रमांक 2824 /एस.ई.ए.सी. /सरगुजा / दिनांक 02/03/2023 के पालनार्थ मंडल उपसमिति द्वारा दिनांक 08/03/2021 एवं 10/07/2023 की डी.डी.गावर (जे.डी.) को पूर्व में सरगुजा जिले के ग्राम रांजा में अवस्थित 8 अस्थावी अनुज्ञा क्षेत्रों का निरीक्षण दिनांक 10/04/2023 को किया गया।
 - निरीक्षण के दौरान पर्यावरण संरक्षण बोर्ड सरगुजा के क्षेत्रीय अधिकारी श्री पी.के. सवाई, सनि निरीक्षक श्री विवेक साहू एवं श्री डी.डी.गावर कंपनी के स्थानीय प्रतिनिधी गण उपस्थित थे।
 - मेसर्स डी.डी. गावर (जे.डी.) को ग्राम-रांजा तहसील-लखनपुर जिला-सरगुजा को 8 अस्थावी अनुज्ञा निम्नानुसार अवस्थित है-

1. मेसर्स डी.डी. नायर (जे.डी.) को ग्राम-मंजरा, तहसील-लखनपुर, जिला-सरगुजा (प्रयोजन क्रमांक एसआईए / सीडी / एमआईएन / 184891 / 2020) दिनांक 25/07/2022।
2. मेसर्स डी.डी. नायर (जे.डी.) का ग्राम-मंजरा, तहसील-लखनपुर, जिला-सरगुजा (प्रयोजन क्रमांक एसआईए / सीडी / एमआईएन / 188108 / 2020) दिनांक 25/07/2022।
3. मेसर्स डी. डी. नायर (जे.डी.) को ग्राम-मंजरा, तहसील-लखनपुर, जिला-सरगुजा (प्रयोजन क्रमांक एसआईए / एमआईएन / 188108 / 2020) दिनांक 25/07/2022।
4. मेसर्स डी.डी. नायर (जे.डी.) को ग्राम-मंजरा, तहसील-लखनपुर, जिला-सरगुजा (प्रयोजन क्रमांक एसआईए / एमआईएन / 202087 / 2021) दिनांक 09/03/2021।
5. मेसर्स डी.डी. नायर (जे.डी.) को ग्राम-मंजरा, तहसील-लखनपुर, जिला-सरगुजा (प्रयोजन क्रमांक एसआईए / एमआईएन / 202001 / 2021) दिनांक 09/03/2021।

- उपरोक्त में वर्णित सरल क्रमांक 1 से 3 अस्थाई अनुज्ञा का अनुसंधान निष्पादन परिशोधन प्रस्तावक द्वारा दिनांक 01/07/2021 को 2 वर्ष की अवधि के लिए विभागीय समिति 30/08/2023 है। इन पट्टी क्षेत्रों में अभी तक उत्खनन कार्य एवं खनिज उत्पादन नहीं किया है किन्तु कुछ स्थानों पर सतही तौर पर इस्वीया द्वारा अपने निजी उपयोग के लिए खनन किया है, जो परिलक्षित होता है। विभागीय कृषि समिति द्वारा स्थल निरीक्षण के दौरान की गई एवं खनिज अधिकारी सरगुजा द्वारा भी मौखिक जानकारी उनके पास क्रमांक 583 दिनांक 17/08/2023 के माध्यम से दी गई है।
- उपरोक्त में वर्णित सरल क्रमांक 4 से 5 खदानों (02 खदानें) की स्वीकृति 09/03/2021 को 2 वर्ष के लिए की गई थी, इसमें किसी भी प्रकार का अनुसंधान नहीं किया गया है।
- समिति को परिशोधन प्रस्तावक द्वारा अनुसंधान के परपत्र 3 क्षेत्रों में खनिजों के उत्पादन नहीं करने एवं 02 क्षेत्रों में अनुसंधान निष्पादन नहीं करने का काल कोरेना काल एवं अन्य तकनीकी समस्या बताई गई। उपसमिति के सदस्यों के द्वारा भी परिशोधन के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई थी। संधारण क्षेत्र का सुरक्षा एवं 90 प्रतिशत जीवित रखने के निर्देश भी दिये गये एवं कोरेना काल में उत्खनन एवं परिवहन एवं निर्माण की समस्या से भी अवगत हुए।
- खनिज परिशोधन प्रस्तावक को ग्राम-मंजरा में आवंटित चार 5 अस्थाई अनुज्ञा के अनुसार उत्खनन कार्य एवं अनुसंधान निष्पादन नहीं किया गया है फिर भी उनके द्वारा पर्यावरण स्वीकृति में दिए गए निर्देशानुसार सी.ई.आर. कार्य के अंतर्गत ग्राम-मंजरा के गीछण एवं अन्य सासकीय भूमि में लगभग 500 वर्ग का संधारण कार्य किया गया है। मंजरा के समीप स्थित ग्राम-मोहनपुर के हाईस्कूल एवं मिडिल स्कूल में कूड़ासंधारण किया गया है।
- अनुसंधान के द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग (जिलासरुन-अम्बिकापुर) के दोनों ओर पक्की लम्बन 500 वर्ग का संधारण किया गया है। उक्त कूड़ासंधारण को सुव्यवस्थित ढंग से परिशोधन करने तथा सिंचाई व्यवस्था आदि करने बाक

निर्देशित किया गया एवं जो भी जीवित नहीं है उसे भी बदलकर नया पौधा लगाने हेतु निर्देश दिया गया है।

- इसके अतिरिक्त शासकीय प्राथमिक शाला महेशपुर, बीहन्पुर एवं घाम मांछा में हीमजाय के समीप घाटर विचार हेतु सीकरापीट (Machanpur) का भी निर्माण कराया गया है।
 - अनुज्ञाधारी द्वारा प्राथमिक शाला महेशपुर एवं मांछा में पेयजल हेतु स्कूल में घाटर डिस्टर भी उपलब्ध कराया गया है। घाम-मांछा के प्राथमिक शाला में पेय जल हेतु सिरेज टंकी एवं नलजल उपकरण कार्य कराया गया है। (सीटीआरए संलग्न है।)
 - उपरीक्तानुसार निरीक्षण एवं समिति द्वारा लक्ष्य को संज्ञान में लेकर सरपंच, ग्रामवासी एवं स्कूल शिक्षकों से भी धर्म की गई एवं जन जागृति में भी कार्य लक्ष्य जनक होना बताया है।
 - अंत में समिति द्वारा दी गई उपरीक्त कृषारीक्षण, पानी टंकी, नलजल सप्लाई व्यवस्था एवं सिंचारीपीट का एवं अन्य कार्य का सीटीआरए भी प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा आगामी 5 वर्ष तक रखरखाव / संचालन करने का निर्देश भी दिया गया।
3. निरीक्षण के दौरान उपसमिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक को दिये गये निर्देशों के अन्तर्गत पर वर्तमान में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 23/08/2023 को घाम मांछा में स्थित स्वीकृत 8 अखाई अनुज्ञा के संकेत में जानकारी प्रस्तुत किया गया है, जिसमें उल्लेखित लक्ष्य निम्नानुसार है:-
1. घाम मांछा स्थित अखाई अनुज्ञा ख.क्र. 218/29 एकड़ 1.00 हेक्टर, ख.क्र. 222/3 एकड़ 0.700 हेक्टर, ख.क्र. 219/2 एकड़ 0.818 हेक्टर, ख.क्र. का अनुज्ञा दिनांक 01.07.2021 को हुआ था तथा ख.क्र. 217/41 एकड़ 1.00 हेक्टर, ख.क्र. 217/38 एकड़ 1.00 हेक्टर, का अनुज्ञा वर्तमान दिनांक तक लभित है।
 2. उपरीक्त खदानों में राखनमा कार्य कोरोग काल एवं तकनीकी समस्या की वजह से नहीं किया गया है, और ना ही राखनमा किया गया है।
 3. वर्तमान में उपरीक्त खदानें दिनांक 30.08.2023 तक स्वीकृत है। एवं पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 09.04.2021 से 08.04.2023 तक प्राप्त था। ख. क्र. 217/38 एवं 217/41 का पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 28.08.2021 से 27.08.2023 तक है।
 4. उपरीक्त खदानों की स्वीकृति अवधि दिनांक 01.07.2021 से 30.08.2023 तक प्राप्त हुई है। एवं ख. क्र. 217/38 एवं 217/41 का वर्तमान तक अनुज्ञा निष्पादन प्रक्रिया पूर्ण नहीं हुई है।
 5. पर्यावरणीय स्वीकृति में दिये गए कार्य के परिपालन में अनुज्ञाधारी द्वारा विभिन्न प्रकार के कार्य का चलन किया गया है जो कि निम्नानुसार है-
 - (1) घाम मांछा, घाम पंचायत मांछा के शासकीय गौडन में लगभग 500 पीठें रोपित किया गया है।
 - (2) घाम मांछा, घाम पंचायत मांछा के शासकीय भूमि में लगभग 200 पीठें का रोपण कार्य किया गया है।

(3) ग्राम मोहनपुर में स्थित सामाजिक हाई स्कूल एवं पूर्ण प्राथमिक शाला में लगभग 500 सीटों का संयोजन कार्य किया गया है।

(4) अनुसूचितों के द्वारा राष्ट्रीय राजधाम के सीने और पति बट्ट लगभग 500 मग कुआरोपण किया गया है।

(5) अनुसूचितों द्वारा सामाजिक प्राथमिक शाला नरोरपुर, सामाजिक प्राथमिक शाला मोहनपुर एवं सामाजिक प्राथमिक शाला नांजा में सोशलवर्कर्स नियोजन कार्य कराया गया है।

(6) अनुसूचितों द्वारा सामाजिक प्राथमिक शाला नरोरपुर, एवं सामाजिक प्राथमिक शाला नांजा में पंचायत हेतु वाटर सिस्टर उपलब्ध कराया गया है।

(7) सामाजिक प्राथमिक शाला नांजा में पंचायत हेतु सिन्टेस टायर एवं गल-जल कनेक्शन कार्य का संयोजन जनशक्ति हेतु कराया गया है।

4. कार्यालय इलेक्टर (ग्रामिक शाला), जिला-समनुजा के द्वारा क्रमांक 503/रा. ति.1/ग्रामिक/2023 अम्बिकापुर, दिनांक 17/05/2023 द्वारा केवरी जी.डी. पावर (जे.डी.) को ग्राम नांजा में स्वीकृत 5 अक्करों अनुसूचितों के लब्ध में जनशक्ति प्रयत्न (30) में विचार कर प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार जनशक्ति निम्न है:-

अनुसूचित शाला	अनुसूचित विभाग	जमी		कार्यक्रम प्रकार (प्रकार)	अनुसूचित दिनांक	कार्यक्रम स्थान	कार्यक्रम का अनुसूचित स्थिति
		अ	ब				
503/1	05/05/2023	01/05/2023	01-05-2023	100/100	05/05/2023	विभाग	अनुसूचित किया गया है।
503/2	05/05/2023	01/05/2023	01-05-2023	100/100	05/05/2023	विभाग	अनुसूचित किया गया है।
503/3	05/05/2023	01/05/2023	01-05-2023	100/100	05/05/2023	विभाग	अनुसूचित किया गया है।
503/4	-	-	-	-	-	विभाग	अनुसूचित नियोजन नहीं किया गया।
503/5	-	-	-	-	-	विभाग	अनुसूचित किया गया।

5. समिति का मत है कि सी.ई.आर. कार्य एवं 7.5 बीटर की सीमा पट्टी में कुआरोपण कार्य के मापदंडों एवं पर्यवेक्षण हेतु वि-प्लीन समिति (प्रोपर्टी/ग्रामिक, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/ग्रामिक एवं ग्राम प्रशासन या ग्रामीण पर्यवेक्षण संयोजन समिति के पदाधिकारी/ग्रामिक) नडित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं 7.5 बीटर की सीमा पट्टी में कुआरोपण का कार्य पूर्ण करने के उपरान्त नडित वि-प्लीन समिति से संयोजित कराया जाना आवश्यक है।

6. ग्रामीण एन.डी.टी. डिस्ट्रिक्ट बैंक, नई दिल्ली द्वारा जारी कर्यवेक्षण विस्तृत भारत सरकार, पर्यवेक्षण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (अतिरिक्त एडिशनल नं. 188 जी.ओ. 2018 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को जारी कर्यवेक्षण में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्दिष्ट किया गया है:-

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha, EIA / EMP to be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. कार्यलय ब्लॉक (अग्निज नाज) जिला-सरगुजा के ज्ञापन क्रमांक 838/अग्निज/अ.लि.3/2022 अगस्तपुर, दिनांक 18/07/2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के नीचे अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निर्धारित है। आवेदित खदान (घान-नाज) का क्षेत्रफल 1 हेक्टर है। खदान की गीला से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संघटित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी-2 श्रेणी की गयी।
2. समिति द्वारा विद्यत विनर्त उपरोक्त सर्वसम्पत्ति से आवेदक - मेसर्स डी. व्ही. गाव (जे.सी.) (नाजा आईनरी स्टोन टेम्परी परमिट क्वारी) को घान-नाज, तहसील-लखनपुर, जिला-सरगुजा के खसरा क्रमांक 74/83 एवं 74/49 में विद्यत साधारण चत्थर (गीला अग्निज) खदान, कुल क्षेत्रफल-1 हेक्टर, 1 वर्ष के कुल समस्त - 1,85,302 टन से अधिक न हो, हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति विद्यमान की अनुमति की गई।

प्रतिकरण द्वारा बैठक में विचार - उपरोक्त प्रकरण पर प्रतिकरण की दिनांक 04/08/2023 को संयुक्त 153वीं बैठक में विचार किया गया। प्रतिकरण द्वारा नसी/जानकारी/दस्तावेज का आवेदन किया गया। प्रतिकरण द्वारा विचार विनर्त उपरोक्त सर्वसम्पत्ति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया कि-

1. सी.ई.आर. के तहत प्रस्तावित क्वारी को कार्य पूर्ण उपरोक्त संबंधित ब्लॉक को प्राथम्य से कार्यपूर्ण प्रतिकरण प्राप्त कर, विपरीत कोर्टोप्राक सहित जानकारी अंतर्गत रिपोर्ट में समाहित किया जाने बाबत राफा पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
2. उत्खनन हेतु आवेदित भूमि के भूमि स्वामियों के भूमि से संबंधित समस्त हितों की रक्षा भारत के समस्त नियमों के अंतर्गत पालन की जिम्मेदारी परियोजना प्रस्तावक की रहेगी, इस बाबत राफा पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त बतौर जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरोक्त जानकारी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदनुसार सूचित किया जाए।



21. मेसर्स डी. व्ही. गाव (जे.सी.) (नाजा आईनरी स्टोन टेम्परी परमिट क्वारी), घान-नाज, तहसील-लखनपुर, जिला-सरगुजा (सचिवालय का नसी क्रमांक 2140) ऑनलाइन आवेदन - प्रयोजन नम्बर - एसआईए / सीजी / एमआईएन / 2023-19/2022, दिनांक 27/08/2022 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित साधारण चत्थर (गीला अग्निज) खदान है। खदान घान-नाज, तहसील-लखनपुर, जिला-सरगुजा विद्यत खसरा क्रमांक 74/44, कुल क्षेत्रफल-0.979 हेक्टर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता-2,33,900.36 टन प्रतिवर्ष है।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.सी., जलसिद्ध के ज्ञापन दिनांक 23/11/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकी का विवरण -

(ख) समिति की 43वीं बैठक दिनांक 29/11/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु की आवश्यक कार्य, अधिसूक्त प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नीचे, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई—

1. एन.एच.ए.आई. द्वारा मेसर्स डी. डी. नायर (जे.पी.) को जारी वर्क ऑर्डर की प्रति प्रस्तुत की गई है।
2. पूर्ण में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण— इस खदान को पूर्ण में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
3. घाग पंचायत का अनामति प्रमाण पत्र — उत्खनन एवं कचरा स्थापना के संबंध में घाग पंचायत मांजा का दिनांक 24/01/2021 का अनामति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
4. उत्खनन योजना — टी.पी. जारी प्लान, इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान एंव जारी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (ख.उ.) जिला-राजमहल के द्वारा क्रमांक 1344/ख.लि-2/2022 रायगढ़, दिनांक 08/08/2022 द्वारा अनुमोदित है।
5. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान — कार्यालय कलेक्टर (खनिज सारवा), जिला-सलुजा के द्वारा क्रमांक 834/खनिज/ख.लि.3/2022 जबिलापुर, दिनांक 18/07/2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की सूची निकाली है।
6. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं — कार्यालय कलेक्टर (खनिज सारवा), जिला-राजमहल के द्वारा क्रमांक 833/ख.लि.3/2022 जबिलापुर, दिनांक 18/07/2022 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मठ, स्कूल, अस्पताल, पुल, बांध, एनीकट, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्यमार्ग एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
7. एल.ओ.आई. का विवरण — एल.ओ.आई. मेसर्स डी. डी. नायर (जे.पी.) के नाम पर है जो कार्यालय कलेक्टर (खनिज सारवा), जिला-सलुजा के द्वारा क्रमांक 410/खनिज/ख.लि.3/ख.उ./2022 जबिलापुर, दिनांक 21/03/2022 द्वारा जारी की गई है। एल.ओ.आई. में 8 मीटर की गहराई तक पत्थर उत्खनन किया जाने का उल्लेख है। जिसके संदर्भ में उल्लीसगढ़ गौण खनिज नियम 2015 के नियम 8 (ख) तथा प्राव्य 8 की अधिकांश अट्रान (ख) के तहत खनिज उपलब्धता के संदर्भ में प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। जिसके अनुसार जांच प्रतिवेदन में खनिज लगभग 100 मीटर की गहराई तक होना बताया गया है।
8. भू-स्वामित्व — भूमि खसत क्रमांक 14/66 श्री हेमंत नंद सिंह के नाम पर है। उत्खनन हेतु भूमि स्वामी का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।
9. डिस्ट्रीक्ट लैंड रिपोर्ट — वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट लैंड रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
10. वन विभाग का अनामति प्रमाण पत्र — कार्यालय वनमंडलधिकारी, सलुजा वनमंडल, जबिलापुर के द्वारा क्रमांक/ख.उ.अधि./1381 जबिलापुर, दिनांक 01/07/2021 से जारी अनामति प्रमाण पत्र के अनुसार आवेदित क्षेत्र वन क्षेत्र से 2 कि.मी. की दूरी पर स्थित है।

11. महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी – निकटतम आवादी घाग-मांजा 500 मीटर, स्कूल घाग-मांजा 1 कि.मी. एवं अस्पताल घाग-लखनपुर 7.2 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 38 कि.मी. एवं राजमार्ग 29.45 कि.मी. दूर है। रेल लाई 1.85 कि.मी., नहर 1.45 कि.मी., वास्तव 1.5 कि.मी. एवं मीसमी नाला 780 मीटर दूर स्थित है।

12. पर्यावरणमित्र/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र – परियोजना असायक द्वारा 10 कि.मी. की परिसर में आसपास क्षेत्र, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्विंटिकली पोल्युटेड एरिया, पर्यावरणमित्र संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होने प्रतिबंधित किया है।

13. खनन क्षेत्र एवं खनन का विवरण – पारोलीजिकल रिजर्व 6,02,259 टन, माईनेबल रिजर्व 2,48,218 टन एवं रिक्लूनेबल रिजर्व 2,32,907 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 2,805 वर्गमीटर है। खनन कास्ट सेमी मेकनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 24 मीटर है। लीज क्षेत्र में खपटी मिट्टी की मोटाई 8.3 मीटर है तथा कुल मात्रा 2,085.5 घनमीटर है, जिसमें से 583 घनमीटर अपनी मिट्टी की 7.5 मीटर (माईन वायफ्री) क्षेत्र में बीसाकर पुनारोपण के लिए उपयोग किया जाएगा। बेंच की चौड़ाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 4 वर्ष है। लीज क्षेत्र में अकार स्थानों की प्रस्ताव नहीं किया गया है। जैव हेमर से डिजिन व कंट्रोल मॉनिटरिंग किया जाएगा। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का सिस्टरिंग किया जाएगा। वर्षाजल प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	2,38,900.36

14. जल आपूर्ति – परियोजना हेतु असायक जल की मात्रा 5.74 घनमीटर प्रतिदिन होती है। जल की आपूर्ति बोरोवेल के माध्यम से की जायेगी। इस मात्रा सेन्ट्रल वारंशड बोरो अवॉरिटी की अनुमति प्राप्त कर प्राप्त किया गया है।

15. पुनारोपण कार्य – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 279 वन पुनारोपण किया जाएगा। प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार पुनारोपण के लिए राशि 2,485 रुपये, फेंसिंग के लिए राशि 50,000 रुपये, खान के लिए राशि 12,860 रुपये, सिंचाई एवं रख-रखाव के लिए राशि 1,35,000 रुपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में राशि 2,02,415 रुपये तथा कुल राशि 5,98,500 रुपये आगामी 4 वर्षों हेतु परतकार खनन का विवरण प्रस्तुत किया गया है। साथ ही परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय पर समय पर ज्ञात किया गया है कि "पुनारोपण के प्रयोजन की राशि को आवंटित खदान के 7.5 मीटर की हरी पट्टी में प्रयोजन अनुसार पुनारोपण किया जाकर राशि खर्च की जायेगी। खर्च विन्डे एण्ड राशि की जाणकारी पर्यावरण बर्बरकृति के फालन प्रतिवेदन में दिया जायेगा, यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो आगके द्वारा ही गई अनुतास्मानक/वैधानिक कार्यवाही के लिए मैं बाध्य रहूंगा"।

16. खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन – लीज क्षेत्र से चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।

17. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से कार्य कार्यक्रम निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
12.75	2%	0.255	Following activities at nearby Govt. primary school Village- Mohanpur	
			Running water arrangement in Toilet	
			Water tank (1,000 liter)	0.20
			Pipeline, Installation & Accessories	
			Environment Conservation related Books	0.10
			Steel Almsa	
			Plantation around school campus	0.48
Total	0.78			

18. सी.ई.आर. के तहत प्रस्तावित स्कूल के प्राचार्य (Principal) का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है। साथ ही सी.ई.आर. के अंतर्गत स्कूल परिसर में वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 40 वर्ग बीघों के लिए 400 रुपये, बेसिन के लिए 8,000 रुपये, खाद के लिए 1,000 रुपये, सिंचाई एवं रखा-रखाव के लिए 22,000 रुपये, इस प्रकार कुल वर्ग में कुल 31,400 रुपये एवं द्वितीय वर्ष में 18,000 रुपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। साथ ही परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का कथन पत्र प्रस्तुत किया गया है कि "सी.ई.आर. के प्रयोजन में दिए गये राशि को सी.ई.आर. प्रयोजन के अनुसार खर्च किया जाएगा। खर्च विन्धे गए राशि की जलकारी पर्यावरण स्वीकृति के पालन प्रतिबन्धन में दिया जायेगा, यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो आर्कॉ के द्वारा वी गई अनुरोधनात्मक/वैधानिक कार्यवाही के लिए मैं बंध्य रहूंगा"।
19. समिति का मत है कि सी.ई.आर. के अंतर्गत स्कूल परिसर में 100 वृक्षारोपण विन्धे करने हेतु बीघों, बेसिन, खाद एवं सिंचाई तथा रखा-रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार एवं समग्रवार व्यय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
20. पूर्व में (1) मेसर्स डी.डी.राव (डी.डी.), ग्राम-गांज, तहसील-सखनपुर, जिला-समनुजा (प्रयोजन नंबर - एस्आईए / सीजी / एस्आईएम / 164661/2020, दिनांक 22/07/2020), (2) मेसर्स डी.डी.राव (डी.डी.), ग्राम-गांज, तहसील-सखनपुर, जिला-समनुजा (प्रयोजन नंबर - एस्आईए

/सीजी /एसआईएन / 185106 /2020, दिनांक 25 /07 /2020). (3) मेसर्स डी.डी. मावर (जे.डी.), ग्राम-सांजा, तहसील-लखनपुर, जिला-सरगुजा (प्रयोजन नम्बर - एसआईए /सीजी /एसआईएन / 185106 /2020, दिनांक 25 /07 /2020). (4) मेसर्स डी.डी. मावर (जे.डी.), ग्राम-सांजा, तहसील-लखनपुर, जिला-सरगुजा (प्रयोजन नम्बर - एसआईए /सीजी /एसआईएन / 202867 /2021, दिनांक 09 /03 /2021) एवं (5) मेसर्स डी.डी. मावर (जे.डी.), ग्राम-सांजा, तहसील-लखनपुर, जिला-सरगुजा (प्रयोजन नम्बर - एसआईए /सीजी /एसआईएन / 202861 /2021, दिनांक 09 /03 /2021) को जारी पदावलीय स्वीकृति के सी.ई.आर. के भौतिक सत्यापन हेतु तीन सदस्यीय उपसमिति में श्री एन. के. चन्दाकर, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, छत्तीसगढ़, श्री विष्णु सिंह धुव, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति एवं क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ कार्यालय संरक्षण मंडल, अम्बिकापुर का गठन किया जाना है।

21. जमरी मिट्टी को 7.5 मीटर (माईन काउण्ट्री) क्षेत्र में फैलाकर वृक्षारोपण के लिए उपयोग किये जाने उन्हांत क्षेत्र 1.112.5 घनमीटर जमरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के बाहर संरक्षित कर संबंधित किये जाने हेतु राज्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है। साथ ही जमरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के बाहर संरक्षित कर संबंधित किये जाने हेतु मिट्टी का दुरुपयोग न करने, विखन न करने एवं अन्य कार्यों में उपयोग नहीं किये जाने एवं इस मिट्टी का उपयोग पुनर्वास में किये जाने बाबत राज्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
22. कार्यालय सहायक अधिवक्ता लोक कालव्य वसिंधी विभाग, उपखंड अम्बिकापुर जिला-सरगुजा के द्वारा दिनांक 25 /11 /2022 अनुसार "ग्राम सांजा के सरला इलाका 74 /44 के आस पास खुदाई के दौरान 100 फीट से अधिक गहराई में पानी उपलब्ध होता है" का उल्लेख है।
23. स्थापित का कार्य सी.जी.एम.एस. द्वारा अधिकृत विस्फोटक लाईसेंस धारक (Explosive License Holder) द्वारा कराये जाने बाबत राज्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
24. फ्लूजिडिब डस्ट परसर्जन को नियंत्रण हेतु नियमित जल छिड़काव किये जाने बाबत राज्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
25. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर साधन कुशलतापूर्वक किये जाने एवं रीफिट पोथी का सरवाइवल रेट (Survival rate) 80 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत राज्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
26. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु राज्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
27. परियोजना इलाका द्वारा खनिज निधनों के तहत बाउण्ड्री विलर्स द्वारा सीमांकन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत राज्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

28. परिवोजना प्रस्तावक द्वारा किसी भी प्रकार का दूषित जल का प्रवाह प्राकृतिक जल स्रोत, तालाब, नदी, खाड़ा में नहीं किये जाने एवं इसके संरक्षण किये जाने काबतु समझ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
29. परिवोजना प्रस्तावक द्वारा समझ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उसके विरुद्ध इस परिवोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में ललित नहीं है।
30. परिवोजना प्रस्तावक द्वारा समझ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उसके विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण ललित नहीं है।

समिति द्वारा उल्लसघ सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. सी.ई.आर. के अंतर्गत स्तुल परिवल में 100 फुसार्दपन किये जाने हेतु पीसी, कंसिग, खाद एवं सिंचई तथा रक-रखाव के लिए 3 वर्षों का घटकवार एवं समकवार भाव का विवरण विस्तृत प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किया जाद।
2. पूर्व में (1) मेसर्स डी.डी.गावर (जे.डी.), ग्राम-गांजा, तहसील-लखनपुर, जिला-सरगुजा (प्रयोजल नम्बर - एसआईए / सीजी / एफआईएन / 188881/2020, दिनांक 22/07/2020), (2) मेसर्स डी.डी.गावर (जे.डी.), ग्राम-गांजा, तहसील-लखनपुर, जिला-सरगुजा (प्रयोजल नम्बर - एसआईए / सीजी / एफआईएन / 188108/2020, दिनांक 29/07/2020), (3) मेसर्स डी.डी.गावर (जे.डी.), ग्राम-गांजा, तहसील-लखनपुर, जिला-सरगुजा (प्रयोजल नम्बर - एसआईए / सीजी / एफआईएन / 188108/2020, दिनांक 29/07/2020), (4) मेसर्स डी.डी. गावर (जे.डी.), ग्राम-गांजा, तहसील-लखनपुर, जिला-सरगुजा (प्रयोजल नम्बर - एसआईए / सीजी / एफआईएन / 202587/2021, दिनांक 09/03/2021) एवं (5) मेसर्स डी.डी. गावर (जे.डी.), ग्राम-गांजा, तहसील-लखनपुर, जिला-सरगुजा (प्रयोजल नम्बर - एसआईए / सीजी / एफआईएन / 202801/2021, दिनांक 09/03/2021) को जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के सी.ई.आर. के मौलिक सत्यापन हेतु तीन सदस्यीय उपसमिति में श्री एन. के. चन्दाकर, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, छत्तीसगढ़, श्री किरण सिंह घुव, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति एवं क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, अम्बिकापुर का घठन किया जाता है। उपसमिति से निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरान्त प्रस्ताव पर अगामी कार्यवाही की जादनी।

उपानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के घु. ज्ञापन दिनांक 02/03/2023 द्वारा परिवोजना प्रस्तावक को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने हेतु पत्र डलित किया गया है, जिसके परिदिस में जानकारी आज दिनांक तक अलपता है।

एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 02/03/2023 द्वारा श्री एन. के. चन्दाकर, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, छत्तीसगढ़, श्री किरण सिंह घुव, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति एवं क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, अम्बिकापुर को स्यात निरीक्षण किये

जाने हेतु सूचित किया गया। अतानुसार उपसमिति द्वारा दिनांक 10/04/2023 को सारल निरीक्षण क्रम दिनांक 23/08/2023 को निरीक्षण प्रतिवेदन प्रेषित किया गया।

(ख) समिति की अगली बैठक दिनांक 14/08/2023

समिति द्वारा मसौदा प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति आई गई—

1. सी.ई.आर. के अंतर्गत स्कुल परिसर में कुशलतापूर्वक हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 100 वर्ग बीघों के लिए राशि 1,000 रुपये, सीमेंट के लिए राशि 15,000 रुपये, खाद के लिए राशि 5,000 रुपये, सिंचाई तथा खा-खाद जल के लिए राशि 8,000 रुपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 32,000 रुपये तथा अगामी 4 वर्षों में कुल राशि 40,000 रुपये हेतु घटकवार काम का विवरण प्रस्तुत किया गया है।
2. उपसमिति द्वारा प्रेषित निरीक्षण प्रतिवेदन में उल्लेखित तथ्य निम्नानुसार है—
 - राज्य पशुधन पर्यवेक्षण समन्वय समिति पर्यावास भवन रोडकट-19 तथा लखपुर के कार्यालयीन पत्र क्रमांक 2524 /एस.ई.ए.सी. /सरगुजा / दिनांक 02/03/2023 के तालमार्फत गठित उपसमिति द्वारा दिनांक 09/03/2021 एवं 10/07/2023 को डी.डी.मावर (जे.डी.) को पूर्व में सरगुजा जिले के ग्राम मांज में आवंटित 5 अस्थाई अनुज्ञा क्षेत्रों का निरीक्षण दिनांक 10/04/2023 को किया गया।
 - निरीक्षण के दौरान पर्यवेक्षण संकलन बीई सरगुजा के क्षेत्रीय अधिकारी श्री पी.के. लखे, जगि निरीक्षक श्री विवेक शर्मा एवं श्री डी.डी.मावर कंपनी के स्थानीय प्रतिनिधी गण उपस्थित थे।
 - मेसर्स डी. डी. मावर (जे.डी.) को ग्राम मांज तहसील लखनपुर जिला सरगुजा को 5 अस्थाई अनुज्ञा निम्नानुसार आवंटित है—
 1. मेसर्स डी.डी. मावर (जे.डी.) को ग्राम मांज, तहसील-लखनपुर, जिला-सरगुजा (प्रयोजन क्रमांक एसआईए / सीजी / एमआईएन / 168891 /2020) दिनांक 25/07/2022।
 2. मेसर्स डी.डी. मावर (जे.डी.) का ग्राम-मांज, तहसील-लखनपुर, जिला-सरगुजा (प्रयोजन क्रमांक एसआईए / सीजी / एमआईएन / 165106 /2020) दिनांक 25/07/2022।
 3. मेसर्स डी. डी. मावर (जे.डी.) को ग्राम-मांज, तहसील-लखनपुर, जिला सरगुजा (प्रयोजन क्रमांक एसआईए / एमआईएन / 165106 / 2020) दिनांक 25/07/2022।
 4. मेसर्स डी.डी. मावर (जे.डी.) को ग्राम-मांज, तहसील-लखनपुर, जिला-सरगुजा (प्रयोजन क्रमांक एसआईए / एमआईएन / 202857 /2021) दिनांक 09/03/2021।
 5. मेसर्स डी.डी. मावर (जे.डी.) को ग्राम मांज, तहसील-लखनपुर, जिला-सरगुजा (प्रयोजन क्रमांक एसआईए / एमआईएन / 202801/2021) दिनांक 09/03/2021।
 - उपरोक्त में वर्णित सरल क्रमांक 1 से 3 अस्थाई अनुज्ञा का अनुकूल निष्पादन परीक्षणना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 01/07/2021 को 2 वर्ष की अवधि के लिए

जिलाधी समिति 30/08/2023 है। इन पट्टी क्षेत्रों में अभी तक उत्खनन कार्य एवं खनिज उत्पादन नहीं किया है किन्तु कुछ स्वामी वन सतही तौर पर राष्ट्रीयों द्वारा अपने निजी उपयोग के लिए खनन किया है, जो परिलक्षित होता है। जिलाधी पूर्वी समिति द्वारा स्वतः निरीक्षण के दौरान की गई एवं खनि अधिकारी सल्लुजा द्वारा भी भौतिक जानकारी उनके पत्र क्रमांक 502 दिनांक 17/08/2023 के माध्यम से दी गई है।

- उपरोक्त में उचित सरल क्रमांक 4 से 5 खदानों (02 खदान) की स्वीकृति 09/03/2021 की 2 वर्षों के लिए की गई थी, इन्होंने किसी भी प्रकार का अनुबंध नहीं किया गया है।
- समिति की परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुबंध के परवाह 3 क्षेत्रों में खनिजों के उत्पादन नहीं करने एवं 02 क्षेत्रों में अनुबंध निष्काशन नहीं करने का काल कोठेना काल एवं अन्य तकनीकी समस्या बताई गई। उपसमिति के सदस्यों के द्वारा भी परियोजना से विभिन्न बहसुओं पर चर्चा की गई थीय रोपन क्षेत्र का सुझा एवं 80 प्रतिशत जीवित रखने के निर्देश भी दिये गये एवं कोठेना काल में उत्खनन एवं परिवहन एवं निर्यात की संभवता से भी अवगत हुए।
- पश्चिमी परियोजना प्रस्तावक को ग्राम-मांजा में आवंटित राक 5 अस्थायी अनुज्ञा के अनुसार उत्खनन कार्य एवं अनुबंध निष्काशन नहीं किया गया है फिर भी उनके द्वारा परिवहन स्वीकृति में दिए गए निर्देशानुसार सीईओआर कार्य के अंतर्गत ग्राम-मांजा के गीठान एवं अन्य सरकारी भूमि में लगभग 500 पीठों का रोपण कार्य किया गया है। मांजा के समीप स्थित ग्राम-मोहनपुर के हाईस्कूल एवं मिडिल स्कूल में वृक्षरोपण किया गया है।
- अनुज्ञाधारी के द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग (मिलनापुर-अधिकारपुर) के दोनों ओर प्रतिवृद्ध लगभग 500 पौधों का रोपण किया गया है। राक वृक्षारोपण को सुव्याप्तक दृष्टि से परीक्षण करने तथा सिंचाई व्यवस्था आदि करने बाबत निर्देशित किया गया एवं जो पीठ जीवित नहीं है उसे भी बदलकर नया पीठ लगाने हेतु निर्देश दिया गया है।
- इससे अतिरिक्त सरकारी प्राथमिक शाला मोहनपुर, मोहनपुर एवं ग्राम मांजा में ईश्वरधाम के समीप बाटर रिजार्ज हेतु सोकरापीट (Socharapiet) का भी निर्माण कराया गया है।
- अनुज्ञाधारी द्वारा प्राथमिक शाला मोहनपुर एवं मांजा में पंचजल हेतु स्कूल में बाटर फिल्टर भी उपलब्ध कराया गया है। ग्राम-मांजा के प्राथमिक शाला में पंच जल हेतु सिंटेक्स टॉकी एवं मलजल कनेक्शन कार्य कराया गया है। (फोटोआंक संलग्न है।)
- उपरोक्तानुसार निरीक्षण उप समिति द्वारा लक्ष्यों को संज्ञान में लेकर सतंत्र, ग्रामवासी एवं स्कूल शिक्षकों से भी चर्चा की गई एवं उन लोगों से भी कार्य संबंधी जानकारी लेना बताया है।
- अंत में समिति द्वारा दी गई उपरोक्त वृक्षारोपण, पानी टॉकी, मलजल सफाई व्यवस्था एवं रिजार्जपीट का एवं अन्य कार्य का फोटोआंक भी प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा अगामी 6 वर्ष तक रखरखाव / संभालण करने का निर्देश भी दिया गया।

3. निरीक्षण के दौरान उपसमिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक को दिये गये निर्देशों के अन्तर्गत पर वर्तमान में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 23/06/2023 को ग्राम बांजा में निम्न स्वीकृत 5 अल्पाई अनुज्ञा के संबंध में जानकारी प्रस्तुत किया गया है, जिसमें उल्लेखित तथ्य निम्नानुसार है—

i. ग्राम बांजा निम्न अल्पाई अनुज्ञा ख.क. 216/29 एका 1.00 हेक्टर, ख.क. 222/3 एका 0.700 हेक्टर, ख.क. 218/2 एका 0.815 हेक्टर, ख.क. का अनुसंधान दिनांक 01.07.2021 को हुआ था तथा ख.क. 217/41 एका 1.00 हेक्टर, ख.क. 217/38 एका 1.00 हेक्टर, का अनुसंधान वर्तमान दिनांक तक समाप्त है।

ii. उपरोक्त खदानों में पर्यावरण कार्य कोरोना काल एवं तकनीकी समस्या की वजह से नहीं किया गया है, और ना ही उत्पादन किया गया है।

iii. वर्तमान में उपरोक्त खदानें दिनांक 30.08.2023 तक स्वीकृत हैं। एवं पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 09.04.2021 से 08.04.2023 तक प्राप्त था। ख. क. 217/38 एवं 217/41 का पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 28.06.2021 से 27.06.2023 तक है।

iv. उपरोक्त खदानों की स्वीकृति अवधि दिनांक 01.07.2021 से 30.06.2023 तक प्राप्त हुई है। एवं ख. क. 217/38 एवं 217/41 का वर्तमान तक अनुसंधान निष्पादन प्रक्रिया पूर्ण नहीं हुई है।

v. पर्यावरणीय स्वीकृति में दिये गए शर्तों के परिपालन में अनुज्ञाधारी द्वारा विभिन्न प्रकार के कार्यों का पालन किया गया है जो कि निम्नानुसार है—

(1) ग्राम बांजा, ग्राम पंचायत बांजा के सांसदीय भूदान में लगभग 500 पीछे रोपित किया गया है।

(2) ग्राम बांजा, ग्राम पंचायत बांजा के सांसदीय भूमि में लगभग 200 पीछे का रोपण कार्य किया गया है।

(3) ग्राम मोहनपुर में निम्न सांसदीय हाई स्कूल एवं पूर्ण प्राथमिक शाला में लगभग 250 पीछे का रोपण कार्य किया गया है।

(4) अनुज्ञाधारी के द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग के दोनों ओर फसल बंद लगभग 500 मीटर वृक्षारोपण किया गया है।

(5) अनुज्ञाधारी द्वारा सांसदीय प्राथमिक शाला मोहनपुर, सांसदीय प्राथमिक शाला मोहनपुर एवं सांसदीय प्राथमिक शाला बांजा में सोखलापीट निर्माण कार्य कराया गया है।

(6) अनुज्ञाधारी द्वारा सांसदीय प्राथमिक शाला मोहनपुर एवं सांसदीय प्राथमिक शाला बांजा में पेयजल हेतु वाटर फिल्टर उपकरण कराया गया है।

(7) सांसदीय प्राथमिक शाला बांजा में पेयजल हेतु सिन्टेन्स टकी एवं गल-जल कनेक्शन कार्य का संघटन जर्नलित हेतु कराया गया है।

4. कार्यालय इलेक्टर (खनिज सख्त) जिला-सरगुजा के द्वारा क्रमांक 583/ख. ति.1/खनिज/2023 खम्बिसापुर, दिनांक 17/06/2023 द्वारा मेसर्स डी.डी. वावल (डि.डी.) को ग्राम बांजा में स्वीकृत 5 अल्पाई अनुज्ञा के संबंध में जानकारी

अनुसूची (अ) में दर्शाए गए प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार जानकारी निम्न है-

अनुसूची क्रमांक	अनुसूची संख्या	कृषि		अनुसूची प्रमाण (हेक्टेयर)	अनुसूची दिनांक	अनुसूची प्रकार	अनुसूची का अनुसूची स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8
200/1	01/07/2021	01/07/2021	5000.0000	5000.0000	01/07/2021	कृषि	अनुसूची क्रमांक 01 है।
200/2	01/07/2021	01/07/2021	5000.0000	5000.0000	01/07/2021	कृषि	अनुसूची क्रमांक 01 है।
200/3	01/07/2021	01/07/2021	5000.0000	5000.0000	01/07/2021	कृषि	अनुसूची क्रमांक 01 है।
200/4	-	-	-	-	-	कृषि	अनुसूची क्रमांक नहीं है।
200/5	-	-	-	-	-	कृषि	अनुसूची क्रमांक नहीं है।

5. समिति का मत है कि सी.ई.आर. कार्य एवं 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में पुनर्स्थापन कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि-पक्षीय समिति (जे.एन.ए.ए.ए./प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पर्यवेक्षक/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या अतीरमनद पर्यवेक्षण संस्थान मध्यम के पर्यवेक्षक/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में पुनर्स्थापन का कार्य पूर्ण करने के उपरान्त गठित त्रि-पक्षीय समिति से सहायता कलावा जाना आवश्यक है।

6. माननीय एन.डी.डी., डिप्टी कमिश्नर, नई दिल्ली द्वारा सार्वभूमि पर्यवेक्षण विभाग, भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिएंटल एक्सप्लोरेशन नं. 188 ऑफ 2018 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्दिष्ट किया गया है-

- a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.
- b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया-

1. वार्षिक पर्यवेक्षण (खनिज खदान), जिला-सम्भल में इलाहाबाद जिला-834/खनिज/खनिज/2022 अहिलपुर, दिनांक 18/07/2022 के अनुसार आवंटित खदान से 500 मीटर की सीमा अवधिगत अन्य खदानों की संख्या निर्धारित है। आवंटित खदान (घान-नाज) का क्षेत्रफल 0.979 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संघालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी-2 श्रेणी की नहीं रही।
2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से अवेदक - मेरठ की बी.ए.ए.ए. (जे.डी.) (नाजा आई.डी.डी. स्टोन टेम्पलरी परमिट जारी) को घान-नाजा, लखीमपुर-लखीमपुर, जिला-सम्भल के खदान क्रमांक 74/44 में विधायक पर्यवेक्षण (सीमा खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल-0.979 हेक्टेयर, 1 वर्ष के कुल क्षमता-2,33,900 टन से अधिक न हो, हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति विरत करने की अनुमति दी गई।

प्रतिकल्प द्वारा बैठक में विधान - उपरोक्त प्रकरण पर प्रतिकल्प की दिनांक 04/08/2023 को संपन्न 162वीं बैठक में विचार किया गया। प्रतिकल्प द्वारा

नस्ली/जानकारी/दस्तावेज का अवलीकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया कि:-

1. सी.ई.आर. के तहत प्रस्तावित कार्य के कार्य पूर्ण उपरोक्त संबंधित स्कूल के प्राचार्य से कार्यपूर्ण प्रतिवेदन प्राप्त कर विद्योटेम फोटोग्राफ सहित जानकारी आवेधानिक रिपोर्ट में समाहित किया जाने बाबत राज्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
2. उपखण्ड हेतु आवेदित भूमि के भूमि स्वामियों के भूमि से संबंधित समस्त हिलों की छा. नसरा को समस्त नियमों के अंतर्गत पालन की जिम्मेदारी परिषदीयता प्रस्तावक की रहेगी, इस बाबत राज्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त संबंधित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरोक्त आगामी आवेदाधी की जाएगी।

परिषदीयता प्रस्तावक को तदनुसार सूचित किया जाए।

22. मेडर्स मोहम्मद साईद स्टोन कारी (जे.- बी सीलेन राधु, धाम-मोहम्मद, तहसील-फरिया, जिला-मुंगेरी (सचिवालय का नस्ली क्रमांक 2114)

अभिप्लान आवेदन - इमीडल नम्बर - एसआईए / सीडी / एमआईएन / 288/15/2022, दिनांक 27/07/2022 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया।

प्रस्ताव का विवरण - यह पूर्व से संघालित कृष पथर (सीम खनिज) खदान है। खदान धाम-मोहम्मद, तहसील-फरिया, जिला-मुंगेरी स्थित खसरा क्रमांक 898, 899/2 एवं 743, कुल क्षेत्रफल-0.983 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उपखण्ड क्षमता-3.328 टन प्रतिवर्ष है।

तदनुसार परिषदीयता प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी, फरियासमूह के द्वारा दिनांक 08/11/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण -

(अ) समिति की 424वीं बैठक दिनांक 18/11/2022

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री दीपक कुमार राय, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ली, प्रस्तुत जानकारी का अवलीकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति आई गई:-

1. पूर्व से जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:-

- पूर्व से कृष पथर खदान खसरा क्रमांक 898/2, 899 एवं 743, कुल क्षेत्रफल - 0.983 हेक्टेयर, क्षमता - 3.600 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण सहायता निर्धारण प्राधिकरण, जिला-मुंगेरी दिनांक 04/08/2017 को जारी की गई। यह स्वीकृति जारी दिनांक से 5 वर्ष की अवधि तक थी।

परिषदीयता प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि भ्रष्टा सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 18/01/2021 अनुसार-

"BA. Notwithstanding anything contained in this Notification, the period from the 1st April, 2020 to the 31st March, 2021 shall not be considered for the purpose of calculation of the period of validity of Prior Environmental Clearances granted under the provisions of this Notification in view of outbreak of Corona Virus(COVID-19) and subsequent lockdowns (total or partial) declared for its control, however, all activities undertaken during this period in respect of the Environmental Clearance granted shall be treated as valid"

उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता जारी दिनांक से दिनांक 30/08/2023 तक वैध होगी।

- ii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी उपलब्ध की गई है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान बताया गया कि पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन हेतु एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रावपुर में आवेदन दिनांक 17/11/2022 को किया गया है, जो आज दिनांक तक अप्राप्त है। साथ ही पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन हेतु क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, बिलासपुर में आवेदन दिनांक 17/11/2022 को किया जाना बताया गया है। अतः समिति का मत है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, तथा रावपुर अटल नगर से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
- iii. निर्दिष्ट शर्तानुसार 300 नग कूचरोदन किया गया है।
- iv. कार्यालय कलेक्टर (खनिज संधार), जिला-मुनेली के द्वारा अनांक/1387/ख.लि.02/2021 मुनेली, दिनांक 28/07/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार विगत वर्ष में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है-

वर्ष	उत्पादन (टन)
दिनांक 01/08/2017 से 31/03/2018 तक	250
2018-19	850
2019-20	870
2020-21	1,370

- v. कार्यालय कलेक्टर (खनिज संधार), जिला-मुनेली के द्वारा अनांक/824/ख.लि.02/2022 मुनेली, दिनांक 18/11/2022 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार 2021-22 में किये गये उत्खनन की मात्रा 1,880 टन है।
2. घास पंचायत का अनुमति प्रमाण पत्र - उत्खनन के संबंध में घास पंचायत पीएमदा का दिनांक 09/08/2008 का अनुमति प्रमाण पत्र 5 वर्ष हेतु प्रस्तुत किया गया है। इस संबंध में समिति का मत है कि प्रस्तुत घास पंचायत का अनुमति प्रमाण पत्र की वैधता वर्तमान में समाप्त हो चुकी है। अतः उत्खनन के संबंध में घास पंचायत का अद्यतन अनुमति प्रमाण पत्र (अर्थात् वैधक एवं दिनांक सहित) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

3. **कारखाना योजना** - क्वारी प्लान एलॉन विद्य क्वारी कलेक्टर प्लान एन्ड इम्प्लायमेंट मैनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (खनिज विकास), जिला-बलीदाबाजार-मोटापारा के इलाक़े क्रमांक 1871/ख.नि./टीन-1/2018 बलीदाबाजार, दिनांक 27/01/2017 द्वारा अनुमोदित है।
4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान-** कार्यालय कलेक्टर (खनिज विकास), जिला-मुंगेरी के इलाक़े क्रमांक 715/ख.नि-03/2020 मुंगेरी, दिनांक 26/09/2022 अनुसार आवंटित खदान से 500 मीटर के भीतर अवशिष्ट 3 सजातीय खदानें, क्षेत्रफल 3.878 हेक्टेयर है, इसमें अवशिष्ट 500 मीटर के भीतर अवशिष्ट 1 अन्य डोलीमाईट खदान, क्षेत्रफल 4.87 हेक्टेयर है, जिसे दिनांक 29/07/2020 को एल.ओ.आई. जारी किया गया है।
5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** - कार्यालय कलेक्टर (खनिज विकास), जिला-मुंगेरी के इलाक़े क्रमांक 1287/ख.नि-03/2020 मुंगेरी, दिनांक 28/07/2021 द्वारा जारी इलाक़े पर अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मण्डप, अस्पताल, स्कूल, पुल, एनीकट, बांध एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र स्थित नहीं है।
6. **लीज का विवरण** - लीज श्री गौरी राय के नाम पर है। लीज डीक 5 वर्षी अवधि दिनांक 13/08/2008 से 12/08/2011 तक की अवधि हेतु वैध थी। संप्रसारण लीज डीक 25 वर्षी अवधि दिनांक 13/08/2011 से 12/08/2036 तक की अवधि हेतु विस्तारित की गई है।
7. **भू-सम्पत्ति** - भूमि खसरा क्रमांक 608 श्री मनोज राय, खसरा क्रमांक 694/2 श्रीमती विनीता राय एवं खसरा क्रमांक 743 श्री भोला के नाम पर है। कारखाना हेतु भूमि स्वामियों का सहमति पत्र की प्रति प्रस्तुत की गई है।
8. **डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट** - वर्ष 2019 की डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
9. **वन विभाग का अनापत्ति इलाक़े पत्र** - कार्यालय वनस्पतलधिकारी, विलसापुर वनस्पतल, जिला-विलसापुर के इलाक़े क्रमांक/मा.वि./2078/ विलसापुर, दिनांक 05/11/2005 से जारी अनापत्ति इलाक़े पत्र प्रस्तुत किया गया है।
10. **महासूच्य संरचनाओं की दूरी** - निकटतम आवासीय ग्राम-मोहनपुरा 300 मीटर, स्कूल ग्राम-मोहनपुरा 890 मीटर एवं अस्पताल ग्राम-सरागांव 2 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 530 मीटर एवं राज्यमार्ग 38 कि.मी. दूर है। शिवगंगा नदी 1.8 कि.मी., नीसनी नाला 3.85 कि.मी., तालाब 300 मीटर एवं नहर 5.1 कि.मी. दूर है।
11. **परिस्थितिकीय/जैवविविधता सर्वेक्षणशील क्षेत्र** - परियोजना प्रस्तावक द्वारा 18 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित विटिकाली पीएलुटेड एरिया, परिस्थितिकीय सर्वेक्षणशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होगा प्रतिबंधित किया है।
12. **खान लंपटा एवं खान का विवरण** - अनुमोदित क्वारी प्लान के अनुसार जिब्रोलीजिकल रिजर्व 2,03,908 टन (81,582 घनमीटर), साइनेजल रिजर्व 40,783 टन (16,305 घनमीटर) है। वर्तमान में जिब्रोलीजिकल रिजर्व 1,98,842 टन

(19.537 घनमीटर) साईनेबल रिजर्व 38,883 टन (14,381 घनमीटर) क्षेत्र है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए अतिरिक्त क्षेत्र) का क्षेत्रफल 2,782.5 वर्गमीटर है। जीवन काल के भी मेंकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 15 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 0.5 मीटर थी, जिसे पूर्व में ही उत्खनित किया जा चुका है। क्षेत्र की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 20 वर्ष है। लीज क्षेत्र में अंतर स्थपित नहीं है एवं इसकी खानना का प्रभाव नहीं किया गया है। लोक हेमर से ड्रिलिंग एवं सर्टोल एसिडिंग किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का सिंक्रास किया जाता है। सर्वेक्ष प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है-

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)	वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	3,325	षष्ठम	3,325
द्वितीय	3,325	सप्तम	3,325
तृतीय	3,325	अष्टम	3,325
चतुर्थ	3,325	नवम	3,325
पंचम	3,325	दशम	3,325

13. **जल आपूर्ति** - परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 2.82 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति बोरवेल एवं ग्राम पंचायत के सख्त से की जाएगी। इस कार्य ग्राम पंचायत गौडमदल का अतिरिक्त प्रभाव पत्र एवं सेक्टर इंजिनियर की अतिरिक्त की अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।
14. **कुआरीयन कार्य** - लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 276 नम कुआरीयन कुआरीयन किया जाएगा। सर्वेक्षण में 200 नम कुआरीयन किया गया है। क्षेत्र 76 नम कुआरीयन किया जाता प्रस्तावित है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र के भीतर पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के तहत निम्नानुसार कार्य प्रस्तावित है-

विवरण	प्रथम (रुपये)	द्वितीय (रुपये)	तृतीय (रुपये)	चतुर्थ (रुपये)	पंचम (रुपये)
प्रदूषण नियंत्रण हेतु परिवहन के दौरान सड़की/छट्टे चार्ज से उत्पन्न धूल उत्सर्जन को नियंत्रण हेतु जल सिंक्रास	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
खदान की साफपट्टी में (76 नम) कुआरीयन हेतु	कुआरीयन हेतु रजि	760	-	-	-
	खाद हेतु रजि	8,900	8,900	8,900	8,900
	पेसिन्, सिंचाई एवं रक-रकाल हेतु रजि	1,75,000	1,75,000	1,75,000	1,75,000
कुल रजि = 11,80,260	2,32,660	2,31,900	2,31,900	2,31,900	2,31,900

15. खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन - लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी का कुल क्षेत्रफल 2,782.5 वर्गमीटर क्षेत्र है।

विषय में से 191 वर्गमीटर क्षेत्र 4 मीटर की गहराई तक उत्खनित है, जिसका चरमोच्च अनुमोदित कबरी प्लान में दिखाया गया है। उक्त क्षेत्र में प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि उक्त उत्खनित क्षेत्र का पुनर्भरण किया जा चुका है। प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अंश उत्खनन किया जाना पड़े जाने पर परियोजना प्रस्तावक को विस्तृत नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई किया जाना आवश्यक है।

16. चरमोच्चनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा नीचे बोल गईं नियमों के अन्तर्गत हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई हैं। शर्त क्रमांक 5(a) के अनुसार:-

"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

उक्त मानक शर्तों के अनुसार गार्डन लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े सीमा क्षेत्र में कृषिरोपण किया जाना आवश्यक है।

17. गैर गार्डनिंग क्षेत्र – लीज क्षेत्र में संयोजित होने के कारण 470 वर्गमीटर क्षेत्रफल को गैर गार्डनिंग क्षेत्र रखा गया है, जिसका चरमोच्च अनुमोदित कबरी प्लान में दिखाया गया है।

18. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा अर्थात् निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
24.18	2%	0.483	Following activities at Government Primary School Village- Mohbhatta	
			Installation of UV water filter and its AMC	0.25
			Running water arrangement in toilet	0.25
			Total	0.50

19. सी.ई.आर. के तहत प्रस्तावित स्कूल के प्राचार्य (Principal) का सहयोग प्राप्त प्रस्तुत किया गया है। समिति का मत है कि प्रस्तुत सी.ई.आर. कार्य के अतिरिक्त प्रस्तावित स्कूल में आलमिठ एवं पर्यावरण संबंधी पुस्तकों का भी प्रस्ताव शामिल किया हुआ है। सी.ई.आर. कार्य का विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

20. विस्फोटक लाइसेंस का धारक विस्फोटक लाइसेंस धारक (Explosive License Holder) द्वारा कब्जे जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
21. परियोजना से जिन-जिन स्थलों से पब्लिक टिकट बसत उत्सर्जन होगा, उन स्थलों पर निम्नलिखित जल छिड़काव की व्यवस्था किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
22. माइनिंग लीज क्षेत्र के अंदर एवं बाहर साजस जुझारोपन किये जाने एवं उखावी भूमि का 90 प्रतिशत जीवन दर सुनिश्चित किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
23. परियोजना प्रस्तावक द्वारा निम्नलिखित कानूनीय नियम (Minerals Concession Rules) की तहत बाजारपेठे मिलने द्वारा सीमांकन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
24. परियोजना प्रस्तावक द्वारा तालाब, पोखर, नहर, नदी, नाला एवं अन्य जल निकायों की संरक्षण एवं संवर्धन किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
25. पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण विभाग के तहत स्थानीय लोगों को संवेदन दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
26. परियोजना प्रस्तावक द्वारा अंशदंडित (Undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरुद्ध इस परियोजना/कार्य में संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकल्प देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।
27. परियोजना प्रस्तावक द्वारा अंशदंडित (Undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उसके विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिनियमना क्र.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई प्रकल्प का प्रकल्प लंबित नहीं है।

समिति द्वारा उक्त शपथ सर्वसम्मति से गिम्पानुसार किये किया गया था—

1. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नया राधकृष्ण अटल नगर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का प्रारम्भ प्रतिकेन्द्र प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
2. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के अनुरूप निर्धारित शर्तानुसार किये गये सुझावों को पीपी में संख्यांकित (Numbering) एवं पीपी के नाम का उल्लेख किया जाकर फोटोप्रत सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
3. प्रकल्प के संबंध में छान बंधन का अद्यतन अनुमति प्रमाण पत्र (कार्यवाही रिकॉर्ड एवं दिनांक सहित) प्रस्तुत किया जाए।
4. प्रस्तुत सी.ई.आर. प्रस्ताव के अतिरिक्त सहमति अनुसार प्रस्तावित स्थल में आसपास पर्यावरण संबंधी पुस्तकों का भी प्रस्ताव शामिल करने हेतु सी.ई.आर. कार्य का विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
5. माइनिंग लीज क्षेत्र के बायीं ओर 7.5 मीटर चौड़े सेक्टर जोन के कुछ भाग में किये गये प्रकल्पन के कारण इस क्षेत्र के उपयुक्त उपचार (Remedial Measures) की संवेध में उखावी भूमि क्षेत्र के अंदर माइनिंग शिफ्टिंग क्षेत्रों के कारण प्रकल्प

के निर्देशन हेतु आवागमक उपग्रहों तथा कक्षारोपण अति के विषये अनुचित कार्रवाई बाबत सांचालक, संचालनालय, नौमित्री तथा सैनिकर्म्म, इटावती भवन, नया रायपुर अटल नगर, जिला - रायपुर (छत्तीसगढ़) को पत्र लेख किया जाए।

6. अधिविगत 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अतिक्रमण उत्पन्न पाये जाने पर नियमानुसार आवागमक कार्रवाई किये जाने हेतु सांचालक, संचालनालय, नौमित्री तथा सैनिकर्म्म एवं पर्यावरण को अति पहुंचाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रायपुर अटल नगर को नियमानुसार आवागमक कार्रवाई किये जाने हेतु लेख किया जाए।

उपरोक्त अधिविगत जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरान्त आगामी कार्रवाई की जाएगी।

तदनुसार एच.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 08/01/2023 के परिच्छेद में परिचोजन प्रस्तावक द्वारा दिनांक 23/08/2023 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

(ब) समिति की 419वीं बैठक दिनांक 14/08/2023-

समिति द्वारा नसी, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति आई गई-

1. परिचोजन प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन हेतु एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नया रायपुर में आवेदन दिनांक 17/11/2022 किया गया है, जो आज दिनांक तक अप्रत्या है। साथ ही एच.ई. ए.सी. के ज्ञापन दिनांक 08/01/2023 के बाध्यम से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन हेतु एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नया रायपुर को पत्र लेख किया गया है, जो कि अप्रत्या है।

परिचोजन प्रस्तावक द्वारा यह भी बताया गया कि उनके द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन हेतु क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, बिलासपुर में दिनांक 17/11/2022 एवं मुख्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रायपुर अटल नगर में दिनांक 17/11/2022 को आवेदन किया गया है। परिचोजन प्रस्तावक द्वारा पालन प्रतिवेदन प्राप्त होने पर प्रस्तुत किये जाने के शर्त के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने का अनुरोध किया गया है।

उपरोक्त के अनुक्रम में समिति का मत है कि पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रायपुर अटल नगर को पत्र लेख किया जाए।

2. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्त के अनुक्रम निर्धारित तदनुसार किये गये कक्षारोपण के विधों में संस्थापक (Sponsorship) एवं विधे के नाम का उल्लेख करते हुए फोटोसॉफ्ट सहित जानकारी प्रस्तुत किया गया है।
3. पराक्रम के संबंध में पूर्व में जारी वाम पंचायत मोहभद्रा का दिनांक 09/08/2023 के अनुरूपित प्रमाण पत्र को ही लीज अवधि तक मान्य करते हुये, अद्यतन स्थिति में वाम पंचायत मोहभद्रा का दिनांक 10/08/2023 द्वारा

सीमा अवधि दिनांक 12/08/2020 तक उपरोक्त कार्य करने संबंध अनुसूचित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

4. प्रस्तुत सी.ई.आर. प्रस्ताव की अतिरिक्त सहयोग अनुसार प्रस्तावित स्कूल में अखण्डित, पर्यावरण संबंधी पुस्तकों का भी प्रस्ताव शामिल करने हेतु सी.ई.आर. कार्य का विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
24.18	2%	0.483	Following activities at Government Primary School Village- Mohbhata	
			Installation of UV water filter and its AMC	0.25
			Running water arrangement in toilet	0.25
			Donation of Steel Almirah & Books related to Environment Conservation	0.10
Total			0.60	

6. सी.ई.आर. कार्य एवं 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में सुधारकार्य कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि-पक्षीय समिति (अपराइटर/अतिरिक्ति, ग्राम पंचायत के पर्यवेक्षक/अतिरिक्ति एवं जिला प्रशासन या जलसंचयन पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पर्यवेक्षक/अतिरिक्ति) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही, सी.ई.आर. एवं 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में सुधारकार्य का कार्य पूर्ण किया जाने की उपरान्त गठित त्रि-पक्षीय समिति से समाप्तित करना जाना आवश्यक है।

7. सामंजस एम.जी.टी., त्रिनिपाल रोड, नई दिल्ली द्वारा सर्वोदय डिपार्टमेंट भारत सरकार, पर्यावरण, जल और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (अतिरिक्त एलिसकरण नं. 188 ऑफ 2018 एवं अन्य) ने दिनांक 12/08/2020 को पारित आवेदन में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्दिष्ट किया गया है-

- a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha, falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.
- b) If a cluster or an individual lease site exceed 5 ha, EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरान्त कार्यसमिति से निम्नानुसार निर्णय किया गया-

1. पर्यावरण क्लेक्टर (खनिज शाखा), जिला-मुंगेरी के द्वारा, अनांक 715/खनि-09/2020 मुंगेरी, दिनांक 26/09/2022 अनुसार अतिरिक्त कवान

से 500 मीटर की सीमा अर्थात् 3 राजसीय खदानें, क्षेत्रफल 1.678 हेक्टर है।
अर्थात् खदान (घान-मोहनपुर) का क्षेत्र 0.983 हेक्टर है। इस प्रकार
अर्थात् खदान (घान-मोहनपुर) की मिलाकर कुल क्षेत्र 4.238 हेक्टर है।
खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में राजसीय स्वीकृत/राजसिद्ध
खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टर का सबसे कम होने से कारण यह खदान
बी-2 श्रेणी की नहीं रही।

2. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का फलन प्रतिवेदन जलसिद्ध पर्यावरण
संरक्षण मंडल, नया रामपुर अटल नगर से प्राप्त कर एन.ई.आई.ए.ए., जलसिद्ध
में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करने की शर्त के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति की
समाप्ति अनुमति की जाती है।

3. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्मति से आवेदक - मेसर्स मोहनपुर
लाईन स्टोन कारी (प्री- बी सी.सी.ए.ए.) को घान-मोहनपुर, तहसील-खरसिद्ध,
जिला-मुंगेर के खसरा क्रमांक 898, 899/2 एवं 743 में स्थित कुल पथर
(सीमा समित्त) खदान, कुल क्षेत्रफल-0.983 हेक्टर, क्षमता-3,328 टन प्रतिवर्ष
हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुमति की गई।

प्रतिक्रमा द्वारा बैठक में विचार - उपरोक्त प्रकल्प पर प्रतिक्रमा की दिनांक
04/08/2023 को संलग्न 152वीं बैठक में विचार किया गया। प्रतिक्रमा द्वारा
नसी/जानकारी/दस्तावेज का अपडेटेशन किया गया। प्रतिक्रमा द्वारा विचार विमर्श
उपरोक्त सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया कि:-

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का फलन प्रतिवेदन स्वीकृत क्षेत्रीय पर्यावरण
संरक्षण मंडल, पर्यावरण, वन एवं जलसिद्ध परिधान मंडल, नया रामपुर अटल
नगर से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।

2. एन.ई.आई.ए. की तहत प्रस्तावित कार्यों के कार्य पूर्ण उपरोक्त संबंधित स्कूल के
प्राचार्य से कार्यपूर्ण प्रतिवेदन प्राप्त कर, सिटीटन फोटोस्टाक सहित जानकारी
अधीनस्थ निवेदों में समाहित किये जाने बाबत राज्य पत्र (Notarized
undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

3. उपखनन हेतु अर्थात् भूमि के भूमि स्वामियों के भूमि से संबंधित समस्त दिलों की
साथ, भारत के संवत्त नियमों के अधीन फलन की जिम्मेदारी परियोजना
प्रस्तावक की रहेगी, इस बाबत राज्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया
जाए।

उपरोक्त अर्थात् जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरोक्त आगामी कार्यवाही की
जाएगी।

परिधानता प्रस्तावक को उपानुसार सूचित किया जाए।

23. मेसर्स पुरा "अ" सी.सी. लाईन (प्री- बी सी.सी.ए.ए. कुमार गरी), घान-पुरा,
तहसील-खरसिद्ध, जिला-रामपुर (सविधान सं नसी क्रमांक 1243)

अधीनस्थ आवेदन - प्रकल्प नम्बर - एन.ई.आई.ए./ सी.सी./ एन.ई.आई.ए./
220907/2021, दिनांक 20/07/2021 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु अर्थात् किया
गया।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित वेत (वीथ खनिज) खदान है। यह खदान ग्राम-मुवा, तहसील-खरसिया, जिला-रायगढ़ स्थित खसरा क्रमांक 241, कुल क्षेत्रफल-4.5 हेक्टरों में प्रस्तावित है। उत्खनन नामक नदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवंटित उत्खनन क्षमता – 80,000 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

उदानुसार परीक्षाजना प्रस्तावक को एच.ई.ए.सी., खरसिया के ज्ञापन एवं ई-मेल दिनांक 29/07/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकी का विवरण –

(अ) समिति की 384वीं बैठक दिनांक 02/08/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री राजकुमार अल्लुनिया, अधिकृत प्रतिनिधि विधियों कायदाओं की मध्यम से उपस्थित हुए। समिति द्वारा मल्ली, जगतु जागवारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति आई गई:-

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण- इस खदान की पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. ग्राम पंचायत का अनामत प्रमाण पत्र – उत्खनन के संकेत में ग्राम पंचायत मुवा का दिनांक 13/10/2020 का अनामत प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. विन्दकित/सीमांकित – कार्यालय कलेक्टर, खनिज संसाधन से प्राप्त प्रमाण पत्र अनुसार यह खदान विन्दकित/सीमांकित कर घोषित है।
4. उत्खनन शीखता – माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (ख.उ.), जिला-रायगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 1057/ख.नि.-3/रेग/2021 रायगढ़, दिनांक 10/08/2021 द्वारा अनुमोदित है।
5. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान – कार्यालय कलेक्टर (खनिज संसाधन), जिला-रायगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 1058/ख.नि.-3/रेग/2021 रायगढ़, दिनांक 10/08/2021 के अनुसार आवंटित खदान से 500 मीटर की भीतर अवस्थित अन्य वेत खदानों की संख्या निरंक है।
6. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं – कार्यालय कलेक्टर (खनिज संसाधन), जिला-रायगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 1058/ख.नि.-3/रेग/2021 रायगढ़, दिनांक 10/08/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे राष्ट्रीय राजमार्ग, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि अधिषिक्त क्षेत्र निर्मित नहीं है।
7. एल.ओ.आई. संबंधी विवरण – एल.ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनिज संसाधन), जिला-रायगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 801/ख.नि.-3/रेग नीलामी/2021 रायगढ़, दिनांक 13/04/2021 द्वारा जारी की गई, जिसकी कित्त जारी दिनांक से 8 माह की अवधि तक है।
8. वन विभाग का अनामत प्रमाण पत्र – परीक्षाजना प्रस्तावक द्वारा वन विभाग से जारी अनामत प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत नहीं की गई है।
9. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
10. महावृष्ट संरचनाओं की दूरी – निकटतम जाघादी ग्राम-मुवा 1 कि.मी. एवं लखुन ग्राम-मुवा 3 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 40 कि.मी. एवं

राज्यमान 42 कि.मी. दूर है। स्वीकृत रेत खदान के 1 कि.मी. की दूरी तक पुनः/एकीकृत किया गया है।

11. परिसिंचितक्षेत्र/जैवसिंचिता सदैवस्थीत क्षेत्र – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्विटेडब्लै सील्युटेड एरिया, परिसिंचितक्षेत्र सदैवस्थीत क्षेत्र या घोषित जैवसिंचिता क्षेत्र स्थित नहीं होने प्रतिबंधित किया है।
12. खान स्वतः पर नदी के घाट की चौड़ाई एवं खदान की नदी तट से दूरी – आवेदन अनुसार खान स्वतः पर नदी के घाट की चौड़ाई – अधिकतम 818 मीटर, न्यूनतम 418 मीटर तथा खान स्वतः की लंबाई – अधिकतम 244 मीटर, न्यूनतम 215 मीटर एवं खान स्वतः की चौड़ाई – अधिकतम 181 मीटर, न्यूनतम 115 मीटर दर्शाई गई है। खदान की नदी तट के किनारे से दूरी अधिकतम 77 मीटर, न्यूनतम 52 मीटर है।
13. खदान स्वतः पर रेत की मोटाई – आवेदन अनुसार स्वतः पर रेत की गहराई – 3 मीटर से अधिक तथा रेत खान की प्रस्तावित गहराई – 2 मीटर दर्शाई गई है। अनुमोदित गार्डनियेड प्लान अनुसार खदान में गार्डनियेड रेत की मात्रा – 80,000 घनमीटर है। रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्वतः पर वर्गीकरण में उपलब्ध रेत सार्व की मोटाई जानने के लिए प्रस्तावित स्वतः पर 5 गड्ढे (Pits) खोदकर प्रत्येकी वार्षिक गहराई का मापन कर, समिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है। इसके अनुसार रेत की उपलब्ध औसत मोटाई 3.22 मीटर है। रेत की वार्षिक गहराई हेतु संयोजना की प्रस्तुत किया गया है।
14. खदान क्षेत्र में रेत सार्व के क्षेत्रफल – रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्वतः एवं प्रस्तावित स्वतः के घाटों तक में 100 मीटर की दूरी तक, 26 मीटर गुंथा 26 मीटर के चिह्न बिन्दुओं पर दिनांक 05/05/2021 को रेत सार्व के वर्गीकरण लेवलस (Levels) लेकर, उन्हें समिज विभाग से प्रमाणीकरण उद्योग फोटोग्राफस सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है।
15. कॉर्पोरेट वर्दावलीय दायित्व (C.E.R.) – परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के ताम्बा विस्तार से यहाँ उपरोक्त निम्ननुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
42.3	2%	0.84	Following activities at Nearby Government Primary School, Village- Murra	
			Rain Water Harvesting System	0.50
			Running Water Facility for toilets	0.25
			Plantation with fencing	0.10
			Total	0.85

16. रेत उत्खनन वैशुजल विधि से एवं मरई का कार्य सीजल द्वारा कराया जाना प्रस्तावित है।

17. परिवोजना प्रस्तावक द्वारा 2 मीटर की गहराई तक उत्खनन की अनुमति मांगी है। अनुमोदित उत्खनन योजना में उत्खनन किए जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुनर्भरण संबंधी आवश्यक कार्य एवं तासंबंधी आंकड़ों का समावेश नहीं किया गया है। कुराई नदी छोटी नदी है तथा इसमें वर्षाकाल में सामान्यतः 1 मीटर गहराई से अधिक रेत का पुनर्भरण होने की संभावना है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परिवोजना प्रस्तावक को सीज सीमा से निकटतम वन क्षेत्र एवं अमवालय/राष्ट्रीय उद्यान की वार्षिक रेत संबंधी जानकारी, वन विभाग से जारी अनुरोध प्रमाण पत्र की अद्यतन प्रति प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्दिष्ट किया जाए।

तदनुसार एल.ओ.आई. अतीसराह के द्वारा दिनांक 31/08/2021 को परिशेष में परिवोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 14/12/2021 को प्रस्तुत किया गया है।

(ब) समिति की 394वीं बैठक दिनांक 12/01/2022:

अनुमोदित हेतु श्री अर. के. अनुमोद. अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा जारी, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई—

1. कार्यालय वनस्पतलधिकारी, रायगढ़ वनस्पतल, रायगढ़ के द्वारा अनांक/तक. अति./8283/2021/रायगढ़, दिनांक 08/10/2021 से जारी अनुरोध प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन क्षेत्र की सीमा से 12 कि.मी. की दूरी पर है।
2. सीज सीमा से निकटतम अमवालय/राष्ट्रीय उद्यान की वार्षिक रेत संबंधी जानकारी हेतु वन विभाग से जारी अनुरोध प्रमाण पत्र की अद्यतन प्रति प्रस्तुत नहीं की गई है।
3. कार्यालय कलेक्टर (खनिज साखा), जिला-रायगढ़ के द्वारा अनांक 801/ख.नि.-3/रेत नीलामी/2021 रायगढ़, दिनांक 13/04/2021 द्वारा जारी की गई विलकी फैला जारी दिनांक से 6 माह की अवधि तक की। परिवोजना प्रस्तावक द्वारा एल.ओ.आई. की फैला वृद्धि हेतु खनिज विभाग में आवेदन गया है, जिसकी प्रति प्रस्तुत की गई है।
4. परिवोजना प्रस्तावक द्वारा नदी के घाट में 1,500 मग कुआरोपन किया जाना बताया गया है। समिति का मत है कि नदी के घाट में कुआरोपन हेतु स्थल अधिकारी से अनुमति प्रति प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था—

1. सीज सीमा से निकटतम अमवालय/राष्ट्रीय उद्यान की वार्षिक रेत संबंधी जानकारी हेतु वन विभाग से जारी अनुरोध प्रमाण पत्र की अद्यतन प्रति प्रस्तुत किया जाए।
2. एल.ओ.आई. की फैला वृद्धि संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
3. नदी के घाट में कुआरोपन हेतु स्थल अधिकारी से अनुमति प्रति प्रस्तुत किया जाए। साथ ही जिले भूमि पर कुआरोपन कर्न प्रस्तावित है, उस भूमि का सस्ता

अर्थात्, लाना तथा खानिब की स्थिति स्पष्ट होना चाहिए। उक्त मुद्दे किसी भी प्रकार के विवाद में लीज होना चाहिए।

4. सी.ई.ओ. का विस्तृत प्रस्ताव एवं प्रस्तावित स्कूल के प्राचार्य (Principal) का सहमति पत्र प्रस्तुत किया जाए।
5. सी.ई.ओ. के लक्ष् एवं नदी के घाट तथा पशुध मार्ग में कुसनीयण हेतु पीछी का रोपण, खुदा हेतु बेंसिन, खाद एवं सिंचाई तथा रक-रखाव के लिए 5 वर्ष का घटकवार व्यय का विस्तृत विस्तृत प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किया जाए। साथ ही संबंधित पीछी की आगामी पांच वर्ष तक खुदा एवं रक-रखाव का सम्पूर्ण परिसर परिवर्तन प्रस्तावक का होगा। इस आशय का शपथ पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।

उपरोक्त बंदिश जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरंत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

उदाहरण एल.ई.ए.सी., उत्तीरनद के ज्ञापन दिनांक 09/08/2022 के परिपेक्ष में परिवर्तन प्रस्तावक द्वारा दिनांक 23/08/2023 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

(रु) समिति की 470वीं बैठक दिनांक 14/08/2023:

समिति द्वारा नवी, प्रस्तुत जानकारी का अद्यतन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति आई गई—

1. कार्यालय कलकटलधिकारी, रायगढ़ कलकटल, जिला-रायगढ़ के ज्ञापन क्रमांक/तक.अभि./2480/2023 रायगढ़, दिनांक 03/08/2023 से जारी अनारति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र निकटतम वन क्षेत्र की सीमा से 12 कि.मी. दूर है।
2. एल.ओ.आई. की कैलाश बुद्धि वास्तु ग्यागलय संवालय, भीमिडी तथा खनिबर्, नया रायपुर अटल नगर के पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक 49/2023 द्वारा जारी बंदिश आदेश दिनांक 22/03/2023 की प्रति प्रस्तुत की गई है, जिससे अनुसार "उपरोक्त विवेचना के अन्तर्गत पुनरीक्षण प्रकरण स्वीकार करने हेतु, उत्तीरनद नीच खनिब संघालन रेत (उत्खनन एवं खननाय) नियम, 2019 के नियम 7(4) के लक्ष् उक्त प्रकरण में पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त होने उपरंत उत्खनन पट्टा स्वीकृति की कार्यवाही पूर्ण करने हेतु अतिरिक्त समयाधि प्रदान करते हुए प्रकरण कलेक्टर, जिला रायगढ़ को प्राथमिकता दिया जाता है।" होना बताया गया है। जारी एल.ओ.आई. में "सा खदान उत्खननपट्टा आवेदि 2 वर्ष की स्वीकृति के लिए निम्नलिखित शर्तों को पूर्ण हेतु यह आशय पत्र जारी किया जा रहा है।" का उल्लेख है।
3. परिवर्तन प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी में इन पंचावत मुदा की सहमति उपरंत पंचायत स्थान खलत क्रमांक 243/2, क्षेत्रफल 1 हेक्टेयर में क्षेत्र 1,500 मग कुसनीयण का विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 1,500 मग पीछी के लिए राशि 1,08,000 रुपये, बेंसिन के लिए राशि 75,000 रुपये, खाद के लिए राशि 18,000 रुपये तथा रक-रखाव आदि के लिए राशि 1,58,000 रुपये, इस प्रकार प्रमाण वर्ष में कुल राशि 3,51,000 रुपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 8,72,000 रुपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

4. सीईओएर के तहत स्कूल में किये जाने वाले कार्य हेतु स्कूल के प्रिन्सिपल (Principal) का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।
5. सीईओएर के तहत किये जाने वाले कुआरोपम का आगामी पांच वर्ष तक तुलना एवं रख-रखाव का सम्पूर्ण दायित्व परिशोधना प्रस्तावक का होगा। इस अवधि का समय पत्र भी प्रस्तुत किया गया है।
6. सीईओएर के तहत स्कूल में किये जाने वाले पीछे का रोड, सुरक्षा हेतु फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख-रखाव के लिए 5 वर्षों का बटवकार व्यय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव सहित प्रस्तुत नहीं किया गया है।
7. समिति का मत है कि लीज क्षेत्र के भीतर गैर गाईनिंग क्षेत्र में सीमा सारंग लगाया जाना आवश्यक है।
8. सीईओएर कार्य एवं नदी तट में कुआरोपम कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु वि-क्षेत्र समिति (ग्रोवसाईटर/प्रतिनिधि, जल संयंत्र के पर्यवेक्षक/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पर्यवेक्षक/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सीईओएर एवं नदी तट में कुआरोपम का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित वि-क्षेत्र समिति से संचालित कराया जाना आवश्यक है।
9. रेत उत्खनन मैन्युअल विधि से एवं गहराई का कार्य लोडर द्वारा कराया जाना प्रस्तावित है। समिति का मत है कि लोडर जैसे पत्र भारी वाहन की कंपनी के हैं। अतः गहराई का कार्य मैन्युअल विधि से कराई जाये।
10. परिशोधना प्रस्तावक द्वारा 2 मीटर की गहराई तक उत्खनन की अनुमति नहीं है। अनुमोदित उत्खनन योजना में उत्खनन किए जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुनर्पूरण संबंधी अध्ययन कार्य एवं तलाकड़ी आकड़ों का समावेश नहीं किया गया है। माफ़ नदी छोटी नदी है तथा इसमें वर्षाकाल में सामान्यतः 1 मीटर गहराई से अधिक रेत का पुनर्पूरण होने की संभावना है।

समिति द्वारा विशार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया—

1. आवेदित खदान (ग्राम-मुठ) का नकश 4.5 हेक्टर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की दूरी में स्थित/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टर या उससे कम होने के कारण यह खदान सी-2 श्रेणी की मानी गयी।
2. परिशोधना प्रस्तावक रेत खदान क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्ष में विस्तृत गार अध्ययन (Situation Study) करायेगा, ताकि रेत के पुनर्पूरण (Replenishment) बाधित नहीं आकड़े, रेत उत्खनन का नदी, नदीतल, स्थानीय जनसंघ, जीव एवं सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव तथा नदी के तनी की गुणवत्ता पर रेत उत्खनन के प्रभाव की गरी जानकारी प्राप्त हो सके।
3. लीज क्षेत्र की छतह का रेकलार्डिंग बाटा -
 - अ. रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व उपरोक्तानुसार निर्धारित चिह्न बिन्दुओं पर नदी में रेत की सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे कर, उसके आकड़े तबकाल एसईआईएर, छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किये जायें।
 - ब. पोस्ट-मानसून (अक्टूबर/नवम्बर माह में रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व) इसी चिह्न बिन्दुओं में गाईनिंग लीज क्षेत्र तथा लीज क्षेत्र के अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर तक तथा खनन लीज के बाहर / नदी तट

(दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह को सार्थी (Levee) का सार्थी पूर्व निर्धारित रिक्त बिन्दुओं पर किया जाएगा।

- iii. इसी प्रकार रेत खनन उपरोक्त मानसून के पूर्व (नई माह के अंतिम सप्ताह/जून के प्रथम सप्ताह) इसी रिक्त बिन्दुओं पर रेत सतह को लेवलस (Levee) का मानन किया जाएगा।
 - iv. रेत सतह के पूर्व निर्धारित रिक्त बिन्दुओं पर रेत सतह को लेवलस (Levee) के मानन का कार्य आगामी 3 वर्ष तक निरंतर किया जाएगा। पोस्ट-मानसून के आंकड़े विसम्बर 2023, 2024, 2025 एवं प्री-मानसून के आंकड़े अपरिल 2023, 2024, 2025 तक अनिवार्य रूप से एच.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किए जायेंगे।
4. सी.ई.आर. के तहत स्कूल में किये जाने वाले पौधों का रोपण, सुरक्षा हेतु बीसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख-रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव को एच.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करने की सार्थी के अधीन पर्यावरणीय स्वैच्छिता की सतर्क अनुमति की जाती है।
 5. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्पत्ति से बेसर्क मुक्त "अ" सेक्टर माईनिंग (जे- की महेश कुमार नदी), खसरा क्रमांक 241, ग्राम-कुप, तहसील-खरीया, जिला-रायचूर, कुल लीज क्षेत्रफल 4.5 हेक्टेयर क्षेत्र के कुल 80 प्रतिशत क्षेत्रफल में ही रेत उत्खनन अधिकतम 1 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए, कुल 45,000 घनमीटर प्रतिवर्ष रेत उत्खनन हेतु पर्यावरणीय स्वैच्छिता, खनन कट्टे की निष्पादन की तारीख से पांच वर्ष तक की अवधि हेतु दिये जाने की अनुमति की गई। रेत की खुदाई समिति द्वारा (Manually) की जाएगी। निचर बेड (Miner Bed) में पानी कहरनी/पंखों का प्रयोग प्रतिबंधित रहेगा। लीज क्षेत्र में स्थित रेत खुदाई गड्ढे (Excavation pits) से लीडिंग प्वाइंट तक रेत का परिवहन ट्रैक्टर द्वारा होता किया जाएगा।
 6. सस्टेनेबल सेक्टर माईनिंग मैनेजमेंट गाइडलाइन्स, 2018 (Sustainable Sand Mining Management Guidelines 2018) एवं इन्फोर्समेंट एण्ड मॉनिटरिंग गाइडलाइन्स फॉर सेक्टर माईनिंग, 2020 (Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining) के अनुसार मानन सुनिश्चित किया जाए।
 7. इन्फोर्समेंट एण्ड मॉनिटरिंग गाइडलाइन्स फॉर सेक्टर माईनिंग, 2020 (Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining) के तहत 80 प्रतिशत क्षेत्र में उत्खनन कार्य किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

प्रतिक्रिया द्वारा रेटक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्रतिक्रिया की दिनांक 04/08/2023 को संपन्न 152वीं बैठक में विचार किया गया। प्रतिक्रिया द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। प्रतिक्रिया द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्पत्ति के निम्नानुसार निर्णय लिया गया कि:-

1. सी.ई.आर. के तहत स्कूल में किये जाने वाले पौधों का रोपण, सुरक्षा हेतु बीसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख-रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत जाए।
2. सी.ई.आर. के तहत प्रस्तावित कार्यो के कार्य पूर्ण उपरोक्त संबंधित स्कूल से प्राचार्य से कार्यपूर्ण प्रतिवेदन प्राप्त कर, नियोजन फोटोवाक सहित जानकारी

आधिकारिक रिपोर्ट में समर्थित विवेक जाने बाबत कबाल पास (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त बंदिता जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरंत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परिचयना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

24. भेदाती कु, निबिता गुम्बर (भादा सोम्ब माईन्), धाम-भादा, तहसील-जांजगीर, जिला-जांजगीर-बांग (सविद्यालय का नक्ती क्रमांक 1181)

एच.ई.आई.ए.ए. चलीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 523, दिनांक 30/08/2020 द्वारा कु, निबिता गुम्बर, भादा सोम्ब माईन्, खसरा क्रमांक 590, धाम-भादा, धाम पंचायत नवापदा, तहसील-जांजगीर, जिला-जांजगीर-बांग, कुल लीज क्षेत्रफल 5 हेक्टर में से 1.5 हेक्टर क्षेत्र 150 वर्गमीटर क्षेत्र कम करने पर 4.50 हेक्टर क्षेत्र में से 1.5 हेक्टर क्षेत्र 1.5 मीटर की महसूई तक सीमित रखते हुए कुल 74.000 वर्गमीटर प्रतिवर्ष सेत उत्खनन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति, जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु जारी की गई।

कु, निबिता गुम्बर, भादा सोम्ब माईन्, खसरा क्रमांक 590, धाम-भादा, धाम पंचायत नवापदा, तहसील-जांजगीर, जिला-जांजगीर-बांग को एच.ई.आई.ए.ए. चलीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 523, दिनांक 30/08/2020 के माध्यम से पर्यावरणीय स्वीकृति की सेत उत्खनन पट्टा खदान की अवधि तक विस्तार मानते हुये अनिवार्य पास जारी करने की संघ में ज्ञापन आवेदन पर मार्गदर्शन विवेक जाने बाबत दिनांक 05/04/2023 को यह प्रस्तुत किया गया है, जिसमें उल्लेखित तथ्य निम्नानुसार है-

भेदाती निबिता गुम्बर, विता की मनेन्द्र सिंह गुम्बर, निबिता- दफालबद जिला-बिलासपुर, छ.ग. के पास में धाम भादा, वर्तमान धाम पंचायत भादा, तहसील-जांजगीर, जिला-जांजगीर-बांग के हंसदेव नदी सिधा खसरा क्रमांक 590 रकबा 5 हेक्टर, क्षेत्र पर सेत उत्खननपट्टा खदान स्वीकृत है। जिसका अनुबंध निष्पादन दिनांक 11/08/2020 एवं परीक्षण दिनांक 19/08/2020 को समर्थित किया गया है। सेत उत्खननपट्टा खदान की अवधि (02 वर्ष) दिनांक 18/08/2020 से 18/08/2022 तक था जिसे पट्टेदार के आवेदन पर चलीसगढ़ गीम खनिज संचालन सेत (उत्खनन एवं कबलाव) नियम 2019 के नियम 4 के तहत 01 वर्ष वृद्धि विवेक जाने से सेत उत्खनन पट्टा खदान की अवधि (03 वर्ष) दिनांक 18/08/2020 से 18/08/2023 तक है।

उपरोक्त सेत खदान हेतु पर्यावरण स्वीकृति दिनांक 30/08/2020 को 02 वर्षों के लिये जारी हुआ है। कोरोना काल में 01 वर्ष की अवधि 01 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 के कालखण्ड में रहने वाली के अवधि के अनुसार पर्यावरण स्वीकृति की केवल में 09 माह एवं 20 दिन की वृद्धि हुई है। जिससे तक सेत उत्खनन पट्टा खदान की पर्यावरण की अवधि दिनांक 30/03/2023 को समाप्त हो गयी है। वर्तमान में सेत उत्खनन पट्टा खदान से खनिज सेत का उत्खनन एवं परिवहन बंद है।

उत्खननपट्टाधारी द्वारा दिनांक 31/03/2023 को इस कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत कर लेख किया है कि भारत का संवैधानिक पर्यावरण, वन और जलवायु संचालन अधिनियम दिनांक 12/04/2022 एवं भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं

जलवायु मंत्रालय (जलवायु आकलन विभाग) का F.No. 1A3-22/28/2022-1A.111[E181584] दिनांक 13/12/2022 के अनुसार किसी भी राष्ट्रीय प्रोजेक्ट जिसकी पर्यावरण अनुमति 12/04/2022 की स्थिति में है या जो पर्यावरणमित्रता की अवधि तक या 30 वर्ष की अवधि जो भी कम हो, के लिये विस्तारित हो जायेगा। भूमि रैत खदान की अवधि दिनांक 18/08/2023 तक है जो रैत खदान की पर्यावरण की स्वीकृति की अवधि जो रैत खदान की अवधि तक विस्तारित करने हेतु रैत खदान की रैत उत्खनन एवं परिवहन हेतु अनुमति एवं अभिवहन पास जारी करने का अनुरोध किया गया है।

उपरोक्त तथ्यों के परिच्छेद में परियोजना प्रस्तावक द्वारा निम्न हेतु मार्गदर्शन दिने जाने का अनुरोध किया गया है:-

जब धान बादा, वर्तमान धान संघदा माटा, तहसील-जांजगीर, जिला-जांजगीर-बाघ के समवेत गरी सिता खसत क्रमांक 500 रकबा 5 हेक्टेयर क्षेत्र पर स्वीकृत रैत उत्खननप्रदा खदान जिसकी अवधि (03 वर्ष) दिनांक 18/08/2020 से 18/08/2023 है। भारत का सरकार में प्रकृतित पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय अधिसूचना दिनांक 12/04/2022 एवं भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय (जलवायु आकलन विभाग) का F.No. 1A3-22/28/2022-1A.111[E181584] दिनांक 13/12/2022 के पत्र के परिच्छेद में पर्यावरण स्वीकृति की किरा की रैत खदान की अवधि समाप्त दिनांक 18/08/2023 तक विस्तारित करने हेतु उत्खनन की अनुमति एवं रैत परिवहन हेतु अभिवहन पास जारी किया जा सकता है या नहीं?

प्रतिकूल द्वारा बैठक में विचार - उपरोक्त प्रकरण पर प्रतिकूल की दिनांक 28/04/2023 को संयुक्त बैठक में विचार किया गया। प्रतिकूल द्वारा नसी/इसतारेज का अवलोकन किया गया।

प्रतिकूल द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्मति से निर्णय किया गया कि नानवीय एन.जी.टी. द्वारा जारी दिशा-निर्देश तथा भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा समय-समय पर जारी अधिसूचनाओं एवं अधिनियमों के परिच्छेद में परीक्षण उपरोक्त उपरोक्त अनुमति दिने जाने हेतु प्रकृतन की एन.ई.ए.सी., कर्तव्य के समक्ष प्रस्तुत दिने जाने का निर्णय किया गया।

बैठक का विवरण -

(अ) समिति की 470वीं बैठक दिनांक 14/08/2023

समिति द्वारा नसी, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण कर परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई-

1. उपरोक्त खदान की खनिज विभाग द्वारा रैत उत्खननप्रदा दिनांक 18/08/2020 से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु जारी किया गया तथा एक वर्ष विस्तारित करने हेतु रैत क्षेत्र में दिनांक 18/08/2020 से 18/08/2023 तक पर्यावरण प्रदा स्वीकृत किया गया। राज्य सरकार पर्यावरण समाचार निदेशक प्रतिकूल, व.व. के ज्ञान दिनांक 30/05/2020 द्वारा जारी दिनांक से 2 वर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया गया।
2. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक व.व.आ 1807(अ), दिनांक 12/04/2022 के अनुसार

"Provided that in the case of mining projects or activities, the validity shall be counted from the date of execution of the mining lease." का उल्लेख है।

3. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक का.आ. 1807(अ), दिनांक 12/04/2022 के अनुसार "GA. Notwithstanding anything contained in this notification, the period from the 1st April, 2020 to the 31st March, 2021 shall not be considered for the purpose of calculation of the period of validity of Prior Environmental Clearances granted under the provisions of this notification in view of outbreak of Corona Virus (COVID-19) and subsequent lockdowns (total or partial) declared for its control, however, all activities undertaken during this period in respect of the Environmental Clearance granted shall be treated as valid." का उल्लेख है।
4. समिति द्वारा चया गया कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 12/04/2022 के प्रावधानों के अनुसार खनन परियोजना के मामले में पर्यावरणीय स्वीकृति की गणना खनन पट्टे के निष्पादन तारीख से मान्य होगी।

साथ ही समिति द्वारा यह भी चया गया कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक का.आ. 1807(अ), दिनांक 12/04/2022 के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 की अवधि में कोरोना वायरस के प्रकोप को देखते हुए और उत्पन्न हुए इसके नियंत्रण के लिए घोषित लॉकडाउन के दृष्टि में इस अधिसूचना के प्रावधानों के अंतर्गत पूरे पर्यावरणीय स्वीकृति की विधिमान्यता की अवधि की गणना को इराज के लिए विचार नहीं किया जाएगा क्योंकि पर्यावरणीय स्वीकृति के संबंध में उक्त अवधि के दौरान अपनाए गये सभी क्रियाकलाप विधिमान्य समझे जायेंगे।

5. उपरोक्त अधिसूचनाओं से समिति का सर्वसम्मति से यह है कि पर्यावरणीय स्वीकृति की काल की गणना खनन पट्टे के निष्पादन तारीख (दिनांक 19/08/2020) से मान्य होगी, जिससे कि पर्यावरणीय स्वीकृति की काल दिनांक 18/08/2022 तक थी। चूंकि उक्त अधिसूचना दिनांक 12/04/2022 के अनुसार दिनांक 19/08/2020 से दिनांक 31/03/2021 तक की अवधि को पर्यावरणीय स्वीकृति की गणना में शामिल नहीं करने के कारण अपेक्षित खदान की पर्यावरणीय स्वीकृति की काल दिनांक 31/03/2023 तक थी।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपर्युक्त सर्वसम्मति से उपरोक्त तथ्यों से परियोजना प्रस्तावक को अवगत कराये जाने की अनुमति की गई।

प्रतिक्रमा द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्रतिक्रमा की दिनांक 04/08/2023 को संपन्न 152वीं बैठक में विचार किया गया। प्रतिक्रमा द्वारा जारी/दस्तावेज का अवलोकन किया गया। उपरोक्त तथ्यों एवं दस्तावेजों के अध्ययन पर प्रतिक्रमा द्वारा विचार विमर्श उपर्युक्त सर्वसम्मति से समिति की अनुमति को स्वीकार करते हुए उपरोक्त तथ्यों से परियोजना प्रस्तावक को अवगत कराये जाने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को तदनुसार सूचित किया जाद।



25. बेसई बीमती भावना शर्मा (एम-1) केंद्राधिकार सेम्ब्ड माईन्, ग्राम-केंद्राधिकार, तहसील-बलोदा, जिला-जोधपीर-बांध (सुविधान्य का नस्ली क्रमांक 1200)

एच.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ के ज्ञानन क्रमांक 805, दिनांक 15/08/2020 द्वारा बीमती भावना शर्मा, एम-1 केंद्राधिकार सेम्ब्ड माईन्, ग्राम-केंद्राधिकार, तहसील-बलोदा, जिला-जोधपीर-बांध, कुल लीज क्षेत्रफल 5 हेक्टर पर क्षेत्र में, रेत उत्खनन अधिकतम 1.5 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए, कुल 75,000 घनमीटर प्रतिवर्ष रेत उत्खनन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति, जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु जारी की गई।

बीमती भावना शर्मा, एम-1 केंद्राधिकार सेम्ब्ड माईन्, ग्राम-केंद्राधिकार, तहसील-बलोदा, जिला-जोधपीर-बांध को एच.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ के ज्ञानन क्रमांक 805, दिनांक 15/08/2020 के माध्यम से पर्यावरणीय स्वीकृति को रेत उत्खनन पट्टा खदान की अवधि तक विस्तार मानती हुई अभिवहन प्राप्त जारी करने के संबंध में प्राप्त आवेदन पर मार्गदर्शन दिये जाने काबत दिनांक 05/04/2023 को पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें उल्लेखित तथ्य निम्नानुसार है-

बीमती भावना शर्मा निवासी एल आई जी 78 विभाग 01 नियर दुर्गा पीक, इन्डसिंग रोड सड्डू, रायपुर जिला-रायपुर, छ.ग. के पत्र में ग्राम-केंद्राधिकार, ग्राम पंचायत केंद्राधिकार, तहसील-बलोदा, जिला-जोधपीर बांध (छ.ग.) के इन्डिय नदी बल्लर क्रमांक 879, कुल रकबा 5 हेक्टर पर रेत उत्खननपट्टा खदान स्वीकृत है। जिसका अनुसंधान निष्पत्तन दिनांक 06/07/2020 एवं परीक्षण दिनांक 14/07/2020 को संचालित किया गया है। रेत उत्खननपट्टा खदान की अवधि (02 वर्ष) दिनांक 14/07/2020 से 13/07/2022 तक था जिसे पट्टेदार के आवेदन पर छत्तीसगढ़ गौण खनिज सञ्चालन रेत (उत्खनन एवं व्यवसाय) नियम 2019 के नियम 4 के तहत 01 वर्ष वृद्धि किये जाने से रेत उत्खनन पट्टा खदान की अवधि (03 वर्ष) दिनांक 14/07/2020 से 13/07/2023 तक है।

उपरोक्त रेत खदान हेतु पर्यावरण स्वीकृति दिनांक 15/08/2020 को 02 वर्षों के लिये जारी हुआ है। कोरोना काल में 01 वर्ष की अवधि 01 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 को केंद्राधिकार ने पढ़ने वाली रेत अवधि के अनुसार पर्यावरण स्वीकृति की काल में 08 माह एवं 28 दिन की वृद्धि हुई है। जिससे रात रेत उत्खनन पट्टा खदान की पर्यावरण की अवधि दिनांक 30/03/2023 को समाप्त हो गयी है। वर्तमान में रेत उत्खनन पट्टा खदान से खनिज रेत का उत्खनन एवं परिवहन बंद है।

उत्खननपट्टेदारी द्वारा दिनांक 31/03/2023 को इस कार्यालय में आवेदन प्राप्त कर लेख किया है कि भारत का राज्यघर में स्थापित पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय अधिसूचना दिनांक 12/04/2022 एवं भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय (ग्राम आकलन विभाग) का F.No. 143-22/28/2022-1A.11(E181564) दिनांक 13/12/2022 के अनुसार किसी भी माईनिंग प्रोजेक्ट जिसकी पर्यावरण अनुमति 12/04/2022 की तिथि में रेत है वह सदा उत्खननपट्टा लीज अवधि तक या 30 वर्ष की अवधि जो भी कम हो, के लिये विस्तारित हो जायेगा। चूंकि रेत खदान की अवधि दिनांक 13/07/2023 तक है। अतः रेत खदान की पर्यावरण की स्वीकृति की काल की अवधि को रेत खदान की अवधि तक विस्तारित करना हुये रेत खदान के रेत उत्खनन एवं परिवहन हेतु अनुमति एवं अभिवहन प्राप्त जारी करने का अनुरोध किया गया है।

उपरोक्त तथ्यों के परिच्छेद में परिभाषित प्रस्तावक द्वारा किया हेतु कार्रवाईयें किए जाने का अनुरोध किया गया है -

बदायूँ जिले-कोटाखण्ड, ग्राम चंदावात खोलाखण्ड, तहसील-बलीदा, जिला-जोधपुर प्रांत (वि.प्र.) के इस्वीय नदी खण्ड क्रमांक 479, कुल लम्बा 5 हेक्टेयर क्षेत्र पर रेत उत्खननपट्टा खदान विभागीय अधि (20 वर्ष) दिनांक 14/07/2020 से 13/07/2023 ई. भारत का सरकार में इकाहित पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय अधिनियम दिनांक 12/04/2022 एवं भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय (प्रभाव आकलन विभाग) का F.No. 1A3-23/28/2022-1A.111[E181584] दिनांक 13/12/2022 के पत्र के परिच्छेद में पर्यावरण स्वीकृति की किरा की रेत खदान की अधि संपत्ति दिनांक 13/07/2023 तक विस्तारित करने हेतु सरकार की अनुमति एवं रेत परिवहन हेतु अभियान पास करने किया जा सकता है या नहीं।

अधिकरण द्वारा बैठक में विचार - उपरोक्त प्रकरण पर अधिकरण की दिनांक 28/04/2023 की संपन्न 145वीं बैठक में विचार किया गया। अधिकरण द्वारा नसी/दस्तावेज का अपलोडिंग किया गया।

अधिकरण द्वारा विचार दिनांक उपरोक्त सार्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि माननीय एन.जी.टी. द्वारा जारी विश्व-निर्देशों तथा भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा राज्य-स्तरीय पर जारी अधिनियमों एवं अधिसूचनाओं के परिच्छेद में परीक्षण उपरोक्त अनुमति किए जाने हेतु प्रकरण की एच.ई.ए.सी., भारतीय नदी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।

बैठक का विवरण -

(अ) समिति की 470वीं बैठक दिनांक 14/08/2023

समिति द्वारा नसी, प्रस्तुत जानकारी का अपलोडिंग एवं परीक्षण का परीक्षण करने पर निम्न निर्णय किये गये -

1. अधिसूचित खदान को सन्निध विभाग द्वारा रेत उत्खननपट्टा दिनांक 14/07/2020 से 02 वर्ष तक की अधि हेतु जारी किया गया तथा एक वर्ष विस्तारित करने हेतु एक क्षेत्र में दिनांक 14/07/2020 से 13/07/2023 तक उत्खनन पट्टा स्वीकृत किया गया। राज्य स्तर पर्यावरण मंत्रालय निर्धारित अधिकरण, ग्राम, के संपन्न दिनांक 13/08/2020 द्वारा जारी दिनांक से 2 वर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया गया।
2. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिनियम क्रमांक का.अ. 1807(अ), दिनांक 12/04/2022 के अनुसार "Provided that in the case of mining projects or activities, the validity shall be counted from the date of execution of the mining lease" का उल्लेख है।
3. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिनियम क्रमांक का.अ. 1807(अ), दिनांक 12/04/2022 के अनुसार "6A. Notwithstanding anything contained in this notification, the period from the 1st April, 2020 to the 31st March, 2021 shall not be considered for the purpose of calculation of the period of validity of Prior Environmental Clearances granted under the provisions of this notification in view of outbreak of Corona Virus (COVID-19) and subsequent lockdowns (total or partial) declared for its control, however, all activities undertaken during this

period in respect of the Environmental Clearance granted shall be treated as valid" का उल्लेख है।

4. समिति द्वारा पाया गया कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 12/04/2022 के प्रावधानों के अनुसार खनन परियोजना के मामलों में पर्यावरणीय स्वीकृति की गणना खनन पट्टे के निष्पादन तारीख से मान्य होगी।

समय ही समिति द्वारा यह भी पाया गया कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक का.आ. 1807(अ), दिनांक 12/04/2022 के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 की अवधि में कोरोना वायरस के प्रकोप की वजह से हुए और जलवायु इसके निबंधन के लिए घोषित लोककालम के दृष्टि से इस अधिसूचना के उपबन्धों के अंतर्गत पूर्ण पर्यावरणीय स्वीकृति की विधिमान्यता की अवधि की गणना को पर्यावरण के लिए विचार नहीं किया जाएगा क्योंकि पर्यावरणीय स्वीकृति के संबंध में उक्त अवधि के दौरान अपवाद गये सभी शिवालय विधिमान्य समझे जाएंगे।

5. उपरोक्त अधिसूचनाओं से समिति का सर्वसम्मति से मत है कि पर्यावरणीय स्वीकृति की केंद्रों की गणना जीव खनन पट्टे के निष्पादन तारीख (दिनांक 14/07/2020) से मान्य होगी, जिससे कि पर्यावरणीय स्वीकृति की केंद्रों दिनांक 13/07/2022 तक थी। चूंकि उक्त अधिसूचना दिनांक 12/04/2022 के अनुसार दिनांक 14/07/2020 से दिनांक 31/03/2021 तक की अवधि को पर्यावरणीय स्वीकृति की गणना में शामिल नहीं किया जाने के कारण अपेक्षित केंद्रों की पर्यावरणीय स्वीकृति की केंद्रों दिनांक 31/03/2022 तक थी।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्मति से उपरोक्त कथों से परियोजना प्रस्तावक को अलगत कराये जाने की अनुमति की गई।

प्रधिकरण द्वारा बैठक में विचार - उपरोक्त प्रकरण पर प्रधिकरण की दिनांक 04/08/2022 को संघन 152वीं बैठक में विचार किया गया। प्रधिकरण द्वारा जारी / दस्तावेज का अपलोडिंग किया गया। उपरोक्त कथों एवं दस्तावेजों के आधार पर प्रधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्मति से समिति की अनुमति को स्वीकार करते हुए उपरोक्त कथों से परियोजना प्रस्तावक को अलगत कराये जाने का निर्णय किया गया।

परियोजना प्रस्तावक को तटानुसार सूचित किया जाए।

सूचना आदेश क्रमांक-3

राष्ट्रीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रधिकरण (सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार), कार्पोरेट परियोजना निदेशक, परियोजना कार्यान्वयन इकाई, जमतरी के द्वारा दिनांक 24/04/2023 द्वारा "Development of Sangi-Basanwahi Section from Km.42+500 to Km.99+500 of NH- 130CD under Raipur-Vishakhapatnam under Raipur-Vishakhapatnam Economic Corridor in the State of Chhattisgarh on HAM mode Environment Clearance of Stone Mine used for construction of Government project (Bharatmala) - Reg." के संबंध में।

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार), कार्पोरेट परियोजना निदेशक, परियोजना कार्यान्वयन इकाई, प्रमारी के द्वारा दिनांक 24/04/2023 द्वारा "Development of Sargi-Basanwahi Section from Km.42+800 to Km.99+500 of NH- 130CD under Raipur-Vishakhapatnam under Raipur-Vishakhapatnam Economic Corridor in the State of Chhattisgarh on HAM mode Environment Clearance of Stone Mine used for construction of Government project (Bharatmala) - Reg." के संघ में पत्र भेजा गया है।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकल्प पर प्राधिकरण की दिनांक 22/05/2023 की संयम 149वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नदी/दर्रावेज/पत्र का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा नोट किया गया कि पत्र में उल्लेखित तथ्य निम्नानुसार है—

"Development of Six lane Sargi-Basanwahi Section of NH-130 CD road from Km. 42+800 to Km 99+500 under Raipur-Vishakhapatnam Bharatmala Panyonya has been awarded to Concessionaire M/s Raipur-Vishakhapatnam CG-2 Highways Limited & appointed date was declared on 09/01/2023. Presently the work is under progress.

Concessionaire vide letter dt.14/01/2023 has informed that they have has applied for environment clearance for minor minerals (stones) vide application No 424308, 424420, 424447 & 424454 dt.05/04/2023 for village Dharbuda, Teh - Mazarid & application No 424509, 424681, 424686 & 424712 dt.05/04/2023 for vil-Gondalanala, The-Nagri.

In view of the above, as the said Bharatmala project is highly prestigious project of Govt. of India & is being monitored by higher Authority at various level, therefore it is requested to do the needful action for environment clearance for minor mineral (stones) at the earliest so that project will be completed on schedule time."

प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि उपरोक्त पत्र का अवलोकन किया जाने हेतु प्रकरण को एस.ई.ए.टी., उत्तरीकरण के संघ प्रस्तुत किया जाने का निर्णय लिया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 475वीं बैठक दिनांक 14/08/2023

समिति द्वारा नदी, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण कर, विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्मति से पूर्व में समिति की आवेदित 475वीं बैठक दिनांक 22/05/2023 में प्रकरणों पर विचार कर पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया जाने की अनुमति की गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकल्प पर प्राधिकरण की दिनांक 04/08/2023 की संयम 152वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नदी/दर्रावेज का अवलोकन किया गया तथा यह पत्र पत्र कि एस.ई.आई.ए.ए. का महत्व पर्यावरणीय हितों की रक्षा तथा संरक्षण के लिए किया गया है। का पर्यावरणीय Safeguards and protection को ध्यान में रखकर ही परियोजना (जीटोमिक/उत्पन्न/निर्माण) का पर्यावरण पर प्रभाव मुल्यांकन किया जाता है। तदनुसार प्राधिकरण द्वारा निर्णय किया जाने की प्रक्रिया तथा परम्पत है।

भारतीय राष्ट्रीय राजस्व प्रविजन (सड़क परिवहन और राजस्व मंत्रालय, भारत सरकार), कार्पोरेट प्रविजन निदेशक, प्रविजन कार्यालय इकाई, धर्मपुरी को तदनुसार सूचित किया जाए।

एजेन्डा आइटम क्रमांक-4 प्रविजन प्रस्तावक द्वारा प्रेषित सशुद्ध जानकारी/रखावेज/पत्र प्राप्त प्रकरणों में अनावेदन पत्रावृत्त विचार कर पर्यावरणीय स्वीकृति / टीजेआन / अन्य आवश्यक निर्णय लिया जाना।

1. मेसर्स मोहनदास लार्डिन स्टीन कार्परी (प्री- बीनती विनीत राय), धाम-मोहनदास, तहसील-धर्मपुरा, जिला-मुंबई (सर्विसेस का नसी क्रमांक 2115)

ऑनसाईन आवेदन - प्रोजेक्ट नम्बर - एचआईए/ सीजी/ एचआईए/ 200001/2022, दिनांक 27/07/2022 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण - यह पूर्व में संशुद्ध पुनः पत्रावृत्त (पीन सनिज) खदान है। धाम-मोहनदास, तहसील-धर्मपुरा, जिला-मुंबई स्थित खदान क्रमांक 852, 853 एवं 854, कुल क्षेत्रफल-0.482 हेक्टेयर है। खदान की आवेदित राजस्व अंश-4.760 टन प्रतिवर्ष है।

तदनुसार प्रविजन प्रस्तावक को एचआईएसी, तहसील-धाम के अधिन दिनांक 06/11/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकी का विवरण -

(अ) समिति की 434वीं बैठक दिनांक 18/11/2022

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री दीपक कुमार राय, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नसी, प्रस्तुत जानकारी का अनावेदन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई-

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण-

1. पूर्व में पुनः पत्रावृत्त (पीन सनिज) खदान खसरा क्रमांक 852, 853 एवं 854, कुल क्षेत्रफल - 0.482 हेक्टेयर, अंश - 5.925 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण समन्वय निदेशक, जिला-मुंबई द्वारा दिनांक 01/09/2017 को जारी की गई। यह स्वीकृति जारी दिनांक से 5 वर्ष की अवधि तक थी।

प्रविजन प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 18/01/2021 अनुसार-

"GA. Notwithstanding anything contained in this Notification, the period from the 1st April, 2020 to the 31st March, 2021 shall not be considered for the purpose of calculation of the period of validity of Prior Environmental Clearances granted under the provisions of this Notification in view of outbreak of Corona Virus(COVID-19) and subsequent lockdowns (total or partial) declared for its control, however, all activities undertaken during this period in respect of the Environmental Clearance granted shall be treated as valid."

परिचालन अधिसूचना के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति की कक्षा जारी दिनांक से दिनांक 30/08/2023 तक वैध होगी।

- a. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है। परिचालन प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतिकरण के दौरान बताया गया कि पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन हेतु एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर में आवेदन दिनांक 17/11/2022 को किया गया है, जो आज दिनांक तक अध्याप्त है। साथ ही पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन हेतु क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, बिलासपुर में आवेदन दिनांक 17/11/2022 को किया जाना बताया गया है। अतः समिति का मत है कि परिचालन प्रस्तावक द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, तथा रायपुर अटल नगर में प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
- b. निर्धारित शर्तानुसार 200 मज कुमावतेंपन किया गया है।
- c. कार्यालय कलेक्टर (खनिज संधार), जिला-मुंगेली के ज्ञापन क्रमांक/1388/खनि.02/2021 मुंगेली, दिनांक 28/07/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार दिनांक वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:-

वर्ष	उत्पादन (टन)
दिनांक 01/09/2017 से 31/03/2018 तक	1,100
2018-19	596
2019-20	1,058
2020-21	2,010

- d. कार्यालय कलेक्टर (खनिज संधार), जिला-मुंगेली के ज्ञापन क्रमांक/825/ख.नि.02/2022 मुंगेली, दिनांक 18/11/2022 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार 2021-22 में किये गये उत्खनन की मात्रा 3,180 टन है।
2. दाम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र – उत्खनन के संबंध में दाम पंचायत मोहमदवा का दिनांक 13/11/2008 का अनापत्ति प्रमाण पत्र 5 वर्ष हेतु प्रस्तुत किया गया है। इस संबंध में समिति का मत है कि प्रस्तुत दाम पंचायत के अनापत्ति प्रमाण पत्र की कक्षा वर्तमान में समाप्त हो चुकी है। अतः उत्खनन के संबंध में दाम पंचायत का अटल अनापत्ति प्रमाण पत्र (कार्यवाही के एक दिन/दिनांक सहित) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
 3. उत्खनन योजना – क्वार्टी प्लान प्लानिंग विधि क्वार्टी क्लीयर प्लान एन्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (खनिज प्रशासन), जिला-बलीदाबाजार-भारतमाता के ज्ञापन क्रमांक 2284/ख.नि./टीन-1/2016 बलीदाबाजार, दिनांक 17/02/2017 द्वारा अनुमोदित है।
 4. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान – कार्यालय कलेक्टर (खनिज संधार) जिला-मुंगेली के ज्ञापन क्रमांक 714/खनि-02/2022-23 मुंगेली, दिनांक 28/08/2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 5

खदान, क्षेत्रफल 3.737 हेक्टर है। इसके अधिकांश 500 मीटर की गहराई पर अवस्थित। अन्य खोलोमाईट खदान, क्षेत्रफल 4.97 हेक्टर है, जिसे दिनांक 28/07/2020 को एल.ओ.आई. जारी किया गया है।

5. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएँ – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-मुंगेली के डायन क्रमांक 1288/सति-03/2020 मुंगेली, दिनांक 28/07/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मस्जिद, अस्पताल, स्कूल, पुल, एनिकाट, राष्ट्रीय राजमार्ग, बांध एवं जल आपूर्ति जदि प्रतिबंधित क्षेत्र स्थित नहीं है।
6. भूमि एवं लीज का विवरण – भूमि आवेदक के नाम पर है। पूर्व में लीज की लीज पुनोजा के नाम पर थी। लीज क्षेत्र 5 वर्षों अवधि दिनांक 08/07/2010 से 07/07/2015 तक की अवधि हेतु था थी। लीज कीड का हस्तांतरण दिनांक 12/03/2013 को श्रीमति विनीता राय के नाम पर किया गया। हस्तांतरण लीज क्षेत्र 25 वर्षों अवधि दिनांक 08/07/2015 से 07/07/2040 तक विस्तारित की गई है।
7. डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट – वर्ष 2019 की डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
8. वन विभाग का अनुमोदित प्रमाण पत्र – कार्यालय जलमण्डलधिकारी, बिलासपुर जलमण्डल, जिला-बिलासपुर के डायन क्रमांक/भा.वि./777 बिलासपुर, दिनांक 23/01/2010 से जारी अनुमोदित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
9. महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी – निकटतम आवारी घाट-बोहराटल 300 मीटर, स्कूल घाट-बोहराटल 870 मीटर, एवं अस्पताल घाट-सर्गांव 1.9 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 480 मीटर एवं राज्यमार्ग 18.2 कि.मी. दूर है। बिलासपुर नदी 3.7 कि.मी., बीसमी नाल 1.75 कि.मी., तालाब 300 मीटर एवं नहर 5.1 कि.मी. दूर है।
10. पारिस्थितिकीय/जैववैविध्यता सर्वेक्षणशील क्षेत्र – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्लिंटकली पोल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय सर्वेक्षणशील क्षेत्र या घोषित जैववैविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रमाणित किया है।
11. खनन संयंत्र एवं खनन का विवरण – अनुमोदित खननी प्लान के अनुसार विघोलीकृत रिजर्व 1,54,880 टन (81,880 घनमीटर), माईनेबल रिजर्व 58,074 टन (29,229 घनमीटर) है। खनिज में विघोलीकृत रिजर्व 1,48,282 टन (88,517 घनमीटर), माईनेबल रिजर्व 50,134 टन (20,883 घनमीटर) संघ है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (वास्तव्य के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 1,880 वर्गमीटर है। सीमा वास्ट सीमा फैरेन्साइज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। वास्तव्य की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 15 मीटर है। लीज क्षेत्र में कुल मिट्टी की मोटाई 0.5 मीटर तथा कुल मात्रा 882 घनमीटर थी, जिसे पूर्व से ही उत्खनित किया जा चुका है। क्षेत्र की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की स्थापित आयु 25 वर्ष है। लीज क्षेत्र में कवर स्थापित नहीं है एवं इसकी स्थापना का प्रस्ताव नहीं किया गया है। जैक हेमल से डिजिटल एवं कंट्रोल स्थापित किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण

हेतु जल का सिंचकाल किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)	वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	5,925	षष्ठम	4,700
द्वितीय	4,700	सप्तम	4,700
तृतीय	4,700	अष्टम	4,700
चतुर्थ	4,700	नवम	4,700
पंचम	4,700	दशम	4,700

12. **जल आपूर्ति** - परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 2.73 घनमीटर प्रतिदिन होती है। जल की आपूर्ति बोरेवेल एवं ग्राम पंचायत के माध्यम से की जायेगी। इस बाबत ग्राम पंचायत मोहभट्टा का अनुरोध प्रमाण पत्र एवं सेन्ट्रल राजस्व ऑफिस अथॉरिटी की अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।
13. **कुआरीफल कार्य** - लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 200 नम कुआरीफल किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र के भीतर सर्वांगीण प्रबंधन योजना के तहत निम्नानुसार कार्य प्रस्तावित है:-

विवरण	प्रथम वर्ष (रुपये)	द्वितीय वर्ष (रुपये)	तृतीय वर्ष (रुपये)	चतुर्थ वर्ष (रुपये)	पंचम वर्ष (रुपये)	
प्रदूषण नियंत्रण हेतु परिवहन के दौरान सड़कों/पट्टीय मार्ग से उत्पन्न धूल उत्पत्ती को नियंत्रण हेतु जल सिंचकाल	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	
खदान के बाजम्बूरी (200 नम) कुआरीफल के रख-रखाव हेतु	खान हेतु राशि	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
	के रोलिंग सिपाई एवं 100-रखाव हेतु राशि	1,75,000	1,75,000	1,75,000	1,75,000	1,75,000
कुल राशि = 11,50,000	2,30,000	2,30,000	2,30,000	2,30,000	2,30,000	

14. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** - प्राकृतिकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी का कुल क्षेत्रफल 1,660 वर्गमीटर क्षेत्र है, जिसमें से वर्तमान आवेदक को लीज जारी होने से पूर्व से ही 875 वर्गमीटर क्षेत्र 50 मीटर की गहराई तक उत्खनित है, जिसका उल्लेख अनुमोदित कब्रि प्लान में किया गया है। प्रतिदिन 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में क्रोध उत्खनन किया जाना चाहे जाने पर परियोजना प्रस्तावक के निरूद्ध निम्नानुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाना आवश्यक है।

15. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा नीचे जोल माइनिंग प्रोजेक्ट हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई हैं। शर्तें क्रमांक 4.13.10 के अनुसार:-

"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

उक्त मानक शर्तों के अनुसार माईन सीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े रोपटी क्षेत्र में कृषादेयता किया जाना आवश्यक है।

16. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के राय विस्तार से पूर्ण उत्तरों निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
22.43	2%	0.448	Following activities at Government Middle School Village- Mohbhatta	
			Installation of UV water filter and its AMC	0.30
			Running water arrangement in toilet	0.17
				0.47

17. सी.ई.आर. के तहत प्रस्तावित स्कूल के प्राचार्य (Principal) का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है। समिति का मत है कि परियोजना प्रस्तावक की सहमति अनुसार प्रस्तुत सी.ई.आर. कार्य के अतिरिक्त प्रस्तावित स्कूल में आलमिका एवं पर्यावरण संबंधी पुस्तकों का भी प्रस्ताव शामिल करते हुए सी.ई.आर. कार्य का विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
18. बंदूक खरीदना का कार्य विस्फोटक लाइसेंस धारक (Explosive License Holder) द्वारा कराया जाने वाला गारंटी पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
19. परियोजना से दिन-दिन बढ़ती ही पब्लिकिटीय इंसट उत्सर्जन होगा, उन स्थलों पर निर्धारित जल विद्यमान की आवश्यकता किये जाने वाला गारंटी पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

20. माइनिंग लीज क्षेत्र के अंदर एवं बाहर संपन्न कुक्षारीयता विधे जाने एवं एकल पौधों का 80 प्रतिशत जीवन दर सुनिश्चित विधे जाने बाबत सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
21. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मिनराला कनसेशन नियम (Minerals Concession Rule) के तहत राजगढ़ी मिलन द्वारा सीमांकन का कार्य सुनिश्चित विधे जाने बाबत सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
22. परियोजना प्रस्तावक द्वारा तालाब, नहर, नहर, नदी, खाड़ा एवं अन्य जल निकायों के संरक्षण एवं संरक्षण विधे जाने बाबत सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
23. कर्तीयसम्पन्न आवर्त पुनर्वास नीति के तहत स्थानीय लोगों को रोजगार विधे जाने हेतु सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
24. परियोजना प्रस्तावक द्वारा अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उसके विरुद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।
25. परियोजना प्रस्तावक द्वारा अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उसके विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिनियमना का.का. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई चलचलन का प्रकरण लंबित नहीं है।

समिति द्वारा उल्लेख्य सर्वसम्पत्ति से निम्नानुसार निर्णय किया गया था—

1. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नया राधपुर अटल नगर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का चलन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
2. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के तारी के अनुक्रम निर्धारित तारानुसार विधे नये कुक्षारीयता के पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं पौधे के नाम का उल्लेख किया जाकर सीटीआरएस सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
3. उल्लेखन के संबंध में दाम पंचायत का आवरण अनामलि प्रमाण पत्र (कार्यवाही शैल्य एवं दिनांक सहित) प्रस्तुत किया जाए।
4. प्रस्तुत सीई.आर. प्रस्ताव के अतिरिक्त सहस्रति अनुसार प्रस्तावित स्थान में अलमिंत, पर्यावरण संबंधी पुरातनों का भी प्रस्ताव सहित कपते हुने सीई.आर. कार्य का विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
5. माइनिंग लीज क्षेत्र के काली क्षेत्र 7.5 मीटर चौड़े सीमा जीम के कुछ भाग में विधे नये उल्लेखन के कारण इस क्षेत्र के उपचारी उपार्थी (Unsettled Minerals) के संबंध में उक्त लीज क्षेत्र के अंदर माइनिंग क्रियाकलापों के चलन चलन प्रदूषण के नियंत्रण हेतु आवश्यक उपार्थी पत्रा कुक्षारीयता आदि के विधे समुचित उपार्थी बाबत संचालक, संचालनालय, भीमिडी तथा खनिकर्ण, इंडावली भवन, नया राधपुर अटल नगर, जिला – राधपुर (अलीगढ़) को पत्र लेख किया जाए।
6. प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा कट्टी में अवैध उल्लेखन पाये जाने पर निम्नानुसार आवश्यक कार्यवाही विधे जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भीमिडी तथा खनिकर्ण एवं पर्यावरण को इति पट्टुपाने हेतु कर्तीयसम्पन्न पर्यावरण संरक्षण

संकर, नया रायपुर अटल नगर को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु लेख किया जाए।

उपरोक्त उचित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने परतः आगामी कार्यवाही की जाएगी।

उत्तमानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 09/01/2023 के परिपत्र में परिचोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 18/01/2023 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये गये।

(ब) समिति की 448वीं बैठक दिनांक 24/01/2023:

समिति द्वारा नस्ली, प्रस्तुत जानकारी का अंशोक्त एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई—

1. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में परिचोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त किये जाने हेतु एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर में दिनांक 17/11/2022 को तथा क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, बिलासपुर में दिनांक 17/11/2022 को आवेदन किया गया है। साथ ही एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ ज्ञापन दिनांक 09/01/2023 के ज्ञापन से एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर को पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने हेतु अनुरोध पत्र लिखा गया है। परिचोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का अनुरोधित पालन प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरोक्त एस.ई.ए.सी./एस.ई.आर.ए.ए., छत्तीसगढ़ में प्रस्तुत किये जाने बाबत सत्य पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के अनुरूप निर्धारित शर्तानुसार किये गये कृतोत्पन्न के पौधों में संयोजन (Symplocos) एवं पीपे के नाम का उल्लेख किया जाकर फोटोसमूह सहित जानकारी प्रस्तुत की गई है।
3. उत्खनन के संबंध में राम पंचायत मोड़मटला का दिनांक 15/11/2009 का अनाधिकृत प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। इस संबंध में परिचोजना प्रस्तावक का कथन है कि दिनांक 15/11/2009 को जारी पंचायत प्रस्ताव में लिखी गई शर्तों के अनुसार पंचायत प्रस्ताव प्रपि की 1 वर्ष के भीतर खनिज विभाग से लीज स्वीकृत करना अनिवार्य था। पंचायत प्रस्ताव में दी गई उक्त शर्तों के अनुसार ही खनिज विभाग से 08/07/2010 को 1 वर्ष के भीतर लीज अनुबंध कराया गया था। अतः उक्त पंचायत प्रस्ताव प्रभावी है।
4. परिचोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित स्कूल में आत्मनिर्भर, पर्यावरण संबंधी पुरस्कों का भी प्रस्ताव शामिल करके ह्यूमैनीटी (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार संशोधित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है—

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh)

				Rupees)
			Following activities at Government Middle School Village- Mohbhata	
			Installation of UV water filter and its AMC	0.30
22.43	2%	0.448	Running water arrangement in toilet	0.17
			Books related to Environment Conservation and Amins for Books	0.10
				0.57

सी.ई.आर. के तहत प्रस्तावित स्कूल के प्राचार्य (Principal) का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

6. समिति का मत है कि सी.ई.आर. एवं कृषासंयम कार्य के नॉन्फिटिंग एवं सर्वेक्षण हेतु त्रि-सदस्यीय समिति (प्रोन्साईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या उत्तीसपट्ट पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं कृषासंयम का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरान्त गठित त्रि-सदस्यीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।

8. वानवीय एन.जी.टी., डिस्ट्रिक्ट लेव, नई दिल्ली द्वारा सर्वेड वानवीय रिपोर्ट बनाते समय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (प्रॉसिजरल एपिलिकेशन नं. 186 ऑफ 2018 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है-

- a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.
- b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरान्त सर्वेक्षण/रिपोर्ट से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला-मुंगेली के दायन क्रमांक 714/खनि-02/2002-23 मुंगेली, दिनांक 28/09/2002 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर से भीतर अवस्थित 5 खदानें (पूना पत्थर) क्षेत्रफल 3.757 हेक्टर है, इनके अतिरिक्त 500 मीटर से भीतर अवस्थित 1 अन्य डोलेमाईट खदान, क्षेत्रफल 4.97 हेक्टर है, जिसे दिनांक 29/07/2000 को एन.जी.आई. जारी किया गया है। आवेदित खदान (बान-मोहनदर) का क्षेत्रफल 0.482 हेक्टर है। आवेदित खदान पूरा पत्थर खदान है। इस प्रकार सदृश खनिज (पूना पत्थर) हेतु आवेदित खदान (बान-मोहनदर) को मिलाकर कुल रकबा 4.239 हेक्टर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित सदृश खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी-2 श्रेणी की नहीं गयी।

2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्मति से आवेदक - मेसर्स ग्रीनफ़िल्ड लाईन स्टोन क्वारी (प्री- बीमती विनीता राय) को ग्राम-गोहणद्वारा, तहसील-कधीरवा, जिला-मुंगेरी के खसरा क्रमांक 852, 853 एवं 854 में स्थित कुल पत्थर (नीम खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल-0.482 हेक्टेयर, क्षमता - 4,700 टन प्रतिवर्ष हेतु सशर्त पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुमति की गई।
1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी भारत सरकार, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नया रायपुर अटल नगर से प्राप्त कर की एस.ई.आई.ए.ए. प्रतीसमाह में आवेदक रूप से प्रस्तुत करने की शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति की सशर्त अनुमति की जाती है।

प्रधिकरण द्वारा बैठक में विचार - उपरोक्त प्रकरण पर प्रधिकरण की दिनांक 20/03/2023 को संयुक्त बैठक में विचार किया गया। प्रधिकरण द्वारा सशर्त का अवलोकन किया गया। प्रधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया-

1. समिति की अनुमति को स्वीकार करते हुए आवेदक - मेसर्स ग्रीनफ़िल्ड लाईन स्टोन क्वारी (प्री- बीमती विनीता राय) को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया गया। समिति द्वारा निर्धारित शर्तों के अंतर्गत निर्दिष्ट किये गये शर्तों का पालन सुनिश्चित किया जाए। पालन नहीं किये जाने की स्थिति में विधिवत कार्यवाही की जाएगी।
2. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी भारत सरकार, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नया रायपुर अटल नगर से प्राप्त कर प्रस्तुत किये जाने की उपरोक्त एवं नियमानुसार जानकारी/दस्तावेज पूर्ण होने की स्थिति में ही परियोजना प्रस्तावक को सशर्त पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र जारी किया जाए।

एस.ई.आई.ए.ए. प्रतीसमाह के अग्रिम दिनांक 28/03/2023 के परिधि में पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी भारत सरकार, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नया रायपुर अटल नगर से आज दिनांक तक अग्रगत है।

कार्यक्रम में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज प्राप्त नहीं होने के संबंध में दिनांक 21/04/2023 को सशर्त पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने बाबत अनुमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

प्रधिकरण द्वारा बैठक में विचार - उपरोक्त प्रकरण पर प्रधिकरण की दिनांक 22/04/2023 को संयुक्त बैठक में विचार किया गया। प्रधिकरण द्वारा सशर्त/दस्तावेज/पत्र का अवलोकन किया गया। प्रधिकरण द्वारा नोट किया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमति पत्र में उल्लेखित तथ्य निम्नानुसार है-

ग्राम ग्रीनफ़िल्ड तहसील कधीरवा, जिला मुंगेरी (उ.प्र.) के खसरा क्रमांक 852, 853, 854 में आवेदित क्षेत्र सतह 0.482 हेक्टेयर क्षेत्र में कुल पत्थर (नीम खनिज) खदान क्षमता 5,000 टन प्रतिवर्ष हेतु खदान की जिला स्तरीय पर्यावरण समाचार प्रधिकरण जिला मुंगेरी जमीनदाह द्वारा दिनांक 01/09/2017 को जारी पर्यावरण स्वीकृति क्रमांक 1178/कति 02/सी.ई.आई.ए.ए. प्राप्त है। उक्त पर्यावरण स्वीकृति हेतु सर्टिफाइड कम्प्लायंस प्राप्त करने के लिए दिनांक 17/11/2022 को क्षेत्रीय

अधिकारी, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, एम.ओ.ई.एन. अल्प भवन सेक्टर 19, नया रावपुर अटल नगर को आवेदन प्रस्तुत किया गया था।

दिनांक 17/11/2022 को सदस्य सचिव, पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रावपुर अटल नगर रावपुर (उ.प्र.) को सर्टिफाईड कॉम्प्लायंस प्राप्त करने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया गया था।

दिनांक 17/11/2022 को क्षेत्रीय अधिकारी क्षेत्रीय कार्यालय (उ.प्र.) पर्यावरण संरक्षण मंडल विलासपुर (उ.प्र.) में भी सर्टिफाईड कॉम्प्लायंस प्राप्त करने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया गया था। अतः दिनांक तक उक्त कार्यालयों से हमें सर्टिफाईड कॉम्प्लायंस प्राप्त नहीं हो पाया है।

पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त न हो पाने के कारण मेरी छुट्टान में उत्पादन रुका हुआ है, जिससे छुट्टान में कार्यरत दर्जन भर से ऊपर मजदूरों के परिवार को रोजगार नहीं मिल पा रहा है एवं उनकी आजीविका का राशन बंद हो गया है अतः हम समस्त की आजीविका को राशन को प्रदान करने के लिए मुझे पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की कृपा करें। जहां लिए एन पासन प्रतिवेदन का सर्टिफाईड कॉम्प्लायंस प्राप्त हो जाने पर जानकारी प्रस्तुत किया जाएगा। इस संबंध में राज्य एन दिनांक 19/01/2023 को राज्य स्तर पर्यावरण विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, छत्तीसगढ़ भारत सरकार पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, पर्यावास भवन सेक्टर-19, नया रावपुर अटल नगर, जिला-रावपुर (उ.प्र.) में जमा किया गया है। अतः आवेदित प्रकरण में त्वरित पर्यावरण स्वीकृति प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

प्रधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरंत सर्वसम्मति से पूर्व में प्रधिकरण की 142वीं बैठक दिनांक 20/03/2023 में निर्णय किया गया कि पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के तर्जों के पालन में की गई कार्यवाही का पालन प्रतिवेदन मंगाये जाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल को पत्र लेख किया जाए।

एन.ई.आई.एन. छत्तीसगढ़ के ज्ञान दिनांक 06/06/2023 को परिप्रेष्य में छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 04/07/2023 को प्रस्तुत किया गया है।

प्रधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्रधिकरण की दिनांक 04/08/2023 को संपन्न 152वीं बैठक में विचार किया गया। प्रधिकरण द्वारा जानकारी/दस्तावेज का अवलोकन किया गया। प्रधिकरण द्वारा नोट किया गया कि सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रावपुर अटल नगर द्वारा दक्षिण पालन प्रतिवेदन में परिपोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्णतः तर्जों का पालन किया जाना पाया गया तथा रोपित किये गये 200 नग पीछी में से 100 नग पीछी उर्वरित हैं।

प्रधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरंत सर्वसम्मति से पूर्व में प्रधिकरण की 142वीं बैठक दिनांक 20/03/2023 में लिये गये निर्णय के अन्तर्गत पर्यावरणीय स्वीकृति निम्न अतिरिक्त तर्जों को अतीत जारी किये जाने का निर्णय लिया गया-

1. सी.ई.आर. के तहत प्रस्तावित तर्जों के कार्य पूर्व उपरंत शासकीय संस्थान (राजस्व विभाग) से कार्यपूरी प्रतिवेदन प्राप्त कर डिपॉजिट कोर्टोघात सहित जानकारी अर्थात् रिपोर्ट में सम्मिलित किया जाए।
2. माईनिंग क्षेत्र क्षेत्र के अंदर एवं बाहर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पीछी का सन्वाईजल नेट (Survival net) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किया जाए।

रकम ही कुलरोपण का रकम-रकम आगामी 5 वर्ष तक सुनिश्चित कलौ हुमे मृत
पार्टी को प्रतिस्थापित (Mortality replacement) किया जाए।

परिवोजना प्रस्तावक को कलौ पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया जाए।

2. मेसर्स बीमती पीएम पीएल (पेंशनदात आईन स्टोन पाईन्), ग्राम-बंसदात, लहरील
व जिला-राजनांदगांव (समितिगत का नली क्रमांक 1295)

ऑनलाइन आवेदन - पूर्व में प्रवेजल नम्बर - एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/
152544/ 2020, दिनांक 08/08/2020 द्वारा टी.ओ.आर हेतु आवेदन किया गया
था। वर्तमान में प्रवेजल नम्बर - एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 79876/2020,
दिनांक 04/07/2022 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए फाईनल
ई.आई.ए रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है।

प्रस्ताव का विवरण - यह पूर्व से संघारित मृदा पत्थर (नीम खनिज) खदान है।
खदान ग्राम-बंसदात, लहरील व जिला-राजनांदगांव स्थित पार्टी ऑफ़ खसरा क्रमांक
391/1, कुल क्षेत्रफल-2.02 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन
क्षमता-82.888 टन प्रतिवर्ष है।

पूर्व में एस.ई.ए.सी. प्रलीक्षण के प्रारम्भ क्रमांक 2317, दिनांक 28/03/2021 द्वारा
प्रकरण 'बी' श्रेणी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु
परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2016 में प्रकाशित स्टेपडॉई टर्न ऑफ़ रिक्वेस्ट
(टी.ओ.आर) फॉर ई.आई.ए./ ई.एन.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टिविटीज सिक्वायिंग
इन्वायन्मेंट क्लीयरेंस अन्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी (ए) का
स्टेपडॉई टी.ओ.आर (लोक मृदाई सहित) हेतु टी.ओ.आर. जारी किया गया है।

तदनुसार परिवोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी. प्रलीक्षण के प्रारम्भ दिनांक
18/10/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण -

(अ) समिति की 431वीं बैठक दिनांक 28/10/2022

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री समीर पीएल, अधिकृत प्रतिनिधि एवं पर्यावरण सलाहकार के
सम में मेसर्स पी एम् एम सी.एल, पीएल, उत्तराखण्ड की ओर से श्री महूल कुमार
उपस्थित हुए। समिति द्वारा नली, प्रस्तुत जानकारी का अद्योक्षण एवं परीक्षण करने
पर निम्न स्थिति आई गई-

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण-

1. पूर्व में मृदा पत्थर खदान खसरा क्रमांक 391/1, कुल क्षेत्रफल-2.024
हेक्टेयर, क्षमता-82.888 टन प्रतिवर्ष हेतु जिला स्तरीय पर्यावरण सलाहकार
निर्धारण प्रधिकरण जिला-राजनांदगांव द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक
18/01/2017 को जारी की गई। यह स्वीकृति जारी दिनांक से दिनांक
21/08/2020 तक वैध थी।

2. परिवोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के
पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रोटोकॉल सहित प्रस्तुत की गई
है। समिति का मत है कि परिवोजना प्रस्तावक द्वारा प्रकीकृत क्षेत्रीय
कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,

राजपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

- iii. विस्तारित सार्वजनिक सुझावोपन नहीं किया गया है।
- iv. कार्यालय कलेक्टर (शनिच साखा), जिला-राजनांदगांव के द्वारा क्रमांक 1859/स.सि.02/2022 राजनांदगांव, दिनांक 21/10/2022 द्वारा विगत वर्ष में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है-

वर्ष	उत्खनन (टन)
2017-18	22,216
2018-19	निरक
2019-20	निरक
2020-21	निरक
2021-22	निरक

2. ग्राम पंचायत का अनाथित प्रमाण पत्र - उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत राजसपुर का दिनांक 18/11/2008 का अनाथित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. उत्खनन योजना - महीनिय प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो ग्राम-संचालक (श.प.) संचालनालय, भौमिकी तथा सन्निकर्ष नया राजपुर अटल नगर के पृ. द्वारा क्रमांक 4325/स.सि.02/म.प.स.अनुमोदन/न.क्र.08/2019(1) नया राजपुर, दिनांक 27/10/2020 द्वारा अनुमोदित है।
4. 500 मीटर की परिधि में निश्चित खदान - कार्यालय कलेक्टर (शनि साखा), जिला-राजनांदगांव के द्वारा क्रमांक 1880/स.सि. 02/2022 राजनांदगांव, दिनांक 21/10/2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर की मीटर 4 खदानें, क्षेत्रफल 5.384 हेक्टेयर है।
5. 200 मीटर की परिधि में निश्चित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं - कार्यालय कलेक्टर (शनि साखा), जिला-राजनांदगांव के द्वारा क्रमांक 284/स.सि. 03/2020 राजनांदगांव, दिनांक 30/01/2020 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरवाट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनोकाट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
6. भूमि एवं लीज का विवरण - यह राजसीय भूमि है। लीज बीबीटी नीलम चौदहान के नाम पर है। लीज बीड 5 वर्ष अवधि दिनांक 31/07/2007 से 30/07/2012 तक की अवधि हेतु वैध थी। लीज बीड का प्रथम नवीनीकरण दिनांक 31/07/2012 से 30/07/2017 तक की अवधि हेतु किया गया था। तात्पश्चात् लीज बीड 20 वर्ष अवधि दिनांक 31/07/2017 से 30/07/2037 तक की अवधि हेतु विस्तारित की गई है।
7. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट - वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
8. वन विभाग का अनाथित प्रमाण पत्र - कार्यालय वनमण्डल अधिकारी, वनमण्डल सीरागाढ़, जिला-राजनांदगांव के द्वारा क्रमांक/स.सि./न.क्र. /10-1/2020/1944 राजनांदगांव, दिनांक 24/02/2020 से जारी अनाथित

प्रमाण एवं अनुसूचित आवेदित क्षेत्र निकटतम इन क्षेत्र की सीमा से 8 कि.मी. की दूरी पर है।

9. महात्मा जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सड़क विकास कार्यक्रम (एन.एच.डी.सी.) की दूरी - निकटतम आबादी घन-समुदाय 480 मीटर, स्थूल घन-समुदाय 1 कि.मी. एवं अल्पघन सड़क-समुदाय 15 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 15 कि.मी. एवं राजमार्ग 2.25 कि.मी. दूर है। तालाब 2.25 कि.मी. एवं अरिफा नदी 8.4 कि.मी. दूर है।

10. पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र - परिचोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राष्ट्रीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केंद्रीय प्रमुख निबंधन बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली वॉन्डरेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिबंधित किया है।

11. खनन संयंत्र एवं खनन का विवरण - जियो-लॉजिकल रिजर्व 8,44,537 टन, मार्बल रिजर्व 5,37,412 टन एवं निकल-कोर रिजर्व 5,10,541 है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 4,085 वर्गमीटर है। खनन कार्य लेनी क्वेन-इन्फ्रस्ट विधि से संचालन किया जाता है। खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 25 मीटर है, जिसमें से गहराई क्षेत्र की सीमाई 10 मीटर है। उपरी मिट्टी की मोटाई 1 मीटर की, जिसे पूर्ण से संरक्षित किया जा चुका है। क्षेत्र की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 11 वर्ष है। लीज क्षेत्र में खनन स्थापित नहीं है एवं इसकी स्थापना का प्रस्ताव नहीं किया गया है। जैक ड्रिल से ड्रिलिंग एवं कटौत प्रारंभित किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित खनन का विवरण निम्नानुसार है-

वर्ष	प्रस्तावित खनन (टन)	वर्ष	प्रस्तावित खनन (टन)
प्रथम	48,185	चतुर्थ	49,992
द्वितीय	49,995	पंचम	49,999
तृतीय	49,995	अष्टम	49,732.5
चतुर्थ	49,992	नवम	49,920.2
पंचम	49,991.5	दशम	47,854

12. जल आपूर्ति - परिचोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 8 घणमीटर प्रतिदिन होती है। जल की आपूर्ति बोरोल से माध्यम से की जाती है। इस बाबत सेन्ट्रल बोरोल बोर्ड अधीनस्थ की अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।

13. कुआरोग्य कार्य - लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 600 मी. कुआरोग्य किया जाना प्रस्तावित है। परिचोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र की सीमा पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के तहत निम्नानुसार कार्य प्रस्तावित है-

विवरण	प्रथम (रुपये)	द्वितीय (रुपये)	तृतीय (रुपये)	चतुर्थ (रुपये)	पंचम (रुपये)
खदान से कुआरोग्य (30 सड़क) में प्रविष्टत जीवन (800 मी) कर हेतु राशि	49,780	4,940	4,940	4,940	4,940
कुआरोग्य हेतु पंक्ति हेतु राशि	1,27,400	-	-	-	-
कुआरोग्य हेतु कार्य हेतु राशि	4,920	487	487	487	487

सिमेंट एवं एल-सिमेंट	2,68,000	2,18,000	2,18,000	2,18,000	2,18,000
कुल रशि = 13,33,808	4,48,100	2,21,427	2,21,427	2,21,427	2,21,427

14. खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा चट्टी में उल्लानन - सीमा क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा चट्टी में उल्लानन कार्य नहीं किया गया है।

15. ई.आई.ए. रिपोर्ट का विश्लेषण :-

i. जल एवं वायु आदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी - मॉनिटरिंग कार्य मार्च से 18 जून 2021 के बीच किया गया है। 10 किलोमीटर के अंतर्गत 10 स्थानों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन, 10 स्थानों पर भू-जल गुणवत्ता मापन, 10 स्थानों पर ध्वनि स्तर मापन, 10 स्थानों पर सड़की जल गुणवत्ता तथा 8 स्थानों पर मिट्टी के गमूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।

ii. मॉनिटरिंग परिणामों के अनुसार पीएम, एसओ₂, एनओ₂ का मानक लेवल:-

Concentration level ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) of criteria pollutants			
Criteria Pollutants	Minimum ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Maximum ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	CPCB Standard ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
PM _{2.5}	25.87	55.56	60
PM ₁₀	46.54	68.23	100
SO ₂	8.54	14.68	80
NO ₂	10.84	21.09	80

iii. परियोजना स्थल के आसपास जल स्रोतों की गुणवत्ता:- ई.आई.ए. के Chapter-3 Description of environment में दशमि गढ़े लेवल अनुसार क्लोरोफ्लोर, फ्लोराईट, नाइट्रेट्स, कल्चर, कार्बोनेट्स, आर्सेनिक, मर्करी, कैडमियम एवं अन्य पर्यावरणिक तत्वों का मानक लेवल भारतीय मानक से कम है।

iv. परिवेशीय ध्वनि स्तर:-

Noise level - dB (A)			
Equivalent Noise level	Minimum dB (A)	Maximum dB (A)	CPCB Standard dB (A)
Day L _{eq}	47.89	54.87	75
Night L _{eq}	32.1	46.21	70

जो जल क्षेत्र के निर्धारित मानक स्तर से कम है।

v. पी.सी.यू. की गणना:- मार्च बहनों / बल्टीखाल हेवी बहनों को समर्पित करते हुये ट्रेकिंग अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार वर्तमान में 48 पी.सी.यू. प्रतिघंटा एवं की/सी अनुपात (MC 1800) 0.043 है। प्रस्तावित परियोजना संपन्न 8 पी.सी.यू. की वृद्धि होगी। तात्पर्यात् कुल 54 पी.सी.यू. प्रतिघंटा एवं की/सी अनुपात (MC 1800) 0.05 होगी। विस्तार के संपन्न की री-मॉडिफाई / डेकॉन्स्ट्रक्शन के परिवहन हेतु सड़क मार्ग की लंबाई करीब श्रेष्ठ निर्धारित मानक (Excellent) से भीतर है।

Contributed Concentration Levels Particulate Matter (AMBIENT INCLUDED MINING ACTIVITY) For PM ₁₀					
S. No.	Activity in the mine	Maximum Baseline Concentration GLCs ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) at core area	Calculated GLCs ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Resultant Concentration ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Limit (Industrial, Residential, Rural and other area) ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
1.	Overall Activities control ROM	65.21	13.0	78.21	100
2.	Overall Activities uncontrolled ROM		34.0	99.21	
3.	ROM Blasting		2.2	67.41	

16. लोक सुनवाई दिनांक 21/04/2022 प्रातः 12:00 बजे स्थान - दाम पंचायत मकान, राम-बलरुद्राल, तहसील-राजनांदगांव, जिला-राजनांदगांव में संपन्न हुई। लोक सुनवाई दस्तावेज सार्वजनिक स्थित, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रायपुर अटल नगर, जिला-रायपुर के पत्र दिनांक 26/06/2022 द्वारा प्रेषित किया गया है।

17. जनसुनवाई के दौरान कुछ रूप से निम्न मुद्दा/विचार प्रस्तुत किये गये हैं:-

- a. पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाने के लिए कृत्रिमता का कार्य किया जाए। खदान से निकलने वाले धूल से किचानी के फसलों, मनुष्यों एवं जीव-जन्तुओं पर बुरा असर पड़ रहा है।
- b. स्टाफिंग के समय इसका लगाव संकेत किया जाए। खदान में कोयला स्टाफिंग होने से आसपास के घरों में एवं पहाड़ पर स्थित मंदिर में धूलें जा रही हैं।
- c. खदान के चारों ओर कटिबंध पैड लगाया जाए अथवा लोहे के तार द्वारा घेरा कराया जाए, जिससे प्रानीय एवं जानवरों को प्रदूषण से बचाया जा सके।
- d. खदान से उत्पन्न मिट्टी चक्कर को बरत में रखा दिया जाता है, जिससे धूलें ही बंद हो जाता है।

लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न मुद्दों के निराकरण की दिशा में परियोजना प्रशासक की ओर से उपस्थित प्रतिनिधि/कंसल्टेंट का कथन निम्नानुसार है:-

- a. धूल उत्सर्जन को रोकने के लिए जल छिड़काव किया जाएगा। खदान के चारों ओर तथा आधी सड़क के किनारे कृत्रिमता किया जाएगा, जिससे धूल का उत्सर्जन कम हो जाएगा।

- ब. अनुमति संश्लेषण की निगरानी में ही संश्लेषण करंटिंग किया जाएगा, करंटिंग निम्न स्तर पर किया जाना प्रस्तावित है। करंटिंग के पूर्व हुए बजावर एवं बंधा लगाकर लोगों को सूचना दी जाएगी।
- क. लीज क्षेत्र के चारों ओर पीछे लगाये जाएंगे, बाजारही के चारों ओर फीसिंग कराई गई की जिलका संभारन कराया जाएगा।
- ख. खदान से उत्पन्न मिट्टी एवं पत्थर का रखवा लीज क्षेत्र में किया जाएगा।
18. कलक्टर हेतु कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान – परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि आवेदित खदान को शामिल करती हुई कलक्टर में कुल 5 खदानें आती हैं। उक्त कलक्टर में शामिल खदानों द्वारा कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है। कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान के तहत निम्न कार्य प्रस्तावित है:-

विवरण		प्रथम (रुपये)	द्वितीय (रुपये)	तृतीय (रुपये)	चतुर्थ (रुपये)	पंचम (रुपये)
2 कि.मी. कार्गो डोनों तरफ (1,334 मग) कृषारीपण हेतु	कृषारीपण (80 प्रतिशत जीवन दर) हेतु राशि	1,01,384	10,184	10,184	10,184	10,184
	फीसिंग हेतु राशि	10,67,200	—	—	—	—
	खाद हेतु राशि	10,000	1,020	1,020	1,020	1,020
	सिंचाई एवं रख-रखाव हेतु राशि	8,32,000	4,32,000	4,32,000	4,32,000	4,32,000
कुल राशि = 35,83,453		18,13,834	4,43,204	4,43,204	4,43,204	4,43,204

कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता निम्नानुसार होगी:-

विवरण		प्रथम (रुपये)	द्वितीय (रुपये)	तृतीय (रुपये)	चतुर्थ (रुपये)	पंचम (रुपये)
500 मीटर कार्गो डोनों तरफ (304 मग) कृषारीपण हेतु	कृषारीपण (80 प्रतिशत जीवन दर) हेतु राशि	27,884	2,736	2,662	2,662	2,662
	फीसिंग हेतु राशि	2,91,200	—	—	—	—
	खाद हेतु राशि	2,730	270	210	210	210
	सिंचाई एवं रख-रखाव हेतु राशि	1,72,881	1,17,881	83,248	83,248	83,248
कुल राशि = 8,01,883		4,94,485	1,20,887	86,510	86,510	86,510

19. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु उपयुक्त विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया है।

समिति द्वारा लक्ष्य एवं सर्वसम्पत्ति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का बालन प्रतिवेदन एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से मंगाने जाने हेतु पत्र लेख किया जाए।
2. अतिरिक्त टी.जी.आर. के बिन्दु क्रमांक 1 के संघ में जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
3. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु उपयुक्त विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
4. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के अनुक्रम निर्धारित सार्वजनिक सूचारीयता करते हुए पीपी में संख्यांकन (Numbering) एवं पीपी के नाम का उल्लेख किया जाकर कोटाघाटा सहित जानकारी प्रस्तुत किये जाने बाबत राज्य पत्र प्रस्तुत किया जाए।
5. नोटरीज अफ़ाइटिंग किये जाने बाबत राज्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
6. माइनिंग सीज क्षेत्र के अंदर बाधन क्लेयरेंस किये जाने एवं रीमित पीपी का सलवाइवेंस रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत राज्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
7. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मिनेरल कन्सेशन नियम (Minerals Concession Rules) के तहत बायन्ट्री पिछला द्वारा सीमांकन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत राज्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
8. परियोजना प्रस्तावक द्वारा किसी भी प्रकार का दूषित जल का प्रवाह प्राकृतिक जल स्रोत, तालाब, नदी, नाला में नहीं किये जाने एवं इसके संरक्षण किये जाने बाबत राज्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
9. प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1986 के तहत स्थानीय लोगों को संतुष्ट किये जाने हेतु राज्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
10. परियोजना प्रस्तावक द्वारा अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया जाए कि उनके विरुद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।
11. परियोजना प्रस्तावक द्वारा अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया जाए कि उसके विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.जा. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई प्रकरण लंबित नहीं है।
12. क्लेयरेंस हेतु सीएम इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवेलपमेंट प्लान तैयार कर क्लेयरेंस खदानों को एक नक्शे में प्रदर्शित करते हुए जानकारी प्रस्तुत की जाए। साथ ही क्लेयरेंस में जाने वाले समस्त खदानों द्वारा सीएम इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवेलपमेंट प्लान के तहत किये जाने वाले कार्य हेतु अनुबंध करवाकर जानकारी प्रस्तुत की जाए।
13. क्लेयरेंस में जाने वाले क्लेयरेंस खदानों के लिए तैयार सीएम इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवेलपमेंट प्लान हेतु सभी खदानों को अर्बाह एवं देशांतर सहित नक्शे में दर्शाते हुए पुनरीकृत कर प्रस्तुत किया जाए।

14. कलक्टर में आने वाली खदानों की उद्योगनग्न गतिविधियों से पर्यावरणीय घटकों पर पड़ने वाले प्रभावों की रोकथाम हेतु कलक्टर में आने वाले समस्त खदानों को शामिल करती हुई, कलक्टर हेतु कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चरमेंट मैनेजमेंट प्लान तैयार किये जाने तथा डिम्बान्धित करने हेतु संघालक, संघालनलय, भीमिहरी तथा खनिजन, इन्फ्रास्ट्रक्चर, नया रामपुर अटल नगर, जिला - रामपुर (प्रत्तीसगढ़) के कलर से सम्बन्धित कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

उपरोक्त बाधित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने तकतात आगामी कार्यवाही की जादी।

(ब) समिति की 435वीं बैठक दिनांक 28/11/2022-

समिति द्वारा बैठक दिनांक 28/11/2022 को कलक्टर के प्रकलन में परियोजना प्रस्तावक द्वारा उन्हें पूर्व में निर्देशित जानकारी/दस्तावेज एस्.ई.आई.ए.ए., प्रत्तीसगढ़ कार्यालय में प्रस्तुत करने पर विचार कर, उन्हें निर्देशित किया गया।

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न सिध्ति पाई गई:-

1. समिति का मत है कि सी.ई.आर., कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चरमेंटल मैनेजमेंट प्लान, कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चरमेंटल मैनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता, सड़कों के रख-रखाव एवं पुनरोपन कार्य के नॉटिफरिग एवं परीक्षण हेतु त्रि-पक्षीय समिति (प्रिपराईटर/प्रतिनिधि, घाम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रहासन या प्रत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर., कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चरमेंटल मैनेजमेंट प्लान, कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चरमेंटल मैनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता, सड़कों के रख-रखाव एवं पुनरोपन का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरान्त गठित त्रि-पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।
2. माननीय एन.जी.टी., डिस्चिपल बीच, नई दिल्ली द्वारा सर्वोद पार्षदीय विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एपिलेशन नं. 188 ऑक 2018 एवं अन्य) में दिनांक 13/08/2018 को पारित आदेश में कुछ रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:-

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला-राजनांदगांव के द्वारा कर्मिक 1880/ख.सि. 02/2022 राजनांदगांव, दिनांक 21/10/2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के मीटर 4 खदानें, क्षेत्रफल 5.384 हेक्टेयर हैं। आवेदित खदान (घाम-बंकरडाल) का क्षेत्रफल 2.02 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (घाम-बंकरडाल) की मिलाकर कुल खदानों का क्षेत्रफल 7.404 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संघालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक होने के कारण यह खदान बी-1 श्रेणी की मानी गयी।

2. राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, उत्तीरगढ़ की 43वीं बैठक दिनांक 28/10/2022 के परिष्कृत में जारी गई व्यक्तिगत जानकारियों/ दस्तावेजों/ अनिलेखों को एस.ई.आई.ए.ए. उत्तीरगढ़ में आवरपक रूप से प्रस्तुत करने की शर्त के अर्थात् पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्त अनुमोद की जाती है।
3. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना, 2008 (एनए संशोधित) के प्रावधानों एवं माननीय एन. सी.टी. द्वारा जारी आदेश के अनुसार क्लस्टर में जाने वाली खदानों की पर्यावरण गतिविधियों से पर्यावरणीय घातकों पर पड़ने वाले खानों की संरक्षण हेतु क्लस्टर में जाने वाले समस्त खदानों को शामिल करते हुए, क्लस्टर हेतु अंतिम इन्फ्लोअरेंस रीपोर्ट फॉर एनवायरनमेंट फॉलन रीकार किंगे जाने तथा विनियमित करने हेतु संघलक, संघलनलय, भीमिडी तथा खनिकान, इटावली मदन, नया रायपुर अटल नगर, जिला - रायपुर (उत्तीरगढ़) के साथ से उपयुक्त कार्यवाही किंगे जाने हेतु निर्दिष्ट किया जाए।
4. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का फॉलन प्रतिवेदन प्राप्त किंगे जाने हेतु लेख किया जाए।
5. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्मति से आवेदक - मेसर्स बीमटी नीलम पौद्दार (बंजरहाल लाईम स्टोन माईन्ग) को घास-बंजरहाल, तहसील व जिला-राजसंभगांव के वार्ड अंक खस्ता इन्फॉक 381/1 में स्थित कुना पत्थर (पीन खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल - 2.82 हेक्टेयर, क्षमता-48,000 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की शर्त अनुमोद की गई।

प्रतिकरण द्वारा बैठक में विचार - उपरोक्त प्रस्ताव पर प्रतिकरण की दिनांक 28/01/2023 को सेशन 137वीं बैठक में विचार किया गया। प्रतिकरण द्वारा नसी व अकार्यकन किया गया। प्रतिकरण द्वारा सलनय सर्वसम्मति से निर्णय किया गया था-

1. समिति की अनुमोद की स्वीकार करते हुए आवेदक - मेसर्स बीमटी नीलम पौद्दार (बंजरहाल लाईम स्टोन माईन्ग) को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया गया। समिति द्वारा निर्धारित शर्तों के अंतर्गत निर्दिष्ट किंगे गये शर्तों का फॉलन सुनिश्चित किया जाए। फॉलन नहीं किंगे जाने की स्थिति में विविध कार्यवाही की जाएगी।
2. सी.ई.आर. के तहत वन शक्ति (परिवर्तन की कुल लागत करीब 60 लाख का 2 प्रतिशत) को उत्तीरगढ़ राज्य वन विकास निगम (Forest Development Corporation) में जमा किंगे जाने एवं इसकी सूचना एस.ई.आई.ए.ए. उत्तीरगढ़ को दिया जाना सुनिश्चित किया जाए। साथ ही उत्तीरगढ़ राज्य वन विकास निगम (Forest Development Corporation) को खदान के समीपव्य कुशांतरण कार्य हेतु सी.ई.आर. की शक्ति (कुल शक्ति 1,20,000 करीब) को परिवर्तन प्रस्तावक से प्राप्त वन एस.ई.आई.ए.ए. उत्तीरगढ़ को सुविध किंगे जाने हेतु पत्र लेख किया जाए।
3. एस.ई.ए.सी. उत्तीरगढ़ की 43वीं बैठक दिनांक 28/10/2022 के परिष्कृत में जारी गई व्यक्तिगत जानकारियों/ दस्तावेजों/ अनिलेखों को प्रस्तुत किंगे जाने के उपरोक्त एवं निपननुस्तान जानकारी/ दस्तावेज पूर्ण होने की स्थिति में ही परिवर्तन प्रस्तावक की शर्त पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र जारी किया जाए।

4. This Environmental Clearance (EC) is subject to orders/judgment of Hon'ble Supreme Court of India, Hon'ble High Court, Hon'ble National Green Tribunal (NGT) and any other Court of Law, Common Cause Conditions as may be applicable.
5. The Project Proponent shall comply with all the statutory requirements and judgment of Hon'ble Supreme Court of India dated 2nd August 2017 in Writ Petition (Civil) No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause Vs Union of India and Others before commencing the mining operations.
6. The State Government shall ensure that mining operations shall not be commenced till the entire compensation levied if any, for illegal mining paid by the Project Proponent through their respective Department of Mining & Geology in strict compliance of Judgment of Hon'ble Supreme Court of India dated 2nd August 2017 in Writ Petition (Civil) No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause Vs Union of India and Others.
7. The Project Proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEF&CC OM No. Z-11013/ST/2014-IA/ISM) dated 29/10/2014 titled Impact of Mining activities on Habitations-Issues related to the mining projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area.
8. The Project Proponent shall inform to MoEF&CC/SEIAA for any change in ownership of the mining lease. In case there is any change in ownership or mining lease is transferred, Project Proponent need to apply for transfer of Environmental Clearance as per provisions of the para 11 of EIA Notification, 2006, as amended from time to time.

This Environmental Clearance shall be effective from the date of submission of requisite documents as prescribed/recommended by SEAC for this project.

एल.ई.आई.ए.ए. प्रलीनागढ़ के ज्ञापन दिनांक 15/02/2023 के परिशिष्ट में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 13/07/2023 को प्रस्तुत किया गया है।

प्रतिकल्प द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्रतिकल्प को दिनांक 04/08/2023 को संलग्न 152वीं बैठक में विचार किया गया। प्रतिकल्प द्वारा जानकारी/दस्तावेज का अकालीकन किया गया। प्रतिकल्प द्वारा नोट किया गया कि:-

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतियेदन प्राप्त करने हेतु एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर में आवेदन किया जाना बताया गया है, जो अग्रगण्य है। इस बाबत परियोजना प्रस्तावक द्वारा उक्त पालन प्रतियेदन प्राप्त होने उपरान्त जमा किये जाने हेतु सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है। प्रतिकल्प का मत है कि पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतियेदन हेतु एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
2. अतिरिक्त टी.ओ.आर. के सिन्दु क्रमांक 1 के संक्षेप में जानकारी प्रस्तुत किया गया है।

3. एस.ई.आई.ए.ए. उत्तीर्णता के अंगण क्रमांक 2388, दिनांक 18/02/2023 द्वारा सी.ई.आर. के लक्ष्य व्यवस्था (परियोजना की कुल लागत रुपये 60 लाख का 2 प्रतिशत) को उत्तीर्णता राज्य वन विकास निगम (Forest Development Corporation) में जमा किये जाने एवं इसकी सूचना एस.ई.आई.ए.ए. उत्तीर्णता को किये जाने हेतु प्रधान निदेशक, उत्तीर्णता राज्य वन विकास निगम, नया रायपुर अटल नगर को पत्र प्रेषित किया गया था। इस संबंध में उत्तीर्णता राज्य वन विकास निगम (Forest Development Corporation) से आज दिनांक तक जानकारी/पत्राचार प्राप्त नहीं हुआ है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है—

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
60	2%	1.20	Following activities at Village- Chevardhal	
			Pavitra Van Nirman	10.74
			Total	10.74

सी.ई.आर. के अंतर्गत "पवित्र वन निर्माण" कुशादीपन (नीम, आम, जामुन, कटहल, कदम, कर्जड़ आदि) हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 1,838 नए पौधों के लिए राशि 1,47,364 रुपये, फेंसिंग के लिए राशि 1,02,700 रुपये, खाद के लिए राशि 14,880 रुपये एवं सिंचाई के लिए राशि 1,20,000 रुपये तथा राख-लकड़ आदि के लिए राशि 64,000 रुपये, इस प्रकार अंगण वर्ष में कुल राशि 4,38,814 रुपये तथा अगामी 4 वर्ष में कुल राशि 8,36,578 रुपये हेतु अटलनगर व्यवसाय विकास प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम संघदायक चवर्दाल की सहमति प्राप्त कर कुशादीपन स्थान (खसरा क्रमांक 391/1, बीकनूर 1212 हेक्टियर) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।

प्रतिक्रमा का मत है कि सी.ई.आर. के अंतर्गत "पवित्र वन निर्माण" के लक्ष्य किये गये कुशादीपन का 5 वर्ष अवधि, उसकी संरक्षण की जिम्मेदारी के संबंध में संबंधित ग्राम संघदायक से सहमति कर प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

4. पूर्व में जारी पर्यावरणीय नीति के तहत के अनुसूचित निर्धारित सतनुसात कुशादीपन करते हुए पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं पौधों के नाम का लेखक किया जाकर फोटोघ्राफ संलग्न जानकारी प्रस्तुत किया गया है।
5. कठोत अनामिडिंग किये जाने बाबत राज्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
6. साइनिंग लीज क्षेत्र के अंदर अंगण कुशादीपन किये जाने एवं संरक्षित पौधों का संरक्षण रेट (Survival rate) 80 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत राज्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

7. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मिनेरल्स कन्सेशन नियम (Minerals Concession Rules) के तहत बावम्पड़ी विलर्स द्वारा सीमांकन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
8. परियोजना प्रस्तावक द्वारा किसी भी प्रकार का दूषित जल का प्रवाह प्राकृतिक जल स्रोत, तालाब, नदी, नाला में नहीं किये जाने एवं इसके संरक्षण किये जाने बाबत सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
9. उपवीसमण्ड आदर्श पुनर्वास नीति के तहत स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
10. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उसके विरुद्ध हुए परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।
11. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उसके विरुद्ध भारत सरकार, पर्वतारोहण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई प्रकरण का प्रकरण लंबित नहीं है।
12. पर्यावरण क्लेम क्लेसिफिकेशन के नियंत्रण हेतु नियमित जल निडकाव किये जाने बाबत सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
13. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 03/08/2017 को common cause vs. Union of India and petition (C) 114 of 214 में दिये गये निर्देश का पालन किया जायेगा इस बाबत सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
14. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 03/01/2020 को writ petition (S) Civil No.114 (2014 common cause vs. Union of India & Ors. में दिये गये दिसा निर्देशों का पालन किया जायेगा इस बाबत सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
15. भविष्य में पर्यावरणीय क्षतिकृति प्राप्त किये किना उपखनन नहीं करने एवं उपखनन समाप्त से अधिक उपखनन कार्य नहीं किये जाने बाबत सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
16. अपनी मिट्टी को लीज क्षेत्र के बाहर मंडारित बन संरक्षित रखे जाने हेतु मिट्टी का दुरुपयोग न करने, विखरव न करने एवं अन्य कर्तव्यों में उपयोग नहीं किये जाने एवं इस मिट्टी का उपयोग पुनर्भरण में किये जाने बाबत सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
17. लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की घट्टी में बंशिन करकन कुक्षारोपण कार्य किया जाएगा। लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की घट्टी एवं बंशिन इन्फ्रास्ट्रक्चरल मैनेजमेंट प्लान के तहत किये जाने वाले कुक्षारोपण तथा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित कर्तव्यों की जानकारी डिपॉजिट (Geotag) फोटोग्राफस सहित अवैधानिक रिपोर्ट में सम्मिलित कर्तव्य रूपे प्रस्तुत किये जाने बाबत सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
18. सी.ई.आर. के अंतर्गत किये जाने वाले कुक्षारोपण का 05 वर्षों तक रख-रखाव किये जाने बाबत सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

19. जनसुनवाई के दौरान विभिन्न मुद्दों के निराकरण की दिशा में परिशोधना प्रस्तावक द्वारा प्राचीनों के समक्ष दिये गये आश्वासन को पूरा करने हेतु सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
20. कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर केन्द्र के तहत तय की गई शक्ति का उपयोग पर्यावरण के हित में किये जाने बाबत सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
21. समिति द्वारा विहित किये गये शर्तों का पालन सुनिश्चिता किये जाने बाबत सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
22. आरंभित क्षेत्र में स्थित कुओं की प्रकृतियों की जानकारी प्रस्तुत किया जा रहा। साथ ही उक्त कुओं की आवश्यकता पहचाने पर ही कटाई सक्षम प्रकृतियों से अनुमति उपरोक्त ही किये जाने बाबत सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
23. पर्यावरणीय मंजूरी (ईसी) भारत के कानूनी सर्वोच्च न्यायालय, कानूनीय न्याय न्यायालय, कानूनीय राष्ट्रीय टिप्पणन (एनसीटी) और विनी भी अन्य न्यायालय के आदेश/निर्णय के अधीन है, सामान्य कारण की शर्त जो लागू हो सकती है, सभी शर्तों का पालन किये जाने बाबत सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
24. परिशोधना प्रस्तावक द्वारा "We will Comply the mitigation measures provided in MOEF&CC OM No. Z- 11013/57/2014-IA.II(M) dated 29/10/2014 titled Impact of Mining activities on Habitations- Issues related to the mining projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area." बाबत सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
25. परिशोधना प्रस्तावक द्वारा "We will Comply, we inform to MOEF&CC/SEIAA for any change in ownership of the mining lease. In case there is any change in ownership or mining lease is transferred, Project Proponent need to apply for transfer of Environmental Clearance as per provisions of the para 11 of EIA Notification, 2006, as amended from time to time." बाबत सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
26. क्लस्टर हेतु कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर केन्द्र के तहत तय की गई शर्तों का पालन करने समस्त खदानों को एक नक्शे में प्रदर्शित काले हुए जानकारी प्रस्तुत की गई है। साथ ही क्लस्टर में जाने वाले समस्त खदानों द्वारा कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर केन्द्र के तहत किये जाने वाले सभी हेतु जानकारी प्रस्तुत की गई है।
27. क्लस्टर में जाने वाले समस्त खदानों के लिए तय की गई शर्तों का पालन कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर केन्द्र के तहत तय की गई शर्तों का पालन हेतु सभी खदानों को अलग-अलग एच डेटांतर सहित नक्शे में दर्शाते हुए पुनर्दर्शित कर प्रस्तुत किया गया है।

प्रतिकूलता द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्पत्ति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया कि-

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय लीसूटि का पालन प्रतिवेदन हेतु एकीकृत क्षेत्रीय कर्माध्यक्ष, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।

2. सीईओएच के अंतर्गत "सहित वन निर्माण" के तहत किये गये वृक्षरोपण का 6 वर्ष उपरोक्त, उसके संरक्षण की जिम्मेदारी के संबंध में संबंधित काम प्रवाधान से सहमती पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त संबंधित जानकारी/व्यवसाय प्राप्त होने उपरान्त अगामी कार्यवाही की जाएगी।

परिचालन प्रस्तावक को तदनुसार सूचित किया जाए।

3. मेसर्स सीएचएचएच लैण्ड स्टील वर्करी (प्री- श्री मालादीन जयसवाल), ग्राम-सीएचएचएच, तहसील-कनकना, जिला-कोरवा (अधिकारण का नक्का क्रमांक 1552)

आवेदन - पूर्व में प्रवेक्षण नम्बर - एसआईए/ सीजे/ एसआईएन/ 188140/2021, दिनांक 13/02/2021 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए आवेदन किया गया था। वर्तमान में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के परिधि में श्री राज किशोर चन्दाकर द्वारा दिनांक 01/01/2022 को विदाघत प्रस्तुत किया गया है।

एसईआईएए, फलीसगढ़ के द्वारा दिनांक 28/08/2021 द्वारा मेसर्स सीएचएचएच लैण्ड स्टील वर्करी (प्री- श्री मालादीन जयसवाल) की ग्राम-सीएचएचएच, तहसील-कनकना, जिला-कोरवा के खसरा क्रमांक 425 में स्थित लैण्ड स्टील (वीन खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल-2 हेक्टेयर, क्षमता - 33,000 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया गया है।

श्री राज किशोर चन्दाकर द्वारा दिनांक 01/01/2022 के माध्यम से जारी पर्यावरणीय स्वीकृति को विरल एवं उत्पादन क्षमता बढ़ाने हेतु प्रस्तुत आवेदन का विधिवत जीव बाधत पत्र प्रेषित किया गया है, जिसमें उल्लेखित तथ्य निम्नानुसार है-

- आवारी, वैज्ञानिक संस्थान, अस्पताल से नियमानुसार प्रतिबंधित दूरी कम है।
- खदान क्षेत्र से 10 किमी. परिधि क्षेत्र अंतर्गत आश्रित/संरक्षित वन की सीमा है।
- खदान में 6 मीटर सीमित गहराई तक के लिए उत्खनन गहरा स्वीकृत किया गया है। खदान में प्रस्तुत साइनिंग प्लान में 4 मीटर गहराई पर उत्खनन किया जाना उल्लेखित है। जो कि किन्तु 6 मीटर गहराई तक उत्खनन किया जाएगा सम्भव नहीं है।
- पहरेदार द्वारा जोड़कर बर्सेन को ड्रम की लंबाई लम्बा से 1.5 मीटर तथा स्लोप 45° से अधिक जोड़कर बर्सेन ड्रम किया जाकर नियम विरुद्ध मिट्टी/गुलम को ढंका किया जा रहा है। साथ ही वृक्षरोपण नहीं किया गया है।
- वर्षा जल से सतही जल स्वतंत्र प्रवाहित न हो, जो बोकने के लिए सिटमिन वीन तथा माइलेम की बाधकता नहीं की गई है।
- जीव क्षेत्र से जारी लम्बा 7.5 मीटर का सेम्टी जॉन नहीं अगारा गया है तथा 4 मीटर को भीतर सेम्ट ड्रम किया जा रहा है।
- वर्ष 2018 में क्षमता 60,000 टनमीटर हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया गया था, जिसे वर्ष 2021 में राज्य स्तरीय पर्यावरण सभाघत निर्धारण प्रतिक्रमण द्वारा क्षमता 33,000 टन की अनुमति दिया गया है। पुन चहरेदार द्वारा क्षमता

समिति द्वारा जीव करने पर था कि लीज क्षेत्र के वन भूमि पूरी लगभग 520 मीटर है, जो कि उत्तीरगढ़ नीम सभित्त अधिनियम, 2018 (विश्व संशोधित) पट्टेदार को आवंटित क्षेत्र, वन क्षेत्र को निर्धारित दूरी की सीमा के बाहर है।

- 3) खदान में 8 मीटर सीमित गहराई तक के लिए उत्खनन पट्टा स्वीकृत किया गया है वर्तमान में प्रस्तुत माइनिंग प्लान में 4 मीटर गहराई तक उत्खनन किया जाना उल्लेखित है जो कि कितने मीटर गहराई तक उत्खनन किया जाएगा स्पष्ट नहीं है।

पट्टेदार द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित माइनिंग प्लान के अनुसार 15 मीटर गहराई तक उत्खनन करने की योजना का उल्लेख है निर्माण के समय पाया गया कि परिधीयता इलाका को स्वीकृत उत्खनन पट्टा क्षेत्र एक छोटी पहाड़ीनुमा (small hill) में उपस्थित क्षेत्र है। अतः योजना में प्रस्तावित गहराई न होकर ऊंचाई से सम्बंधित है। वर्तमान में स्वीकृत पट्टा क्षेत्र के एक छोटे से भाग में उत्खनन किया जा रहा है जो लगभग 15 मीटर है, माइंस एक्ट, 1952 के अनुसार 8 मीटर से अधिक गहराई खोदने पर कुछ नियम लागू होता है। अतः उसको फलन सम्बन्धी शिक्षागत जीव की कार्यवाही हेतु संघालनालय, भूमिही एवं सभित्त, उत्तीरगढ़ / डीजीएमएस को लेख किया जाना उचित होगा।

- 4) पट्टेदार द्वारा जीवन बर्डन डंप की ऊंचाई सतह से 1.5 मीटर तथा स्लोप 45 डिग्री से अधिक डंप किया जाकर नियम के विरुद्ध मिट्टी/पुलन को डंप किया जा रहा है साथ ही नुकसान नहीं किया गया है।

यह शिक्षागत का बिंदु माइंस एक्ट एवं सेफ्टी रूल से सम्बंधित है। अतः उसकी जीव की कार्यवाही हेतु संघालनालय, भूमिही एवं सभित्त, उत्तीरगढ़ / डीजीएमएस को लेख किया जाना उचित होगा।

समिति के समक्ष यह भी संज्ञान में आया कि पट्टेदार द्वारा निर्धारित बाधेगी 7.5 मीटर नुकसान नहीं किया गया है, जो पर्यावरण नियमों के उल्लंघन है।

- 5) वर्षा जल से सतही जल प्रभावित न हो को रोकने के लिए रिटर्निंग चाल तथा गार्लिक की व्यवस्था नहीं की गई है।

स्वीकृत क्षेत्र पहाड़ी होने के कारण वर्षा जल सतह में आता है, रिटर्निंग चाल तथा गार्लिक बनाया जाना था, जो नहीं बनाया गया है। पर्यावरणीय स्वीकृति में निर्दिष्ट कई अनुसार गार्लिक ड्रेन एवं सेटलिंग चौक का निर्माण नहीं किया गया है।

पट्टेदार द्वारा समिति के समक्ष यह संज्ञान में लाया गया कि सभित्त क्षेत्र के समीप ही एक गड्ढा बनाया गया है जिसमें वर्षा जल संचित होकर घाउंठ वाटर रिचार्ज होता है।

- 6) लीज क्षेत्र के चारों तरफ 7.5 मीटर का सेफ्टी जोन नहीं बनाया गया है तथा 4 मीटर के भीतर वेस्ट डंप किया जा रहा है।

स्वीकृत लीज क्षेत्र में 4 मीटर के दूरी तक वेस्ट डंप नहीं होना पाया गया है, उत्खनन क्षेत्र में 7.5 मीटर की सेफ्टी जोन नहीं छोड़ा गया है।

- 7) वर्ष 2018 में लगभग 80,000 घनमीटर हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया गया था, जिसे वर्ष 2021 में राज्य स्तरीय पर्यावरण सभाघात निर्धारण प्रधिकरण द्वारा लगभग 33,000 टन की अनुमति दिया गया था, कुल पट्टेदार द्वारा लगभग 2,00,000

एन के पर्यावरणीय नीतिकृति हेतु आवेदन पर इस धर्म पुनः प्रस्तुत किया गया है जो निम्न विषय है।

खनिज अधिकारी जेम्स द्वारा प्राप्त जानकारी के आधार पर 2018 से आज दिनांक तक निर्धारित सीमा 80,000 टन प्रतिवर्ष एवं 33,037 टन प्रतिवर्ष से अधिक खनन का उल्लेख नहीं किया गया है लेकिन आर्बिटील क्षेत्र में लीज क्षेत्र के बाहर खुदाई के प्रमाण मिले हैं जिसके असेसमेंट के लिए संघालनालय भूमिहीन एवं खनिकर्म्म, छत्तीसगढ़ / डीजीएमएस को लेख किया जाना उचित होगा।

उपरोक्त लीज के समय पर्यावरण सम्बंधित अन्य महत्वपूर्ण कथ्य जो प्रत्यक्षी के सदस्यों द्वारा उल्लेखित किया ज्ञाना आवश्यक सम्झा गया की निम्नानुसार है:-

- लीज क्षेत्र के चारों ओर बंदल सीमा साम्य स्थापित है। लीज क्षेत्र के चारों ओर निम्नानुसार बंधन कार्य नहीं किया गया है।
- 7.5 मीटर सीमा क्षेत्र के चारों ओर में वृक्षावरण नहीं किया गया है।
- लीज क्षेत्र के आसपास निर्धारित सीमा को बाहर उल्लंघन किया गया है।

प्रतिरोधन आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

प्रधिकरण द्वारा प्रस्तावित पर्यावरणीय नीतिकृति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था—

1. विन्दु क्रमांक 3 के परिच्छेद में माइल एकट, 1952 के अनुसार 8 मीटर से अधिक गहराई खोदने पर सूझा निष्पन्न लागू होता है। अतः उसके चलन सम्बन्धी विचारण लीज की कार्यवाही हेतु संघालनालय, भूमिहीन एवं खनिकर्म्म, छत्तीसगढ़ / डीजीएमएस को लेख किया जाए।
2. विन्दु क्रमांक 4 के परिच्छेद में जोर बर्हन रूप की खोदाई सतह से तथा पर्वत को संरक्ष में लीज की कार्यवाही हेतु संघालनालय, भूमिहीन एवं खनिकर्म्म, छत्तीसगढ़ / डीजीएमएस को लेख किया जाए। साथ ही पट्टेदार द्वारा निर्धारित बाउंड्री 7.5 मीटर में वृक्षावरण नहीं किये जाने के कारण पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत परियोजना प्रस्तावक के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही एवं पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिनियम किये जाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण बंदल को लेख किया जाए।
3. विन्दु क्रमांक 5 के परिच्छेद में पर्यावरणीय नीतिकृति में निर्दिष्ट सभी अनुसार सारलेख ड्रेन एवं सेटलिंग सिस्टम का निर्माण नहीं किये एवं विन्दु क्रमांक 6 के परिच्छेद में उल्लंघन क्षेत्र में 7.5 मीटर की सेफ्टी जोन नहीं छोड़े जाने के कारण पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत परियोजना प्रस्तावक के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही एवं पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिनियम किये जाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण बंदल को लेख किया जाए।
4. विन्दु क्रमांक 7 के परिच्छेद में आर्बिटील क्षेत्र में लीज क्षेत्र के बाहर खुदाई के प्रमाण मिले हैं, जिसके असेसमेंट के लिए संघालनालय भूमिहीन एवं खनिकर्म्म, छत्तीसगढ़ / डीजीएमएस को लेख किया जाए।
5. लीज क्षेत्र के चारों ओर निम्नानुसार बंधन कार्य नहीं किये जाने के लिए संघालनालय भूमिहीन एवं खनिकर्म्म, छत्तीसगढ़ / डीजीएमएस को लेख किया जाए। साथ ही लीज क्षेत्र के आसपास निर्धारित सीमा को बाहर उल्लंघन किये जाने के कारण पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत परियोजना प्रस्तावक

के विस्तृत वैधानिक कार्यवाही एवं पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिनियमित किये जाने हेतु
छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल को सूचना भिजा जाए।

उदाहरणार्थ एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 08/08/2022 के परिपत्र
में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 22/08/2022 के मध्यम से लघु प्रस्तुत किये
हैं। परियोजना प्रस्तावक को कथनानुसार—

- उपसमिति द्वारा किये गए निरीक्षण के दौरान पर्यावरणीय स्वीकृति में निर्दिष्ट शर्तों
का पालन पूर्ण नहीं करने हेतु टिप्पणी की गई थी परन्तु निरीक्षण के उपरांत
दिये गए दिशा-निर्देश अनुसार वर्तमान में कुआरिंग, गार्लेण्ड ड्रेन का निर्माण
तथा सोक पीट आदि का निर्माण कर लिया गया है। अतः उपसमिति पुनः
निरीक्षण कर सकती है।
- चूंकि मेरी एक ही खदान है तथा कोरिडोर के कारण उक्त खदान को टीक से
पता भी नहीं चले है एवं मेरी स्थिति काफी दयनीय है। वर्तमान में अब मुझे
ज्ञात हुआ है कि मेरी विस्तृत वैधानिक एवं पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिनियमित किये
जाना है। इस विषय में मुझे पहले कभी कोई नोटिस भी प्राप्त नहीं हुआ है अतः
सुधार का एक मौका दिया जाए। मैं पर्यावरण स्वीकृति के समस्त नियमों का
पालन करूंगा।

प्रतिक्रिया द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्रतिक्रिया की दिनांक
13/08/2022 को संपन्न 136वीं बैठक में विचार किया गया। प्रतिक्रिया द्वारा
पानी/दस्तावेज का अद्यतन किया गया। प्रतिक्रिया द्वारा नोट किया गया—

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 22/08/2022 के मध्यम से प्रस्तुत लघु
अनुसार, वर्तमान में कुआरिंग, गार्लेण्ड ड्रेन का निर्माण तथा सोक पीट आदि
का निर्माण कर लिया जाना बताया गया है।

प्रतिक्रिया द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक
द्वारा उल्लेखित तथ्यों के संबंध में स्वतंत्र निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त होने की संभावना
आगामी कार्यवाही की जाएगी।

एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 14/10/2022 द्वारा पत्र प्रेषित किया
गया, जिसके परिपत्र में जानकारी प्राप्त दिनांक तक आया है।

प्रतिक्रिया द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्रतिक्रिया की दिनांक
19/12/2022 को संपन्न 136वीं बैठक में विचार किया गया। प्रतिक्रिया द्वारा
पानी/दस्तावेज का अद्यतन किया गया। प्रतिक्रिया द्वारा नोट किया गया कि—

1. श्री नवीन राठी द्वारा आवेदित खदान पर अर्द्ध खनन एवं पर्यावरण स्वीकृति
बिना ही अर्द्ध खनन की जाय तथा पत्थर खदान की समस्त विस्तारण पर रोक
लगाने तथा वैधानिक कार्यवाही किये जाने हेतु त्रिदशम दिनांक
24/11/2022 को प्रस्तुत किया गया है, जिसमें उल्लेखित तथ्य किन्तानुसार
है—

“कोरबा जिले के राम-घाटाहानी में खसरा क्रमांक 425/1 के 2 हेक्टर में
मातृदीन जयसवाल के द्वारा पत्थर खदान संघालित है इनके द्वारा पूर्व में
कलारी 13/02/2022 में अपने खदान की समस्त विस्तारण के पर्यावरणीय
स्वीकृति के लिए आवेदन दिया था जिस पर अब के विभाग ने राजकिशोर
चंद्राकर के शिक्का पर दिनांक 24/03/2022 को जाय समिती ने पर्यावरण

निर्माणाधीन इलाखेक तथ्या अधीक खनन जाँच में पाया था। वैधानिक कार्यवाही के लिए पत्र लिखा था जिस खदान संघालक ने पुनः आज को यहाँ माफीनामा एवं सुधारोपम की गला जानकारी देवन पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए हूटा पत्र दिया है।

अतः शिकायत के निम्न बिंदुओं की विरुद्ध जाँच कल खदान मातादीन जायसवाल एवं नेतानल हाइने 140-वीं का खंधा से उरना निर्माण करने वाली कंपनी जिन्सी इन्सीने अनुबंध के तहत उक्त खदान सौंप दिया, पर कड़ी वैधानिक कार्यवाही करने का अनुरोध किया गया है।

- उक्त खदान के उत्पादन क्षमता विस्तारण के लिए माइनिंग प्लान में जो SL- 310 मीटर दिया है, उसकी आज वर्तमान समय में क्या स्थिति है?
- उक्त खदान में SL- 310 से कितने मीटर गहरे SL तक उक्त खदान संघालक एवं कंपनी द्वारा बिना पर्यावरणीय स्वीकृति के कितनी मात्रा में अधीक खनन किया है?
- उक्त खदान के पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के विरुद्ध माइंस सुरक्षा निषर्मा का चालन नहीं किया गया, जिसमें कि प्लान में दिए गए बीच खनने का नियम का भीथा उल्लंघन किया गया।
- उक्त खदान से कोरबा वन क्षेत्र के नारंगी वन खण्ड खसल 425 से कितनी दूरी है वा वन विभाग से प्रतिवेदन प्राप्त कर जाँच की जाए एवं कितनी खसल वन विभाग के नारंगी वन में अधीक खनन किया गया है कि जाँच की जाए।

उपरोक्त बिंदुओं की आपकी समिति द्वारा पुनः आवेदित स्थल का निरीक्षण कर उक्त खदान संघालक एवं कंपनी पर पर्यावरणीय स्वीकृति उल्लंघन पर कड़ी कार्यवाही करने का अनुरोध किया गया है।

प्रधिक्षरण द्वारा उत्तराखण्ड सर्वसाभ्यति से निर्णय लिया गया था कि परिशेखना प्रसातक द्वारा उल्लेखित तथ्या तथा कार्यभार में सुधारोपम, नारलेख ड्रेन का निर्माण तथा लोक पीट आदि का निर्माण कर लिये जाने के संबंध में एवं शिकायतकर्ता (श्री मनीष शर्मा) द्वारा प्रेषित शिकायत के संबंध में उत्तीरणाद पर्यावरण संरक्षण मंडल को स्थल निरीक्षण किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए। साथ ही अवगत स्थिति से अवगत करते हुये कलरमुक्त कोटोघातका दिनांक बहिन किन्दुवार निरीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाए। अतः उत्तीरणाद पर्यावरण संरक्षण मंडल से निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त होने के तुरन्त प्रसात पर आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदनुसार एन.ई.आई.ए.ए. उत्तीरणाद के ज्ञापन दिनांक 02/01/2023 द्वारा उत्तीरणाद पर्यावरण संरक्षण मंडल को स्थल निरीक्षण किये जाने हेतु पत्र लेख किया गया है, जिसके परिशेख में निरीक्षण प्रतिवेदन आज दिनांक तक अज्ञात है।

कार्यभार में परिशेखना प्रसातक द्वारा शिकायतकर्ता (श्री मनीष शर्मा) द्वारा प्रेषित शिकायत के संबंध में दिनांक 02/02/2023 को पत्र प्रस्तुत किया गया है।

प्रधिक्षरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्रधिक्षरण की दिनांक 03/03/2023 को संपन्न 140वीं बैठक में विचार किया गया। प्रधिक्षरण द्वारा मन्त्री/दसतवेज/पत्र का अवलोकन किया गया। प्रधिक्षरण द्वारा नोट किया गया कि परिशेखना प्रसातक द्वारा प्रस्तुत पत्र में उल्लेखित तथ्या निम्नानुसार है—

मनीष राठीर, जिला मेखलाल राठीर, निवासी खरमोरा, जिला कोरवा द्वारा अपने आप को स.१। कार्यवाही बहाकर आवेदक महादिन जापसवाल को पेशान किया जा रहा है। आवेदक की आज घाटाघाटी तहसील बरभाली (कमाल) जिला कोरवा में सहायक पत्थर की माइंस है। जिलाका संख्या 2 होमटेयर, कासाट नं. 425, अर्थात् 07.08.2010 से 07.08.2040 तक है। इस माइंस का संचालन विगत 13 वर्षों से पूर्व विद्यमान कार्यवाही से किया जा रहा है। इस माइंस का मनीष राठीर द्वारा विगत दिनों से संचालित करने पर तहसील बरभाली, क्षेत्रीय पर्यावरण बोर्ड कोरवा व DGMS Bilaspur द्वारा सख्त निर्देशन किया गया था। निर्देशन परपाल कोई भी खाने माइंस को संचालन में नहीं पायी गयी। तहसीलदार बरभाली की जांच रिपोर्ट, क्षेत्रीय पर्यावरण बोर्ड कोरवा की जांच रिपोर्ट, माइनिंग की एसेसमेंट रिपोर्ट व DGMS Bilaspur की जांच रिपोर्ट इस आवेदन के साथ संलग्न है।

मनीष राठीर एक शक्तिर अपराधी है जिसको विरुद्ध कोरवा जिले के विभिन्न थानों में कई अज्ञात परीषदें हैं व कई मुकदमों में गवाहलय में सब भी रहे हैं। मनीष राठीर के खिलाफ कोरवा जिले के इन थानों में संचालित मौजूद है। इन आवेदन अपराधी को अभी विगत कुछ महीने पूर्व ही हाई कोर्ट से जमानत मिली है। जमानत मिलने परपाल यह फिर से अपने अज्ञात बहूली वाले कार्य में लिप्त हो गया है। इस अपराधी का अन्य कोई आज का संबंध या होने पर भी यह सारी विन्दनी जीत है। स.१। लगाकर लोगों से भयदीहन करना ही इसका एक मात्र पेशा है। मनीष राठीर के खिलाफ हुई सिकायत व कार्यवाही की कुछ शक्तियां इस आवेदन के साथ संलग्न है।

मेरी आयु लगभग 70 वर्ष हो चुकी है व मेरी आय का एकमात्र जरिया यही माइंस है। मैं मनीष राठीर द्वारा अपने दिन की जाने वाली सिकायतों से लग आ मुका हू। मेरा शरीर भी जर्जर अवस्था में पहुंच सका है व कई बिमारियों का पार कर चुका है। मुझे निरुक्त बर्षों में कोई कार्रवाई नहीं होती है वा मेरी मृत्यु होती है तो इसका जिम्मेदार पूर्व कार्यवाही से मनीष राठीर ही होगा। मेरी आकस्मिक मृत्यु होने पर मनीष राठीर के खिलाफ इस पत्र के आधार पर इत्या कर मुकदमा चले किया जाये तथा अभी जमानत में मनीष राठीर के ऊपर कड़ी कार्यवाही की जाये।

प्रतिक्रमण द्वारा सहायक सर्वेसम्पत्ति से निर्बंध किया गया था कि पूर्व में निर्धारित स्थान निर्देशन के परिषद में सहायक पर्यावरण संरक्षण मंडल से जमानत में सबल कर निर्देशन किये जाने हेतु पत्र लेख किया जाए। साथ ही स्थल निर्देशन के दौरान यदि शर्तों का पालन नहीं किया जाता पाया जाता है तो परिषदीयता प्रस्तावक को विरुद्ध निष्पानुसार अवस्यक कार्यवाही कली हुने एस.ई.आई.ए.ए., सहायक पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा सूचित किया जाए।

एस.ई.आई.ए.ए., सहायक पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा दिनांक 17/03/2023 के परिषद में सहायक पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 13/07/2023 को प्रस्तुत किया गया है।

प्रतिक्रमण द्वारा बैठक में विचार – समीक्षा प्रकरण पर प्रतिक्रमण की दिनांक 04/08/2023 को संलग्न 152वीं बैठक में विचार किया गया। प्रतिक्रमण द्वारा जानकारी/दस्तावेज का अवलोकन किया गया। प्रतिक्रमण द्वारा नोट किया गया कि-

1. सहायक सचिव, सहायक पर्यावरण संरक्षण मंडल, मध्य राधुन अंतर्गत मगर द्वारा क्षेत्रीय अधिकारी, सहायक पर्यावरण संरक्षण मंडल, कोरवा प्रेषित पालन प्रतिक्रमण में उल्लेखित तथ्य निम्नानुसार है-

- तटसीमादार बरदासी के अधीन अनुमान प्राप्त स्वीकृत पर्यटनिक क्षेत्र के सीमांकन में एकका 1.82 हेक्टेयर भूमि पर पर्यटन पर्यटनिक क्षेत्र बना है, जो कि स्वीकृत पर्यटनिक क्षेत्र के सीमा के अंदर बना गया है। अधीन की प्रमाणाति संलग्न है।

- निरीक्षण में 7.5 मीटर की परिधि में कुआरीकरण किया जाना था। बरदासी क्षेत्र होने के कारण कुआरीकरण कार्य असंभव है। माईन प्रबंधन द्वारा परिशिष्टन मार्ग एवं राष्ट्रीय के निक भूमि पर लगभग 500 नम कुआरीकरण किया गया है, जिससे से अधीनकरण कार्य अधिष्ठित पाये गये।

- माईन प्रबंधन द्वारा कार्यक्षेत्र में गारलेण्ड ट्रेन एवं सेटलिंग पीथ का निर्माण किया गया है। गारलेण्ड ट्रेन में खनिजों में गार का जमाव होना था।

- खनिज विभाग से संबंधित जानकारी प्रदान किये जाने के संबंध में खनिज अधिकारी जिला क्षेत्र का जो पत्र दिनांक 27/04/2023 के माध्यम से पत्र अधिष्ठित किया गया है।

2. पर्यटनिक प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के तहतनुसार 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा चट्टी में कुआरीकरण का कार्य नहीं किया गया है तथा निरीक्षण के दौरान लेज क्षेत्र के चारों ओर निम्नानुसार फेंसिंग, गारलेण्ड ट्रेन एवं सेटलिंग पीथ का निर्माण कार्य नहीं किया गया था। अतः तब के संबंध में प्रतीक्षण का मत है कि पर्यावरणीय स्वीकृति के तहत का पालन नहीं किये जाने के कारण परिशिष्टना प्रस्तावक के विरुद्ध निम्नानुसार पर्यावरणीय स्वीकृति अधिष्ठित किये जाने हेतु पर्यटनिक पर्यावरण संरक्षण मण्डल को पत्र लेख किया जाना आवश्यक है।

पर्यटनिकनुसार अधिष्ठितन द्वारा विचार विमर्श करवाते सर्वसम्मति से निर्णय किया गया कि परिशिष्टना प्रस्तावक के विरुद्ध निम्नानुसार कार्यवाही किये जाने हेतु पर्यटनिक पर्यावरण संरक्षण मण्डल को पत्र लेख किया जाए।

पर्यटनिक पर्यावरण संरक्षण मंडल, नए रायपुर अटल नगर को पत्र लेख किया जाए।

एजेन्डा आर्डर क्रमांक-8 नाम परिवर्तन हेतु प्राप्त आदेशन के संबंध में निर्णय लिया जाना।

1. मेसर्स रेडिएन्ट कोल डेवीलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड, धान-बारीदा, तहसील-बारीदा, जिला-जाजगीर-घांघा

ऑनलाईन आदेशन - प्रोजेक्ट नम्बर - एचआईए / सीडी / सीएचआईए/ 299702/2023, दिनांक 04/08/2023। मेसर्स सिन्धु इन्फ्रा एन्ड कोल डेवीलपमेंट (इन्फ्रा) लिमिटेड को जारी पर्यावरणीय स्वीकृति को मेसर्स रेडिएन्ट कोल डेवीलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर नामांतरित (Transfer) किये जाने हेतु आदेशन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण -

1. जहाँगीर तहसील, तहसील-बारीदा, जिला-जाजगीर-घांघा स्थित खसरा क्रमांक 1586, 1587, 1588, 1589, 1590, 1591, 1592, 1599, 1643, 1644, 1645, 1647,

1850, 1851, 1853 एवं अन्य, कुल बीजकाल 14.80 एकांक, वेद लाईव कोल बीसरी उत्पादन क्षमता-0.96 मिलियन टन प्रतिवर्ष की है।

2. पूर्व में एच.ई.आई.ए.ए. इलाहाबाद की इकाय क्रमांक 348, दिनांक 18/08/2017 द्वारा बलीदा, लहसील-बलीदा, जिला-जाजगीर-पंचायत निम्न क्रमांक 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 1893, 1843, 1844, 1845, 1847, 1850, 1851, 1853 एवं अन्य, कुल बीजकाल 14.80 एकांक, वेद लाईव कोल बीसरी उत्पादन क्षमता-0.96 मिलियन टन प्रतिवर्ष हेतु मेसर्स हिन्द इन्वर्जी एण्ड कोल बेनिफिसिऐशन (इन्फिन्स) लिमिटेड के नाम से पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई है।
3. इलाहाबाद पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रावपुर अटल नगर इलाहाबाद वेद लाईव कोल बीसरी उत्पादन क्षमता-0.96 मिलियन टन प्रतिवर्ष हेतु जल एवं वायु सार्वजनिक नवीनीकरण दिनांक 02/02/2022 की मेसर्स हिन्द इन्वर्जी एण्ड कोल बेनिफिसिऐशन (इन्फिन्स) लिमिटेड के नाम से जारी की गई है, जो दिनांक 31/01/2025 तक की अवधि हेतु वैध है।
4. मेसर्स हिन्द इन्वर्जी एण्ड कोल बेनिफिसिऐशन (इन्फिन्स) लिमिटेड को जारी पर्यावरणीय स्वीकृति को मेसर्स रेडिएन्ट कोल बेनिफिसिऐशन प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर हस्तांतरण किये जाने बाबजू अप्रत्यक्ष प्रमाण तक प्रस्तुत किया गया है।
5. मेसर्स रेडिएन्ट कोल बेनिफिसिऐशन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा पूर्व में मेसर्स हिन्द इन्वर्जी एण्ड कोल बेनिफिसिऐशन (इन्फिन्स) लिमिटेड को जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में अतिरिक्त शर्तों का पालन किये जाने बाबजू अप्रत्यक्ष प्रमाण प्रस्तुत किया गया है।
6. मेसर्स हिन्द इन्वर्जी एण्ड कोल बेनिफिसिऐशन (इन्फिन्स) लिमिटेड एवं मेसर्स रेडिएन्ट कोल बेनिफिसिऐशन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किये गये विज्ञापन टर्मिनल एकीकरण की प्रति प्रस्तुत की गई है।
7. मेसर्स हिन्द इन्वर्जी एण्ड कोल बेनिफिसिऐशन (इन्फिन्स) लिमिटेड द्वारा बीई.ओ.सी. स्थापत्य की प्रति प्रस्तुत की गई है।

प्रतिक्रिया द्वारा बैठक में विचार - उपरोक्त प्रकरण पर प्रतिक्रिया की दिनांक 04/08/2023 की तारीख 152वीं बैठक में विचार किया गया। प्रतिक्रिया द्वारा नसी/दस्तावेज का अद्यतन किया गया। प्रतिक्रिया द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त कार्यसूची से निर्बंध लिया गया कि-

1. RoC Certificate has not been submitted, please submit either a copy of Certificate of Incorporation pursuant to change of name from Hind Energy to Radiant Coal issued by Registrar of Companies, Ministry of Corporate Affairs or N.C.L.T. order.
2. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन एकीकृत संशोधन कार्यसूची, मारल संरक्षण, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नया रावपुर अटल नगर से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त बाधित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरोक्त आगामी कार्यसूची की जाएगी।

परिचालन प्रस्तावक को लघुनुसार सूचित किया जाए।



2. मेसर्स लखदत्तार कोल एन्ड मिनरल्स केमिकलिसेशन प्राइवेट लिमिटेड,
ग्राम-नयनपुर-मिखरगंज, लखीसैज व जिला-सुरजपुर

ऑनलाईन आवेदन - प्रपोजल नम्बर - एसआईए / सीजी / सीएमआईएन/
200879/2023, दिनांक 08/08/2023। मेसर्स हिन्द माल्टी सर्विसेस प्राइवेट
लिमिटेड को जारी पर्यावरणीय स्वीकृति को मेसर्स लखदत्तार कोल एन्ड मिनरल्स
केमिकलिसेशन प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर नामांतरित (Transfer) किये जाने हेतु
आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण -

1. राष्ट्रीय औद्योगिक क्षेत्र, नयनपुर मिखरगंज, लखीसैज व जिला-सुरजपुर स्थित
प्लॉट नं. 140-147, 163-165, 173-175 एवं 168-172, कुल क्षेत्रफल 5.74
एकर, कोल बीछरी क्षमता-0.8 मिलियन टन प्रतिवर्ष (ड्राई एयर ड्रिग प्रोसेस) की
है।
2. पूर्व में एसईआईएए, अलीगंज के प्रथम क्रमांक 1325, दिनांक
27/01/2017 द्वारा औद्योगिक क्षेत्र, नयनपुर मिखरगंज, लखीसैज व
जिला-सुरजपुर स्थित प्लॉट नं. 140-147, 163-165, 173-175 एवं 168-172,
कुल क्षेत्रफल 5.74 एकर, कोल बीछरी क्षमता-0.8 मिलियन टन प्रतिवर्ष (ड्राई
एयर ड्रिग प्रोसेस) हेतु मेसर्स हिन्द माल्टी सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड के नाम से
पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई है।
3. क्षेत्रीय कार्यलय, अलीगंज पर्यावरण संरक्षण मंडल, जिला-सुरजपुरा द्वारा कोल
बीछरी क्षमता-0.8 मिलियन टन प्रतिवर्ष (ड्राई एयर ड्रिग प्रोसेस) हेतु जल एवं
वायु सम्बन्धी नवीनीकरण दिनांक 30/03/2022 को मेसर्स हिन्द माल्टी सर्विसेस
प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जारी की गई है, जो दिनांक 31/03/2025 तक
की अवधि हेतु वैध है।
4. मेसर्स हिन्द माल्टी सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड को जारी पर्यावरणीय स्वीकृति को
मेसर्स लखदत्तार कोल एन्ड मिनरल्स केमिकलिसेशन प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर
हस्तांतरण किये जाने बाबत मेसर्स हिन्द माल्टी सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड का
अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
5. मेसर्स लखदत्तार कोल एन्ड मिनरल्स केमिकलिसेशन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा पूर्व में
मेसर्स हिन्द माल्टी सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड को जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में
अतिरिक्त शर्तों का प्रावधान किये जाने बाबत सप्लाय पर (Notarize Undertaking)
प्रस्तुत किया गया है।
6. मेसर्स लखदत्तार कोल एन्ड मिनरल्स केमिकलिसेशन प्राइवेट लिमिटेड का गठन
का प्रमाण पत्र (Certificate of Incorporation) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
7. मेसर्स हिन्द माल्टी सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड का 4 कम्पनीज एक्ट, 1956 की
प्रति प्रस्तुत की गई है।
8. मेसर्स लखदत्तार कोल एन्ड मिनरल्स केमिकलिसेशन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा बीई
ऑफ़ रिजोल्यूशन की प्रति प्रस्तुत की गई है।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार - उपरोक्त प्रमाण पत्र प्राधिकरण की दिनांक
04/08/2023 को संख्या 152वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा

राष्ट्रीय/दस्तावेज का अद्यतन किया गया। प्रतिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त कार्यसूची से निर्गत किया गया कि:-

1. RoC Certificate has not been submitted, please submit either a copy of Certificate of Incorporation pursuant to change of name from Hind Energy to Radiant Coal issued by Registrar of Companies, Ministry of Corporate Affairs or N.C.L.T. order.
2. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नया जयपुर अटल नगर से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त उचित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने तकता अगली कार्यवाही की जाएगी।

परिचयना प्रस्तावक को तदनुसार सूचित किया जाए।

3. मेसर्स रेडिएंट कोल डेवीकॉलेजेशन प्राइवेट लिमिटेड, ग्राम-बलीदा, तहसील-बलीदा, जिला-जाजगीर-बांध

ऑनलाईन आवेदन - प्रयोजन नम्बर - एलआईए / सीडी / सीएमआईएम / 299959/2023, दिनांक 08/05/2023। मेसर्स बलीन कोल इन्टरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड को जारी पर्यावरणीय स्वीकृति को मेसर्स रेडिएंट कोल डेवीकॉलेजेशन प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर अन्तर्गत (Transfer) किये जाने हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण -

1. पट्टीन बलीदा, तहसील-बलीदा, जिला-जाजगीर-बांध स्थित खदान क्रमांक 1522/1, 2, 3, 4, 5, 6, 1524, 1573, 1574, 1575, 1576, 1578 एवं 1579/1, कुल क्षेत्रफल 11.25 एकड़, कोल बीछरी उत्पादन क्षमता-0.9 मिलियन टन प्रतिवर्ष की है।
2. पूर्व में एलआईआईए, एचसीएमए के द्वारा क्रमांक 277, दिनांक 20/10/2009 द्वारा बलीदा, तहसील-बलीदा, जिला-जाजगीर-बांध स्थित खदान क्रमांक 1522/1, 2, 3, 4, 5, 6, 1524, 1573, 1574, 1575, 1576, 1578 एवं 1579/1, कुल क्षेत्रफल 11.25 एकड़, कोल बीछरी उत्पादन क्षमता-0.9 मिलियन टन प्रतिवर्ष हेतु मेसर्स बलीन कोल इन्टरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड के नाम से पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई है।
3. एचसीएमए पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया जयपुर अटल नगर द्वारा कोल बीछरी उत्पादन क्षमता-0.9 मिलियन टन प्रतिवर्ष हेतु जल एवं वायु संश्लेषण नवीनीकरण दिनांक 29/03/2023 को मेसर्स बलीन कोल इन्टरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जारी की गई है, जो दिनांक 31/03/2025 तक की अवधि हेतु वैध है।
4. मेसर्स बलीन कोल इन्टरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड को जारी पर्यावरणीय स्वीकृति को मेसर्स रेडिएंट कोल डेवीकॉलेजेशन प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर अन्तर्गत किये जाने बाबत अन्तर्गत प्रस्ताव पत्र प्रस्तुत किया गया है।
5. मेसर्स रेडिएंट कोल डेवीकॉलेजेशन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा पूर्व में मेसर्स बलीन कोल इन्टरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड को जारी पर्यावरणीय स्वीकृति से अतिरिक्त राशि का भुगतान किये जाने बाबत अन्तर्गत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।


6. मेसर्स ब्लीन कोल इन्टरनैशियल प्राइवेट लिमिटेड एवं मेसर्स रेडियन्ट कोल इन्वैस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किये गये रजिस्ट्रेशन ट्रांसाक्टर एंटीमेंट की प्रति प्रस्तुत की गई है।
7. मेसर्स ब्लीन कोल इन्टरनैशियल प्राइवेट लिमिटेड एवं मेसर्स रेडियन्ट कोल इन्वैस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा बोर्ड ऑफ रिजॉल्यूशन की प्रति प्रस्तुत की गई है।

प्रतिक्रमण द्वारा बैंक में विचार - उपरोक्त प्रकल्प पर प्रतिक्रमण की दिनांक 04/08/2023 को संपन्न 152वीं बैठक में विचार किया गया। प्रतिक्रमण द्वारा मशी/दस्तावेज का अडालोवन किया गया। प्रतिक्रमण द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि:-

1. RoC Certificate has not been submitted, please submit either a copy of Certificate of Incorporation pursuant to change of name from Hind Energy to Radiant Coal issued by Registrar of Companies, Ministry of Corporate Affairs or N.C.L.T. order.
2. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, नया रायपुर, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नया रायपुर अटल नगर में प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त उचित जलवायु/दस्तावेज प्राप्त होने उपरोक्त आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परिचोदन प्रस्तावक को उपानुसार सूचित किया जाए।



एपेंडिक्स आइटम क्रमांक-8

जिला कोरबा की 12 वेत घाटी की खनिज विभाग द्वारा पर्यावरण स्वीकृति हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है, उक्त पर्यावरण स्वीकृति को नदियों के मुहाने में होने वाली गभीर क्षति के संबंध में उल्लेख निरस्त करने बाबत विज्ञापन पर विचार कर निर्णय लिया जाना।

सादर्य सचिव, जलसिमाग्रह पर्यावरण संरक्षण मण्डल, नया रायपुर अटल नगर को संपन्न दिनांक 04/08/2023 द्वारा श्री दिनेश वादर, सामाजिक कार्यकर्ता, वार्ड नं. 35, मकान नं. 23/89, शक्ति नगर, सिंग रोड बालको, जिला-कोरबा के माध्यम से "जिला कोरबा की 12 वेत घाटी की खनिज विभाग द्वारा पर्यावरण स्वीकृति हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है, उक्त पर्यावरण स्वीकृति को नदियों के मुहाने में होने वाली गभीर क्षति के संबंध में उल्लेख निरस्त करने बाबत" विज्ञापन प्रेषित किया गया है। विज्ञापन में उल्लेखित तथ्य निम्नानुसार है:-

जिला कोरबा में खनिज विभाग द्वारा 35 नवे वेत घाटी को विन्यासित किया गया है, इनमें से 12 नवीन वेत घाटी को पर्यावरण स्वीकृति हेतु आन्तक कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत किया गया है, उक्त आन्तक विभाग द्वारा इन नवीन वेत घाटी को पर्यावरण स्वीकृति दी जाती है तो भविष्य में वेत माफिया द्वारा बड़े पैमाने पर नदी के मुहाने को गभीर क्षति वेत उल्लेखन के लिए किया जाएगा जिससे निकट भविष्य में नदियों के अस्तित्व पर गभीर विपरीत स्थिति निर्मित होगी और कालांतर में नदियों का बन्द हो जाना हो जाएगा जिससे कहीं न कहीं पर्यावरण के परिस्थितिक पर

बहुद ही खाम हो जाएगा जिससे कहीं न कहीं पर्यावरण के परिनियंत्रण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा भविष्य में एक गहरे जल संकट की स्थिति इस क्षेत्र में देखने को मिलेगी, बुकि सेट आख्यान में जिन नियमों व शर्तों का पालन किया जाना होता है, उसे सेट भाषियों द्वारा पूरा नहीं किया जाता सेट के बंदखाने में नदियों को अपनी नुकसान पहुंचाया जाता है, जिससे नदी को मुहावने में शुष्कता, जल भराव क्षमता में कमी आदि देखने को मिलती है।

नदियों के अस्तित्व बचाने हेतु कोरवा जिले के 12 नदीय सेट शर्तों की पर्यावरण स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त करने हेतु अनुबंध किया गया है।

प्रधिकरण द्वारा बैठक में विचार - उपरोक्त प्रकरण पर प्रतिक्रिया की दिनांक 04/08/2023 को सम्मन 152वीं बैठक में विचार किया गया। प्रधिकरण द्वारा जानकारी/दस्तावेज का आवांजन किया गया। प्रधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त संबंधिता के निम्नानुसार निर्णय किया गया कि:-

1. पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु जिला कोरवा द्वारा 12 सेट शर्तों से संबंधित प्रकरणों पर शिकायत को परिष्कार में भी परीक्षण किये जाने हेतु प्रकरण को एच.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ को लेंच किये जाने का निर्णय लिया गया।
2. शिकायतकर्ता (श्री मनीष राठी) द्वारा पेशित शिकायत के संस्था के एच.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ की आगामी बैठक में उपसमिति का गठन कर सर्वेक्षण निरीक्षण किये जाने हेतु निर्देशित किया जाय। साथ ही अद्यतन स्थिति से अवगत बनाने हेतु कलरफुल फोटोग्राफ दिनांक सहित विन्दुवार निरीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाय।


एच.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ एवं परिष्कारना प्रसावक को तदनुसार सूचित किया जाय।

बैठक धन्यवाद ज्ञापन के साथ संजमा हुई।



(अनुराग प्रसाद पी.)
सदस्य सचिव

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन
प्रधिकरण, छत्तीसगढ़



(दिव्यंशु दास)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन
प्रधिकरण, छत्तीसगढ़



(श्री. दीपक मिश्रा)
सदस्य

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्रधिकरण, छत्तीसगढ़